

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष

भाग - 2

(सिविल)

मध्यप्रदेश शासन

विषय-सूची

	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना		vi
विहंगावलोकन		viii

अध्याय - 1
जल संसाधन विभाग

भाग - क

जल संसाधन विभाग की एकीकृत (इंटीग्रेटेड) लेखापरीक्षा	1.1	3

भाग - ख

दतिया सिंचाई नहर एवं अखदेवा वितरणी में लाइनिंग के कार्य पर अतिरिक्त लागत	1.2	17
वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन से अपव्यय	1.3	18

अध्याय - 2
लोक निर्माण विभाग

भाग-क

भंडारों का प्रबंधन	2.1	23

भाग - ख

रीवा में 800 बिस्तरों वाले संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय का निर्माण	2.2	37
उच्च दर पर निविदा की स्वीकृति से अतिरिक्त लागत	2.3	39
ठेकेदार से सामग्री के मूल्य की वसूली न होना	2.4	40

बी.ओ.टी. योजना के अंतर्गत ठेकेदारों को अदेय लाभ	2.5	41
भोपाल में न्यायिक अकादमी में आवासों के निर्माण के लिए अधिक भुगतान	2.6	42
इंदौर-सांवेर-उज्जैन मार्ग के सुदृढ़ीकरण पर परिहार्य व्यय	2.7	44
ठेकेदार के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही करने में विफलता से शासन को हानि	2.8	45
कपटपूर्ण भुगतान	2.9	47
सड़कों के संधारण में अधिक महंगे डामर के उपयोग से अतिरिक्त व्यय	2.10	49
पथकर वसूली के प्राधिकार के साथ जावरा-मंदसौर-नीमच-नयागांव मार्ग (राजमार्ग-31) का संधारण	2.11	50

अध्याय - 3
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

भाग - क

पेयजल आपूर्ति	3.1	55

भाग - ख

उच्च दर पर निविदा की अविवेकपूर्ण स्वीकृति से अतिरिक्त लागत	3.2	85

अध्याय - 4
वन विभाग

भाग - क

विश्व बैंक सहायता प्राप्त मध्यप्रदेश वनीकरण परियोजना के माध्यम से वन विकास	4.1	89

भाग - ख

वृक्षारोपणों की असफलता से हानि	4.2	107

अध्याय - 5
अन्य विभाग

आवास एवं पर्यावरण विभाग

न्यायिक परिसर का निर्माण	5.1	111
मूल्य वृद्धि प्रभारों का अस्वीकार्य भुगतान	5.2	112

नर्मदा घाटी विकास विभाग

निविदाओं की विवेकहीन अस्वीकृति के फलस्वरूप लाइनिंग कार्य पर अतिरिक्त लागत	5.3	114

अध्याय - 6
सामान्य

जवाबदेही पर बल देने एवं मध्यप्रदेश शासन के हितों का संरक्षण करने में वरिष्ठ अधिकारियों की विफलता	6.1	119

परिशिष्ट

पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान सिंचाई क्षमता के विकास की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक	I	125
विभिन्न जिलों में सृजित सिंचाई क्षमता के मध्य असंतुलन दर्शाने वाला विवरण पत्रक	II	126
अपूर्ण योजनाओं की भौतिक प्रगति एवं लागत आधिक्य दर्शाने वाला विवरण पत्रक	III	128
मात्राओं में असामान्य वृद्धि के कारण अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण पत्रक	IV	130
डामर की कम प्राप्ति दर्शाने वाला विवरण पत्रक	V	131
लेखाबद्ध न किए गए दायित्वों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	VI	132
संग्रह की आरक्षित सीमा की स्वीकृति के बिना वर्ष के अंत में संग्रह के शेष दर्शाने वाला विवरण पत्रक	VII	133
यातायात गणना आंकड़ों के योग में त्रुटि से निविदा राशि का कम मूल्यांकन दर्शाने वाला विवरण पत्रक	VIII (i)	134
पथकर की गलत दरों की प्रयुक्ति से निविदा राशि का कम मूल्यांकन दर्शाने वाला प्रपत्र	VIII (ii)	135
पथकर संग्रहण का गलत मूल्यांकन दर्शाने वाला प्रपत्र	IX	136
तकनीकी शब्दों एवं संक्षेपों की शब्दावली	X	138

प्रस्तावना

प्रस्तावना

1. यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 एवं मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की कण्डिका 35(1) के अंतर्गत संबंधित राज्य विधान सभाओं के पटल पर रखे जाने के लिए मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के राज्यपालों को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन में निष्पादन लेखापरीक्षा तथा जल संसाधन, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, वन एवं अन्य विभागों के लेन-देनों की लेखापरीक्षा के निष्कर्ष दर्शाए गए हैं।

3. इस प्रतिवेदन में 31 अक्टूबर 2000 तक मध्य प्रदेश के संयुक्त राज्य शासन के लेन-देनों एवं 1 नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2001 तक की अवधि के लिए मध्य प्रदेश (उत्तरवर्ती राज्य) के लेन-देनों के नमूना लेखापरीक्षा निष्कर्षों से चयन की गई अभ्युक्तियाँ सम्मिलित की गई हैं। तथापि, 31 अक्टूबर 2000 तक संयुक्त मध्यप्रदेश के शासन के लेन-देनों तथा 1 नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2001 की अवधि के लिए मध्यप्रदेश (उत्तरवर्ती राज्य) एवं छत्तीसगढ़ दोनों के शासनों के लेन-देनों में समाहित ''पेयजल आपूर्ति'' और ''विश्व बैंक सहायतित मध्यप्रदेश वानिकी परियोजना के माध्यम से वन विकास'' योजनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा भी इस खण्ड में सम्मिलित है।

4. छत्तीसगढ़ शासन के संबंध में 1 नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2001 की अवधि के लेन-देनों की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप उद्भूत अभियुक्तियाँ अलग प्रतिवेदन में सम्मिलित की गई हैं।

5. 31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष के लिए वित्त लेखाओं एवं विनियोग लेखाओं के परीक्षण, राज्य शासन के अन्य वित्तीय लेन-देनों के लेखापरीक्षण, राज्य के स्वायत्त निकायों और विभाग द्वारा संचालित वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखापरीक्षण से उद्भूत विषयों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां समाविष्ट करने वाले प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

6. इसी प्रकार, सांविधिक निगमों, मंडलों एवं सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा से उद्भूत अभ्युक्तियां समाविष्ट करने वाला प्रतिवेदन तथा राजस्व प्राप्तियों पर ऐसी अभ्युक्तियां समाविष्ट करने वाला प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किया जाता है।.

7. प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण उनमें से हैं जो वर्ष 2000-2001 के दौरान लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आए तथा वे भी हैं जो विगत वर्षों में ध्यान में आए ये परंतु जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में प्रतिपादित नहीं किया जा सका था, जहां कहीं आवश्यक था 2000-2001 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी समाविष्ट किए गए हैं।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में 6 अध्याय हैं, जिनमें मध्यप्रदेश सरकार के जल संसाधन, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, वन तथा अन्य निर्माण विभागों के 31 मार्च, 2001 को समाप्त वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा से उद्भूत लेखापरीक्षा समीक्षाएं एवं 18 कंडिकाएं क्षा सम्मिलित हैं। लेखापरी समीक्षाओं एवं महत्वपूर्ण कंडिकाओं में सन्निहित निष्कर्षों का सार इस विहंगावलोकन में प्रस्तुत है।

1. लेखापरीक्षा समीक्षाएं

1.1 जल संसाधन विभाग की एकीकृत लेखापरीक्षा

जल संसाधन विभाग, सिंचाई योजनाओं के निर्माण, सिंचाई क्षमता के विकास एवं उसके वास्तविक उपयोग के लिए मध्यप्रदेश शासन की प्रमुख एजेंसी है। पुनर्गठित मध्यप्रदेश राज्य में यद्यपि निवल बुवाई क्षेत्र 150.7 लाख हेक्टेयर था, सृजित सिंचाई क्षमता मात्र 20 लाख हेक्टेयर थी। उपयोग की गई सिंचाई क्षमता मात्र 9.25 लाख हेक्टेयर ही थी जो सृजित क्षमता की मात्र 46 प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न जिलों के मध्य, सृजित सिंचाई क्षमता में व्यापक असंतुलन था। 1972 और 1985 के मध्य प्रारंभ की गई 99 योजनाएं, 1409.62 करोड़ रूपये के व्यय के बावजूद भी मार्च 2001 तक अपूर्ण थीं तथा 4.29 लाख हेक्टेयर की रूपांकित क्षमता के विरूद्ध वास्तविक रूप में सृजित सिंचाई क्षमता 2.51 लाख हेक्टेयर थी। यद्यपि मई 2000 से नहर प्रणाली संधारण जल उपभोक्ता संथाओं को हस्तांतरित कर दिया गया था किंतु 2000-2001 के दौरान उन्हें भुगतान किए गए 10.23 करोड़ रूपये के विस्तृत लेखे विभाग को प्रस्तुत नहीं किए गए।

- विभिन्न जिलों में सिंचाई सुविधाओं में व्यापक असंतुलन था, यथा राज्य स्तर पर 13.27 प्रतिशत के विरूद्ध, 8 जिलों में सिंचाई सुविधा, निवल बुवाई क्षेत्र के 5 प्रतिशत से भी कम, 20 जिलों में 5 से 10 प्रतिशत के मध्य एवं अन्य 6 जिलों में 40 से 75 प्रतिशत तक थी।

- 7 वृहद् एवं 7 मध्यम योजनाएं (1972-85 के मध्य प्रारंभ) अपूर्ण थीं। भू-अर्जन में विलंब आदि के परिणामस्वरूप 1532.62 करोड़ रूपये का लागत आधिक्य हुआ।

- 4 योजनाओं पर बिना किसी भौतिक प्रगति के 14.28 करोड़ रूपये व्यय किए गए।

- जल उपभोक्ता संथाओं को भुगतान किए गए 10.23 करोड़ रूपये में 2.05 करोड़ का अधिक भुगतान सम्मिलित था।

- 101.65 करोड़ रूपये का रखरखाव पर व्यय 27.07 करोड़ रूपये के सिंचाई राजस्व से अधिक हो गया।

- 27 मंडल कार्यालयों को बंद करने के कारण अतिशेष हुए 789 कर्मचारियों को 13 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया। 1988 के बाद अनधिकृत रूप से नियुक्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 27.86 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया। 454 कर्मचारी जो अनुपयोगी घोषित 463 वाहनों पर संलग्न थे, उन्हें 2.30 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया। 16.5 प्रतिशत के मानदंड के विरूद्ध 143 करोड़ रूपये के निर्माण कार्य व्यय का 71 प्रतिशत स्थापना पर व्यय किया गया था।

- वन भूमि निर्बाधन हेतु भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से अस्वीकृत 5 योजनाओं पर 1.86 करोड़ रूपये का अपव्यय हुआ।

- ठेकेदारों को अतिरिक्त मद पर 58.40 लाख रूपये का अधिक भुगतान एवं भुगतान की गई अतिरिक्त मात्राओं पर 31.02 लाख रूपये का परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 1.1)

1.2 भंडारों का प्रबंधन

लोक निर्माण विभाग आवासीय/ गैर आवासीय भवनों, सड़कों और पुलों के निर्माण तथा रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। विभाग के पास भंडारों के अधिग्रहण,

अभिरक्षा एवं निपटान हेतु कोई व्यवस्थित प्रणाली न होने के परिणामस्वरूप बजट आवंटन से ऊपर व्यय में भारी आधिक्य, लेखे के अन्य शीर्षों से निधियों का व्यपवर्तन, अत्यधिक क्रय से भंडारों का संचय एवं लेखांकन के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ। समीक्षा में निम्नलिखित मुख्य बिंदु प्रकट हुए :-

- आवश्यकता से अधिक भंडारों के क्रय से 33.06 करोड़ रूपये मूल्य के विशाल संग्रह का संचयन हो गया।

- 1995-96 और 1999-2000 के मध्य निधियों के आवंटन के बिना 4.36 करोड़ रूपये मूल्य के औजार एवं संयंत्र क्रय किए गए।

- 1997-98 और 1998-99 के दौरान अविवेकपूर्ण ढंग से 1.03 करोड़ रूपये मूल्य के 'आर सी सी ह्यूम पाइप' क्रय किए गए जिसमें से 73.71 लाख रूपये मूल्य के पाइप अगस्त 2001 तक बिना उपयोग के पड़े थे।

- 1995-96 और 1996-97 के दौरान 1.08 करोड़ रूपये मूल्य के 1081 मीट्रिक टन बिट्रुमिन इमल्शन की अधिक खपत ध्यान में आई।

- 1995-96 से 1999-2000 के दौरान 380.60 मीट्रिक टन एक अधिक महंगे डामर, कट बैक बिट्रुमिन के उपयोग के परिणामस्वरूप 55.88 लाख रूपये का अधिक व्यय हुआ।

- मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम से क्रय हेतु आरक्षित वस्तुएं, खुले बाजार से अत्यधिक उच्च दरों पर क्रय की गईं, परिणामस्वरूप 41.24 लाख रूपये की अतिरिक्त लागत आई।

- 1998-2000 के मध्य 40.95 करोड़ रूपये मूल्य की सामग्री, इसकी वास्तविक खपत का सत्यापन किए बिना निर्माण कार्यों को नामे की गई।

(कंडिका 2.1)

1.3 पेयजल आपूर्ति

भारत सरकार ने 20,000 से कम जनसंख्या वाले नगरों (1991 जनगणना) के लिए केन्द्र प्रवर्तित गतिवर्धित नगरीय जल आपूर्ति कार्यक्रम आरंभ किया (1993-94)। यद्यपि गतिवर्धित नगरीय जल आपूर्ति कार्यक्रम हेतु 312 नगरों को पात्रता थी, पेयजल आपूर्ति के लिए मात्र 154 नगरों को प्रस्तावित किया गया था, जिनमें से केवल 100 नगरों के लिए योजनाएं स्वीकृत की गईं। 2.69 लाख जनसंख्या (पात्र जनसंख्या का 8 प्रतिशत) वाले मात्र 26 नगरों की 26 योजनाएं ही 15.09 करोड़ रूपये की लागत पर मार्च 2001 तक पूर्ण की गईं।

भारत सरकार ने प्रगतिरत् केन्द्र प्रवर्तित योजना नामशः गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम को सामाश्रय देने के लिए राष्ट्रीय पेयजल मिशन आरंभ किया (फरवरी 1986)। इसका लक्ष्य सभी ग्रामों एवं बसाहटों में 40 लीटर प्रति व्यक्ति दैनिक सुरक्षित एवं पीने योग्य जल की व्यवस्था करना था। राज्य में 1,66,603 ग्राम एवं बसाहटें थीं, जिनमें से 57,050 को समस्याग्रस्त बसाहटों के रूप में मार्च 1997 तक पहचाना गया था एवं इनमें मार्च 2000 तक पेयजल की व्यवस्था करना प्रस्तावित था। तथापि, 15,267 बसाहटों (27 प्रतिशत) को व्यवस्था रहित छोड़ कर मार्च 2001 तक 867.53 करोड़ रूपये की लागत पर मात्र 41,783 बसाहटों में ही व्यवस्था की जा सकी। लक्ष्यित नमूनों (3.24 लाख) के मात्र 23.45 प्रतिशत नमूने ही लिए गए एवं इनका परीक्षण किया गया। इस प्रकार बसाहटों को प्रदाय किए जा रहे जल की गुणवत्ता आश्वस्त (सुनिश्चित) नहीं थी। अपर्याप्त योजनाकरण, हीन वित्तीय प्रबंधन, निष्प्रभावी परिवीक्षण एवं मूल्यांकन से विशाल संसाधनों के अवरूद्ध होने के साथ संपूर्ण ग्रामीण जनसंख्या को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति के लक्ष्यों के विरूद्ध भारी गिरावट थी। हीन रखरखाव एवं स्थानीय समुदाय को लिप्त न करने से परिसंपत्तियां निष्क्रिय हो गई थीं। समीक्षा में निम्न बिंदु प्रकट हुए :-

गविवर्धित नगरीय जल आपूर्ति कार्यक्रम

- प्रस्तावित 154 योजनाओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक 105.51 करोड़ रूपये के विरूद्ध नौवीं योजना में मात्र 34.76 करोड़ रूपये (33 प्रतिशत) का ही प्रावधान किया गया था।

- मध्यप्रदेश शासन ने 11.53 करोड़ रूपये के केन्द्रीय अंश को रोके रखा तथा संभागों में सिविल जमा के अंतर्गत 17.83 करोड़ रूपये उपयोग के बिना पड़े थे।

- यद्यपि भारत सरकार ने सभी अनुमोदित योजनाओं के लिए निधियां विमुक्त कर दी थीं, मध्यप्रदेश शासन से प्रशासकीय अनुमोदन के अभाव में 30.50 करोड़ रूपये लागत की 25 योजनाएं प्रारंभ नहीं हुईं तथा कियान्वयन करने वाले संभागों को 9.43 करोड़ रूपये विमुक्त करने के बाद भी 10.73 करोड़ रूपये लागत की 8 योजनाएं भी प्रारंभ नहीं हुईं।

- 5 योजनाओं के त्रुटिपूर्ण चयन एवं इनकी अनुपचारित जलस्रोतों पर हीन निर्भरता के फलस्वरूप 45.55 लाख रूपये का परिहार्य व्यय एवं 2.51 करोड़ रूपये का निष्फल व्यय हुआ। 2 योजनाओं पर निर्माण कार्य स्थगित कर देने के फलस्वरूप 1.89 करोड़ रूपये का निरर्थक व्यय हुआ।

- भीकनगांव और कसरावद योजनाओं के लिए उपचार संयंत्र हेतु उपयुक्त तकनीक पर निर्णय न लिए जाने से एवं बरॉज (भीकनगांव) का निर्माण न करने से 3.01 करोड़ रूपये का व्यय निष्फल हो गया।

गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम

- मध्यप्रदेश शासन 68.64 करोड़ रूपये के समरूपी अंश की व्यवस्था करने में असफल रहा तथा सूचित किया गया व्यय 66.08 करोड़ रूपये तक बढ़ाया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय में कमी से मध्यप्रदेश 12.68 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता से वंचित हुआ। प्रमुख अभियंता, भोपाल एवं मुख्य अभियंता, रायपुर ने 110.84 करोड़ रूपये सिविल जमा के अंतर्गत रखे जिसमें से 50.37 करोड़ रूपये बिना उपयोग के पड़े रहे।

- हीन निर्भरता और अपर्याप्त रखरखाव से 1,017 व्यवस्थाहीन तथा 16,435 आंशिक व्यवस्था वाली बसाहटों का पुनः आविर्भाव हुआ। अपर्याप्त सर्वेक्षण से 63.37 करोड़ रूपये लागत के 15,842 नलकूप असफल रहे।

231 ग्रामीण नल जल आपूर्ति योजनाएं अपूर्ण पड़ी थीं, जिनमें 16.62 करोड़ रूपये फंस गए थे।

- जल आपूर्ति योजनाओं के हीन रखरखाव एवं परिचालन के परिणामस्वरूप 44,179 हैंडपंप और 844 ग्रामीण नल जल आपूर्ति योजनाएं प्रचालन में नहीं थीं तथा 305.30 करोड़ रूपये का व्यय निष्फल हो गया।

- जल गुणवत्ता परिवीक्षण एवं निगरानी प्रणाली को आधार स्तर (ग्रास रूट लेवल) पर आरंभ नहीं किया गया था। कार्रवाई के अभाव में जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियों की अधिक घटनाएं हुईं।

- फ्लोराइड प्रभावित 2,729 ग्रामों, अधिक खारेपन से प्रभावित 10 जिलों एवं राजनांदगांव जिले में अधिक आर्सेनिक (संखिया) से प्रभावित 11 ग्रामों में कोई प्रतिकारक उपाय नहीं किए गए।

- रखरखाव के अभाव एवं स्थानीय समुदाय को सम्मिलित न करने से 1.85 करोड़ रूपये मूल्य के 2,640 लौह निवारक संयंत्र एवं 2.10 करोड़ रूपये लागत वाली 35 सोलर फोटो वोल्टेक पंपिंग प्रणालियां बंद हो गईं।

- विभाग 1,024 आंगनबाड़ी केन्द्रों में हैंडपंप संस्थापित करने में विफल रहा जबकि 3.94 करोड़ रूपये सिविल जमा के अंतर्गत पड़े थे।

(कंडिका 3.1)

1.4 *विश्व बैंक से सहायता प्राप्त मध्यप्रदेश वानिकी परियोजना के माध्यम से वन विकास*

वन विभाग तथा स्थानीय जनता द्वारा वनों के संरक्षण एवं सुधार हेतु संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से मध्यप्रदेश वानिकी परियोजना (परियोजना) सितम्बर 1995 में विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ की गई थी। चूँकि स्थानीय जनता प्रभावी रूप से इसमें सम्मिलित नहीं की गई थी, वन सुरक्षा समितियों एवं ग्राम वन समितियों के साथ समझौता ज्ञापन का निष्पादन न किये जाने, गैर शासकीय संगठनों को शामिल न करने, वन सुरक्षा समितियों तथा ग्राम वन समितियों को सुरक्षा राशि का कम भुगतान करने तथा आय मूलक गतिविधियों में समिति निधि

का कम उपयोग करने के कारण संयुक्त वन प्रबंधन द्वारा सार्थक प्रगति/उपलब्धि प्राप्त नहीं की जा सकी। आगे, वर्तमान वन विकास कार्यों को संकट्ग्रस्त करते हुए चरण-I की पूर्णता के पश्चात् एवं विश्व बैंक द्वारा चरण-II अनुमोदित न करने पर शेष कार्य के क्रियान्वयन हेतु कोई योजनाएं नहीं बनाई गइ थीं। भारतीय वन सर्वेक्षण (1995,1997 तथा 1999) के अनुसार अवधि 1995-99 के मध्य सघन वनाच्छादित क्षेत्र में 13,534 वर्ग किलोमीटर की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। इस प्रकार, वनाच्छादन की क्षति को जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि के साथ मिलाने पर यह पर्यावरण के स्थायित्व एवं परिस्थितिकीय संतुलन के संधारण पर विपरीत प्रभाव डालेगी।

- विश्व बैंक के अनुदेशों की अवहेलना कर वन सुरक्षा/ग्राम वन समितियों को 20.75 करोड़ रूपये का अग्रिम भुगतान किया गया।

- व्यक्तिगत निक्षेप खाते में जमा 59.83 लाख रूपये की राशि का उपयोग नहीं किया गया था।

- वन सुरक्षा समितियों/ग्राम वन समितियों को 5.49 करोड़ रूपये (50.2 प्रतिशत) सुरक्षा राशि का भुगतान नहीं किया गया।

- विश्व बैंक को दावों के प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारण राज्य के राजकोष पर 4.62 करोड़ रूपये का अतिरिक्त भार पड़ा।

- सहायक प्राकृतिक पुनरूत्पादन तथा ग्राम संसाधन विकास हेतु अनुपयुक्त स्थलों पर 4.89 करोड़ रूपये का अविवेकपूर्ण व्यय किया गया।

- कार्य की निषिद्ध/परिहार्य मदों पर 87.26 लाख रूपये का व्यय किया गया।

- सहायक प्राकृतिक पुनरूत्पादन के अधीन वानिकी कार्य हेतु मानदण्डों के निर्धारण में हुए विलम्ब के परिणामस्वरूप 13.68 करोड़ रूपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

वानिकी कार्यों पर निर्धारित मानदण्डों से अधिक 1.76 करोड़ रूपये का व्यय किया गया, औसत से नीचे की श्रेणी वाले स्थलों पर किया गया 2.62 करोड़ रूपये का व्यय निरर्थक रहा।

(कंडिका 4.1)

2 अन्य बिंदु

2.1 रीवा में 800 बिस्तरों वाले संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय का निर्माण

- चिकित्सालय के निर्माण में (i) उच्च दरों पर कार्यों के जवीनीकरण (2.35 करोड़ रूपये) (ii) फर्श की विशिष्टियों के परिवर्तन (1.95 करोड़ रूपये) (iii) खुले बाजार से ऊंची दरों पर डीजल जनरेटरों का क्रय (20.61 लाख रूपये) (iv) उच्च दरों पर निविदा की विवेकहीन स्वीकृति (82.46 लाख रूपये) के कारण 5.33 करोड़ रूपये की अतिरिक्त लागत तथा 48.23 लाख रूपये के गतिशीलन अग्रिम की वसूली न होना ध्यान में आए थे।

(कंडिकाएं 2.2 एवं 2.3)

2.2 'बिल्ड ऑपरेट एवं ट्रांसफर' योजना

- बांकुर एवं चंबल पुलों तथा जावरा-नयागांव मार्ग की 'बिल्ड ऑपरेट एवं ट्रांसफर' योजनाओं के अंतर्गत निर्माण को निविदाओं में सन् 2000 के स्थान पर 1997 की यातायात गणना मान्य की जाने तथा पथकर की गलत दरों की प्रयुक्ति के कारण व निविदाओं का कम मूल्यांकन होने के परिणामस्वरूप ठेकेदार को 14.75 करोड़ रूपये का अदेय लाभ हुआ।

(कंडिकाएं 2.5 एवं 2.11)

- 'बिल्ड ऑपरेट एवं ट्रांसफर' के अंतर्गत निविदाएं बुलाने के पश्चात् इन्दौर-सांवेर-उज्जैन मार्ग के एक भाग के विभागीय रूप से सुदृढ़ीकरण के परिणामस्वरूप ठेकेदार को 27.18 लाख रूपये का अदेय लाभ हुआ, साथ ही 35.46 लाख रूपये के अवमानक निर्माण कार्य का निष्पादन किया गया।

(कंडिका 2.7)

- 'बिल्ड ऑपरेट एवं ट्रांसफर' के अंतर्गत भोपाल-देवास मार्ग के संधारण के ठेके को विखंडित करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 1.42 करोड़ रूपये की हानि हुई।

(कंडिका 2.8)

2.3 *कपटपूर्ण भुगतान*

- जमसारा पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य में 7.98 लाख रूपये का कपटपूर्ण भुगतान किया गया था।

(कंडिका 2.9)

2.4 *अधिक भुगतान*

- भोपाल में न्यायिक अकादमी के आवासों के निर्माण में दर अनूसूची में सम्मिलित मदों के लिए उच्च दरों की स्वीकृति के परिणामस्वरूप 57.26 लाख रूपए का अधिक भुगतान हुआ।

(कंडिका 2.6)

- भोपाल के न्यायिक परिसर के निर्माण के में अतिरिक्त मदों के लिए उच्च दरों की स्वीकृति के परिणामस्वरूप 21.14 लाख रूपए का अधिक भुगतान हुआ।

(कंडिका 5.1)

2.5 *अतिरिक्त लागत एवं परिहार्य/ अधिक व्यय*

- राजघाट नहरों में लागत में मितव्ययिता के बिना पूर्व-ढलित सीमेंट कांक्रीट टाइल्स लाइनिंग के निष्पादन पर 48.37 लाख रूपये की अतिरिक्त लागत आई।

(कंडिका 1.2)

- अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंडल, उज्जैन द्वारा 16 समूहों में नलकूप खनन के लिए उच्च दरें स्वीकृत की गई, परिणामस्वरूप 39.48 लाख रूपये की अतिरिक्त लागत आई।

(कंडिका 3.2)

2.6 शासन को हानि

- वन मंडल, भोपाल में पौधों की न्यून जीवितता के कारण 93.13 लाख रूपये की हानि अवलोकित की गई।

(कंडिका 4.2)

अध्याय – 1
जल संसाधन विभाग

भाग – क

जल संसाधन विभाग की एकीकृत (इंटीग्रेटेड) लेखापरीक्षा	1.1	3

भाग – ख

दतिया सिंचाई नहर एवं अखदेवा वितरणी में लाइनिंग के कार्य पर अतिरिक्त लागत	1.2	17
वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन से अपव्यय	1.3	18

अध्याय - 1
जल संसाधन विभाग

भाग-क

1.1 जल संसाधन विभाग की एकीकृत (इंटीग्रेटेड) लेखापरीक्षा

1.1.1 विशेषताएं

नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण सहित जल संसाधन विभाग सिंचाई हेतु जल के उपयोग के लिए मध्यप्रदेश शासन की प्रमुख एजेंसी है। पुनर्गठित मध्यप्रदेश राज्य में यद्यपि निवल बुवाई क्षेत्र 150.7 लाख हेक्टेयर था, सृजित सिंचाई क्षमता 20 लाख हेक्टेयर थी। उपयोग की गई सिंचाई क्षमता मात्र 9.25 लाख हेक्टेयर ही थी जो सृजित क्षमता की मात्र 46 प्रतिशत थी।

- *विभिन्न जिलों में सिंचाई सुविधाओं में राज्य स्तर पर 13.27 प्रतिशत के विरूद्ध 8 जिलों में शुद्ध बुवाई क्षेत्र के 5 प्रतिशत से भी कम, 20 जिलों में 5 से 10 प्रतिशत के मध्य एवं अन्य 6 जिलों में 40 से 75 प्रतिशत का व्यापक असंतुलन था।*

 (कंडिका 1.1.6)

- *7 वृहद एवं 7 मध्यम योजनाएं (1972-85 के मध्य ली गई) अपूर्ण थीं। इनकी अनुमानित लागत 153.86 करोड़ रूपये से बढ़ कर 1,686.48 करोड़ रूपये हो गई, इसके फलस्वरूप 1,532.62 करोड़ रूपये का लागत आधिक्य हुआ।*

 *(कंडिका 1.1.7(**i**))*

- *4 योजनाओं पर बिना किसी भौतिक प्रगति के 14.28 करोड़ रूपये व्यय किए गए।*

 *(कंडिका 1.1.7(**ii**))*

- *मई 2000 में जल उपभोक्ता संथाओं को भुगतान किए गए 10.23 करोड़ रूपये में 2.05 करोड़ रूपये का अधिक भुगतान सम्मिलित था।*

 (कंडिका 1.1.8)

- *101.65 करोड़ रूपये का रखरखाव व्यय 27.07 करोड़ रूपये के सिंचाई राजस्व से अधिक हो गया।*

 (कंडिका 1.1.10)

- *27 मंडल कार्यालयों को बंद करने के कारण अतिशेष हुए 789 कर्मचारियों को 13 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया। 1988 के पश्चात अनधिकृत रूप से नियुक्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को*

27.86 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। 454 कर्मचारियों, जो अनुपयोगी घोषित 463 वाहनों पर संलग्न थे, को 2.30 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। 16.5 प्रतिशत के मानदंड के विरूद्ध 1,431 करोड़ रुपये के निर्माण कार्य व्यय का 71 प्रतिशत स्थापना पर व्यय किया गया।

(कंडिका 1.1.11(i) से (iv))

- *वन भूमि के निर्बाधन (क्लियरेंस) हेतु भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से अस्वीकृत 5 योजनाओं पर 1.86 करोड़ रुपये का अपव्यय हुआ।*

(कंडिका 1.1.12)

- *ठेकेदारों को अतिरिक्त मद पर 58.40 लाख रुपये का अधिक भुगतान एवं भुगतान की गई अतिरिक्त मात्राओं पर 31.02 लाख रुपये की परिहार्य अतिरिक्त लागत परिलक्षित हुई।*

(कंडिका 1.1.15)

1.1.2 प्रस्तावना

मध्यप्रदेश की 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर होने के कारण यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है।

नर्मदा घाटी विकास विभाग[1] सहित जल संसाधन विभाग (विभाग) राज्य में सिंचाई प्रयोजनों हेतु जल संसाधनों के उपयोग के लिए मध्यप्रदेश शासन की प्रमुख एजेंसी है। राज्य के पुनर्गठन के पूर्व विभाग ने 31 मार्च 2000 तक 33.40 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता के सृजन हेतु सिंचाई के लिए उपलब्ध 97,430 मिलियन घनमीटर जल में से 32,540.30 मिलियन घन मीटर जल का उपयोग किया जो कि निवल बुवाई क्षेत्र (209 लाख हेक्टेयर) का 15.98 प्रतिशत था एवं निवल बुवाई क्षेत्र के 26 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से बहुत कम था।

13.40 लाख हेक्टेयर की सृजित सिंचाई क्षमता (निवल बुवाई क्षेत्र का 22.98 प्रतिशत) सहित 58.30 लाख हेक्टेयर के निवल बुवाई क्षेत्र एवं 135.13 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल वाले मध्यप्रदेश के 16 जिलों को मिलाकर बने छत्तीसगढ राज्य का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 28) के द्वारा 1नवंबर 2000 को हुआ। 20 लाख हेक्टेयर के विकसित सिंचित क्षेत्र एवं 150.70 लाख हेक्टेयर वाले निवल बुवाई क्षेत्र सहित 3.08 लाख वर्ग किलोमीटर (308 लाख हेक्टेयर) क्षेत्रफल वाले शेष 45 जिले वर्तमान मध्यप्रदेश का निर्माण करते हैं। तथापि, वास्तविक सिंचित क्षेत्र (9.25 लाख हेक्टेयर) कुल बुवाई क्षेत्र का मात्र 6.14 प्रतिशत ही था।

[1] *31 मार्च 1998 को समाप्त वर्ष हेतु मध्यप्रदेश शासन पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की कंडिका 5.1 में नर्मदा घाटी विकास '।*

1.1.3 संगठनात्मक स्वरूप

विभाग की अध्यक्षता एक प्रमुख अभियंता द्वारा की जाती है, जिन्हें छः कछारों[2], दो परियोजनाओं[3] एवं तीन अन्य संरचनाओं[4] के प्रभारी ग्यारह मुख्य अभियंताओं के द्वारा सहयोग दिया जाता है। अधीक्षण यंत्रियों एवं कार्यपालन यंत्रियों के द्वारा कमशः 30 मंडलों एवं 140 संभागों की अध्यक्षता की जाती है। मध्यप्रदेश शासन के एक प्रमुख सचिव, विभाग का शीर्ष स्तर पर परिवीक्षण (मॉनीटरिंग) करते हैं।

1.1.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

अगस्त 2000 एवं जून 2001 के मध्य विभाग के प्रमुख अभियंता, 11 में से 10 मुख्य अभियंताओं[5] एवं 140 में से 12 संभागों[6] के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच पर यह समीक्षा आधारित है। नमूना जांच किए गए संभागों के अतिरिक्त 50 अन्य संभागों के मासिक लेखाओं एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों की भी सूक्ष्म जांच की गई। योजनाओं के कियान्वयन के अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के विकास एवं उपयोग में विभाग की कार्यप्रणाली का समग्र मूल्यांकन समीक्षा का उद्देश्य है।

1.1.5 बजटीय प्रबंधन एवं नियंत्रण

विगत 5 वर्षों[7] के दौरान बजट प्रावधान, वास्तविक व्यय एवं आधिक्य/बचत निम्नानुसार थाः-

(i) विभागीय आंकड़ों के अनुसार *(करोड़ रुपये में)*

वर्ष	बजट प्रावधान	पूरक प्रावधान	कुल अनुदान (2+3)	समर्पण	निवल अनुदान (4+5)	व्यय	बचत (-) / आधिक्य (+) की तुलना में	
							कुल अनुदान	निवल अनुदान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1996-97	698.57	48.96	747.53	51.65	695.88	657.76	(-) 89.77	(-) 38.12
1997-98	795.73	92.85	888.58	87.10	801.48	742.47	(-) 146.11	(-) 59.01
1998-99	788.03	135.05	923.08	60.76	862.32	826.70	(-) 96.38	(-) 35.62
1999-00	792.21	48.77	840.98	28.02	812.96	819.36	(-) 21.62	(+) 6.40
2000-01	843.88	113.52	957.40	149.14	808.26	800.88	(-) 156.52	(-) 7.38
योग	**3918.42**	**439.15**	**4357.57**	**376.67**	**3980.90**	**3847.17**	**(-) 510.40**	**(-) 133.73**

2 *चंबल, बेतवा, धसान-केन, गंगा, नर्मदा-तापी, वैनगंगा एवं यमुना।*

3 *बाणसागर, राजघाट एवं सिंध परियोजनाएं।*

4 *ब्यूरो ऑफ डिजाइन एवं हायडल इरीगेशन, (बोधि), विद्युत एवं यांत्रिक व चालन एवं रखरखाव।*

5 *मुख्य अभियंता बोधी, बाणसागर, चंबल-बेतवा, धसान-केन, विद्युत/यांत्रिक, गंगा, नर्मदा-तापी, चालन एवं रखरखाव वैनगंगा और यमुना कछार।*

6 *जल संसाधन संभाग भोपाल, छिन्दवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, खंडवा, मुरैना, नीमच, नरसिंहगढ़, रायसेन, राजगढ़, शाजापुर और सीहोर।*

7 *तालिका में दिए गए आंकड़े अविभाजित मध्यप्रदेश के लिए हैं एवं छत्तीसगढ़ राज्य के नवंबर 2000 से मार्च 2001 की अवधि के आंकड़े इसमें सम्मिलित नहीं हैं।*

(ii) विनियोग लेखे के अनुसारः-

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	बजट प्रावधान	पूरक प्रावधान	कुल अनुदान (2+3)	समर्पण	निवल अनुदान (4+5)	व्यय	बचत (-) / आधिक्य (+) की तुलना में	
							कुल अनुदान	निवल अनुदान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1996-97	719.19	47.95	767.14	32.25	734.89	605.16	(-) 161.98	(-) 129.73
1997-98	813.39	108.35	921.74	28.84	892.90	651.88	(-) 269.86	(-) 241.02
1998-99	804.84	123.27	928.11	65.91	862.20	762.41	(-) 165.70	(-) 99.79
1999-00	727.17	53.84	781.01	19.52	761.49	747.08	(-) 33.93	(-) 14.41
2000-01	789.70	121.09	910.79	137.86	772.93	714.79	(-) 196.00	(-) 58.14
योग	**3854.29**	**454.50**	**4308.79**	**284.38**	**4024.41**	**3481.32**	**(-) 827.47**	**(-) 543.09**

विभाग ने 1996-97 से 2000-2001 के दौरान अपने आंकड़ों एवं विनियोग लेखे में दर्शाए गए आंकड़ों के मध्य 365.85 करोड़ रूपये के अंतरों के पुनर्मिलान की कोई कार्रवाई नहीं की।

विभाग द्वारा परियोजनाओं की पूर्णता में विलंब हेतु मुख्य कारण निधियों का अभाव बताया गया, यह तथ्य कि 510.40 करोड़ रूपये की कुल बचतें एवं समर्पण 439.15 करोड़ रूपये के पूरक प्रावधानों से 71.25 करोड़ रूपये अधिक थे, जो खराब वित्तीय प्रबंधन का सूचक है। यह भी देखा गया कि 2 वृहद् योजनाओं (सिंध चरण-II एवं बरियारपुर) में 1.92 करोड़ रूपये की बचत एवं 8 योजनाओं (7 वृहद् एवं 1 मध्यम) में 2.53 करोड़ रूपये का आधिक्य था। वर्ष के अंतिम दिवसों में निधियों के विमोचन एवं भू-अर्जन में विलंब के कारण बचतों का होना बताया गया।

1996-2000 के दौरान 626 चालू योजनाओं हेतु 1,000 रूपये प्रति योजना एवं अन्य 397 चालू योजनाओं हेतु 10,000 रूपये प्रति योजना का प्रतीकात्मक प्रावधान किया गया। और अधिक यथार्थपरक बजट प्रावधानों एवं अच्छे वित्तीय नियंत्रण से इन योजनाओं का समय पर कियान्वयन संभव था।

1.1.6 कार्यक्रम प्रबंधन

मध्यप्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का विकास

(1) उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान सिंचाई क्षमता के विकास की स्थिति परिशिष्ट-I में दर्शाई गई है।

6 वीं एवं 7 वीं पंचवर्षीय योजनाओं, जिनमें वृद्धि कमशः 28 एवं 15 प्रतिशत थी, की तुलना में 8 वीं योजना में सृजित सिंचाई क्षमता में वृद्धि गिरकर 10 प्रतिशत से भी कम हो गई। 9 वीं योजना (1997-2000) के प्रथम तीन वर्षों के दौरान सृजित सिंचाई क्षमता में लगभग 2 प्रतिशत मात्र की ही वृद्धि हुई। यह दर्शाता है कि पिछले दशक के दौरान सिंचाई क्षेत्र की उपेक्षा की गई एवं राज्य उपलब्ध जल स्रोतों का वैज्ञानिक रूप से उपयोग करने में असफल रहा।

सृजित क्षमता के 54 प्रतिशत का उपयोग नहीं किया गया।

(ii) 31 मार्च 2001 को सिंचाई क्षमता 20 लाख हेक्टेयर थी। इसमें से 17.49 लाख हेक्टेयर 1997 तक 3,293 योजनाओं से सृजित की गई थी। 1972 एवं 1985 के मध्य कियान्वयन हेतु ली गई 99 योजनाएं (7 वृहद्, 10 मध्यम एवं 82 लघु) मार्च 2001 तक 1,409.62 करोड़ रूपये[8] के व्यय (लघु योजनाओं पर व्यय के अतिरिक्त) के पश्चात् भी अपूर्ण थीं। इनसे 4.29 लाख हेक्टेयर की रूपांकित क्षमता में से 2.51 लाख हेक्टेयर की आंशिक क्षमता का सृजन हुआ। 20 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता पुनर्गठित मध्यप्रदेश के निवल बुवाई क्षेत्र (150.70 लाख हेक्टेयर) के 13.27 प्रतिशत को प्रदर्शित करती थी। 1999-2000 के दौरान वास्तविक सिंचाई मात्र 9.25 लाख हेक्टेयर (जैसे कि सृजित क्षमता के 46 प्रतिशत का उपयोग किया गया) में ही थी। औसतन उपयोग 14 वृहद् योजनाओं में 47 प्रतिशत, 103 मध्यम योजनाओं में 68 प्रतिशत एवं 3,275 लघु योजनाओं में 33 प्रतिशत था।

सिंचाई सुविधाओं में राज्य स्तर पर 13.27 प्रतिशत के विरूद्ध 8 जिलों में 5 प्रतिशत से भी कम, 20 जिलों में 5 से 10 प्रतिशत के मध्य एवं अन्य 6 जिलों में 40 से 75 प्रतिशत का व्यापक असंतुलन था।

(iii) राज्य में विभिन्न जिलों के मध्य सृजित सिंचाई क्षमता में संतुलन नहीं था। सृजित सिंचाई क्षमता 8 जिलों[9] में निवल बुवाई क्षेत्र के 5 प्रतिशत से भी कम का अनुसरण करते हुए 20 जिलों[10] में 5 से 10 प्रतिशत थी। दूसरी तरफ यह होशंगाबाद में 75 प्रतिशत से भी अधिक का अनुसरण करते हुए 3 जिलों (ग्वालियर, मुरैना एवं हरदा) में 50 से 60 प्रतिशत एवं 2 जिलों (भिंड एवं बालाघाट) में लगभग 40 से 50 प्रतिशत थी।

28 में से 8 जिलों के अतिरिक्त, योजनाओं के पूर्ण होने के पश्चात् भी उक्त असंतुलन में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा। वास्तव में परिशिष्ट-II में दर्शाए अनुसार यह असंतुलन आगे और भी सुदृढ़ होगा। 6 जिलों, जहां सिंचाई का प्रतिशत राज्य स्तर से अधिक है, में यह स्थिति और अधिक बढ़ कर निवल बुवाई क्षेत्र के 50.22 से 96.76 प्रतिशत तक हो जाएगी।

1.1.7 अपूर्ण योजनाएं

3,392 (3,293 एवं 99) योजनाओं की छानबीन से निम्न प्रेक्षण प्रकट हुए:-

1972 एवं 1985 के मध्य ली गई, 7 वृहद् एवं 7 मध्यम योजनाएं अपूर्ण थीं, लागत 153.86 करोड़ रूपये से बढ़ कर 1686.48 करोड़ रूपये हो गई।

(i) 3.74 लाख हेक्टेयर की रूपांकित क्षमता हेतु 1972 एवं 1985 के मध्य कियान्वयन हेतु ली गई 153.86 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत वाली 7 वृहद् एवं 7 मध्यम योजनाएं 896.18 करोड़ रूपये के व्यय के बाद भी मार्च 2000 तक अपूर्ण थीं। लागत भी बढ़ कर 1,686.48 करोड़ रूपये (मूल लागत का 1,096 प्रतिशत) हो गई, इसके फलस्वरूप परिशिष्ट-IV में दर्शाए अनुसार 1,532.62 करोड़ रूपये का लागत आधिक्य (996 प्रतिशत) हुआ। यह बताया गया कि सामग्री के मूल्यों में वृद्धि, भू अर्जन में विलंब तथा निर्माण अवस्था में कार्य की नवीन मदों को सम्मिलित करने आदि के कारण लागत वृद्धि हुई।

[8] *चूंकि लघु योजनाओं पर व्यय उपलब्ध नहीं कराया गया, व्यय वृहद् एवं मध्यम परियोजनाओं से ही संबंधित है।*

[9] *छिन्दवाड़ा, देवास, डिंडौरी, मंदसौर, नीमच, राजगढ़, सागर एवं उज्जैन।*

[10] *भोपाल, बैतूल, बड़वानी, धार, दमोह, गुना, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, खरगौन, खंडवा, नरसिंहपुर, पन्ना, रतलाम, शाजापुर, शहडोल, शिवपुरी, सतना, उमरिया एवं विदिशा।*

(II) 1978 से 1991 के दौरान 11 योजनाएं[11] (6 वृहद् एवं 5 मध्यम) 2,189.95 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर कियान्वयन हेतु ली गई परंतु 1,865.50 करोड़ रूपये (85 प्रतिशत) के व्यय के बावजूद भी भौतिक प्रगति, शीर्ष कार्यों में शून्य से 90 प्रतिशत एवं नहर कार्यों में शून्य से 40 प्रतिशत के मध्य थी (परिशिष्ट-III, तालिका-III)। अब तक (सितंबर 2001) इन योजनाओं से नगण्य सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ।

उक्त योजनाओं का विश्लेषण करने पर निम्नानुसार देखा गया:-

4 योजनाओं पर किसी भी भौतिक प्रगति के बिना 14.28 करोड़ रूपये का व्यय किया गया।

(क) यह देखा गया कि किसी भी भौतिक प्रगति की प्राप्ति के बिना ही 4 योजनाओं[12] पर 14.28 करोड़ रूपये का व्यय किया गया।

(ख) बाणसागर परियोजना पर लगभग 1,668 करोड़ रूपये (अनुमानित लागत का 120 प्रतिशत) व्यय के पश्चात् 90 प्रतिशत शीर्ष कार्य पूर्ण था परंतु नहर निर्माण की प्रगति मात्र 25 प्रतिशत थी। सन् 2003 तक 21,833 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता (1.55 लाख हेक्टेयर की रूपांकित क्षमता के विरूद्ध) के सृजन हेतु नहर प्रणाली के एक खंड को पूरा करने के लिए मध्यप्रदेश शासन से गतिवर्धित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत भारत सरकार से ऋण प्राप्त किया। 213 करोड़ रूपये के स्वीकृत ऋण में से भारत सरकार ने 1996 से 2001 के दौरान 160.25 करोड़ रूपये जारी किए। विभाग ने अब तक मात्र 125 हेक्टेयर की क्षमता के सृजन हेतु वास्तव में 348.04 करोड़ रूपये (निर्माण कार्यों पर 279.87 करोड़ रूपये एवं स्थापना पर 68.17 करोड़ रूपये) व्यय किए।

(III) 855 सिंचाई योजनाओं (28 वृहद, 42 मध्यम एवं 785 लघु) जिन पर 3,377.04 करोड़ रूपये व्यय किए गए, मार्च 1995 तक अपूर्ण पड़ी थीं। मध्यप्रदेश शासन ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ऋण के द्वारा उन्हें पूर्ण करने का निर्णय लिया (अप्रैल 1995)। 1995-98 के दौरान 325 योजनाओं को पूर्ण करने हेतु 534.41 करोड़ रूपये के ऋण स्वीकृत किए गए। तथापि, 2.49 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य के विरूद्ध मार्च 1999 तक 396.07 करोड़ रूपये के व्यय पर 0.48 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का सृजन करते हुए मात्र 118 योजनाएं ही पूर्ण की गईं। 31 मार्च 1999 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की कंडिका 1.1 में एक समीक्षा "नाबार्ड ऋण से सिंचाई योजनाओं को पूर्ण करना" सम्मिलित थी।

1.1.8 सिंचाई प्रबंधन भागीदारी

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999 (1999 की संख्या 23) जल उपभोक्ता संथाओं को 50 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से नहर प्रणालियों का चालन एवं रखरखाव सौंपा जाना अधिसूचित करता है। संबंधित जल उपभोक्ता संघ के कमान क्षेत्र हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा इस राशि का प्रावधान किया जाएगा।

[11] *25 योजनाओं (13 वृहद् एवं 12 मध्यम) के विवरण जिसमें से 14 योजनाओं पर 5 चरणीय व्यय किया गया एवं 11 योजनाओं में निरंक/नाममात्र की भौतिक प्रगति थी जैसा परिशिष्ट-III. (तालिका-III) में दर्शाया गया है।*

[12] *(i) पेंच व्यपवर्तन (ii) बाह (iii) सगढ़ एवं (iv) कुंवारी।*

लेखांकन नियमों/ कार्यविधि के निर्धारण के बिना ही जल उपभोक्ता संथाओं को 10.23 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया।

मध्यप्रदेश शासन के अनुदेशों (मई 2000) के आधार पर विभाग ने जल उपभोक्ता संथाओं के चुनाव पर 2.46 करोड़ रूपये का व्यय करने के अतिरिक्त उन्हें वर्ष 2000-2001 के लिए 10.23 करोड़ रूपये का संवितरण किया (मई 2000)।

जल उपभोक्ता संथाओं द्वारा विभाग को विस्तृत लेखाओं की प्रस्तुति हेतु कोई नियम/कार्यविधि निर्धारित नहीं की गई। जैसे ही इसे संवितरित किया गया उन्हें किए गए संपूर्ण भुगतान को लेखे के अंतिम शीर्ष पर प्रभारित कर दिया गया।

जल उपभोक्ता संथाओं को 2.05 करोड़ रूपये का अधिक भुगतान किया गया।

मध्यप्रदेश शासन ने बाद में निर्णय लिया (जून 2000) कि जल उपभोक्ता संथाओं द्वारा 50 रूपये का 80 प्रतिशत नहर प्रणाली के रखरखाव पर एवं शेष 20 प्रतिशत विभाग द्वारा शीर्ष कार्यों के रखरखाव पर व्यय किया जाना था। मध्यप्रदेश शासन के विलंबित नीतिगत निर्णय के कारण जल उपभोक्ता संथाओं को संपूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया (मई 2000)। इसके परिणामस्वरूप 2.05 करोड़ रूपये का अधिक भुगतान हुआ। तथापि शीर्ष कार्यों का रखरखाव विभाग द्वारा किया गया।

1.1.9 सृजित क्षमता का कम उपयोग

योजनाओं के खराब रखरखाव के अतिरिक्त सृजित क्षमता के कम उपयोग के कारणों में एक कारण खरीफ सिंचाई हेतु बढ़ा-चढ़ा कर अनुमान लगाना था।

10 वृहद् योजनाओं से खरीफ मौसम के लिए 3,07,053 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता विकसित की गई। मात्र 10,405 हेक्टेयर का ही उपयोग हुआ।

(क) प्रमुख अभियंता ने परियोजनाएं बनाते समय इन अनुदेशों (फरवरी 1962) को दोहराया कि रबी प्रधान क्षेत्रों में खरीफ सिंचाई हेतु प्रावधान 10 से 15 प्रतिशत तक सीमित रखा जाए। सूक्ष्म जांच से प्रकट हुआ कि परियोजनाओं को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने हेतु 10 वृहद् योजनाओं में खरीफ सिंचाई के लिए ऊंचे लक्ष्य रखे गए, यद्यपि तीन परियोजनाओं के अतिरिक्त, वास्तविक खरीफ सिंचाई निरंक थी, जैसा कि निम्नानुसार दर्शाया गया है:-

स. क.	परियोजना का नाम	कुल रूपांकित क्षमता	खरीफ ऋतु हेतु प्रावधान एवं इसका प्रतिशत	खरीफ ऋतु हेतु सृजित क्षमता हेक्टेयर	खरीफ ऋतु में वास्तविक उपयोग 1999-2000 (हेक्टेयर)	उपयोग का प्रतिशत
1	बरना	60512	26892 (44)	26892	निरंक	0
2	हलाली	37637	12545 (33)	12211	निरंक	0
3	रंगावा	17085	10607 (62)	10607	निरंक	0
4	सुक्ता	18600	12788 (69)	12788	निरंक	0
5	तवा	333000	159938 (48)	147120	निरंक	0
6	कोलार	60868	22544 (37)	11587	निरंक	0
7	सिंध (चरण II)	65936	33733 (51)	107	निरंक	0
8	सिंध (चरण I)	37649	28176 (75)	27426	1015	4
9	अपर वैनगंगा	105253	69219 (66)	49500	7616	15
10	थंवर	18212	8884 (49)	8815	1774	20
योग				307053	10405	

खरीफ मौसम में 23,903 हेक्टेयर में से 420 हेक्टेयर (2 प्रतिशत) में नगण्य सिंचाई थी।

(ख) 19 मध्यम योजनाओं की 72,648 हेक्टेयर की कुल रूपांकित क्षमता में खरीफ सिंचाई का 23,903 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) सम्मिलित था। तो भी, खरीफ ऋतु में 14 योजनाओं से बिल्कुल ही नहीं एवं शेष पांच योजनाओं में 5,407 हेक्टेयर में से 420 हेक्टेयर की नाममात्र सिंचाई की गई। इस प्रकार इन 19 योजनाओं में वास्तविक खरीफ सिंचाई मात्र 2 प्रतिशत थी।

(ग) राज्य में 3,275 लघु योजनाओं के खरीफ एवं रबी मौसम हेतु कमशः 2,38,119 हेक्टेयर एवं 4,27,590 हेक्टेयर की सृजित क्षमताओं में से वास्तविक सिंचाई 43,826 हेक्टेयर एवं 1,80,264 हेक्टेयर में ही थी जो लगभग 18 प्रतिशत (खरीफ) एवं 42 प्रतिशत (रबी) आंकी गई। यह कम उपयोग नहर प्रणालियों का रखरखाव न करने, कृषकों द्वारा निजी स्रोतों के विकास आदि के कारण था।

बेतवा एवं गंगा कछारों में खरीफ के दौरान जल के उपयोग का प्रतिशत कमशः निरंक एवं 6 प्रतिशत था।

(घ) चंबल बेतवा कछार में खरीफ मौसम में 588 लघु योजनाओं में 12,900 हेक्टेयर की सृजित सिंचाई क्षमता के विरूद्ध वास्तविक सिंचाई निरंक थी। गंगा कछार में 689 योजनाओं से खरीफ मौसम हेतु 65,458 हेक्टेयर के सृजन के विरूद्ध यह 4,064 हेक्टेयर (6 प्रतिशत) था। इस प्रकार सृजित क्षमता का कम उपयोग हुआ।

1.1.10 चालन एवं रखरखाव पर असामान्य अधिक व्यय

50 रूपये प्रति हेक्टेयर के मानदंड के विरूद्ध नहर के रखरखाव की लागत 500 रूपये प्रति हेक्टेयर तक बढ़ गई थी।

विभाग ने मई 2000 में जल उपभोक्ता संथाओं को 10.23 करोड रूपये के एकमुश्त भुगतान के अतिरिक्त वर्ष 2000-2001 के दौरान कार्यभारित एवं दैनिक वेतन भोगी अमले के वेतन पर 70 करोड़ रूपये एवं सिंचाई योजनाओं के चालन एवं रखरखाव पर 21.42 करोड़ रूपये व्यय किए। 20 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का सृजन करने वाली योजनाओं के रखरखाव पर 101.65 करोड़ रूपये (70 करोड़ रूपये + 21.42 करोड़ रूपये + 10.23 करोड़ रूपये) का व्यय होने के कारण 50 रूपये प्रति हेक्टेयर के निर्धारित मानदंड के विरूद्ध 500 रूपये प्रति हेक्टेयर की लागत आई। वास्तविक सिंचित क्षेत्र (9.25 लाख हेक्टेयर) के आधार पर प्रति हेक्टेयर रखरखाव की लागत 1,089 रूपये आई जो असामान्य रूप से अधिक थी।

101.65 करोड़ रूपये का रखरखाव व्यय 27.07 करोड़ रूपये के वास्तविक सिंचाई राजस्व से अधिक हो गया।

योजनाओं के रखरखाव पर 101.65 करोड़ रूपये का व्यय वर्ष 2000-2001 हेतु आंकलित 32.02 करोड़ रूपये के सिंचाई राजस्व जिसके विरूद्ध वास्तविक संग्रहण मात्र 27.07 करोड़ रूपये ही था, से तीन सौ प्रतिशत से भी अधिक था। विभाग ने आबियाना (सिंचाई राजस्व) अभिलेखों के रखरखाव हेतु स्थापना पर भी 14.17 करोड़ रूपये व्यय किए।

इसे इंगित करने पर प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग ने बताया (जून 2001) कि जहां नहर प्रणालियों का रखरखाव जल उपभोक्ता संथाओं के द्वारा किया जाता है, वहीं विभाग द्वारा शीर्ष कार्यों एवं मुख्य नहर प्रणाली का रखरखाव निधियों की कमी के बावजूद कार्यभारित एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से कराया जाता है। इसके अतिरिक्त, मानदंड 1982 में निर्धारित किए गए थे एवं इनका पुनरीक्षण आवश्यक था। आवश्यक प्रतीत होने पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा दरों के पुनरीक्षण हेतु विभाग द्वारा किए गए प्रयास अभिलेखबद्ध नहीं थे।

1.1.11 मानव संसाधन प्रबंधन

(i) संख्याधिक अधिकारियों का विभिन्न कार्यालयों में संलग्न होना

789 संख्याधिक अधिकारियों के वेतन एवं भत्तों पर 13 करोड़ रूपये व्यय किए गए।

मध्यप्रदेश शासन के आदेशों के अंतर्गत 1 जुलाई 1999 से 27 मंडल कार्यालय बंद कर दिए गए। इन कार्यालयों में पदस्थ 1,294 अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिशेष बता दिया गया था। इन अतिरिक्त कर्मचारियों में से 505 को प्रमुख अभियंता एवं मुख्य अभियंताओं के कार्यालयों में प्रकोष्ठों (सेल) का सृजन कर पदस्थ किया गया। मध्यप्रदेश शासन ने तत्कालीन मंडल कार्यालयों के समीपवर्ती कार्यालयों में इन शेष कर्मचारियों हेतु 789 संख्याधिक पदों को स्वीकृति प्रदान की। विभाग ने इन अतिरिक्त अधिकारियों के वेतन एवं भत्तों पर जुलाई 1999 से मार्च 2001 के मध्य 13 करोड़ रूपये का व्यय किया। इस अतिरिक्त, अमले को और अधिक उद्देश्यपरक रूप से पुनः अभियोजित करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए।

(ii) स्थापना एवं मजदूरी पर गैर अनुपातिक व्यय

16.5 प्रतिशत के मानदंड के विरूद्ध निर्माण व्यय के 71 प्रतिशत का स्थापना पर उपयोग किया गया।

केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता, में सिंचाई योजनाओं पर निर्माण कार्यों के व्यय का 16.5 प्रतिशत तक स्थापना पर व्यय किए जाने का प्रावधान है। विभाग ने 1998 से 2001 तक स्थापना के साथ ही कार्यभारित एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों पर व्यय (1,015.94 करोड़ रूपये) किया जो कि इसी अवधि में निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय का लगभग 71 प्रतिशत (1,431 करोड़ रूपये) था, एवं परिणामतः यह मानदंडों से 779.82 करोड़ रूपये (1,015.94 करोड़ रूपये-236.12 करोड़ रूपये) अधिक था। प्रमुख अभियंता ने बताया कि बजटीय प्रारूप में उत्तरोत्तर कमी के बावजूद जनशक्ति वही है जबकि मजदूरी में प्रतिवर्ष वृद्धि होती रही।

(iii) दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की अनधिकृत नियुक्ति

1988 के पश्चात् 1,774 कर्मचारी अनधिकृत रूप से नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप 27.86 करोड़ रूपये का परिहार्य भुगतान हुआ।

1,774 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की दिसंबर 1988 के पश्चात् नियुक्ति की गई जबकि ऐसी नियुक्तियों पर प्रतिबंध था। मध्यप्रदेश शासन के निर्णय के अनुसार इनमें से 1,570 को वर्ष 2000 में सेवा से हटा दिया गया एवं 27.86 करोड़ रूपये (25.41 करोड़ रूपये मजदूरी पर एवं क्षतिपूर्ति स्वरूप 2.45 करोड़ रूपये) का भुगतान किया गया। शेष 204 कर्मचारियों को हटाने के प्रकरण न्यायालय में विवादग्रस्त हैं। अनधिकृत नियुक्तियों एवं 27.86 करोड़ रूपये के परिहार्य व्यय हेतु उत्तरदायी 317 अधिकारियों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। 13 अधिकारियों को निलंबित किया गया जिसमें से 9 को बहाल कर दिया गया।

(iv) वाहनों के निपटान के कारण अमले का अधिशेष (फालतू) होना

कार्य के बिना ही 454 कर्मचारियों को 2.30 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया, ये अनुपयोगी घोषित 463 वाहनों पर नियोजित थे।

मध्यप्रदेश शासन के निर्णय (जनवरी 2000) के अनुसार 9 परिक्षेत्रों/कछारों में 1987 से पूर्व खरीदे गए 463 वाहनों का निपटान किया जाना था। इनमें से 324 का नीलामी द्वारा निपटान किया गया एवं 139 वाहनों का निपटान प्रतीक्षित था। 454 कर्मचारियों को अधिशेष कर दिया गया क्योंकि कोई भी नया वाहन नहीं खरीदा गया। उनकी सेवाओं के उपयोग के बिना ही अप्रैल 2000 से मार्च 2001 के मध्य उन्हें वेतन स्वरूप 2.30 करोड़ रूपये भुगतान किए गए।

1.1.12 वन भूमि के निर्बाधन के अभाव के कारण अस्वीकृत योजनाओं पर निरर्थक व्यय

वन निर्बाधन के बिना ली गई 5 योजनाओं के फलस्वरूप 1.86 करोड़ रूपये का निरर्थक व्यय हुआ।

1980-86 के मध्य 5 लघु सिंचाई योजनाएं[13] 2.86 करोड़ रूपये की लागत पर कियान्वयन हेतु ली गईं एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन भारत सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना इन पर 1.86 करोड़ रूपये व्यय किए गए। भारत सरकार ने इन योजनाओं हेतु आवश्यक 268.31 हेक्टेयर नाप की वन भूमि के निर्बाधन को अमान्य कर दिया (फरवरी 1993 से फरवरी 2001 के मध्य)। इन योजनाओं में से एक, ग्वालियर जिले में सिमरिया को नाबार्ड ऋण के अंतर्गत वर्ष 1995 मे पुनः लिया गया एवं मार्च 1999 तक कुल 48.22 लाख रूपये का व्यय किया गया। इन योजनाओं पर 1.86 करोड़ रूपये का संपूर्ण व्यय निर्रथक था।

1.1.13 पूर्ण/आंशिक योजनाओं पर निष्फल व्यय

(i) भगवंत सागर (सुक्ता) मध्यम सिंचाई योजना

योजना पूर्ण होने के पश्चात् उपचारी उपायों पर 4.28 करोड़ रूपये का व्यय किया गया।

18,600 हेक्टेयर की सिंचाई हेतु 5 करोड़ की प्राक्कलित लागत पर 1973 में ली गई परियोजना 11.89 करोड़ रूपये की लागत पर 1985 में पूर्ण हुई। सितंबर 1993 के दौरान बांध के प्रवाह की तरफ वाली ढ्लान में नमी एवं जल का रिसाव परिलक्षित हुआ। मध्यप्रदेश शासन ने (I) मिट्टी बांध के प्रवाह की तरफ वाली ढ्लान के उपचार (0.35 करोड़ रूपये) (II) प्रवाह के प्रतिकूल वाले ढ्लान पर कम घनत्व वाली पालीइथिलीन फिल्म का प्रावधान (0.41 करोड़ रूपये) एवं (III) द्वितीय कर्टेन वाल एवं ट्रेनिंग वाल के निर्माण (0.28 करोड़ रूपये) को मिलाकर बने 1.04 करोड़ रूपये के उपचारी कार्य हेतु प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया (दिसंबर 1995)। संभाग ने इन कार्यों पर 3.59 करोड़ रूपये व्यय किए।

बाढ़ के दौरान प्राकृतिक रूप से कटाव किया के द्वारा स्पिल चैनल की खुदाई की जानी थी। तदनुसार यह मद प्राक्कलन में सम्मिलित नहीं थी। तथापि, संभाग ने खुदाई पर 0.69 करोड़ रूपये व्यय किए।

इस प्रकार मध्यप्रदेश शासन ने अब तक परियोजना पर 16.17 करोड़ रूपये (प्राक्कलित लागत का लगभग तीन गुना) का व्यय किया। 18,600 हेक्टेयर का रूपांकित सिंचित क्षेत्र अब घट कर 14,200 हेक्टेयर (76 प्रतिशत) हो गया। मात्र रबी मौसम में रूपांकित क्षेत्र के लगभग 5,962 हेक्टेयर (32 प्रतिशत) में ही वास्तविक सिंचाई हो रही थी।

(ii) रामपुरा खुर्द मध्यम सिंचाई योजना

3,320 हेक्टेयर की सिंचाई हेतु 1.51 करोड़ रूपये की लागत पर प्राक्कलित योजना मार्च 1995 तक 8.48 करोड़ रूपये के व्यय के बावजूद भी अपूर्ण पड़ी थी। 1995 में लागत 13.81 करोड़ रूपये तक पुनरीक्षित की गई। शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु नाबार्ड से 5.33 करोड़ रूपये का ऋण प्राप्त किया गया। तथापि, संभाग ने 13.04 करोड़ रूपये व्यय किए। मार्च 2001 तक 21.52 करोड़ रूपये के कुल व्यय के बावजूद मिट्टी कार्य का लगभग 6 प्रतिशत एवं नहर संरचनाओं का लगभग 1 प्रतिशत कार्य अभी भी किया जाना है।

[13] *(i) छर्च, (ii) किट, (iii) लिधौरा, (iv) सिमरिया एवं (v) अपर बरौंच तालाब*

परियोजना 3,320 हेक्टेयर सिंचाई हेतु रूपांकित थी, बाद में इसे घटाकर 2,707 हेक्टेयर कर दिया गया। मात्र 1,400 हेक्टेयर की आंशिक क्षमता का जून 2000 तक सृजन किया गया। चूंकि जल को पीने के प्रयोजन हेतु सुरक्षित रखा जाना बताया गया था, कोई सिंचाई नहीं हो रही थी। 1996 से पीने के प्रयोजन हेतु जल सुरक्षित रखे जाने के बावजूद मार्च 2001 तक सिंचाई घटक पर कुल 21.52 करोड़ रूपये का व्यय किया जाना दर्शाया गया।

(iii) सगोनीकला जलाशय

449 हेक्टेयर में सिंचाई व्यवस्था हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा 1.33 करोड़ रूपये के लिए प्रशासकीय रूप से अनुमोदित (अगस्त 1990) एक लघु योजना, सगोनीकला जलाशय 1.72 करोड़ रूपये तक पुनरीक्षित की गई (1996)। 1.46 करोड़ रूपये की लागत पर भू-अर्जन किया गया था।

बांध के निर्माण का कार्य एक ठेकेदार 'एम' को 0.88 करोड़ रूपये के ठेका मूल्य पर सौंपा गया (1997-98) एवं 9 लाख रूपये के मशीनरी अग्रिम का भुगतान किया गया (नवम्बर 1997)। तो भी, ठेकेदार 'एम' विभाग द्वारा निर्माण योजना का ख़ाका (ले आउट प्लान) प्रदान करने में विलम्ब के कारण कार्य आरंभ नहीं कर सका। यद्यपि ठेकेदार 'एम' ने निर्माण स्थल से मशीनरी को हटा लिया, विभाग मशीनरी अग्रिम की वसूली/ समायोजन में विफल रहा।

(iv) कलियासोत मध्यम सिंचाई योजना

7,500 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए 7.84 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर कलियासोत मध्यम सिंचाई योजना वर्ष 1980-81 में कियान्वयन हेतु ली गई। फरवरी 2001 तक 42.14 करोड़ रूपये के व्यय के बावजूद योजना अभी भी अपूर्ण है। बांध कार्य का लगभग 5 प्रतिशत एवं नहर कार्य का लगभग 25 प्रतिशत अभी भी पूर्ण किया जाना है। कार्य की कुल लागत 56 करोड़ रूपये अनुमानित की गई (जून 2001)।

परियोजना में जल का स्वतंत्र स्रोत नहीं था एवं यह भोपाल के बड़े तालाब के अतिरिक्त जल के उपयोग से रूपांकित थी। आवासीय कालोनियों में वृद्धि के कारण कमान क्षेत्र में भी कमी की गई एवं मध्यप्रदेश शासन ने क्षमता 7,500 हेक्टेयर से घटाकर 4,500 हेक्टेयर कर दी (जून 1993)। मुख्यतः खरीफ मौसम में जल की मांग न होने के कारण 3,000 हेक्टेयर की सृजित क्षमता की अपेक्षा वर्ष 1999-2000 में वास्तविक सिंचाई 2,163 हेक्टेयर में होने से 837 हेक्टेयर (28 प्रतिशत) की कमी थी। कमान क्षेत्र में कमी की दृष्टि से मध्यप्रदेश शासन ने निदेश दिए (जून 1993) कि मात्र रेडियल गेटों के निर्माण का कार्य किया जाए एवं नहर तंत्र को घटी हुई क्षमता तक सीमित रखा जाए।

इस प्रकार, 15 वर्षों के समयाधिक्य एवं 48.16 करोड़ रूपये के लागत आधिक्य के बावजूद परियोजना का क्षेत्र सिकुड़ गया एवं कृषकों को सिंचाई लाभों से वंचित करते हुए योजना अभी भी अपूर्ण है।

1.1.14 व्यय नियंत्रण प्रणाली की कुशलता एवं प्रभावशीलता

(i) उचंत शीर्ष 'विविध लोक निर्माण अग्रिम' का दुरूपयोग

संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष के नीचे 'उचंत' शीर्ष विविध लोक निर्माण अग्रिम अस्थाई प्रकृति के लेन-देनों का अभिलेख रखने हेतु बनाया गया है। इसके

अंतर्गत अभिलिखित लेन-देनों का अंततः नकद भुगतान अथवा वसूली या समायोजन के द्वारा निराकरण किया जाता है।

विविध लोक निर्माण अग्रिम के अंतर्गत 21.43करोड रूपये 1 से 10 वर्षों तक असमायोजित पड़े हैं।

विभाग के विभिन्न संभागों के 56 लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा से प्रकट हुआ कि 1 वर्ष से लेकर 10 वर्षों से अधिक की अवधि तक से विविध लोक निर्माण अग्रिम के अंतर्गत 21.43 करोड़ रूपये संबंधित ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/ विभागीय अधिकारियों से वसूले बिना पड़े हैं। कार्यपालन यंत्रियों के द्वारा प्रभावी कार्रवाई के अभाव के फलस्वरूप यह राशि गैर वसूली योग्य हो सकती है।

(ii) निर्माण रोकड़ पुस्तिका से यात्रा अग्रिम का अनियमित भुगतान

केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता मजदूरों के वेतन एवं भत्तों तथा कार्य पर प्रत्यक्षतः प्रभारित स्थापना (ऐसे वर्ग की कार्यभारित स्थापना, जो विभाग की नियमित स्थापना पर कोषालय से बिलों के आहरण द्वारा वहन की जाती है, के अतिरिक्त) के लिए लघु भुगतान करने हेतु समय-समय पर चैक द्वारा कोषालय से राशि आहरित करने हेतु संभागीय अधिकारियों को अधिकृत करती है।

51 संभागीय अधिकारियों की निर्माण रोकड़ पुस्तिका में 49.85 लाख रूपये बिना वसूल किए पड़े थे।

तो भी यह देखा गया कि संभागीय अधिकारियों ने निर्माण रोकड़ पुस्तिका से नियमित स्थापना से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को 49.85 लाख रूपये की राशि चेक द्वारा आहरित कर यात्रा अग्रिमों का भुगतान किया। 51 संभागीय अधिकारियों की निर्माण रोकड़ पुस्तिकाओं में मार्च 2001 तक यह राशि बिना वसूले पड़ी थी।

(iii) महालेखाकार के समायोजन ज्ञापनों का समायोजन न किया जाना

केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता में प्रावधान है कि भारत अथवा विदेश में आपूर्तिकर्ता अथवा अन्य संभागों या विभाग से प्राप्त सामग्रियों का विक्रय मूल्य इनकी प्राप्ति होते ही तुरंत भंडार के अर्जन के प्रयोजन के आधार पर उचंत लेखे 'स्टाक' अथवा निर्माण कार्य के लेखे को क्रेडिट देते हुए 'सामग्री क्रय समायोजन उचंत लेखे' को डेबिट दिया जाना चाहिए। जब सामग्री का भुगतान किया जाए अथवा अंतरण द्वारा समायोजन किया जाए तो भुगतान 'क्रय' लेखे को डेबिट करना चाहिए एवं उचंत लेखे का निराकरण करना चाहिए।

सूक्ष्म जांच से प्रकट हुआ कि महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान के माध्यम से, की गई खरीदों के विरूद्ध महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से प्राप्त कुल 5.87 करोड़ रूपये के समायोजन ज्ञापनों का 20 वर्षों की समयावधि तक में समायोजन नहीं किया गया हैं। लंबित समायोजन ज्ञापनों का मूल्य 2 संभागों (लाइट मशीनरी लिफ्ट एवं गेट संभाग, भोपाल एवं हेवी अर्थमूविंग मशीनरी संभाग, ग्वालियर) में प्रति संभाग 1करोड़ रूपये से अधिक एवं 4 संभागों (जल संसाधन संभाग, मंडला, तवा परियोजना संभाग, इटारसी, जल संसाधन संभाग, उज्जैन एवं लाइट मशीनरी ट्यूबवैल संभाग, ग्वालियर) में प्रत्येक संभाग लगभग 50 लाख रूपये था। समायोजन में विलंब के कारण शासकीय भंडारों की उठाईगीरी/दुर्विनियोजन, यदि कोई हो, को जानकारी में न आने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। संबंधित कार्यपालन यंत्रियों ने वार्षिक लेखापरीक्षा के दौरान बताया कि कार्रवाई प्रगति में थी।

1.1.15 अन्य वित्तीय अनियमितताएं

(i) ठेकेदार को अधिक भुगतान

अतिरिक्त मदों की गलत दरों की स्वीकृति के कारण ठेकेदार को 58.40 लाख रूपये का अधिक भुगतान हुआ।

सेंट्रल स्पिलवे के मेसनरी ओवरफ्लो एवं नान-ओवरफ्लो का निर्माण कार्य (बावनथड़ी परियोजना) मद दर आधार पर 30 माह में पूर्ण करने के लिए 33.73 करोड़ रूपये की लागत पर प्रदान किया गया (1996-97)। ठेकेदार को 38.33 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया (अगस्त 2001)।

तथापि, अनुबंध में "40 मिलीमीटर की गिट्टी का उपयोग करते हुए इन पोजीशन वाइब्रेटेड सीमेंट कांकीट आर.सी.सी. एम.-25 की व्यवस्था एवं जमाने" की एक मद सम्मिलित थी। केन्द्रीय जल आयोग ने आर.सी.सी. एम.-25 की मद को "40 मिलीमीटर की गिट्टी से इन पोजीशन वाइब्रेटेड प्लेन सीमेंट कांकीट एम-12.5 की व्यवस्था एवं इसको जमाना" से पुनरीक्षित कर दिया (सितंबर 1998)। मुख्य अभियंता की अनुशंसा पर शासन ने अतिरिक्त मद के रूप में 1,458 रूपये प्रति घनमीटर की अनुबंध में दी गई इसी प्रकार के मद की विद्यमान दर के आधार पर इसमें लिफ्ट हेतु 21.20 रूपये प्रति घनमीटर, फार्म वर्क के लिए 33.49 रूपये प्रति घन मीटर एवं स्वीकृत निविदा के ऊंचे दर प्रतिशत हेतु 36.08 रूपये प्रति घनमीटर जोड़ने के पश्चात 1,548.77 रूपये प्रति घनमीटर की दर की स्वीकृति प्रदान की (अक्टूबर 2000)।

तथापि, अनुबंध के अनुसार यह आवश्यक था कि अतिरिक्त मद हेतु दरों का आकलन निविदा आमंत्रण के दिनांक को प्राक्कलित दरों पर आधारित दरों में स्वीकृत निविदा के प्रतिशत को जोड़कर किया जाएगा। तदनुसार दरों का आकलन केवल 1,383.22 रूपये प्रति घनमीटर होता है एवं इसके फलस्वरूप 58.40 लाख रूपये का अधिक भुगतान हुआ।

(ii) वास्तविक कियान्वयन के दौरान मात्राओं में असामान्य वृद्धि

विभागीय अनुदेशों में व्यवस्था है कि वास्तविक कियान्वयन के दौरान मात्राओं में घटबढ़ के कारण ठेकेदारों को होने वाले अनुचित लाभ को टालने हेतु निविदा आमंत्रण सूचनाओं के साथ संलग्न मात्राओं की अनुसूची में उचित सर्वे एवं अन्वेषण पर आधारित विभिन्न मदों की यथार्थवादी मात्राओं को वर्णित किया जाए।

6 अनुबंधों में 9 मदों की मात्राएं असामान्य रूप से बढ़ने से 31.02 लाख रूपये की अपरिहार्य लागत आई।

6 ठेकों के अभिलेखों की समीक्षा से प्रकट हुआ कि 9 मदों की मात्राएं निविदा आमंत्रण सूचनाओं से 69 से 2,000 प्रतिशत तक बढ़ गई थीं, इसके फलस्वरूप स्वीकृत/प्रस्तावित अतिरिक्त दर में से ठेकेदारों द्वारा उद्धृत दर को घटाकर निकाली दरों पर भुगतान की गई अतिरिक्त मात्राओं पर 31.02 लाख रूपये की परिहार्य अतिरिक्त लागत आई। जैसा कि परिशिष्ट-VI में वर्णित है।

(iii) वित्तीय अधिकारों से परे अतिरिक्त दरों की स्वीकृति

मध्यप्रदेश शासन ने 15 लाख रूपये तक ऐसी राशियों, जो ठेके के मूल्य के 30 प्रतिशत से अधिक न हों, हेतु अतिरिक्त दरों को स्वीकृत करने के लिए मुख्य अभियंताओं को अधिकार प्रदान करते हुए अक्टूबर 1987 में अनुदेश जारी किए।

तथापि, यह देखा गया कि मुख्य अभियंता, वैनगंगा कछार, सिवनी ने 1997-98 से 1998-99 के 3 अनुबंधों में से प्रत्येक में ठेका मूल्य के 30 प्रतिशत अथवा 15 लाख रूपये के मानदंड से अधिक की अतिरिक्त मदों/मात्राओं हेतु 60.50 लाख रूपये के भुगतान वाली अतिरिक्त दरें स्वीकृत कीं।

मुख्य अभियंता सिवनी ने बताया (मई 2001) कि स्वीकृति उनके अधिकारों के अंतर्गत ही थी। प्रमुख अभियंता भोपाल के ध्यान में लाए जाने पर प्रमुख अभियंता ने बताया (जून 2001) कि मध्यप्रदेश शासन से स्पष्टीकरण चाहा गया है।

(iv) आवश्यकता के बिना भंडार सामग्री की प्राप्ति (खरीदी)

4.90 करोड़ रूपये की लागत पर 11 संभागों में प्राप्त की गई आर.सी.सी पाइपों, केनाल गेटों, करी शटर्स, मशीनों के अतिरिक्त कलपुर्जों, स्टील आदि की सामग्री पिछले 2 से 20 वर्षों से बिना उपयोग के पड़ी थीं जो सूचित करती है कि वास्तविक आवश्यकताओं के आकलन के बिना ही इन्हें खरीदा गया था।

प्रकरण से शासन को अर्धशासकीय तौर पर अवगत कराया गया था (अगस्त 2001), उत्तर प्रतीक्षित है (सितंबर 2001)।

भाग – ख

1.2 दतिया सिंचाई नहर एवं अखदेवा वितरणी में लाइनिंग के कार्य पर अतिरिक्त लागत

अधिक मितव्ययी, स्थान पर निर्मित (कास्ट-इन-सीटू) लाइनिंग कार्य के बदले अतिरिक्त महंगे पूर्व ढलित सीमेंट कांक्रीट लाइनिंग कार्य के निष्पादन के परिणामस्वरूप 48.37 लाख रूपये की अतिरिक्त लागत आई।

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा जारी एक तकनीकी परिपत्र (जनवरी 1984) में निर्धारित था कि 3 क्यूमेक्स से अधिक जल प्रवाह वाली नहरों के तल एवं भीतरी ढलानों की, स्थान पर निर्मित (एम-10 शक्ति) सीमेंट कांक्रीट से लाइनिंग की जानी चाहिए। इन विशिष्टियों के प्रतिकूल मुख्य अभियंता राजघाट नहर परियोजना ने प्राक्कलनों में दतिया वाहक नहर के भीतरी ढलानों में पूर्व ढलित सीमेंट कांक्रीट (पी.सी.सी.) टाइल लाइनिंग की व्यवस्था की थी (मार्च 1992), जबकि. स्थान पर निर्मित लाइनिंग की अपेक्षा पी.सी.सी. लाइनिंग अधिक महंगी एवं कम टिकाऊ थी। यह कार्य 1997-98 और 1999-2000 के मध्य 2.78 करोड़ रूपये की लागत पर 6 ठेकेदारों (9 अनुबंधों) के माध्यम से निष्पादित किया गया था।

निष्पादन के दौरान 72.61 क्यूमेक्स जलप्रवाह की क्षमता वाली दतिया सिंचाई नहर के किनारों की ढलानों में 75 मिलीमीटर मोटी पी.सी.सी. स्लैब लाइनिंग की व्यवस्था की गई थी। इसी प्रकार 7.98 क्यूमेक्स के जलप्रवाह क्षमता की भांडेर नहर की अखदेवा वितरणी के किनारों की ढलानों में 60 मिलीमीटर मोटी पी.सी.सी. टाइल लाइनिंग की गई थी। इस तरह स्थान पर निर्मित लाइनिंग के बजाय पी.सी.सी. टाइल लाइनिंग के त्रुटिपूर्ण प्रावधान एवं निष्पादन से 48.37 लाख रूपये की अतिरिक्त लागत आई।

दतिया वाहक नहर के कार्यस्थल का अगस्त 1997 में निरीक्षण करते समय, अधीक्षण यंत्री, सिंध परियोजना शीर्ष कार्य मंडल ने इंगित किया था कि पूर्व ढलित सीमेंट कांक्रीट लाइनिंग न केवल अधिक महंगी थी, अपितु इसकी उच्च पारगम्यंता, रिसाव एवं कम टिकाऊपन के कारण यह अनुपयुक्त भी थी। नहरों के अति उच्च जलप्रवाह के कारण उन्होंने दतिया वाहक नहर के तल एवं भीतरी किनारों के लिए, स्थान पर निर्मित लाइनिंग को अपनाए जाने की अनुशंसा की (अगस्त 1997) जिसे मुख्य अभियंता द्वारा अक्टूबर 1997 में सहमति दी गई थी, परंतु अनुमोदित प्राक्कलनों के अनुसार पूर्व ढलित सीमेंट कांक्रीट लाइनिंग कार्य निष्पादित किया गया।

इसे इंगित करने पर (अप्रैल 1999) अधीक्षण यंत्री, राजघाट नहर मंडल, दतिया ने बताया (अगस्त 2000) कि नहरों में लाइनिंग के प्राक्कलन उच्च प्राधिकारियों द्वारा आई.एस. कोड एवं विभागीय विशिष्टियों को ध्यान में रखकर स्वीकृत किए गए थे एवं तदनुसार निष्पादन किया गया था। यह भी बताया गया कि अधीक्षण यंत्री सिंध परियोजना शीर्ष कार्य मंडल की निरीक्षण टीप बहुत पुरानी थी एवं पी. सी.सी. ब्लॉक के निर्माण की नयी तकनीकें तब तक विकसित हो चुकी थीं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रमुख अभियंता द्वारा जारी तकनीकी परिपत्र पर ध्यान दिए बिना ही कार्य के प्राक्कलन बनाए गए थे। इसके अतिरिक्त सन् 2000 के आई.एस. कोड कमांक 10430 के प्रावधान भी निर्दिष्ट करते थे कि लाइनिंग के प्रकार का चयन इसके स्थायित्व, टिकाऊपन एवं मितव्ययिता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। आई.एस. कोड 3 क्यूमेक्स से अधिक जलप्रवाह की नहर हेतु पी.सी.सी. लाइनिंग निर्दिष्ट नहीं करता एवं जनवरी 1984 के प्रमुख अभियंता के परिपत्र के अनुदेश, कार्यादेश जारी होने के दिनांक तक अपरिवर्तित थे।

प्रकरण सरकार को अर्धशासकीय रूप से सूचित किया गया था (मई 2001), उत्तर अपेक्षित था (सितंबर 2001)।

1.3 वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन से अपव्यय

वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन में, झंडिया-कुंडिया सिंचाई तालाब के अनियोजित निष्पादन से 54.19 लाख रूपये का अपव्यय हुआ

बड़वानी जिले में झंडिया-कुंडिया तालाब योजना, मध्यप्रदेश शासन द्वारा 45.29 लाख रूपये के लिए विशेष शर्त के साथ प्रशासकीय रूप से अनुमोदित (मई 1982) की गई थी कि वन विभाग से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही निर्माण प्रारंभ किया जाए। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 निर्धारित करता है कि 25 अक्टूबर 1980 के पश्चात् प्रारंभ किए गए सभी कार्यों के लिए किसी भी वन भूमि के उपयोग हेतु भारत सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करनी चाहिए।

योजना में 270 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए एक मिट्टी बांध और नहर के निर्माण का विचार था जिसके लिए 7.22 हेक्टेयर निजी एवं 46.21 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा जांच से प्रकट हुआ कि उपरोक्त प्रावधान के उल्लंघन में विभाग ने भारत सरकार से अनुमोदन की प्राप्ति हेतु कार्रवाई आरंभ करने के पूर्व ही वन भूमि पर निर्माण कार्य आरंभ कर दिया (1985)। निर्माण कार्य पर 48.14 लाख रूपये का व्यय हो जाने के बाद ही मध्यप्रदेश शासन द्वारा पांच वर्षों के पश्चात् प्रकरण पहली बार भारत सरकार के अनुमोदन की प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया गया (दिसम्बर 1990)। चूँकि जिलाध्यक्ष, खरगौन परियोजना के अंतर्गत डूब में आने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिले में राजस्व भूमि की पहचान करने में विफल रहे (अगस्त 1991), भारत सरकार ने आवश्यक राजस्व भूमि के हस्तांतरण के बिना अपनी अनुमति प्रदान करने में असमर्थता व्यक्त की (मई 1998)। इसी मध्य मुख्य वन संरक्षक, भोपाल ने प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग को वन भूमि पर आगे कोई भी निर्माण कार्य न करने हेतु सूचित किया (जून 1998) एवं निर्माण कार्य 1992-93 में अंतिम रूप से रोक दिया गया।

इस प्रकार, वैधानिक आवश्यकताओं के उल्लंघन में निर्माण कार्य का क्रियान्वयन एवं लगभग 16 वर्षों तक वन वृक्षारोपण हेतु राजस्व भूमि की पहचान में जिलाध्यक्ष की विफलता से योजना के निर्माण पर संपूर्ण व्यय (दिसम्बर 2000 तक आनुपातिक प्रभारों सहित 54.19 लाख रूपये) निरर्थक हो गया एवं आदिवासी जनता सिंचाई सुविधाओं से वंचित हुई। यद्यपि, जिलाध्यक्ष, खरगौन ने क्षतिपूरक वनारोपण हेतु वन विभाग को 46.21 हेक्टेयर राजस्व भूमि के हस्तांतरण की अनुमति प्रदान की (जनवरी 1998), विभाग ने नए वन निर्बाधन (क्लियरेंस) की प्राप्ति हेतु कोई कार्रवाई नहीं की (जुलाई 2001)।

प्रकरण शासन को अर्धशासकीय रूप से मई 2001 में सूचित किया गया था, उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2001)।

अध्याय – 2
लोक निर्माण विभाग

भाग–क

भंडारों का प्रबंधन	2.1	23

भाग – ख

रीवा में 800 बिस्तरों वाले संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय का निर्माण	2.2	37
उच्च दर पर निविदा की स्वीकृति से अतिरिक्त भुगतान	2.3	39
ठेकेदार से सामग्री के मूल्य की वसूली न होना	2.4	40
बी.ओ.टी. योजना के अंतर्गत ठेकेदारों को अदेय लाभ	2.5	41
भोपाल में न्यायिक अकादमी में आवासों के निर्माण के लिए अधिक भुगतान	2.6	42
इंदौर–सांवेर–उज्जैन मार्ग के सुदृढ़ीकरण पर परिहार्य व्यय	2.7	44
ठेकेदार के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही करने में विफलता एवं अस्वीकार्य भुगतान से शासन को हानि	2.8	45
कपटपूर्ण भुगतान	2.9	47
सड़कों के संधारण में अधिक महंगे डामर के उपयोग से अतिरिक्त व्यय	2.10	49
पथकर वसूली के प्राधिकार के साथ जावरा–मंदसौर–नीमच–नयागांव मार्ग (राजमार्ग–31) का संधारण	2.11	50

अध्याय-2
लोक निर्माण विभाग

भाग-क

2.1 भंडारों का प्रबंधन

2.1.1 विशेषताएं

लोक निर्माण विभाग विशेष प्रकार के भण्डारों का एक बड़ा केता (खरीददार) है किन्तु एक अलग क्रय इकाई/स्थायी समिति का अभाव था। बजट आवंटनों से उपर व्यय में भारी आधिक्य तथा आयोजना/निक्षेप कार्यों हेतु रखी गई निधियों के व्यपवर्तन ध्यान में आए। मूल अभिलेखों का संधारण न करने और लेखांकन के सिद्धांतों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप नियंत्रण का अभाव, उच्चतर मूल्यों का भुगतान, भण्डारों का अधिक संचय और भण्डारों की संभाव्य चोरियां आदि हुई।

- आवश्यकता से अधिक सामग्री के क्रय से 33.06 करोड़ रूपये मूल्य के विशाल संग्रह का संचयन हो गया ।

(कंडिका 2.1.4 (क))

- 1995-96 और 1999-2000 के मध्य, आवंटन के बिना 4.36 करोड़ रूपये मूल्य के औजार एवं संयंत्र क्रय किए गए।

(कंडिका 2.1.4 (ख))

- 1997-98 और 1998-99 के दौरान अविवेकपूर्ण ढंग से 1.03 करोड़ रूपये मूल्य के 'आर.सी.सी. हयूम पाइप' क्रय किए गए जिसमें से 73.71 लाख रूपये मूल्य के पाइप, अगस्त 2001 तक बिना उपयोग के पड़े थे।

(कंडिका 2.1.5 (ख)(i))

- 1995-96 और 1996-97 के दौरान 1.08 करोड़ रूपये मूल्य के 1081 मीट्रिक टन बिटुमिन इमल्शन की अधिक खपत ध्यान में आई।

(कंडिका 2.1.5 (क)(vi))

- 1995-96 से 1999-2000 के दौरान 380.60 मीट्रिक टन कटबैक बिटुमिन, एक महंगे डामर के उपयोग के परिणामस्वरूप 55.88 लाख रूपये का अधिक व्यय हुआ।

(कंडिका 2.1.5 (क)(v))

- मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम से क्रय करने के लिए आरक्षित वस्तुएं, खुले बाजार से अत्यधिक उच्च दरों पर क्रय की गईं, परिणामस्वरूप 41.24 लाख रूपये की अधिक लागत आई।

(कंडिका 2.1.5 (ख)(ii)(का))

- *1998-2000 के मध्य 40.95 करोड़ रूपये मूल्य की सामग्री वास्तविक खपत का सत्यापन किए बिना निर्माण कार्यों को नामे (डेबिट) की गई।*

(कंडिका 2.1.7)

2.1.2 प्रस्तावना

लोक निर्माण विभाग (विभाग), मध्यप्रदेश शासन के लिए, आवासीय और गैर आवासीय भवनों, सड़कों, पुलों आदि के निर्माण एवं संधारण करने के लिए उत्तरदायी है। यह मध्यप्रदेश के भीतर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण एवं संधारण करता है तथा निर्माण एवं संधारण हेतु आवश्यक सामग्री के भंडार भी रखता है।

भंडार लेखे (I) संग्रह उचंत लेखे,[14] (II) औजार एवं संयंत्र लेखे,[15] (III) सड़क सामग्री विवरणियां[16] एवं (IV) कार्यस्थल सामग्री लेखे[17] के रूप में वर्गीकृत हैं।

2.1.3 संगठनात्मक स्वरूप एवं लेखापरीक्षा व्याप्ति

प्रमुख अभियंता द्वारा विभाग का नेतृत्व किया जाता है जिनकी सहायता आठ मुख्य अभियंताओं, जिनमें छः परिक्षेत्रों[18] के प्रभारी हैं, एवं अधीक्षण यंत्रियों द्वारा की जाती है। कार्यपालन यंत्रियों के नेतृत्व में 128 संभाग थे जो 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ राज्य में 36 संभागों के स्थानांतरण के बाद 92 रह गए। मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण यंत्रियों एवं कार्यपालन यंत्रियों को भंडार क्रय के अधिकार प्रत्यायोजित किए गए हैं। भंडारों के अधिग्रहण, अभिरक्षा एवं वितरण का वास्तविक प्रशासन कार्यपालन यंत्रियों द्वारा प्रबंधित है।

इस समीक्षा में अधिग्रहण (क्रय), प्राप्ति एवं निर्गम, अभिरक्षण, निरर्थक घोषित करने, विक्रय एवं भंडारों की जांच सहित भंडारों के प्रबंधन का अध्ययन किया गया है। इस उद्देश्य के लिए दो परिक्षेत्रों (मध्य एवं पश्चिम) के 35 संभागों में से 11 के 1995-96 से 1999-2000 वर्षों के अभिलेखों की अगस्त 2000 से जून 2001 के दौरान नमूना जांच की गई। परिणामों पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.1.4 आवंटन और व्यय

(क) 'संग्रह उचंत'

वित्तीय नियमों में व्यवस्था है कि प्रत्येक विभाग विधान मंडल द्वारा प्राधिकृत किए गए स्वीकृत अनुदानों/विनियोगों के विरूद्ध, व्यय पर नियंत्रण के लिए

14 *सीमेंट, इस्पात, मशीनों के फालतू पुर्जे आदि उपभोज्य सामग्री के लेखे।*

15 *उपकरणों के लेखे, जो निर्माण गतिविधियों के लिए जब भी आवश्यक हो एक कार्यस्थल से दूसरे तक स्थानांतरित किए जा सकते हैं।*

16 *गिट्टी, मुरम, बजरी आदि के लेखे जिनका मूल्य कार्य पर सीधे प्रभारित किया जाता है।*

17 *कार्य पर सीधे प्रभारित सामग्री के लेखे।*

18 *राष्ट्रीय राजमार्ग, सेतु, उत्तर, पश्चिम, राजधानी एवं मध्य*

उत्तरदायी होगा। इसके अलावा व्यय स्वीकृत अनुदानों/विनियोगों के भीतर रहे इसे सुनिश्चित करने के लिए शासन ने निर्माण विभाग में साख पत्र (एल.ओ.सी.) प्रणाली भी पुरःस्थापित की थी (1976)। तथापि, विभाग बजट सीमा के भीतर व्यय पर नियंत्रण नहीं कर सका, क्योंकि कार्यपालन यंत्रियों ने भुगतान/व्यय, साख-पत्र/आवंटन के भीतर सीमित नहीं रखे तथा नियमों की अनदेखी करते हुए, एक शीर्ष से अन्य शीर्ष में साख-पत्र परिवर्तित किए।

1995-96 से 2000-2001 के दौरान संग्रह उचंत के अंतर्गत आवंटन और व्यय की स्थिति निम्नानुसार थी:-

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	विभागीय आंकड़े			महालेखाकार (लेखा/हक.) के आंकड़े		
	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
1995-96	29.20	115.30	(+)86.10	71.00	117.87	(+)46.87
1996-97	37.28	115.35	(+)78.07	74.55	115.45	(+)40.90
1997-98	82.00	87.57	(+)5.57	82.00	87.90	(+)5.90
1998-99	82.01	59.66	(-)22.35	82.01	59.75	(-)22.26
1999-2000	36.90	30.95	(-)5.95	82.01	34.12	(-)47.88
2000-2001	20.00	26.88	(+)6.88	50.00	31.66	(-)18.34

उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि 1995-96 से 1997-98 और 2000-2001 के दौरान बजट आवंटन से अधिक व्यय हुआ, जबकि 1998-99 और 1999-2000 में बहुत बचत रही, यह अनुपयुक्त बजट बनाने एवं व्यय पर अनुपयुक्त नियंत्रण का सूचक है। इसके अतिरिक्त, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) एवं विभाग के आंकड़ों में भारी अंतर थे जो मिलान किए बिना रह गए, यद्यपि नियमों में सावधिक मिलान करने का प्रावधान है।

आवश्यकता से अधिक भंडार के क्रय से 33.06 करोड़ रूपये मूल्य केविशाल भंडार का संचयन हुआ।

इसके अतिरिक्त, भंडार की राशि निर्माण कार्यों की प्रगति के अनुरूप न्यूनतम बिंदु तक रखी जानी चाहिए। तथापि, 1995-96 से 2000-2001 के अंत में विशाल संग्रह शेष बचे थे जो इंगित करते हैं कि 1998-99 एवं 1999-2000 के अलावा प्रतिवर्ष न केवल बजट प्रावधानों से अधिक अपितु आवश्यकता के बिना भी क्रय किए गए हैं:- (करोड़ रूपये में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्ति	निर्गम	अंत शेष
1995-96	27.29	117.87	116.37	28.79
1996-97	28.79	115.45	111.55	32.69
1997-98	32.69	87.90	84.33	36.26
1998-99	36.26	59.75	68.18	27.83
1999-2000	27.83	34.12	32.49	29.46
2000-2001	29.46	31.66	28.06	33.06

दो परिक्षेत्रों (मध्य एवं पश्चिम) के अभिलेखों की सूक्ष्म जांच से प्रकट हुआ कि 1995-96 और 1998-99 के मध्य आवंटन (73.50 करोड़ रूपये) से व्यय (185.21 करोड़ रूपये) 25 प्रतिशत से 692 प्रतिशत तक बढ़ा था, जो व्यय पर दोषपूर्ण बजट नियंत्रण का सूचक है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

1995-96 से 1998-99 के दौरान 2 परिक्षेत्रों में संग्रह उचंत पर 185.21 करोड़ रूपये का व्यय 73.50 करोड़ रूपये के कुल आवंटन से 111.71 करोड़ रूपये (152 प्रतिशत) अधिक हो गया।

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	मध्य परिक्षेत्र (जबलपुर)				पश्चिम परिक्षेत्र (इंदौर)			
	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)	आधिक्य का प्रतिशत	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)	आधिक्य का प्रतिशत
1995-96	5.00	22.33	(+) 17.33	347	5.00	39.62	(+) 34.62	692
1996-97	6.25	24.36	(+) 18.11	290	7.50	25.65	(+) 18.15	242
1997-98	16.00	23.17	(+) 7.17	45	16.00	20.04	(+) 4.04	25
1998-99	8.75	16.07	(+) 7.32	84	9.00	13.97	(+) 4.97	55
1999-2000	7.75	6.31	(-) 1.44		5.03	3.49	(-) 1.54	

यद्यपि, नियमों में एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में साख पत्र का व्यपवर्तन प्रतिबंधित है तथापि,लेखे के उन शीर्षों के साख-पत्र उपयोग करके उन शीर्षों के अंतर्गत गतिविधियों को विपरीत रूप से प्रभावित करते हुए व्यय किया गया था।

(ख) औजार एवं संयंत्र

साख पत्र अन्य शीर्षों से परिवर्तित कर 4.36 करोड़ रूपये मूल्य के औजार एवं संयंत्र क्रय किए गए।

मध्यप्रदेश निर्माण विभाग नियमावली में उपबंधित है कि निधियों के प्रावधान के बिना कार्यों की मद पर कोई व्यय नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, मध्य एवं पश्चिम परिक्षेत्रों में निधियों की उपलब्धता के बिना, 1995-2000 के दौरान लेखे के अन्य शीर्षों से साख-पत्र परिवर्तित कर 4.36 करोड़ रूपये के औजार एवं संयंत्र क्रय किए गए, जैसा कि नीचे बताया गया है:-

(लाख रूपये में)

		1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	योग
1.	मध्य परिक्षेत्र	91.40	73.25	83.44	38.44	12.22	298.75
2.	पश्चिम परिक्षेत्र	44.16	44.77	23.65	21.52	2.81	136.91
	योग	135.56	118.02	107.09	59.96	15.03	435.66

2.1.5 सामग्रियों का क्रय

(क) बिटुमिन, बिटुमिन इमल्शन और कटबैक बिटुमिन का क्रय

विभाग में बिटुमिन (डामर) क्रय की एक प्रमुख मद है। संबंधित परिक्षेत्रों के मुख्य अभियंताओं द्वारा महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान के माध्यम से प्रदाय आदेश जारी किए जाते हैं। मुख्य अभियंताओं को, जारी किए गए प्रदाय आदेशों के विरूद्ध डामर की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।

तथापि, यह देखा गया कि 1995-2000 के दौरान 7 संभागों में 29,680 मीट्रिक टन मात्रा के मांग पत्रों के विरूद्ध केवल 24,789 मीट्रिक टन बिटुमिन प्राप्त हुआ। अप्राप्त डामर (4,891 मीट्रिक टन), मांगी गई मात्रा का 16 प्रतिशत (परिशिष्ट-v के अनुसार) था। इससे आगे, डामर की पूर्ण मात्रा, प्रदाय आदेश दिए जाने के बाद के वर्षों में प्राप्त हुई। इसमें 1 से लेकर 2 वर्षों तक का विलंब था। इस प्रकार डामर की समय पर प्राप्ति पर परिवीक्षण के अभाव से इसकी कम आपूर्ति/चोरी, जानकारी में न आने की संभावना बनी रही।

1995-2000 के लिए 11 संभागों की नमूना जांच में निम्न प्रकट हुआः-

(I) उज्जैन संभाग में 1989-90 के दौरान 4.96 लाख रूपये मूल्य के 152.275 मीट्रिक टन डामर की मात्रा संग्रह लेखों में लेखांकित नहीं की गई थी। संभाग द्वारा महालेखाकार के समायोजन ज्ञापनों के सत्यापन के समय 1997 में चोरी का पता चला। यद्यपि, अपचारी कर्मचारियों के विरूद्ध उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया था एवं राशि उन कर्मचारियों के विरूद्ध उचंत शीर्ष 'विविध निर्माण अग्रिम' के अंतर्गत रखी गई थी, मई 2001 तक कोई वसूली नहीं की गई।

(II) सतना संभाग में 1995-96 के दौरान मांग पत्रों के अनुसार 311.493 मीट्रिक टन डामर के वास्तविक निर्गम के विरूद्ध, संग्रह लेखा में 324.493 मीट्रिक टन डामर का निर्गम दर्शाया गया था, परिणामस्वरूप 1.30 लाख रूपये मूल्य के 13 मीट्रिक टन डामर की चोरी हुई। कार्यपालन यंत्री ने तथ्य स्वीकार किया और वसूली प्रभावित करने के लिए सहमत हो गए।

(III) चूंकि बिटुमिन इमल्शन की कार्यशीलता (जीवनकाल) 12 माह है, प्रमुख अभियंता ने निर्देशित किया था (फरवरी 1992) कि इसे उत्पादन की तिथि से प्राथमिक रूप से 6 माह के भीतर अथवा आवश्यक रूप से 12 माह के भीतर उपयोग कर लेना चाहिए। छानबीन से प्रकट हुआ कि 3 संभागों[19] में, 12.64 लाख रूपये मूल्य का 632 ड्रम (126.46 मीट्रिक टन) बिटुमिन इमल्शन जो अपने 12 माह के जीवनकाल से पुराना हो चुका था, भंडार में पड़ा था।

(IV) कटबैक बिटुमिन एवं बिटुमिन इमल्शन (कैटोनिक प्रकार का) तरल रूप के डामर (बाइंडर) हैं जिन्हें सामान्यतः वर्षा ऋतु में जब ठंडा मिश्रण लाभजनक होता है दृ प्राथमिकता दी जाती है। 'पैच रिपेयर' कार्य के संबंध में दोनों बाइंडर एक समान कार्य करते हैं। तथापि, कटबैक बिटुमिन, बिटुमिन इमल्शन की अपेक्षा तीन गुणा अधिक महंगा है। प्रमुख अभियंता ने निर्देशित

[19] उज्जैन-389, रायसेन-210 एवं शाजापुर-33

किया था (फरवरी 1992) कि वर्षा ऋतु के दौरान सड़कों के 'पैच रिपेयर' के लिए बिटुमिन इमल्शन क्रय किया जाये।

महँगे कट-बैक बिटुमिन के क्रय से 55.88 लाख रूपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

तथापि, मध्य परिक्षेत्र के 5 संभागों और पश्चिम परिक्षेत्र के 1 संभाग की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि 1995-96 से 1999-2000 के दौरान 88.52 लाख रूपये[20] मूल्य का 380.60 मीट्रिक टन कटबैक बिटुमिन 'पैच रिपेयर' कार्य हेतु क्रय किया गया था जिसमें बिटुमिन इमल्शन की दरों की तुलना में 55.88 लाख रूपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

शुष्क मौसम में बिटुमिन इमल्शन के अनावश्यक उपयोग से 48.83 लाख रूपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

(v) यद्यपि, बिटुमिन इमल्शन केवल वर्षा ऋतु के दौरान और उसके तुरंत बाद ही उपयोगी था, तथापि यह देखा गया कि 1,894.4 मीट्रिक टन[21] बिटुमिन इमल्शन खुले मौसम में उपयोग किया गया जबकि 'पेविंग बिटुमिन' (सस्ता बाइंडर) उपयोग किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप 1995-96 से 1997-98 के दौरान 48.83 लाख रूपये का परिहार्य व्यय हुआ।

1.08 करोड़ रूपये मूल्य के 1,081 मीट्रिक टन बाइंडर की अधिक खपत देखी गई।

(vi) शाजापुर संभाग में 1995-96 एवं 1996-97 के दौरान पैच रिपेयर के लिए 16,239 घनमीटर (संहतिकृत मात्रा) सड़क सामग्री के साथ 2,413 मीट्रिक टन बाइंडर की खपत दर्शाई गई थी। भू-तल परिवहन मंत्रालय की विशिष्टियों के अनुसार 16,239 घनमीटर सड़क सामग्री के साथ 1,332 मीट्रिक टन बाइंडर की आवश्यकता की तुलना में 1.08 करोड़ रूपये मूल्य के 1,081 मीट्रिक टन बाइंडर की अधिक खपत थी। पुनश्च, उपरोक्त खपत के लिए माप पुस्तकें/कार्यस्थल सामग्री लेखे, लेखापरीक्षा को नहीं दिखाए जा सके।

(ख) अन्य मदें

(i) आर.सी.सी. ह्यूम पाइपों का अनधिकृत एवं विवेकहीन क्रय

शासन के आदेशों (अगस्त 1993) के अनुसार पुलियों का निर्माण कार्य ह्यूम पाइपों के प्रदाय सहित मिले-जुले (कंपोजिट) कार्य के रूप में एजेंसियों को दिया जाये जिससे पाइपों के टूटने के कारण हानि तथा उनके उपयोग न होने पर निधियों के अवरूद्ध होने को टाला जा सके।

1.03 करोड़ रूपये के आर.सी.सी. पाइपों का विवेकहीन क्रय किया गया, इसमें से 73.71 लाख रूपये के पाइप उपयोग के बिना पड़े थे।

इसके प्रतिकूल, 1997-98 और 1998-99 के दौरान दो संभागों[22] में 1.03 करोड़ रूपये मूल्य के विभिन्न व्यास के आर.सी.सी. ह्यूम पाइप मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम से क्रय किए गए थे। शहडोल संभाग में 56.07 लाख रूपये मूल्य के सभी पाइप पूर्णतः बिना उपयोग के पड़े थे, जबकि नरसिंहपुर संभाग में अगस्त 2001 तक 17.62 लाख रूपये मूल्य के पाइप बिना उपयोग के पड़े थे।

[20] *मध्य परिक्षेत्रः सतना-144.80 मीट्रिक टन (33.86 लाख रूपये), कटनी- 104 मीट्रिक टन (24.09 लाख रूपये), शहडोल- 78.20 मीट्रिक टन (18.80 लाख रूपये), जबलपुर- 4.20 मीट्रिक टन (1.01 लाख रूपये), नरसिंहपुर 19.40 मीट्रिक टन (4.46 लाख रूपये), पश्चिम परिक्षेत्र : रायसेन 30 मीट्रिक टन (6.30 लाख रूपये)*

[21] *शाजापुर- 716.88 मीट्रिक टन, खण्डवा- 499.00 मीट्रिक टन, खरगौन- 148.40 मीट्रिक टन, उज्जैन 376.80 मीट्रिक टन एवं रायसेन 153.40 मीट्रिक टन।*

[22] *शहडोल- 56.09 लाख रूपये, नरसिंहपुर- 46.61 लाख रूपये।*

(ii) खुले बाजार से मदों का अनधिकृत क्रय

1.71 करोड़ रुपये का क्रय खुले बाज़ार से किया गया न कि मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम से जैसा नियमों के अंतर्गत आवश्यक है ।

नियमों में प्रावधान है कि राज्य की लघु औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्तुएं मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से क्रय की जानी चाहिए। मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम से अनुपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद ही खुले बाजार से क्रय किया जाये। तथापि, 1995-96 से 2000-2001 के दौरान 9 संभागों[23] में मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम से अनुपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना 1.71 करोड़ रुपये मूल्य की आरक्षित मदें खुले बाजार से क्रय की गईं।

उच्च दरों पर रोड साइन बोर्डों के क्रय पर 19.62 लाख रुपये तथा इनके प्रदाय एवं लगाने पर 21.62 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया था।

(का) चार कार्यपालन यंत्रियों[24] ने (I) आवश्यकता का आकलन किए बिना और (II) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम से अनुपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना 1995-2000 के दौरान 43.22 लाख रुपये के विभिन्न आकारों के रोड साइन बोर्ड स्थानीय रूप से क्रय किए । उच्च अधिकारियों के अनुमोदन की आवश्यकता टालने के लिए आदेश टुकड़ों में दिए गए थे। इन क्रयों पर मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम की दरों की तुलना में 19.62 लाख रुपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय किया गया था।

(ख) इसी प्रकार 4 संभागों[25] ने 44.86 लाख रुपये मूल्य के रोड साइन बोर्ड प्रदाय करने और लगाने के कार्यादेश जारी किए थे। इन दरों के विश्लेषण से यह अवलोकन किया गया कि 1994-95 से 1998-99 के दौरान मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम की जो दरें थीं उनसे उच्च दरों पर सामग्री क्रय की गई। इसके परिणामस्वरूप सामग्री के क्रय पर 21.62 लाख रुपये की अधिक लागत आयी।

(iii) बाजार सामग्री

अमान्य अविद्यमान संविदा के विरूद्ध 1.17 करोड़ रुपये की सामग्री क्रय की गई।

भवनों के संधारण और रखरखाव के लिए आवश्यक सामग्री, प्रतिवर्ष बाजार प्रदाय अनुबंधों पर क्रय की जाती है। छानबीन से निम्न बिंदु प्रकट हुए:-

(का) 65 अनुबंधों में ठेका समाप्त होने के बाद भी 33.45 लाख रुपये[26] की सामग्री का क्रय, कमजोर वित्तीय अनुशासन दर्शाता है। नियंत्रण शिथिल करने के लिए देयक टुकड़ों में भुगतान किए गए थे।

23 *इंदौर- 9.45 लाख रुपये, खरगौन- 16.02 लाख रुपये, नरसिंहपुर- 10.61 लाख रुपये, सतना- 3.01 लाख रुपये, कटनी- 2.25 लाख रुपये, शहडोल कमांक I- 31.41 लाख रुपये, खण्डवा- 21.43 लाख रुपये, उज्जैन- 36.00 लाख रुपये तथा जबलपुर- 40.85 लाख रुपये।*

24 *उज्जैन- 21.29 लाख रुपये, इंदौर II-0.35 लाख रुपये, खण्डवा- 20.48 लाख रुपये तथा नरसिंहपुर- 1.10 लाख रुपये।*

25 *खरगौन-12.57 लाख रुपये, इंदौर II-11.26 लाख रुपये, शाजापुर-4.46 लाख रुपये तथा खण्डवा- 16.57 लाख रुपये।*

26 *उज्जैन- 4.39 लाख रुपये, शाजापुर- 3.20 लाख रुपये, शहडोल I-2.08 लाख रुपये, नरसिंहपुर- 4.52 लाख रुपये, इंदौर II-2.11 लाख रुपये, खण्डवा- 16.22 लाख रुपये और जबलपुर I-0.93 लाख रुपये।*

(ख) 4 संभागों[27] के कार्यपालन यंत्रियों ने 60.05 लाख रूपये मूल्य की 109 निविदाएं अनधिकृत रूप से अनुमोदित की थीं, यद्यपि उन्हें ऐसा करने के अधिकार नहीं थे।

(ग) कार्यपालन यंत्री, खरगौन ने 1996-97 और 1997-98 के दौरान 23.23 लाख रूपये मूल्य की सामग्री 4.50 लाख रूपये मूल्य के 8 अनुबंधों के विरूद्ध क्रय की थी जो केवल 1996-97 के लिए वैध थे। नवीन दरें आमंत्रित नहीं की गईं। अधीक्षण यंत्री ने अनुबंधों की समयवृद्धि अनुमोदित कर दी (जून 1998) यद्यपि, बाजार प्रदाय अनुबंधों में ठेके की समयवृद्धि की धारा नहीं है।

(iv) क्रय का टुकड़ों में किया जाना

उच्च अधिकारियों का अनुमोदन टालने के लिए, प्रदाय आदेशों को टुकड़ों में देकर 70.83 लाख रूपये मूल्य की सामग्री क्रय की गई।

1995-96 से 1999-2000 के दौरान 8 कार्यपालन यंत्रियों[28] द्वारा 70.83 लाख रूपये का क्रय 1,869 प्रदाय आदेशों में विभक्त कर किया गया ताकि प्रत्येक आदेश 5,000 रूपये से कम का सुनिश्चित हो, जिससे कि उच्च अधिकारियों के अनुमोदन की आवश्यकता से बचा जा सके।

यह भी देखा गया कि क्रय नियमों की पूर्णतः अनदेखी कर एक ही प्रदायकर्ता को समान मदों/मदों के समूह, के लिए समान तिथि पर अनेक प्रदाय आदेश दे दिए गए थे। कुछ उदाहरण नीचे दर्शाये गए हैं:-

क्र. सं.	संभाग का नाम	प्रदाय आदेश जारी करने की तिथि	प्रदाय आदेशों की संख्या	मद का विवरण	राशि (रूपयों में)
1.	इंदौर सं. II	28 जुलाई 1998	5 प्रत्येक 4,892 रू. का	वेल्ड की गई जाली	24,460
2.	इंदौर सं. II	28 अगस्त 1998	5 प्रत्येक 4,892 रू. का	वेल्ड की गई जाली	24,460
3.	नरसिंहपुर सं.	30, 31 दिसंबर 1997	40 प्रत्येक 4,992 रू. का	एंगिल आयरन का जंक्शन बोर्ड	1,99,680
4.	सतना सं.	2 अप्रैल 1998	6 प्रत्येक 4,992 रू. का	नॉन वुलेन कार्पेट	29,952
5.	शहडोल सं.	18,19 नवंबर 1998	20 प्रत्येक 5,000 रू. से कम	टौजार और संयंत्र	90,475
6.	उज्जैन सं.	2,3 अगस्त 1995	74 प्रत्येक 2,000 रू. का	बारिश के जूते, दस्ताने और पी.वी. सी. कुर्सियां	1,52,000

सं.-संभाग, रू.-रूपये

कार्यपालन यंत्रियों द्वारा अपनी वित्तीय शक्तियों से अधिक क्रय करने के लिए प्रदाय आदेशों को टुकड़ों में जारी किया गया था।

[27] *सतना- 13.10 लाख रूपये, खरगौन- 4.50 लाख रूपये, शाजापुर- 10.05 लाख रूपये एवं उज्जैन- 32.40 लाख रूपये।*

[28] *इंदौर क्र. II- 4.51 लाख रूपये, खरगौन- 17.32 लाख रूपये, नरसिंहपुर- 8.92 लाख रूपये, कटनी- 2.55 लाख रूपये, शहडोल क्रमांक 1- 11.38 लाख रूपये, खंडवा- 5.98 लाख रूपये, उज्जैन- 16.14 लाख रूपये और सतना 4.03 लाख रूपये।*

2.1.6 दायित्वों का लेखांकन न करना

भंडार, आवश्यकताओं के अनुरूप तथा निधियों की उपलब्धता के साथ क्रय करना चाहिए। उधार क्रय का मूल्य संग्रह उचंत या निर्माण को नामे कर जैसा भी प्रकरण हो, शीघ्र ही 'सामग्री क्रय समाशोधन उचंत लेखे' को जमा कर देना चाहिए। जब वास्तविक भुगतान हेा, सामग्री क्रय समाशोधन उचंत लेखे का निराकरण कर देना चाहिए।

1994-95 से 1999-2000 के दौरान उधारी पर क्रय किए गए 3.56 करोड़ रूपये के भण्डार ''सामग्री क्रय समाशोधन उचंत लेखे'' के अंतर्गत लेखांकित नहीं किए गए एवं 6 से 36 माहों के विलंब से निधियों के व्यपवर्तन द्वारा भुगतान किए गए।

(I) 11 संभागों (परिशिष्ट-VI) के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि 1994-95 और 1999-2000 के मध्य उधारी पर क्रय किए गए 3.56 करोड़ के भंडार उनकी प्राप्ति के माह के दौरान शासकीय लेखों में लेखांकित नहीं किए गए थे, परिणामस्वरूप महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को गलत लेखे प्रस्तुत किए गए। सामग्री के मूल्य का भुगतान तथा निर्माण कार्य/संग्रह को नामे, बाद के वर्षो में आयोजना, निक्षेप कार्यो और स्थापना के साख पत्रों का उपयोग करके 6 से लेकर 36 माह की देरी के बाद किया गया। लेखांकन प्रणाली से विचलन (बायपास) के कारण प्रतिपरीक्षण (कासचेक) शिथिल हुआ और चोरी की जानकारी में न आने की संभावना बनी रही ।

(II) शहडोल और रायसेन संभागों में नमूना जांच में प्रकट हुआ कि ''सामग्री क्रय समाशोधन उचंत लेखे'' के अंतर्गत 3.23 करोड़ रूपये एवं 2.36 करोड़ रूपये के शेषों के विरूद्ध क्रमशः 4.14 करोड़ रूपये और 4.09 करोड़ रूपये के महालेखाकार के समायोजन ज्ञापन लंबित थे। इससे निर्दिष्ट हुआ कि ''सामग्री क्रय समाशोधन उचंत लेखे'' के अंतर्गत प्रविष्टियां अपूर्ण थीं क्योंकि महालेखाकार के समायोजन ज्ञापनों में दर्शाए गए लंबित दायित्वों से ये किसी भी प्रकरण में कम नहीं हो सकतीं जिनमें अन्य मदें भी सम्मिलित होती हैं।

2.1.7 सत्यापन और व्यय पर नियंत्रण का अभाव

नियमों के अनुसार, संधारण कार्यो के लिए सामग्री का निर्गम/क्रय कार्यस्थल सामग्री लेखे और सड़क सामग्री विवरणियों के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। ये लेखे या तो बिल्कुल ही संधारित नहीं किए जा रहे थे या त्रुटिपूर्ण रूप से संधारित किए गए थे तथा संभागों को प्रगति पंजी के साथ समय पर एवं नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं किए गए थे। यद्यपि, भंडारों के नियंत्रण एवं जांच हेतु ये प्रारंभिक लेखे महत्वपूर्ण हैं, मध्यप्रदेश सरकार की 31 मार्च, 1997 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट की कंडिका 2.1.11(II) में प्रकरण प्रतिवेदित किये जाने तथा प्रति वर्ष निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से प्रतिवेदित करने के बावजूद भी कोई प्रभावी प्रतिकारक कार्यवाही नहीं की गई।

सामग्री के वास्तविक उपयोग का सत्यापन किए बिना 40.95 करोड़ रूपये निर्माण कार्यो पर अंतिम रूप से बुक किए गए थे।

11 संभागों में 1998-99 और 1999-2000 की अवधि के दौरान, संधारण कार्यो पर 40.95 करोड़ रूपये मूल्य की सामग्री नामे की गई थी, किंतु कार्यस्थल सामग्री लेखों/सड़क सामग्री विवरणियों की अनुपस्थिति में इनका उपयोग सत्यापित नहीं किया जा सका तथा काल्पनिक समायोजनों द्वारा चोरी की संभावना को नकारा नहीं जा सकता था। और भी, उपयोग नहीं की गई सामग्री का मूल्य वित्तीय वर्ष के अंत में वापस समायोजित नहीं किया गया था, परिणामस्वरूप निर्माण कार्यो पर व्यय अतिरंजित हेा गया।

2.1.8 महानिदेशक, आपूर्ति और निपटान के लंबित दावों के भुगतान में असाधारण विलंब

महानिदेशक, आपूर्ति और निपटान (डी.जी.एस.डी.) के माध्यम से राज्य शासन के इंडेंटिंग अधिकारियों द्वारा प्राप्त किए गए भंडारों के भुगतान, माल प्रेषण के प्रमाण पर (डी.जी.एस.डी.) द्वारा ही किए जा रहे थे (1अक्टूबर, 1996 से पूर्व) तथा बाद में राज्य के महालेखाकार के माध्यम से राज्य शासन से दावे किए जाते थे।

19.37 करोड़ रूपये मूल्य के महानिदेशक, आपूर्ति और निपटानं के 1215 दावे असमायोजित पड़े थे।

महालेखाकार द्वारा संचारित (प्रेषित) 19.37 करोड़ रूपये मूल्य के 1,215 दावे 11 संभागों द्वारा 31 मार्च 2001 तक सत्यापित एवं समायोजित नहीं किए गए थे। इनमें से 9.08 करोड़ रूपये के 792 दावे 1995-96 तक के वर्षों से संबंधित थे। संभागों द्वारा दावों के सत्यापन में ऐसे लंबे विलंबों के परिणामस्वरूप सामग्री की कम आपूर्ति/भंडारों की हानि जानकारी में आए बिना रह सकती है। 31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की कंडिका 2.8 में दावों के सत्यापन में ऐसे विलंब से पूर्वी परिक्षेत्र में 65.38 लाख रूपये मूल्य के डामर की चोरी को विशेष रूप से उल्लिखित किया गया था।

समय पर समायोजन के अभाव के फलस्वरूप त्रुटिपूर्ण/काल्पनिक समायेाजन हुए जैसा नीचे चर्चित है:-

निर्माण कार्यों के बदले 'संग्रह उचंत' में 2.25 करोड़ रूपये काल्पनिक रूप से समायोजित हुए।

(I) छानबीन से प्रकाश में आया कि 1995-96 से 1999-2000 के दौरान 6 संभागों द्वारा 'संग्रह उचंत' को 2.25 करोड़ रूपये[29] और सामग्री क्रय समाशोधन उचंत लेखे को 11.76 करोड़ रूपये नामे करके 14.01 करोड़ रूपये के महालेखाकार के समायोजन ज्ञापन समायोजित किए गए थे। सामग्री के मूल्य के अंतर का समायोजन 'संबंधित निर्माण कार्य' के बदले 'संग्रह उचंत' के माध्यम से किया जाना काल्पनिक था परिणामस्वरूप संग्रह शेषों में बढ़ोतरी हुई क्योंकि सामग्री पूर्व में ही निर्माण कार्यों को निर्गमित की जा चुकी थी एवं संग्रह में नहीं पड़ी थी।

(II) खरगौन संभाग में 165.61 मीट्रिक टन खुले डामर (बल्क बिटुमिन) की प्राप्ति के विरूद्ध मार्च 1996 में 168.98 मीट्रिक टन डामर समायोजित किया गया था, परिणामस्वरूप 3.37 मीट्रिक टन डामर का अधिक समायोजन हुआ।

(III) 1995-96 से 1999-2000 के दौरान 5 संभागों[30] में 'संग्रह उचंत' को नामे करके 31.55 लाख रूपये मूल्य के महालेखाकार के समायोजन ज्ञापनों का समायोजन किया गया था, जो दर्शाता है कि सामग्री की प्राप्ति के समय इसे लेखे में नहीं लिया गया था।

[29] खरगौन- 64.11 लाख रूपये, इंदौर 11- 33.34 लाख रूपये, सतना6.68 लाख रूपये, शाजापुर- 22.08 लाख रूपये, उज्जैन- 45.04 लाख रूपये एवं खंडवा- 54.02 लाख रूपये।

[30] शाजापुर- 9 मदें 7.19 लाख रूपये, उज्जैन- 3 मदें 0.60 लाख रूपये, खरगौन- 1 मद : 5.88 लाख रूपये, इंदौर- 13 मदें 12.25 लाख रूपये और सतना 1 मद : 5.63 लाख रूपये।

उपरोक्त समायोजन स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि विभाग लेखाओं के संधारण में संहितीय प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा था जिसके फलस्वरूप महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को त्रुटिपूर्ण लेखों की प्रस्तुति और संग्रह शेषों में बढ़ोतरी हुई थी।

2.1.9 नकद लेनदेन का उचंत लेखा

31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 2.1.6(ii) में उल्लेख किया गया था कि 'नकद लेनदेन उचंत लेखे' के अंतर्गत 51.50 लाख रूपये के लंबित दायित्व के विरूद्ध मुख्य अभियंता 'पश्चिम परिक्षेत्र' द्वारा 1994-95 और 1995-96 के दौरान क्रमशः 4.17 करोड़ रूपये और 3.69 करोड़ रूपये के साख पत्र जारी किए गए थे। दायित्वों का निराकरण नहीं किया गया था और साख पत्र आयोजनेत्तर व्यय के लिए परिवर्तित किए गए थे। शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

निम्नलिखित अनियमितताएं भी ध्यान में आईः-

461 ओरिजिनेटिंग मदों के विरूद्ध 1.31करोड़ रूपये और 236 रिस्पांडिंग मदों के विरूद्ध 69.33 लाख रूपये लंबे समय से असमायोजित पड़े थे।

(i) 1984-85 से पूर्व अन्य संभागों को स्थानांतरित 1.31 करोड़ रूपये मूल्य की सामग्री (461 मदें) और अन्य संभागों से प्राप्त 69.33 लाख रूपये मूल्य की सामग्री (236 मदें) मार्च 2001 तक असमायोजित पड़ी थी।

(ii) मई 1984 में 'नकद दो और लो' प्रणाली लागू किए जाने के बावजूद भी 3 संभागों[31] में 1986-87 से 1998-99 के दौरान अन्य संभागों को 33.86 लाख रूपये मूल्य की सामग्री उधार दी गई थी। यह राशि मांग करने वाले संभागों के विरूद्ध 'विविध निर्माण अग्रिमों' के अंतर्गत रखी गई थी जो मार्च 2001 तक निराकृत नहीं हुई थी।

2.1.10 भंडारों की अभिरक्षा और लेखे का संधारण

भंडार लेखे के महत्वपूर्ण मूल अभिलेख संधारित नहीं होने से जवाबदेही और नियंत्रण शिथिल हो गए।

(i) भंडार निर्गम के लिए 'इंडेंट बुक्स' उपयोग की जाती हैं और जारी करने से पहले संभाग द्वारा माप पुस्तकों के समान इन पर भी मशीन द्वारा नंबर डालने चाहिए। तथापि, अनुविभागीय अधिकारियों/उप यंत्रियों द्वारा ये खुले बाजार से सीधे कय की जा रही थीं और संभागों में मांगपत्रों की पंजी के संधारण के बिना उपयोग की जा रही थीं। मांगपत्र (इंडेंट) क्रमसंख्यानुसार जारी नहीं किए जा रहे थे और एक ही माह में एक ही उप संभाग द्वारा समान संख्या वाले मांगपत्र कई बार जारी किए गए थे। इन शिथिलताओं के परिणामस्वरूप अनधिकृत/जाली मांगपत्रों द्वारा सामग्री निकाल कर चोरी हो सकती है।

(ii) भंडार वस्तुओं की प्राप्ति और निर्गम के दैनिक लेनदेन के लिए भंडार मूल्य पंजी संधारित की जानी और मात्रा तथा मूल्य दोनों के लिए मासिक रूप से बंद की जानी आवश्यक है। प्रत्येक वर्ष के अंत में भंडार सामग्री का मूल्य वर्तमान बाजार दरों पर पुनरीक्षित किया जाना चाहिए और लाभ तथा हानि को केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता के प्रावधानों के अनुसार समायोजित किया जाना चाहिए। तथापि, यह देखा गया कि नमूना जांच किए गए संभागों

[31] खरगौन- 13.81 लाख रूपये, उज्जैन- 18.17 लाख रूपये एवं शाजापुर- 0.88 लाख रूपये।

द्वारा भंडार मूल्य पंजी बंद नहीं की गई थी और वर्तमान बाजार दरों पर शेष नहीं निकाले गए थे। इस प्रकार संग्रह के वित्तीय लेखे (फार्म-73) में दर्शाए गए शेष वास्तविक नहीं थे।

(III) काम में न आने योग्य वस्तुओं के संबंध में फार्म-18 में सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जाना चाहिए और निराकरण की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करना चाहिए। तथापि, सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार नहीं किए गए, परिणामस्वरूप काम में न आने योग्य मदों का भारी संचय एवं परिहार्य भंडारण व्यय हुआ।

अधिकतर संभागों में संग्रह रोकने हेतु आरक्षित संग्रह सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।

(IV) मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी की विशिष्ट स्वीकृति के बिना, कोई आरक्षित संग्रह नहीं रखना चाहिए। यह ध्यान में आया कि 1995-96 एवं 1999-2000 के मध्य की अवधि के दौरान 11 संभागों में आरक्षित संग्रह सीमा निधारित नहीं थी किंतु भारी संग्रह शेष रखे गए थे जैसा कि परिशिष्ट-टप्प में दर्शाया गया है।

निम्नलिखित 3 संभागों में निर्दिष्ट किए गए वर्षों में आरक्षित संग्रह सीमा से अधिक भंडार रखे गए थे:-

(लाख रूपये में)

स. क्र.	संभाग	वर्ष	स्वीकृत आरक्षित संग्रह सीमा	रखे गये शेष
1	उज्जैन	1997-1998	82.00	106.44
2	जबलपुर	1999-2000	50.00	120.41
3	सतना	1999-2000	12.00	14.00

46.05 लाख रूपये मूल्य का अधिशेष इस्पात बिना उपयोग के पड़ा था।

(V) 13 संभागों में 46.05 लाख रूपये[32] मूल्य का 328.946 मीट्रिक टन इस्पात पिछले 5 से 10 वर्षों से बिना उपयोग के पड़ा था। अन्य संभागों को स्थानांतरित करने या नीलामी द्वारा या अन्यथा इसका निबटारा करने के लिए, जैसा कि नियमों के अंतर्गत आवश्यक है, मार्च 2000 तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए थे, परिणामस्वरूप, शासकीय धन अवरूद्ध हुआ और इसके अलावा जंग लगने से इस्पात का ह्रास हुआ।

98.28 लाख रूपये मूल्य के खाली ड्रमों का निबटान नहीं किया गया।

(VI) डिब्बे, जैसे कि बिटुमिन, बिटुमिन इमल्शन और कट्बैक बिटुमिन के खाली ड्रम/बैरल उपयोग के बाद समय पर निबटान के लिए तत्परता से भंडार गृह को वापस किए जाने चाहिए जिससे ह्रास टाला जा सके और शीघ्र ही राजस्व अर्जित हो। नमूना जांच किए गए 9 संभागों में 98.28 लाख रूपये मूल्य के 45,358 ड्रमों और 17,641 बैरलों का 5 साल से निपटान नहीं किया गया था।

[32] नरसिंहपुर- 7.50 लाख रूपये, खरगौन- 0.65 लाख रूपये, रायसेन- 1.10 लाख रूपये, इंदौर-प्प- 0.86 लाख रूपये, देवास- 3.40 लाख रूपये, मंदसौर- 1.01 लाख रूपये, शाजापुर- 3.75 लाख रूपये, अलीराजपुर- 1.07 लाख रूपये, शहडोल- 4.51 लाख रूपये, कटनी- 5.13 लाख रूपये, मंदसौर- 2.11 लाख रूपये, सतना- 7.92 लाख रूपये, उज्जैन- 7.04 लाख रूपये।

उप यंत्रियों द्वारा उनके स्थानांतरण आदि के बाद भी 33.74 लाख रूपये मूल्य के औजार एवं संयंत्र वापिस नहीं लौटाए गए।

(VII) 6 संभागों[33] में 33.74 लाख रूपये मूल्य के औजार एवं संयंत्र जो बहुत पहले उप यंत्रियों एवं अन्यों को जारी किए गए थे, संभागों से उनके स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति के बाद भी वापस नहीं किए गए। जारी किए गए औजार एवं संयंत्रों को वापस प्राप्त करने हेतु कोई कदम नहीं उठाए गए। तथापि, कार्यपालन यंत्रियों ने इनके समायोजन/वसूली की कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था।

2.1.11 संग्रह का काल्पनिक समायोजन

आवंटन को व्यपगत होने से बचाने के लिए 37.88 लाख रूपये मूल्य की सामग्री का काल्पनिक समायोजन।

नियमों के अंतर्गत आवंटन व्यपगत होने को टालने के लिए संग्रह का काल्पनिक समायोजन सर्वथा निषिद्ध है। 4 संभागों[34] में 1995-96 से 1999-2000 के वित्तीय वर्षों के अंतिम चरण में 37.88 लाख रूपये मूल्य की सामग्री निर्गम स्वरूप दर्शाई गई थी और बाद के वर्षों में वापस ली गई ताकि आवंटन व्यपगत न हो। यह संग्रह का काल्पनिक समायोजन था।

2.1.12 लंबित वसूलियां

(i) भंडार वस्तुओं से संबंधित वसूलियों का समायोजन नहीं होना

विविध निर्माण अग्रिम एक अस्थायी शीर्ष है जिसका जितनी जल्दी संभव हो निराकरण किया जाना चाहिए। विविध निर्माण अग्रिमों के रजिस्टरों की नमूना जांच से प्रकाश में आया कि 4 संभागों[35] में 1994-95 से 2000-2001 की अवधि के लिए ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/कर्मचारियों के विरूद्ध 38.60 लाख रूपये मार्च 2001 तक वसूली के लिए लंबित थे। इनके समायोजन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

(ii) ठेकेदारों से वसूलियां

अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्माण कार्य की प्रगति के साथ ठेकेदारों को सामग्री प्रदाय का नियमन किया जाना चाहिए था। तथापि, 1990-91 से 1999-2000 के दौरान 3 संभागों[36] में ठेकेदारों को 28.70 लाख रूपये मूल्य की आवश्यकता से अधिक सामग्री जारी की गई थी। न तो सामग्री भंडार में वापस ली गई थी और न ही वसूली प्रभावित/समायोजित की गई थी।

प्रकरण शासन को अर्धशासकीय रूप से अगस्त 2001 में सूचित किया गया था, उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2001)।

33 रायसेन- 0.92 लाख रूपये, नरसिंहपुर- 6.96 लाख रूपये, कटनी- 14.69 लाख रूपये, शहडोल- 8.45 लाख रूपये, जबलपुर- 2.19 लाख रूपये एवं शाजापुर- 0.53 लाख रूपये।

34 कटनी- 15.84 लाख रूपये, उज्जैन- 5.57 लाख रूपये, शाजापुर- 6.02 लाख रूपये एवं खंडवा- 3.32 लाख रूपये।

35 शाजापुर- 3.40 लाख रूपये, उज्जैन- 10.72 लाख रूपये, सतना- 13.04 लाख रूपये एवं कटनी- 11.44 लाख रूपये।

36 शहडोल- 19.72 लाख रूपये, नरसिंहपुर- 1.46 लाख रूपये एवं शाजापुर- 7.52 लाख रूपये।

भाग-ख

2.2 रीवा में 800 बिस्तरों वाले संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय का निर्माण

रीवा में 800 बिस्तरों वाले संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय परियोजना के लिए मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अप्रैल 1984 में प्रदान की गई 11.69 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति अक्टूबर 1997 में 52.22 करोड़ रूपये के लिए पुनरीक्षित हुई एवं पुनः मई 2000 में 60.97 करोड़ रूपये के लिए पुनरीक्षित की गई। परियोजना फरवरी 1990 तक पूर्ण की जानी थी। तथापि, परियोजना से संबंधित 14 में से केवल 9 अवयवों के लिए मात्र 16.67 करोड़ रूपये की तकनीकी स्वीकृतियां नवंबर 1985 और मार्च 2000 के मध्य जारी की गई थीं। मुख्य भवन का 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण करने में मार्च 2001 तक परियोजना पर 55.58 करोड़ रूपये व्यय हो चुके थे।

लेखापरीक्षा जांच(मार्च-अप्रैल 2001) में निम्न बिंदु प्रकट हुए:-

2.2.1 दोषी ठेकेदार से अतिरिक्त लागत की वसूली न होना

एक दोषी ठेकेदार से 2.35 करोड़ रूपये की अतिरिक्त लागत एवं गतिशीलन अग्रिम और प्रतिभूत अग्रिम के 48.23 लाख रूपये वसूल नहीं किए गए।

चिकित्सालय के मुख्य भवन का निर्माण 7.04 करोड़ रूपये की लागत पर 36 माह में पूर्ण करने हेतु एक ठेकेदार 'ई' को फरवरी 1987 में सौंपा गया था। 'ई' कार्य प्रारंभ नहीं कर सका क्योंकि विभाग अतिक्रमणमुक्त कार्यस्थल सौंपने में विफल रहा। कार्य पुरोबंध किया गया था (जुलाई 1988) एवं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 'ई' को 22 लाख रूपये का मुआवजा दिलवाया (अप्रैल 1997)। ठेकेदार 'एफ' को 7.41 करोड़ रूपये पर (दर अनुसूची से कुल मिलाकर 20.33 प्रतिशत अधिक पर) पुनः (मार्च 1989) दिया गया कार्य केवल 42.48 लाख रूपये मूल्य का निष्पादित किए जाने की धीमी प्रगति के कारण, मार्च 1992 में वापस ले लिया गया था। 6.98 करोड़ रूपये मूल्य का शेष कार्य, 'एफ' की जोखिम एवं लागत पर, 30 माहों में पूर्ण करने हेतु 'पी' को 11.65 करोड़ रूपये में दिया गया (अक्टूबर 1994)। 'पी' द्वारा 'एफ' की दरों की अपेक्षा 40.54 प्रतिशत उंची दरों पर शेष कार्य निष्पादित किया गया, परिणामस्वरूप 2.35 करोड़ रूपये की अतिरिक्त लागत आई। गतिशीलन अग्रिम एवं उस पर ब्याज के साथ-साथ मशीनरी अग्रिम के कुल मिलाकर 48.23 लाख रूपये भी 'एफ' से वसूली योग्य थे। बकाया के समायोजन के लिए संभाग के पास ठेकेदार के लंबित अंतिम देयक एवं सुरक्षा जमा के रूप में मात्र 11.80 लाख रूपये ही उपलब्ध थे। 2.71 करोड़ रूपये वसूली के बिना अभी तक शेष पड़े थे जिसके लिए विभाग द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई।

यह इंगित किए जाने पर, कार्यपालन यंत्री ने उत्तर दिया (अप्रैल 2001) कि अतिरिक्त लागत जमा करने के लिए जनवरी 1995 में ठेकेदार को नोटिस दिया गया था। उत्तर, 8 वर्षों से अधिक समय से लंबित वसूली प्रभावित करने में विभाग की समग्र उदासीनता दर्शाता था क्योंकि ठेकेदार को जारी किए गए पत्र

अवितरित ही वापस आ गए थे तथा जैसी कि नियमों में व्यवस्था है, भू-राजस्व के रूप में बकाया की वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।

2.2.2 महंगी विशिष्टियां अपनाने से अतिरिक्त लागत

फर्श निर्माण के अनियोजित निष्पादन एवं संगमरमर के फर्श के लिए असामान्य दरों से भुगतान के परिणामस्वरूप 1.95 करोड़ रूपये की अतिरिक्त लागत आई

अनुबंध में संलग्न मात्राओं की अनुसूची में अन्य बातों के साथ-साथ 275 रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान योग्य, 44,500 वर्ग मीटर में कोटा स्टोन का फर्श एवं 450 रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान योग्य 749 वर्ग मीटर में संगमरमर के फर्श का कार्य सम्मिलित था। ठेकेदार 'पी' के द्वारा 7.13 लाख रूपये की लागत पर 2,591.964 वर्ग मीटर कोटा स्टोन फर्श निष्पादित करने के बाद, तत्कालीन मुख्य अभियंता ने शासन को प्रस्तावित किया (जनवरी 1999) कि कोटा स्टोन फर्श संगमरमर फर्श से प्रतिस्थापित किया जाए। यद्यपि, शासन ने कोई स्वीकृति नहीं दी थी (अप्रैल 2001), ठेकेदार ने 35,222.844 वर्ग मीटर संगमरमर का फर्श निष्पादित कर दिया जिसके लिए अधीक्षण यंत्री ने उपयोगकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त किए बिना ही 980 रूपये प्रति वर्ग मीटर की अतिरिक्त मद दर स्वीकृत कर दी थी (मार्च 1999)। ठेकेदार को 830 रूपये प्रति वर्ग मीटर की अस्थायी दर से 2.92 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया। मुख्य अभियंता के पद पर आसीन नए पदाधिकारी ने परियोजना के निरीक्षण (फरवरी 1999) के बाद शासन से सिफारिश की (मार्च 1999) कि शेष बचे क्षेत्र में कोटा स्टोन फर्श की मूल मद ही कराई जाये क्योंकि संगमरमर का फर्श तकनीकी रूप से उपयुक्त नहीं था। इस प्रकार संगमरमर के फर्श पर 1.95 करोड़ रूपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय किया गया।

यह इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्री ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि वास्तुविद् द्वारा दिए गए सुझावों तथा लोक निर्माण सचिव के मौखिक अनुदेशों के अनुसार संगमरमर के फर्श के कार्य का निष्पादन किया गया था।

2.2.3 विद्युत एवं यांत्रिकी कार्यों का भाग

प्रमुख अभियंता के अनुदेशों की अनदेखी कर, डीज़ल जनरेटिंग सेट्स मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से क्रय न किए जाने से 20.61 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय

मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियमों में प्रावधानित है कि डीज़ल जनरेटिंग सेट्स को सम्मिलित कर कुछ विशिष्ट मदें केवल मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से ही क्रय की जाएं न कि खुली निविदाओं के माध्यम से। तथापि, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (विद्युत/यांत्रिकी) संभाग रीवा ने 2 डीज़ल जनरेटिंग सेट्स की आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण एवं चालू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित कीं (अक्टूबर 1998 एवं जनवरी 1999)।

सितंबर 1998 से प्रभावी, वर्ष 1998-99 के लिए मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम की चालू दर संविदा के अनुसार, 500 के.व्ही.ए. मानक डीज़ल जनरेटिंग सेट्स की आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण एवं चालू करने का प्रति इकाई मूल्य 32,13,400 रूपये प्रति सेट था। ठेकेदार 'डी' की 39,00,400 रूपये प्रति

सेट की न्यूनतम निविदत्त दर अत्यधिक उच्च थी। प्रमुख अभियंता ने कार्यपालन यंत्री को निविदाएं निरस्त करने एवं मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को 3 डीज़ल जनरेटिंग सेट्स (21 अतिरिक्त) की आपूर्ति हेतु मांगपत्र भेजने के लिए निर्देशित किया (नवंबर 1998)।

तथापि, यह देखा गया कि नियमों एवं प्रमुख अभियंता के निर्देशों का उल्लंघन कर, कार्यपालन यंत्री ने 3 डीज़ल जनरेटिंग सेट्स खुली निविदाओं के माध्यम से क्रय किए, जिसके परिणामस्वरूप 20.61 लाख रूपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

यह इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्री ने बताया कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) द्वारा वित्तपोषित परियोजना उनकी शर्तों के अनुसार निष्पादित की जानी थी, तदनुसार कार्य केवल उन्हीं ठेकेदारों को दिया जाना था जो निविदा मूल्य (प्राइस-बिड) प्रस्तुत करने से पहले पूर्व अर्हता प्राप्त थे। उन्होंने आगे भी बताया कि मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम एक आपूर्ति एजेंसी है जबकि कार्य पूर्ण मद के लिए किया जाना था। उत्तर सही नहीं था क्योंकि मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम की अनुमोदित दरों में आपूर्ति एवं संस्थापन सम्मिलित था। नियमानुसार सभी आरक्षित मदें केवल मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम से ही क्रय की जानी थीं।

प्रकरण शासन को अर्धशासकीय रूप से जून 2001 में सूचित किया गया था, उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2001)।

2.3 उच्च दरों पर निविदा की स्वीकृति से अतिरिक्त लागत

समीपस्थ स्थान पर समान कार्य के लिए एक ही दिन प्राप्त निविदा की अपेक्षा 23.65 प्रतिशत महंगी निविदा की अविवेकपूर्ण स्वीकृति से 82.46 लाख रूपये की अतिरिक्त लागत

800 बिस्तरों वाले संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय, रीवा के कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों के निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ), संभाग क्रमांक 2, रीवा द्वारा फार्म 'बी' में दो समूहों में आयठम रेट निविदाएं आमंत्रित की गईं थीं (मई 1999)। कार्य की अनुमानित लागत समूह-I के लिए 3.88 करोड़ रूपये एवं समूह-II के लिए 4.44 करोड़ रूपये थी। निविदाकार 'ए' द्वारा समूह-I हेतु उद्धृत 5.91 करोड़ रूपये तथा निविदाकार 'जे' द्वारा समूह-II के लिए उद्धृत 5.25 करोड़ रूपये की न्यूनतम निविदाएं अक्टूबर 1992 से प्रभावशील मुख्य अभियंता, मध्य परिक्षेत्र, जबलपुर की दरों की अनुसूची से क्रमशः 52.29 प्रतिशत और 18.13 प्रतिशत अधिक थीं। चूंकि दोनों समूहों में कार्य की मदें एक समान थीं एवं कार्यक्षेत्र समीप थे, समूह-I एव समूह-II के लिए कुल मिलाकर निविदा में भिन्नता प्रथम दृष्टया असामान्य थी।

दरों की अनुसूची से 18.13 प्रतिशत अधिक पर समूह-II के लिए 5.25 करोड़ रूपये की निविदा शासन द्वारा स्वीकृत की गई थी (जून 1999) एवं जुलाई 1999 में कार्यादेश जारी किया गया था। 'जे' ने 3.64 करोड़ रूपये मूल्य का कार्य निष्पादित कर दिया था (जून 2000) और शेष कार्य प्रगति पर था।

समूह-I हेतु न्यूनतम निविदाकार 'ए' के साथ समझौता वार्ता के लिए शासन ने अपना अनुमोदन सूचित किया (जुलाई 1999)। अंततः शासन द्वारा 5.50 करोड़ रुपये की समझौताकृत राशि (जो दरों की अनुसूची से 41.78 प्रतिशत अधिक संगणित होती थी) अंततः स्वीकृत कर दी गई (जुलाई 1999)।

समूह-I हेतु 41.78 प्रतिशत की असामान्य उच्च दर की निविदा की स्वीकृति के परिणामस्वरूप, समूह-I के ठेकेदार को वास्तविक रूप से हुए भुगतान (जनवरी 2001) के आधार पर 82.46 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई।

इंगित किए जाने पर, कार्यपालन यंत्री ने बताया कि केवल दर अनुसूची से अधिक या कम प्रतिशतता की गणना द्वारा आयटम रेट निविदा का औचित्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे बताया कि समूह-II की निविदा (दरों की अनुसूची से 18.13 प्रतिशत अधिक) 'फ्रंट लोडेड'[37] थी, अन्यथा दरें कार्य योग्य नहीं थीं।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि आयटम रेट निविदाओं का मूल्यांकन अंततः दर अनुसूची से अधिक या कम सकल प्रतिशतता के आधार पर ही किया जाता है। वास्तविक रूप से समूह-I हेतु अधीक्षण यंत्री और मुख्य अभियंता की सिफारिशें तथा शासन द्वारा स्वीकृति भी निविदा के दरों की अनुसूची से कुल मिलाकर 41.78 प्रतिशत अधिक होने के आधार पर ही थीं। इसके अलावा समूह-II के संबंध में ठेकेदार ने 5.25 करोड़ रुपये की संविदा राशि के सम्मुख 3.64 करोड़ रुपये का कार्य निष्पादित किया था (जून 2000) जो सिद्ध करता है कि 18.13 प्रतिशत अधिक की दर कार्य योग्य थी।

प्रकरण शासन को अर्धशासकीय रूप से जून 2001 में सूचित किया गया था, उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2001)।

2.4 ठेकेदार से सामग्री के मूल्य की वसूली न होना

ठेकेदार को प्रदाय की गई एवं बिना उपयोग के पड़ी रही सामग्री की वसूली न होने से 24.02 लाख रुपये की हानि

राष्ट्रीय राजमार्ग-7 (पैकेज-1) के 0 से 7767 मीटर पर जबलपुर बायपास के निर्माण का कार्य, 4.04 करोड़ रुपये में मई 1996 तक पूर्ण करने के लिए कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग) संभाग, जबलपुर द्वारा आयटम रेट निविदा पर अनुबंध क्र. 2/डी.एल.93-94 के अंतर्गत एक ठेकेदार को दिया गया था (मई 1993)। चूंकि बढ़ाई गई समयावधि (दिसंबर 1999) तक भी ठेकेदार कार्य पूर्ण नहीं कर सका, कार्यपालन यंत्री द्वारा विकलनीय धारा के अंतर्गत ठेका विखंडित कर दिया गया (दिसंबर 1999)। अपूर्ण कार्य के लिए 6.12 करोड़ रुपये के देयक का भुगतान कर दिया गया (जून 1999)।

लेखापरीक्षा (मई 2000) छानबीन से प्रकट हुआ कि जनवरी 1995 से अप्रैल 1999 की अवधि में ठेकेदार को 909.501 मीट्रिक टन डामर एवं 3.6 मीट्रिक

[37] 'फ्रंट लोडेड' एक पारिभाषिक शब्द है जो उन निविदाओं के संबंध में उपयोग किया जाता है जिनमें आरंभ में निष्पादित की जाने वाली मदों के संबंध में उच्च दरें हों।

टन केटोनिक इमल्शन प्रदाय किया गया था जिसके विरूद्ध 675.243 मीट्रिक टन डामर, कार्य पर उपयोग किया गया। 24.02 लाख रूपये मूल्य का 234.258 मीट्रिक टन डामर और 3.6 मीट्रिक टन इमल्शन ठेकेदार के पास बिना उपयोग के पड़ा था। अनुबंध की शर्तों के अनुसार सामग्री अथवा उसका मूल्य ठेकेदार से वसूली योग्य था।

तथापि, कार्यपालन यंत्री उपयोग न की गई सामग्री की वापसी के लिए एक नोटिस जारी करने (सितंबर 1999) के अतिरिक्त, ठेकेदार के विरूद्ध वसूली हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने में विफल रहे। ठेकेदार से न तो सामग्री और न ही उसके द्वारा कार्य पर अभिनियोजित 51.68 लाख रूपये मूल्य की मशीनरी अधिकार में ली गई थी।

यह इंगित किए जाने पर, कार्यपालन यंत्री ने बताया (मई 2001) कि उपयोग न की गई सामग्री की वसूली माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत अधीक्षण यंत्री द्वारा अन्वेषणाधीन थी, तथा अन्वेषण पूरा होने के बाद अंतिम कार्यवाही की जाएगी। उत्तर प्रासंगिक नहीं है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश इस प्रकरण से संबंधित नहीं हैं।

प्रकरण शासन को अर्धशासकीय रूप से सूचित किया गया (जून 2001), उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2001)।

2.5 बिल्ड ऑपरेट एवं ट्रांसफर योजना के अंतर्गत ठेकेदारों को अदेय लाभ

पथकर बोलियों (टोल टेक्स बिड्स) के मूल्यांकन में गलत यातायात गणना एवं पथ कर दरों के गलत उपयोग के परिणामस्वरूप उपयोगकर्ता जनता की लागत पर ठेकेदारों को 2.78 करोड़ रूपये का अदेय लाभ हुआ।

बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर योजना के अंतर्गत ''चंबल नदी पर किलोमीटर 40/2, 46/8, 48/4 एवं 52/4 पर 4 मध्यम पुलों के निर्माण सहित, 37/4 किलोमीटर में चंबल सेतु की उप संरचना (सुपर स्ट्रक्चर) के प्रतिस्थापन (अनुमानित लागत 152 लाख रूपये)'' तथा इंदौर खण्डवा मार्ग पर 72/6-8 किलोमीटर में बाँकुर सेतु के निर्माण (अनुमानित लागत 48.10 लाख रूपये) के लिए विभाग ने प्रस्ताव आमंत्रित किए थे (अप्रैल 1994 और अप्रैल 1995)। निविदा की शर्तों के अनुसार अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व, निविदाकार को यातायात के घनत्व का अपने तौर पर आकलन कर लेना आवश्यक था। निविदाकार को अनुमानित पथकर संग्रह के आकलन में सहायता के लिए निविदा आमंत्रण सूचना के साथ यातायात गणना के विभागीय आंकड़े भी संलग्न किए गए थे। ठेकेदारों द्वारा उनके पूंजी निवेश और उस पर ब्याज के बदले, पथकर संग्रह करने के दिनों की संख्या के रूप में प्रस्ताव दिए जाने थे। जनवरी 1995 एवं जनवरी 1996 में ठेकेदारों 'ए' तथा 'बी' के क्रमशः 604 और 598 दिनों के न्यूनतम प्रस्ताव शासन द्वारा स्वीकृत किए गए थे। जनवरी 1995 और जनवरी 1996 में क्रमशः 18 और 20 माहों में पूर्ण करने के लिए निर्माण कार्य सौंपे गए। लेखापरीक्षा छानबीन में निम्न बिंदु सामने आएः-

(i) यातायात गणना में योग की त्रुटि के कारण बिड (बोली) राशि का कम मूल्यांकन

अपसाइड पर 7 यातायात दिनों (30 मई 93 से 5 जून 93) की यातायात गणना में, ठेकेदार द्वारा त्रुटिपूर्ण ढंग से 2614 ट्रकों के सही आंकड़े के विरूद्ध केवल 1624 ट्रकों की गणना की गई थी। योग करने में त्रुटि के परिणामस्वरूप निविदाओं के मूल्यांकन हेतु पथकर की अनुमानित प्राप्तियों का कम मूल्यांकन हुआ और ठेकेदार को 39.77 लाख रूपये का अदेय लाभ अर्जित करने की अनुमति मिल गई । ठेके की अवधि के दौरान, वास्तविक रूप से एकत्र किए गए पथकर के आधार पर ठेकेदार को अदेय लाभ 1.64 करोड़ रूपए संगणित होता है (जैसा कि परिशिष्ट-VIII(I) में दर्शाया गया है)।

(ii) पथकर की गलत दरों की प्रयुक्ति के कारण 'बिड' राशि का कम मूल्यांकन

चंबल सेतु पर 35 रूपये प्रति ट्रक एवं 50 रूपये प्रति 'मल्टी एक्सल ट्रेलर' की सही दर के विरूद्ध ठेकेदार द्वारा कमशः 25 रूपये एवं 30 रूपये की गलत पथकर दरों का उपयोग कर पथकर वसूली से कुल आय की गणना की गई थी। ठेके की अवधि के दौरान वास्तविक रूप से एकत्र किए गए पथकर के आधार पर ठेकेदार को अदेय लाभ, 1.14 करोड़ रूपये संगणित होता है जैसा कि परिशिष्ट VIII;(ii) में दर्शित है ।

यह इंगित किए जाने पर (जनवरी 1999) कार्यपालन यंत्री ने बताया कि पथकर वसूली के लिए दिनों के रूप में न्यूनतम स्पर्धात्मक प्रस्ताव के आधार पर निविदाएं स्वीकृत की गई थीं न कि यातायात घनत्व के संदर्भ में मूल्यांकन के आधार पर। उत्तर निर्दिष्ट करता है कि पथकर संग्रह अनुमान के लिए उपयोग किए गए आंकड़ों/दरों की शुद्धता सत्यापित करने में विभाग विफल रहा था। इससे आगे, विभाग को पथकर संग्रह के दिनों की संख्या कम कराने के लिए समझौतावार्ता करनी चाहिए थी अथवा पुनः निविदा मांगनी चाहिए थी।

प्रकरण शासन को अर्धशासकीय रूप से सूचित किया गया था (जून 2001), उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2001)।

2.6 भोपाल में न्यायिक अकादमी में आवासों के निर्माण पर अधिक भुगतान

असाधारण उच्च दरों पर अतिरिक्त मदों की स्वीकृति से ठेकेदार को 57.26 लाख रूपये का अधिक भुगतान

98.50 लाख रूपये की संभाव्य संविदा राशि से न्यायिक अकादमी का निर्माण, प्रतिशत दर संविदा पर (दर अनुसूची- जून 1992) से 21.34 प्रतिशत कम दर से 15 माह में पूरा किए जाने के लिए एक ठेकेदार को सौंपा गया था (फरवरी 1995)। 17 मई 1998 तक समयवृद्धि अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग मंडल, भोपाल द्वारा स्वीकृत की गई (मार्च 1998)। अनुबंध के अनुसार कार्य की 69 मूल मदों एवं 15 अतिरिक्त मदों का भुगतान सम्मिलित करते हुए ठेकेदार को 1.98 करोड़ रूपये का 19 वें चल देयक का भुगतान मार्च 2001 में किया गया था। कार्य अभी तक अपूर्ण है।

अनुबंध में उपबंधित था कि परिवर्तित, अतिरिक्त या प्रतिस्थापित कार्य की मदें जिनके लिए ठेके में दरें निर्दिष्ट नही हैं, उन्हें दर अनुसूची की दर के साथ, स्वीकृत निविदा की प्रतिशतता जोड़कर अथवा घटाकर निष्पादित कराया जाएगा। यदि ऐसे कार्य हेतु दरें, दर अनुसूची में निर्दिष्ट न हों तो उन्हें समान प्रकार के कार्यों की दरों से संगणित कर अधीक्षण यंत्री द्वारा निर्धारित किया जाएगा। छानबीन में निम्न बिंदु प्रकट हुए:-

(क) अनुबंध में कार्य की निम्नलिखित मदें सम्मिलित थीं, (I) कड़ी चट्टान में उत्खनन, जहाँ विस्फोट वर्जित था, (II) ठंडे इस्पात से बनी खिड़कियों की चौखटों का प्रदाय एवं (III) दो मंजिल स्तर तक सेन्ट्रिंग और शटरिंग। इन मदों के लिए दर अनुसूची की दरें क्रमशः 108 रूपये प्रति घनमीटर, 1,630 रूपये प्रति वर्गमीटर एवं 86 रूपये प्रति वर्गमीटर थीं। इस प्रकार ठेकेदार को इन मदों के लिए दर अनुसूची की दरों से 21.34 प्रतिशत की निविदा प्रतिशतता घटा कर भुगतान होना था।

अनुबंध के प्रावधानों का उल्लंघन कर अधीक्षण यंत्री ने कार्यों की उपरोक्त मदों को गैर-अनुसूची अतिरिक्त मदें मानते हुए क्रमशः 308 रूपये प्रति घनमीटर, 4,815 रूपये प्रति वर्गमीटर तथा 254 रूपये प्रति वर्गमीटर की अति उच्च दरें स्वीकृत कीं (जून 1999)। परिणामस्वरूप ठेकेदार को 39.55 लाख रूपये का अधिक भुगतान हुआ।

(ख) अनुबंध में, 1,150 रूपये प्रति घनमीटर की दर से '20 मिलीमीटर गिट्टी' के साथ प्रबलित सीमेंट कंक्रीट 'आर.सी.सी. एम-15' (सीमेंट कंक्रीट 1:2:4) तथा 140 रूपये प्रति घनमीटर की दर से रेत या पत्थर की धूल प्रदाय करने और फर्श के नीचे भरने' के कार्य सम्मिलित थे। इन्हें क्रमशः '12.5 मिलीमीटर गिट्टी के साथ आर.सी.सी. एम-15' तथा 'फर्श के नीचे कड़ी मुरम का भराव' द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इन मदों की दरें क्रमशः 1,170 रूपये प्रति घनमीटर[38] और 129.35 रूपये प्रति घनमीटर[39] की गई थी ।

तथापि, अधीक्षण यंत्री ने 1,732 रूपये प्रति घनमीटर और 154 रूपये प्रति घनमीटर की अधिक ऊंची दरें स्वीकृत कीं (जून 1999), परिणामस्वरूप ठेकेदार को 9.76 लाख रूपये का अधिक भुगतान हुआ।

(ग) अनुबंध में 'वाटर प्रूफिंग कंपाउंड के साथ 13 मिलीमीटर सीमेंट प्लास्टर' की एक मद सम्मिलित थी जिसे '13 मिलीमीटर मोटे सैंड फेस्ड प्लास्टर का प्रदाय' से बदला गया था, जिसके लिए निविदा बुलाते समय अनुबंध में अथवा दर अनुसूची में कोई दरें निर्दिष्ट नहीं थीं।

अधीक्षण यंत्री ने सैंड फेस्ड प्लास्टर की मद के लिए 161.70 रूपये प्रति वर्गमीटर की दर स्वीकृत की थी (जून 1999)। यह मद 78 रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से दर अनुसूची में सम्मिलित की गई थी (नवंबर 1999)। इस प्रकार अधीक्षण यंत्री द्वारा स्वीकृत की गई दरें उच्चतर थीं तथा अधीक्षण यंत्री

[38] 1150 रूपए प्रति घनमीटर की अनुबंधित दर + 20 मीलीमीटर गिट्टी एवं 12.5 मिलीमीटर गिट्टी के मूल्य में 20 रूपए प्रति घनमीटर का अंतर

[39] 140 रूपए की अनुबंधित दर (-) स्टोन डस्ट एवं कड़ी मुरम की ढुलाई में 10.65 रूपए प्रति घनमीटर का अंतर

उचित बाजार दरों के सही आकलन में विफल रहे। परिणामस्वरूप 7.95 लाख रूपये का अधिक भुगतान हुआ।

इस प्रकार अधीक्षण यंत्री द्वारा असाधारण रूप से उच्च दरें स्वीकृत करने से ठेकेदार को कुल 57.26 लाख रूपये का अधिक भुगतान हुआ।

इसे इंगित किए जाने पर (जून 2001), कार्यपालन यंत्री ने बताया कि बाजार दरों के आकलन के बाद अधीक्षण यंत्री द्वारा ये दरें स्वीकृत की गई थीं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि (क) पर उल्लिखित मद हेतु अनुबंध के अनुसार दर अनुसूची दरों से निविदा प्रतिशतता घटाकर निकाली गई दरों से भुगतान होना था तथा (ख) के अंतर्गत चर्चा की गई मद हेतु दरें उचित रूप से विश्लेषित नहीं की गई थीं।

प्रकरण शासन को अर्धशासकीय रूप से सूचित किया गया था (जुलाई 2001), उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2001)।

2.7 इंदौर-सांवेर-उज्जैन मार्ग के सुदृढ़ीकरण पर परिहार्य व्यय

विभिन्न किलोमीटरों में इंदौर-सांवेर-उज्जैन मार्ग के सुदृढ़ीकरण पर 27.18 लाख रूपये का परिहार्य व्यय तथा 35.46 लाख रूपये का अवमानक कार्य

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग-2, इंदौर ने इंदौर-सांवेर-उज्जैन मार्ग के किलोमीटर 33 एवं 35 के संधारण और सुदृढ़ीकरण हेतु 23.02 लाख रूपये का प्राक्कलन स्वीकृत किया था (मई 1999)। इसी प्रकार अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग, इंदौर मंडल ने इसी मार्ग के किलोमीटर 5 और 6 में संधारण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 31.29 लाख रूपये का एक प्राक्कलन मुख्य अभियंता, पश्चिम परिक्षेत्र, भोपाल को प्रस्तुत किया था (जनवरी 1999)। यद्यपि मुख्य अभियंता द्वारा कार्य स्वीकृत नहीं किया गया था इसके बावजूद भी कार्य 1999-2000 के अनुबंध क्रमांक 7 और 11 के अंतर्गत ठेकेदार 'ए' को दिया गया था (अप्रैल 1999 और मई 1999)। जुलाई 1999 और जून 2000 में 'ए' को 35.46 लाख रूपये तथा 12.08 लाख रूपये की राशि भुगतान की गई। इस प्रकार जुलाई 1999 एवं जून 2000 के मध्य, सड़क पर संधारण (20.36 लाख रूपये) और सुदृढ़ीकरण (27.18 लाख रूपये) पर 47.54 लाख रूपये का व्यय किया गया।

(क) छानबीन से प्रकट हुआ (जनवरी 2001) कि 'ए' को सड़क के सुदृढ़ीकरण का कार्य सौंपने से पूर्व, इंदौर-सांवेर-उज्जैन सड़क के किलोमीटर 3/4 से किलोमीटर 54.5 के संधारण के लिए 'बिल्ड आपरेट एंड ट्रांसफर' योजना के अंतर्गत अप्रैल 1999 में निविदाएं बुलाई गई थीं। शासन द्वारा 'बी' की निविदा स्वीकृत की गई थी (दिसंबर 1999)।

'बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर' के अंतर्गत 'बी' को प्रारंभिक छः माह की अवधि के दौरान पूरी सड़क पर 'पैच रिपेयर्स', सड़क की 5 किलोमीटर लंबाई में 'प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स' के साथ बी.टी. नवीकरण एवं किलोमीटर 5 में कंक्रीट रोड का

निर्माण करना आवश्यक था। आगामी छः माह में किलोमीटर 6 में भी कंक्रीट का फर्श निर्माण किया जाना था।

'बी' को उसके प्रस्ताव (मई 1999) में ज्ञात था कि सड़क लंबाई का संधारण और नवीकरण उसे अपने व्यय से करना था। इस प्रकार सड़क 'बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर' के अंतर्गत स्थानांतरण तक केवल 20.36 लाख रूपये के व्यय से संधारित की जा सकती थी तथा सड़क के सुदृढ़ीकरण पर 27.18 लाख रूपये (47.54 लाख (-) 20.36 लाख रू.) का व्यय टाला जा सकता था।

यह इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्री ने बताया (जनवरी 2001) कि बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर के अंतर्गत निविदाएं अप्रैल 1999 में आमंत्रित की गई थीं इसलिए बीच में आने वाली अवधि के दौरान सड़क को यातायात के लिए उपयोगी स्थिति में रखना आवश्यक था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर के अंतर्गत 'बी' की निविदा अप्रैल 1999 में सड़क की तत्कालीन दशा पर आधारित थी, सुदृढ़ीकरण पर अतिरिक्त व्यय किए बिना सड़क अच्छी स्थिति में संधारित की जा सकती थी।

(ख) कार्य पूर्ण हो गया था (जून 1999) एवं मुख्य तकनीकी परीक्षक ने अवलोकन किया (जुलाई 1999) कि सड़क के किलोमीटर 5 और 6 पर कार्य क्षतिग्रस्त था। डामरीकृत सतह दरारें दर्शा रही थी एवं डामरीकृत सतह में पानी बैठ रहा था। सड़क सतह का कैंबर भी संधारित नहीं था जो इस तथ्य को दर्शा रहा था कि सीलिंग उचित रूप से नहीं की गई थी। इस प्रकार 35.46 लाख रूपये मूल्य का सुदृढ़ीकरण का कार्य अवमानक था।

प्रकरण अर्धशासकीय रूप से शासन को सूचित किया गया (जुलाई 2001), उत्तर सितंबर 2001 तक अपेक्षित था ।

2.8 ठेकेदार के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही करने में विफलता से शासन को हानि

16.60 किलोमीटर सड़क के संधारण और नवीनीकरण को प्रारंभ करने और 20.60 लाख रूपये की ब्याज सहित त्रैमासिक किश्त जमा करने में एक बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर ठेकेदार की विफलता के परिणामस्वरूप पथकर देने वाली जनता को 1.42 करोड़ रूपये की हानि हुई।

विद्यमान भोपाल-देवास राजमार्ग क्रमांक 18 के किलोमीटर 10/6 से किलोमीटर 153/10 का संधारण एक निवेशक को 3 फरवरी 1997 से 3 वर्ष 7 माह की अवधि के लिए 4 मई 1997 से 3 मई 2000 तक 3 वर्षों के लिए पथकर वसूली के अधिकार के साथ बिल्ड, आपरेट एंड ट्रांसफर योजना के अंतर्गत सौंपा गया था। कार्य 2 सितंबर, 2000 तक पूर्ण होना था।

अनुबंध के दायरे में ठेकेदार द्वारा प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 12 मीटर चौड़ी सड़क की कुल लंबाई के पांचवें भाग के समतुल्य लंबाई में नवीकरण किया जाना सम्मिलित था। 50 मिलीमीटर मोटी बिटुमिनस मेकेडम, प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स

एवं मिक्स सील सरफेसिंग से नवीकरण कार्य और भूतल परिवहन मंत्रालय की विशिष्टियों के अनुसार सड़क का संधारण उसे अपनी पूंजी से करना था जिसके बदले ठेकेदार को 4 मई, 1997 से 3 वर्षों तक पथकर वसूल करना था एवं निर्धारित सूची के अनुसार 12 समान त्रैमासिक किस्तों में शासन को कुल 4.46 करोड़ रूपये का भुगतान करना था।

संविदा की शर्तों के अनुसार यदि किस्त का भुगतान नियत तिथि पर न किया गया तो ठेकेदार की 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देने की जवाबदारी होगी। सड़क का नवीकरण और संधारण, अनुबंध में निर्दिष्ट समय सूची के अनुसार करना था यदि किसी प्रकरण में निष्पादन में चूक होगी तो ठेकेदार पर दांडिक कार्यवाही होगी। विभाग द्वारा लिखित नोटिस के बाद भी कार्य पूरा करने में विफल रहने से सुरक्षा जमा एवं पथकर वसूली के अधिकार राजसात् करना आवश्यक था। ठेकेदार द्वारा ठेका भंग करने पर ठेका विखंडित किया जाना था। विभाग के पास ठेकेदार की जोखिम एवं लागत पर अन्य एजेंसी नियुक्त कर शेष कार्य कराने के अधिकार सुरक्षित थे।

अभिलेखों की छानबीन से प्रकट हुआ कि यद्यपि ठेकेदार को प्रतिवर्ष सड़क के 29 किलोमीटर नवीकृत करने थे, उसने 1997-98 में केवल 22.40 किलोमीटर तथा 1998-99 में 29 किलोमीटर पर नवीकरण किया था। इस प्रकार 6.60 किलोमीटर का नवीकरण 1999-2000 में निष्पादन हेतु अग्रेषित किया गया था। ठेकेदार को शेष कार्य पूर्ण करने के लिए मई 2000 तक आठ नोटिस दिए गए थे। इसके अलावा कार्यपालन यंत्री ने ठेकेदार की जोखिम और लागत पर शेष कार्य पूर्ण करना भी प्रस्तावित किया था (अक्टूबर 1999)। ततपश्चात् मुख्य अभियंता ने संविदा की वैधता के दौरान संविदा समाप्त किए बिना पथकर वसूली के अधिकार वापस ले लिए थे (जून 2000)।

संविदा की वैधता (सितंबर 2000) के दौरान एवं पथकर वसूली के अधिकार वापस लिए जाने के बाद ठेकेदार ने अप्रैल और अगस्त 2000 के मध्य केवल 19 किलोमीटर सड़क नवीकृत की थी। 16.60 किलोमीटर के नवीकरण के साथ संधारण कार्य, जिनकी लागत 1.51 करोड़ रूपये थी, अपूर्ण छोड़ दिए गए। ठेकेदार जून 2000 को समाप्त तिमाही के लिए 3.40 लाख रूपये के ब्याज के साथ किस्त के अंश के 17.20 लाख रूपये जमा करने में भी असफल रहा था। इस प्रकार ठेकेदार से 1.71 करोड़ रूपये की राशि वसूली योग्य थी।

ठेकेदार ने शेष कार्य पूर्ण करने के लिए दिसंबर 2000 तक समय बढ़ाने का निवेदन किया था (अगस्त 2000) जिसे कार्यपालन यंत्री द्वारा निरस्त कर दिया था (सितंबर 2000)।

1.71 करोड़ रूपये की वसूली योग्य राशि के विरूद्ध विभाग के पास केवल 29.05 लाख रूपये उपलब्ध थे। इस प्रकार ठेकेदार के विरूद्ध दांडिक धारा के अंतर्गत समय पर कार्रवाई करने एवं ठेकेदार की जोखिम एवं लागत पर ठेका विखंडित करने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप 1.42 करोड़ रूपये की हानि हुई। मई 2001 तक इसकी वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

प्रकरण शासन को अर्धशासकीय रूप से जुलाई 2001 में सूचित किया गया था, उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2001)।

2.9 कपटपूर्ण भुगतान

वास्तविक रूप से कार्य निष्पादन न करने के जांच प्रतिवेदन के होते हुए भी मिट्टी कार्य को जल छिड़क कर कूटने के लिए एक ठेकेदार को 7.98 लाख रूपये भुगतान किए गए

जमसरा पहुंच मार्ग के किलोमीटर 3 से 6 पर मिट्टी कार्य (मिट्टी के शोल्डर्स) एक ठेकेदार को सौंपा गया था (जून 1993) एवं अप्रैल 1994 में 6.05 लाख रूपये का भुगतान किया गया था।

8 माह व्यतीत होने के बाद (जनवरी 1995) और पुनः 30 माह व्यतीत होने के बाद (अक्टूबर 1997), ठेकेदार ने उक्त कार्य में जल छिड़काव और कुटाई हेतु भुगतान के लिए सीधे मुख्य अभियंता उत्तरी परिक्षेत्र ग्वालियर से संपर्क किया जिसके लिए कार्यपालन यंत्री द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाना सूचित किया गया था। क्लाज़ 29 (आबिट्रेशन क्लाज़) में उपबंधित है कि ऐसा कोई दावा, उस दावे की घटना के 30 दिनों के भीतर निर्णय हेतु अधीक्षण यंत्री को संदर्भित किया जाएगा।

मुख्य अभियंता (उत्तर), लोक निर्माण विभाग ने कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, भिण्ड को भुगतान करने के लिए निर्देशित किया (अक्टूबर एवं नवंबर 1997) क्योंकि यह कार्य किया गया था। उन्होंने ठेकेदार द्वारा अग्रेषित विभागीय प्रयोगशाला द्वारा मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अपने आदेश को न्यायसंगत बताया। मुख्य अभियंता ने अधीक्षण यंत्री को पुनः निर्देशित किया कि भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा कार्यपालन यंत्री के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रकरण की जांच की गई एवं निम्नलिखित तथ्यों का अवलोकन किया गयाः-

(I) वाटरिंग एंड रोलिंग (मिट्टी कार्य संहतिकरण) के लिए प्राक्कलन/अनुबंध/ मात्राओं की अनुसूची में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

(II) अतिरिक्त कार्य/अतिरिक्त मदों के लिए तत्कालीन उपयंत्री/सहायक यंत्री द्वारा कोई अनुपूरक सूची प्रस्तुत नहीं की गई थी एवं तथाकथित अतिरिक्त कार्य/मद स्वीकृत नहीं हुई थी।

(III) कार्यालय अभिलेखों में कोई दस्तावेज़ी साक्ष्य नहीं था कि 'वाटरिंग एंड रोलिंग' का कार्य वास्तव में हुआ था।

(IV) मिट्टी कार्य का अंतिम भुगतान अप्रैल 1994 में किया गया था और ठेकेदार ने 'वाटरिंग एंड रोलिंग' के भुगतान के लिए सीधे मुख्य अभियंता से जनवरी 1995 अर्थात 8 माह व्यतीत होने के बाद संपर्क किया था जो अनुबंध के वाक्यांश क. 15 और 29 के अनुसार स्वीकार्य योग्य नहीं था।

उपरोक्त टिप्पणियों के बावजूद, उपयंत्री ने जनवरी 1998 में 'वाटरिंग एंड रोलिंग' के माप अंकित कर दिए एवं सहायक यंत्री ने माप पुस्तक में

निम्नलिखित यथायोग्य टिप्पणियों के साथ उसी दिनांक को जांच कर ली अर्थात मिट्टी कार्य पूर्ण होने (मार्च 1994) के 3 वर्ष और 10 माह के बाद।

(I) वर्तमान अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा 'रोलिंग एंड वाटरिंग' की अनुपूरक सूची स्वीकृत नहीं की गई थी।

(II) कार्य अनुसूची में यह मद नहीं दी गई थी।

(III) ठेकेदार द्वारा 'रोलिंग एंड वाटरिंग' नहीं की गई थी।

तत्पश्चात् 14.02 लाख रूपये सकल मूल्य का अनुपूरक एवं अंतिम देयक तैयार किया गया और पूर्व भुगतान को घटाने के बाद 7.98 लाख रूपये भुगतान किए गए (अक्टूबर 1999)। इस तथ्य के बावजूद कि अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग ग्वालियर मंडल का स्पष्ट कथन था कि मिट्टी कार्य में ठेकेदार ने 'वाटरिंग एंड रोलिंग' का कार्य नहीं किया था तथा उक्त कार्य के लिए भुगतान का प्रश्न ही नहीं था। उपयंत्री/सहायक यंत्री द्वारा कोई अनुपूरक सूची तैयार नही की गई और अधीक्षण यंत्री के अनुमोदन हेतु कार्यपालन यंत्री को प्रस्तुत नहीं की गई थी।

इस प्रकार कार्यपालन यंत्री द्वारा वास्तविक रूप से निष्पादित न किए गए कार्य हेतु ठेकेदार को 7.98 लाख रूपये का भुगतान किया गया था (अक्टूबर 1999)।

यह इंगित किए जाने पर (फरवरी 2000) कार्यपालन यंत्री ने बताया कि तत्कालीन कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री और उप यंत्री के लिखित विवरण पर भुगतान किया गया था। मिट्टी के संहतिकरण का प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया था, जो कार्य निष्पादित किया जाना दर्शाता है। किंतु उसी संभाग के कार्यपालन यंत्री ने सितंबर 2000 में उत्तर दिया था कि तत्कालीन कार्यपालन यंत्री ने प्रयोगशाला के प्रभारी सहायक यंत्री को कड़ी मिट्टी के परीक्षण किए जाने के लिए कहा था (फरवरी 1994) जबकि प्रस्तुत किया परीक्षण प्रतिवेदन केवल घनत्व से संबंधित था। उन्होंने यह भी बताया कि तत्कालीन कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री एवं उप यंत्री जिन्होंने कार्य निष्पादित कराया था तथा तत्कालीन कार्यपालन यंत्री ने भी जिन्होंने भुगतान किया था, अनुपूरक सूची के अनुमोदन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की थी।

कार्यपालन यंत्री का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री और उप यंत्री ने लिखित बयान में स्वयं ही कथन किया था कि 'वाटरिंग एंड रोलिंग' का कार्य ठेकेदार द्वारा नहीं किया गया था। इसके अलावा, अधीक्षण यंत्री ने विभागीय पूछताछ के बाद ऐसे किसी भी कार्य का निष्पादन नहीं किया जाना प्रतिवेदित किया था (अप्रैल 1996)। इसके अतिरिक्त, मिट्टी के शोल्डर्स में 'वाटरिंग एंड रोलिंग' का कार्य न तो प्राक्कलन अथवा कार्यकारी अनुसूची में दिया गया था और न ही यह अतिरिक्त मद के रूप में तैयार किया गया और स्वीकृत किया गया था।

प्रकरण शासन को मई 2001 में अर्धशासकीय रूप से सूचित किया गया था, उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2001)।

2.10 सड़कों के संधारण में अधिक महंगे डामर (बाइंडर) के उपयोग से परिहार्य व्यय

समान रूप से कारगर (कार्य में उपयोगी) 'कैटोनिक इमल्शन' के बजाय अधिक महंगे 'कट बैक बिटुमिन' के उपयोग के परिणामस्वरूप 24.41 लाख रूपये का परिहार्य व्यय हुआ

भूतल परिवहन मंत्रालय विशिष्टियां डामरीकृत सतह के संधारण के लिए डामर (बाडंडर) के रूप में (I) 'पेविंग बिटुमिन' (II) 'कैटोनिक इमल्शन' और (III) 'कट बैक बिटुमिन' की व्यवस्था करती हैं। 'पेविंग बिटुमिन' उपयोग से पूर्व गर्म किया जाना आवश्यक है जबकि अन्य दो डामर तरल रूप में हैं। 'कैटोनिक इमल्शन' सामान्यतः वर्षा ऋतु में पसंद किया जाता है क्योंकि इसे गर्म करना आवश्यक नहीं है और गीली गिट्टियों के साथ उपयोग किया जा सकता है।

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ), संभाग क्रमांक-1, रीवा के अभिलेखों की छानबीन के दौरान (अगस्त 1999) यह ध्यान में आया कि सड़कों के संधारण के लिए अक्टूबर 1997 और दिसंबर 1998 के मध्य 45.83 लाख रूपये मूल्य का 194.6 टन 'कट बैक बिटुमिन' क्रय किया गया था। 'कैटोनिक इमल्शन' की अपेक्षा दो गुना से अधिक महंगे 'कट बैक बिटुमिन' के उपयोग करने के परिणामस्वरूप 24.41 लाख रूपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ था।

यह इंगित किये जाने पर, कार्यपालन यंत्री ने बताया कि वर्षा ऋतु के दौरान 'पैच कार्य' हेतु 'कट बैक बिटुमिन' ही एक मात्र विकल्प था और यह आर्द्र मौसम में भी सतह सही बनाता है। और आगे, इसकी उपलब्धता और उपयोगिता को देखते हुए ही सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ यह क्रय किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बंधन सामग्री (डामर) केवल तात्कालिक आवश्यकता के लिए क्रय की जाती है। आई.आर.सी. 82-1982 के क्लाज़ 8.1 के अनुसार 'कैटोनिक इमल्शन' गीली गिट्टियों के साथ उपयोग किया जा सकता है (वर्षा ऋतु के दौरान संधारण कार्य करने हेतु अत्यंत उपयोगी है)। कैटोनिक इमल्शन उस समय भी उपलब्ध था जैसा कि महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान के प्रदाय आदेश क्रमांक 6/डी.जी.एस.डी./4033/26/98-99, दिनांक 4 सितंबर, 1998 में देखा गया था।

इस प्रकार संधारण के लिए बाइंडर (बंधक) के रूप में 'कट बैक' का चयन एक अधिक महंगा और कम उपयुक्त विकल्प था जिसके परिणामस्वरूप 24.41 लाख रूपये का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रकरण शासन को अर्धशासकीय रूप से सूचित किया गया था (मई 2001); उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2001)।

2.11 पथकर वसूली के प्राधिकार के साथ जावरा-मंदसौर-नीमच-नयागांव मार्ग (प्रादेशिक राजमार्ग-31) का संधारण

वास्तविक यातायात गणना केत्र ध्यान में न रखने से उपयोगकर्ता जनता पर अतिरिक्त भार

पथकर वसूली के गलत मूल्यांकन के परिणामस्वरूप ठेकेदार को 11.97 करोड़ रूपये का अतिरिक्त लाभ

अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग, उज्जैन मंडल द्वारा 'बिल्ड आपरेट एंड ट्रांसफर' प्रणाली पर, पथकर वसूली के प्राधिकार के साथ निविदाकार की पूंजी एवं संसाधनों से जावरा-मंदसौर-नीमच-नयागांव मार्ग (प्रादेशिक राजमार्ग-31) के किलोमीटर 36 से 77 और किलोमीटर 94 से 155.07 किलोमीटर (103.07 किलोमीटर) में कमजोर पुलों और पुलियों के प्रतिस्थापन एवं पुननिर्माण एवं पथकर नाकों और गुमटी के निर्माण सहित सभी तरह से संपूर्ण संधारण कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई थीं (नवंबर 1998)। 1791 दिनों के लिए पथकर वसूली प्राधिकार के साथ ठेकेदार 'ए' का न्यूनतम प्रस्ताव शासन द्वारा स्वीकृत किया गया था (24 मार्च 1999)। कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग मंदसौर द्वारा कार्यादेश जारी किया गया था (अप्रैल 1999)।

अभिलेखों की छानबीन (मई 2001) से प्रकट हुआ था कि 19 जून, 1997 और 25 जून, 1997 के मध्य की गई यातायात गणना निविदा के साथ लगाई गई थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

कार/जीप	बसें	तिपहिया वाहन	ट्रक	मल्टी एक्सल
730.7×110	861.28× 25	522.14×15	1805×35	385.57×50
7,307	21,557	7,832	63,175	19,278
प्रतिदिन वसूली			1,19,149 रूपये	
घटाइए- कर मुक्त/उसी दिन लौटने वाले वाहनों के लिए 15%			17,872 रूपये	
प्रतिदिन निवल वसूली			1,01,277 रूपये प्रतिदिन	

मुख्य अभियंता (पश्चिम परिक्षेत्र) द्वारा निविदा के मूल्यांकन के अनुसार ठेकेदार को निर्माण कार्यों पर 11.24 करोड़ रूपये व्यय करने थे (परिशिष्ट-।× में दर्शाए अनुसार) एवं 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ पथकर वसूली से 5 वर्षों तक उसे प्रतिवर्ष 2.92 करोड़ रूपये की प्राप्ति होगी। निविदा मार्च 1999 में स्वीकृत की गई थी और ठेकेदार को 19 जनवरी, 2000 से (प्रारंभिक 6 माह के दौरान 2 करोड़ रूपये मूल्य का कार्य पूर्ण होने पर) पथकर वसूली हेतु प्राधिकृत किया गया था। वर्ष 2000 के लिए पथकर की वसूली (यातायात में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ 1997 की यातायात गणना के आधार पर) 2.91 करोड़ रूपये के विभागीय आकलन के विरूद्ध 4.92 करोड़ रूपये संगणित होती है। परिणामस्वरूप वर्ष 2000 के दौरान ठेकेदार को 2.01 करोड़ रूपये का अतिरिक्त लाभ हुआ जो 2004 तक 11.97 करोड़ रूपये तक बढ़ना संभावित है। यहां तक कि 19 जनवरी 2000 से 31 मार्च 2001 की अवधि

के दौरान वास्तविक पथकर वसूली के आधार पर भी वर्ष 2004 तक ठेकेदार को 5.62 करोड़ रूपये का अतिरिक्त लाभ संगणित होता है।

इंगित किए जाने पर (मई 2001) कार्यपालन यंत्री ने बताया कि ठेकेदारों को उनके द्वारा स्वयं यातायात गणना संपादित की जानी थी एवं उसके अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करने थे। बारंबार यातायात गणना करना न तो संभव था और न ही आवश्यक।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि निर्माण विभाग नियमावली की कंडिका 9.044(3) और भू-तल परिवहन मंत्रालय की विशिष्टियों के दिशानिर्देशों के अनुसार यातायात में वृद्धि को ध्यान में रखकर 1997 की यातायात गणना को अद्यतन किया जाना आवश्यक था। विभाग को ठेका देने से पहले ठेकेदार द्वारा उपयोग किए गए यातायात आंकड़ों का, संबंधित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखकर परीक्षण करना चाहिए था।

प्रकरण शासन को अर्धशासकीय रूप से जुलाई 2001 में सूचित किया गया था; सितंबर 2001 तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अध्याय – 3
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

भाग – क

पेयजल आपूर्ति	3.1	55

भाग – ख

डच्च दर पर निविदा की अविवेकपूर्ण स्वीकृति से अतिरिक्त लागत	3.2	85

अध्याय - 3
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

भाग - क

3.1 पेयजल आपूर्ति

3.1.1 विशेषताएं

भारत सरकार ने 20,000 से कम जनसंख्या वाले नगरों (1991 जनगणना) के लिए केन्द्र प्रवर्तित गतिवर्धित नगरीय जल आपूर्ति कार्यक्रम आरंभ किया (1993-94)। यद्यपि गतिवर्धित नगरीय जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति हेतु 312 नगरों को पात्रता थी, पेयजल आपूर्ति हेतु मात्र 154 नगरों को प्रस्तावित किया गया था, जिसमें से मात्र 100 नगरों के लिए योजनाएं स्वीकृत की गईं। कुल 2.69 लाख की जनसंख्या (पात्र जनसंख्या का 8 प्रतिशत) वाले 26 नगरों की 26 योजनाएं ही मार्च 2001 तक 15.09 करोड़ रुपये की लागत पर पूर्ण की गईं।

भारत सरकार ने प्रगतिरत केन्द्र प्रवर्तित योजना क्रमशः गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम को सम्मिलित कर राष्ट्रीय पेयजल मिशन आरंभ किया (फरवरी 1986)। इसका लक्ष्य सभी ग्रामों एवं बसाहटों में 40 लीटर प्रति व्यक्ति दैनिक सुरक्षित एवं पीने योग्य जल की व्यवस्था करना था। राज्य में 1,66,603 ग्राम एवं बसाहटें थीं जिनमें से 57,050 को समस्याग्रस्त बसाहटों के रूप में मार्च 1997 तक पहचाना गया था एवं इनमें मार्च 2000 तक पेयजल की व्यवस्था करना प्रस्तावित था। तथापि, आंशिक व्यवस्था वाली 13,673 बसाहटों सहित 15,267 बसाहटों (27 प्रतिशत) को व्यवस्था रहित छोड़ कर मार्च 2001 तक 867.53 करोड़ रुपये की लागत पर मात्र 41,783 बसाहटों में ही व्यवस्था की जा सकी। लक्षित नमूनों (3.24 लाख) के मात्र 23.45 प्रतिशत नमूने ही लिए गए एवं इनका परीक्षण किया गया। इस प्रकार, बसाहटों को प्रदाय किए जा रहे जल की गुणवत्ता आश्वस्त (सुनिश्चित) नहीं थी।

गतिवर्धित नगरीय जल प्रदाय कार्यक्रम

- प्रस्तावित 154 योजनाओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक 105.51 करोड़ रुपये के विरूद्ध नौवीं योजना में मात्र 34.76 करोड़ रुपये (33 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया।

(कंडिका 3.1.4.1)

- मध्यप्रदेश शासन ने 11.53 करोड़ रुपये के केन्द्रीय अंश को रोके रखा तथा संभागों में सिंचित जमा के अंतर्गत 17.83 करोड़ रुपये उपयोग के बिना पड़े थे।

(कंडिका 3.1.4.2)

- यद्यपि भारत सरकार ने सभी अनुमोदित योजनाओं के लिए निधियां विमुक्त कर दी थीं, मध्यप्रदेश शासन से प्रशासकीय अनुमोदन के अभाव में 30.50 करोड़ रुपये लागत की 24 योजनाएं प्रारंभ नहीं हुई एवं

क्रियान्वयन करने वाले संभागों को 9.43 करोड़ रूपये विमुक्त करने के बाद भी 10.73 करोड़ रूपये की 8 योजनाएं भी प्रारंभ नहीं हुई।

(कंडिका 3.1.5)

- 5 योजनाओं के त्रुटिपूर्ण चयन एवं इनकी अनुपचारित जल स्रोतों की हीन निर्भरता के फलस्वरूप 45.55 लाख रूपये का परिहार्य व्यय एवं 2.51 करोड़ रूपये का निष्फल व्यय हुआ। 2 योजनाओं पर निर्माण कार्य स्थगित कर देने के फलस्वरूप 1.89 करोड़ रूपये का निरर्थक व्यय हुआ।

(कंडिकाएं 3.1.5 **(i),(iii),(iv),(vi),(vii)** एवं **(viii)**)

- भीकनगांव, कसरावद योजनाओं के लिए उपचार संयंत्र हेतु उपयुक्त तकनीक पर निर्णय न लिए जाने से एवं बरॉज (भीकनगांव) का निर्माण न करने से 3.01 करोड़ रूपये का व्यय निष्फल हो गया।

(कंडिका 3.1.5 **(v)**)

गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम

- मध्यप्रदेश शासन 68.64 करोड़ रूपये के समरूपी अंश की व्यवस्था में असफल रहा तथा सूचित किया गया व्यय 66.08 करोड़ रूपये तक बढ़ाया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय में कमी से मध्यप्रदेश 12.68 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता से वंचित हुआ। प्रमुख अभियंता भोपाल एवं मुख्य अभियंता रायपुर ने 110.84 करोड़ रूपये सिविल जमा के अंतर्गत रखे जिसमें से 50.37 करोड़ रूपये बिना उपयोग के पड़े रहे।

(कंडिका 3.1.10 **(i)** एवं **(ii)**)

- हीन निर्भरता और अपर्याप्त रखरखाव से 1,017 व्यवस्थाहीन तथा आंशिक व्यवस्था वाली 16,435 बसाहटों का पुनः आविर्भाव हुआ। अपर्याप्त सर्वेक्षण से 63.37 करोड़ रूपये की लागत के 15,842 नलकूपों की विफलता हुई। 231 ग्रामीण नल जल योजनाएं अपूर्ण पड़ी थीं जिनमें 16.62 करोड़ रूपये फंस गए थे।

(कंडिका 3.1.11 एवं 3.1.12 **(i)** व **(v)**)

- जल आपूर्ति योजनाओं के हीन रखरखाव एवं परिचालन के परिणामस्वरूप 44,179 हैंड पंप और 844 ग्रामीण नल जल आपूर्ति योजनाएं प्रचालन में नहीं थीं जिसने 1.27 करोड़ ग्रामीण जनता को सुरक्षित पेयजल से वंचित किया।

(कंडिका 3.1.16 (क))

- फ्लोराइड प्रभावित 2,729 ग्रामों, अधिक खारेपन से प्रभावित 10 जिलों एवं राजनांदगांव जिले में अधिक आर्सेनिक (संखिया) से प्रभावित 11 ग्रामों में कोई प्रतिकारक उपाय नहीं किए गए।

(कंडिका 3.1.13 **(ii)**, **(iii)** एवं **(iv)**

- *रखरखाव के अभाव एवं स्थानीय समुदाय को सम्मिलित न करने से 1.85 करोड़ रूपये मूल्य के 2,640 लौह निवारक संयंत्र एवं 2.10 करोड़ रूपये लागत वाली 35 सोलर वोल्टेक पंपिंग प्रणालियां बंद हो गईं।*

(कंडिका 3.1.13 (v) एवं 3.1.14)

- *विभाग 1,024 आंगनबाड़ी केन्द्रों में हेंडपंप संस्थापित करने में विफल रहा जबकि 3.94 करोड़ रूपये सिविल जमा के अंतर्गत पड़े थे।*

(कंडिका 3.1.22 (i))

3.1.2 प्रस्तावना

'जल' संविधान के अंतर्गत राज्य का विषय होने के कारण सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मुख्यतः राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं। चूंकि 20,000 से कम जनसंख्या वाले छोटे नगरों की आमतौर पर उपेक्षा की गई थी, भारत सरकार ने 20,000 से कम जनसंख्या वाले नगरों (1991 की जनगणना) के लिए आठवीं योजना के अंत तक पूर्ण करने हेतु केन्द्र प्रवर्तित गतिवर्धित नगरीय जल आपूर्ति कार्यक्रम आरंभ किया (1993-94)।

भारत सरकार ने एक प्रगतिरत केन्द्र प्रवर्तित योजना अर्थात् गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम एवं पांच उप-मिशनों, विशिष्ट जल गुणवत्ता समस्याओं संबंधी चार एवं स्रोतों के स्थायित्व की सुनिश्चितता हेतु पांचवें को सम्मिलित कर राष्ट्रीय पेय जल मिशन आरंभ किया (फरवरी 1986)। संपूर्ण गामीण क्षेत्र के ग्रामों एवं बसाहटों विशेषतः दूरदराज के क्षेत्रों जहां 40 लीटर प्रति व्यक्ति दैनिक पीने योग्य जल उपलब्ध नहीं था, में सुरक्षित और पीने योग्य जल की व्यवस्था करना इसका उद्देश्य था।

3.1.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

मध्यप्रदेश में गतिवर्धित नगरीय जल आपूर्ति कार्यक्रम एवं गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम का कार्यान्वयन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किया जा रहा था, प्रमुख अभियंता इसके अध्यक्ष थे। इसके 5 परिक्षेत्र थे जिनके प्रमुख, मुख्य अभियंता थे एवं उनके मुख्यालय भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर एवं रायपुर थे, इसके अतिरिक्त मुख्य अभियंता के नेतृत्व में भोपाल में एक यांत्रिक संरचना (फार्मेशन) भी विद्यमान थी। इस विभाग में 78 संभाग हैं एवं प्रत्येक की अध्यक्षता एक कार्यपालन यंत्री द्वारा की जाती है।

गतिवर्धित नगरीय जल आपूर्ति कार्यक्रम (1993-2001) एवं गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (1996-2001) के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई एवं 20,000 से कम नगरीय जनसंख्या वाले नगरों एवं ग्रामीण जनसंख्या के लिए सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था में इसके प्रभाव का आकलन किया गया। इस हेतु नवंबर 2000 से जून 2001 के दौरान मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के 78 संभागों में से 11 सिविल संभागों, 4 मैकेनिकल संभागों, 1 फ्लोरोसिस नियंत्रण संभाग, 1 परियोजना मंडल एवं 6 परिक्षेत्र कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच की गई।

खंड-I गतिवर्धित नगरीय जल आपूर्ति कार्यक्रम

3.1.4 कार्यान्वयन के प्रभाव का आकलन

3.1.4.1 अपर्याप्त आयोजना

9 वीं योजना के दौरान 105.51 करोड़ रूपये की आवश्यकता के विरूद्ध मात्र 34.76 करोड़ रूपये (33 प्रतिशत) का ही प्रावधान किया गया।

गतिवर्धित नगरीय जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत मध्यप्रदेश में 35.08 लाख की कुल जनसंख्या वाले (1991 की जनगणना के अनुसार) 312 नगरों को सम्मिलित किया जाना था। तथापि, 8 वीं एवं 9 वीं योजनाओं के दौरान ही 154 नगरों से संबंधित 115.14 करोड़ रूपये प्राक्कलित लागत की योजनाओं के कार्यान्वयन पर विचार किया गया। तथापि, मार्च 1997 तक मात्र 9.63 करोड़ रूपये का व्यय किया गया। 9 वीं योजना के दौरान मात्र 34.76 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया।

312 पात्र नगरों के विरूद्ध मात्र 154 योजनाएं(49प्रतिशत) ही प्रस्तावित की जा सकीं।

154 योजनाओं में से 85.32 करोड़ रूपये लागत की 100 योजनाएं अनुमोदित की गईं (मार्च 2001 तक), 3 योजनाएं छोड़ दी गईं एवं 26.35 करोड़ रूपये लागत की 19 योजनाओं में मार्च 2001 तक भारत सरकार से तकनीकी निर्बाधन (क्लियरेंस) की प्रतीक्षा थी। शेष 32 योजनाएं फरवरी 1995 एवं मई 1999 के दौरान राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमोदित कर दी गईं थीं परंतु अभी भी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रस्तुत किए जाने थे (मार्च 2001)।

15 से 31 लीटर प्रति व्यक्ति दैनिक तक की कम जल आपूर्ति वाले 32 नगरों को प्राथमिकता नहीं दी गई, जिससे 3.40 लाख जनता पर्याप्त पेय जल से वंचित हुई।

गतिवर्धित नगरीय जल आपूर्ति कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देशों के अनुसार यह आवश्यक था कि 70 लीटर प्रति व्यक्ति दैनिक से कम जल आपूर्ति वाले नगरों को प्राथमिकता दी जाए। यद्यपि 15 से 31 लीटर प्रति व्यक्ति दैनिक तक की जल आपूर्ति वाले 32 नगरों का चयन किया गया (फरवरी 1995 एवं मई 1995), मध्यप्रदेश शासन स्वीकृति हेतु भारत सरकार को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में असफल रहा। दूसरी तरफ 35 से 65 लीटर प्रति व्यक्ति दैनिक जल आपूर्ति वाले 14 नगरों की योजनाएं अनुमोदित की गईं एवं कियान्वित की जा रही थीं। इससे 3.40 लाख जनता पर्याप्त पेयजल से वंचित हुई जिस हेतु वह प्राथमिकता के आधार पर पात्र थी।

3.1.4.2 वित्तीय संरचना एवं व्यय

11.53 करोड़ रूपये का केन्द्रीय अंश राज्य द्वारा रोक रखा गया। संभागों में सिविल जमा के अंतर्गत 17.83 करोड़ रूपये बिना उपयोग के पड़े थे।

गतिवर्धित नगरीय जल आपूर्ति कार्यक्रम पर व्यय, भारत सरकार (50 प्रतिशत) एवं राज्य (हितग्राही नगरीय स्थानीय निकाय से 5 प्रतिशत अंशदान सहित 50 प्रतिशत) द्वारा आपस में बांटा जाना था। भारत सरकार, राज्य शासन एवं स्थानीय निकायों जैसा कि भारत सरकार को सूचित किया गया था, द्वारा विमुक्त राशियां निम्नानुसार थीं:-

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	अनुमोदित योजनाएं (संख्या)	लागत	भारत सरकार द्वारा विमुक्त अनुदान	संभागों को विमुक्त अनुदान				विनियोग लेखे के अनुसार व्यय
				भारत सरकार	श्राज्य	स्थानीय निकाय	योग	
1993-94	30	15.87	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1994-95	0	0.00	3.43	1.98	0.82	0.84	3.64	0.24
1995-96	21	19.30	3.81	6.04	1.63	0.00	7.67	7.68
1996-97	0	0.00	1.56	4.16	5.06	0.51	9.73	9.18
1997-98	3	2.83	4.18	1.05	2.07	0.12	3.24	5.62
1998-99	9	8.05	6.27	0.86	3.48	0.07	4.41	4.70
1999-2000	28	26.46	9.37	6.86	6.98	0.67	14.51	14.95
2000-2001[40]	9	12.81	5.60	3.77	2.40	0.39	6.56	4.59
योग	100	85.32	36.26	24.73	22.44	2.59	49.76	46.96

1993-94 से 2000-2001 के दौरान भारत सरकार द्वारा विमुक्त 36.26 करोड़ रूपये के अनुदानों में से मार्च 2001 तक मध्यप्रदेश शासन ने 11.53 करोड़ रूपये अपने स्वयं के पास रोकते हुए संभागों को मात्र 24.73 करोड़ रूपये ही विमुक्त किए। संभागों को 49.76 करोड़ रूपये की कुल विमुक्ति में से वास्तव में 31.93 करोड़ रूपये (64 प्रतिशत) का ही उपयोग किया गया। शेष 17.83 करोड़ रूपये संभागों में 4 से 48 माह की अवधि से 8443 सिविल जमा के अंतर्गत पड़े थे।

3.1.4.3 अपर्याप्त लक्ष्य एवं उपलब्धियां

गतिवर्धित नगरीय जल आपूर्ति कार्यक्रम योजनाएं सामान्यतः 2 वर्षों में पूर्ण करने हेतु स्वीकृत की जाती हैं। इस प्रकार 1993-94 में स्वीकृत योजनाएं 1995-96 में पूर्ण की जानी थीं। स्वीकृत योजनाओं, लक्ष्य निर्धारण एवं उनके विरूद्ध उपलब्धियों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार था:-

निर्धारित लक्ष्य बहुत कम थे। इन निम्नतम लक्ष्यों की मात्र 43 प्रतिशत प्राप्ति से बहुत ही निम्नतम निष्पादन परिलक्षित हुआ।

वर्ष	अनुमोदित योजनाएँ	लागत (करोड़ रू. में)	व्यय (करोड़ रू. में)	योजनाओं की संख्या		
				पूर्ण करने हेतु लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य का प्रतिशत
1993-94	30	15.87	0.00	0	0	0
1994-95	0	0.00	0.00	0	0	0
1995-96	21	19.30	6.00	0	0	0
1996-97	0	0.00	5.44	5	0	0
1997-98	3	2.83	9.56	10	5	50
1998-99	9	8.05	5.09	15	11	73
1999-00	28	26.46	2.76	15	5	33
2000-01	9	12.81	3.08	15	5	33
योग	100	85.32	31.93	60	26	43

[40] नवंबर 2000 से मार्च 2001 की अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ शासन को अनुदान विमुक्त नहीं किए गए।

आठवीं योजना (1992-97) के अंतर्गत 312 नगरों में व्यवस्था की जानी थी। इसके विरूद्ध आठवीं योजना के दौरान मात्र 51 नगरों एवं नौवीं योजना के दौरान 49 नगरों का अनुमोदन किया गया। इन 100 अनुमोदित योजनाओं में से 91 योजनाएं नौवीं योजना के अंत अर्थात् मार्च 2002 तक पूर्ण की जानी आवश्यक थीं। आठवीं योजना हेतु मात्र 5 योजनाओं के सामान्य लक्ष्य का निर्धारण किया गया, इसकी भी उपलब्धि नहीं हुई। वर्ष 1997-2001 के दौरान 55 योजनाओं की पूर्णता के लक्ष्य का निर्धारण किया गया, इसके विरूद्ध मात्र 26 योजनाएं पूर्ण हुईं।

सूक्ष्म जांच से आगे प्रकट हुआ कि:-

23 योजनाओं में जमा राशियों से 2.31 करोड़ रूपये का अधिक व्यय हुआ।

(I) गतिवर्धित नगरीय जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं पर निर्माण निक्षेप (डिपाज़िट) कार्य के रूप में किया जाना है। मध्यप्रदेश निर्माण कार्य विभाग नियमावली के अनुसार निक्षेप कार्य पर व्यय प्राप्त जमा राशि तक सीमित रखा जाना है। तथापि, यह देखा गया कि मार्च 1994 एवं 1997 के मध्य 14.71 करोड़ रूपये की 23 स्वीकृत योजनाओं के विरूद्ध 14.60 करोड़ रूपये विमुक्त किए गए एवं मार्च 2001 तक 16.91 करोड़ रूपये का व्यय किया गया। इसके फलस्वरूप प्राप्त जमा राशियों से 2.31 करोड़ रूपये अधिक व्यय हुए, जिसकी पूर्ति अन्य निर्माण कार्यों के निक्षेपों एवं ठेकेदारों की जमानत जमा राशियों से की गई।

संभागों ने 6 योजनाओं पर गलत रूप से 38.23 लाख रूपये के प्रतिशतता प्रभार लगाए।

(II) गतिवर्धित नगरीय जल आपूर्ति कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में यह व्यवस्था थी कि कोई भी विभागीय प्रभार नहीं लिए जाने थे क्योंकि स्वीकृत प्राक्कलनों में पहले से ही स्थापना प्रभार (3 प्रतिशत) एवं आकस्मिकता प्रभार (5 प्रतिशत) सम्मिलित थे एवं कार्यान्वयन एजेंसियों के पास योजनाओं के कियान्वयन के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना उपलब्ध थी। निधियों की कमी के कारण अपूर्ण पड़ी 6 योजनाओं पर 1996-97 तक 16.5 प्रतिशत एवं इसके पश्चात् 6 प्रतिशत की दर से गलत रूप से प्रभार लिए गए, इसके कारण इन योजनाओं पर 38.23 लाख रूपये के परिहार्य भार का वहन किया गया।

इसे इंगित करने पर छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2001) कि मध्यप्रदेश में प्रचलित मानकों के अनुरूप ही पर्यवेक्षण प्रभारों की वसूली की गई है एवं यदि शासन के द्वारा निर्णय लिया जाता है तो इसकी वापसी की जा सकती है।

राज्य योजना की प्रगतिरत 4.07 करोड़ रूपये की 4 योजनाओं को गतिवर्धित नगरीय जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत गलत रूप से अनुमोदित किया गया।

(III) सामान्य राज्य योजना के अंतर्गत पूर्व से ही कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की गतिवर्धित नगरीय जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत चयन हेतु पात्रता नहीं थी। सूक्ष्म जांच से प्रकट हुआ कि नौवीं योजना (1997-2002) में राज्य योजना के अंतर्गत निम्न प्रगतिरत योजनाओं को भी गतिवर्धित नगरीय जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया :-

स. क्र.	जल आपूर्ति योजना	प्रारंभ करने का वर्ष	प्राक्कलित लागत (लाख रू. में)	मार्च 1997 तक व्यय (लाख रू. में)	भारत सरकार का अनुमोदन	अनुमोदित लागत (लाख रू. में)	विमुक्त निधि (लाख रू. में)
1.	बुधनी	1991	31.00	30.96	जनवरी 1996	46.80	46.80
2.	रैलाना	1996	49.60	0.01	दिसम्बर 1998	43.85	43.96
3.	कुक्षी	1988	100.00	183.66	अप्रैल 1999	184.91	184.91
4.	बलौद	1980	19.83	37.11	मार्च 1999	131.61	82.38
	योग		200.43	251.74		407.17	358.05

इन निधियों का गतिवर्धित नगरीय जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरी योजनाएं, जो निधियों की आवश्यकता के कारण मंद प्रगतिरत थीं, को पूर्ण करने में उपयोग किया जा सकता था।

इसे इंगित करने पर जहां मध्यप्रदेश शासन उत्तर देने में असफल रहा (दिसंबर 2001), छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2001) कि भारत सरकार के मानकों के अनूरूप कार्यक्रम के अंतर्गत बालौद नगर को सही रूप से लिया गया ताकि अपूर्ण योजना को पूर्ण किया जा सके एवं यह नगर पर्याप्त जल आपूर्ति पा सके। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बालौद नगर को गतिवर्धित नगरीय जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत चयन हेतु पात्रता नहीं थी चूंकि यह राज्य आयोजना के अंतर्गत प्रगतिरत् योजना थी।

3.1.5 निर्माण कार्यों का कियान्वयन

विभाग लक्ष्यित जनसंख्या के 92 प्रतिशत को सुरक्षित पेयजल व्यवस्था में असफल रहा।

विभाग ने गतिवर्धित नगरीय जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत कियान्वयन हेतु 1993-94 से 2000-2001 के दौरान 85.32 करोड़ रूपये लागत की 100 योजनाएं हाथ में लीं। 35.08 लाख की जनसंख्या वाले 312 नगरों के लक्ष्य के विरूद्ध मार्च 2001 तक 2.69 लाख की जनसंख्या की व्यवस्था हेतु 1.07 करोड़ रूपये के लागत आधिक्य एवं 1 से 4 वर्षों के विलंब सहित 14.02 करोड़ रूपये की लागत वाली 26 योजनाएं 15.09 करोड़ रूपये की लागत पर पूर्ण की गईं। इस प्रकार विभाग लक्ष्यित जनसंख्या के 92 प्रतिशत हेतु पर्याप्त सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करने में असफल रहा।

9.43 करोड़ रूपये की विमुक्ति के पश्चात् भी 10.73 करोड़ रूपये लागत की 8 योजनाएं आरंभ नहीं हुई।

इन 74 योजनाओं में से 40.80 करोड़ रूपये लागत वाली 49 योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति में था, जिन पर मार्च 2001 तक 20.92 करोड़ रूपये व्यय किए गए थे। भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा अप्रैल 1996 एवं नवंबर 2000 के मध्य अनुमोदित 10.73 करोड़ रूपये की लागत वाली 8 योजनाओं पर मार्च 2001 तक 9.43 करोड़ रूपये की विमुक्ति के बावजूद जून 2001 तक कार्य आरंभ नहीं हुआ। कार्य आरंभ न होने के कारण थे:- (क) स्थानीय निकायें एवं विभाग के मध्य समन्वय का अभाव (ख) स्थानीय निकायों द्वारा बढ़ी हुई लागत के प्रति वचनबद्धता का अभाव एवं (ग) स्रोतों की पहचान में विलंब। इससे 1.11 लाख की लक्ष्यित जनसंख्या सुरक्षित पेयजल से वंचित रही।

प्रशासकीय अनुमोदन के अभाव में 30.50 करोड़ रूपये लागत की 25 योजनाएं आरंभ नहीं की जा सकीं।

दिशानिर्देशों के अनुसार गतिवर्धित नगरीय जल आपूर्ति कार्यक्रम की धनव्यवस्था भारत सरकार से 50 प्रतिशत अनुदान एवं मध्यप्रदेश शासन से 50 प्रतिशत के समरूपी अंशदान (हितग्राही म्यूनिसिपल निकाय से 5 प्रतिशत सहित) के द्वारा की जाएगी। सूक्ष्म जांच से प्रकट हुआ कि 2.90 लाख जनसंख्या की व्यवस्था के लिए मार्च 1994 एवं फरवरी 2000 के मध्य भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 30.50 करोड़ रूपये लागत की 25 योजनाएं हितग्राही स्थानीय निकाय से अंशदान प्राप्त न होने पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन के अभाव के कारण आरंभ नहीं हुईं। मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्थानीय निकायों से अंशदान की प्राप्ति एवं प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई।

10 प्रगतिरत् योजनाओं में 1 से 4 वर्ष के समय आधिक्य के फलस्वरूप 11.56 करोड़ रूपये का लागत आधिक्य हुआ।

49 प्रगतिरत् योजनाओं में से 10 के विश्लेषण से आगे प्रकट हुआ कि 10.15 करोड़ रूपये की प्राक्कलित लागत के विरूद्ध 10.62 करोड़ रूपये के व्यय व मार्च 1997 एवं जून 2000 के मध्य पूर्ण करने हेतु समयबद्धता के बावजूद, मार्च 2001 तक ये योजनाएं अपूर्ण थीं, इसके फलस्वरूप 1 से 4 वर्षों का समय आधिक्य हुआ। विभाग ने इन योजनाओं हेतु 21.71 करोड़ रूपये की पुनरीक्षित लागत का आकलन किया, इसके फलस्वरूप 11.56 करोड़ रूपये (114 प्रतिशत) का लागत आधिक्य हुआ। चूंकि सभी लागत आधिक्यों की राज्य शासन द्वारा पूर्ति की जानी है, इन योजनाओं को पूर्ण करने हेतु आवश्यक 11.09 करोड़ रूपये न तो मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए न ही ये स्थानीय निकायों से आए। इन योजनाओं, जिनमें 1.34 लाख की लक्षियत जनसंख्या द्वारा सुरक्षित पेयजल की अपनी आवश्यकता में 20 से 86 प्रतिशत की कमी का सामना करने के साथ ही 10.62 करोड़ रूपये फंसे थे, की नियति अनिश्चित थी।

इसे इंगित करने पर जहां मध्यप्रदेश शासन उत्तर देने में असफल रहा (दिसंबर 2001), छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2001) कि विभाग ने छत्तीसगढ़ के 8 नगरों के लिए सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था की, इनमें से 3 योजनाएं पूर्ण हो गई थीं एवं अन्य 5 योजनाओं में प्रत्यक्ष जल दोहन (पंपिंग) द्वारा जल आपूर्ति आरंभ कर दी गई। 1994-95 में छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकृत 7 योजनाओं में से 4 योजनाएं कार्य की मात्रा में वृद्धि होने पर मूल ठेकेदार द्वारा ओवरहेड टैंकों के निर्माण कार्य का परित्याग करने के कारण अपूर्ण थीं एवं राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त लागत की पूर्ति की गई थी।

11 योजनाओं की नमूना जांच से निम्न अनियमितताएं प्रकट हुई :-

(i) भटगांव जल आपूर्ति आवर्धन योजना

योजना के गलत चयन एवं अनुपचारित जल स्रोतों की निर्भरता सुनिश्चित करने में विफलता। पूर्व खनित नलकूपों पर पावर पंप से 28 लाख रूपये की बचत की जा सकती थी।

रायपुर जिले में 56 लाख रूपये पर स्वीकृत (मार्च 1994) 70 लीटर प्रति व्यक्ति दैनिक जल व्यवस्था हेतु रूपांकित यह योजना मार्च 1997 तक पूर्ण की जानी थी। मार्च 2001 तक 62.80 लाख रूपये के व्यय के बावजूद यह योजना संपवैल एवं पंपगृह का निर्माण पूर्ण न होने के कारण अपूर्ण रही। निर्माण कार्यों में समकालिकता का अभाव ठेकेदारों द्वारा असाधारण विलंब एवं निष्प्रभावी परिवीक्षण ने 10,500 की जनसंख्या (1998) को विचारित जल आपूर्ति की व्यवस्था करने में विफलता के प्रति योगदान दिया। लेखापरीक्षा की गणना के अनुसार यह योजना प्राथमिकता वाली योजना नहीं थी क्योंकि तत्कालीन प्रणाली विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में वर्णित 28 लीटर प्रतिव्यक्ति दैनिक के विरूद्ध 3 विद्यमान स्रोतों से 76 लीटर प्रतिव्यक्ति दैनिक की जल व्यवस्था करने में समर्थ थी। इस प्रकार राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा योजना का चयन दिशानिर्देशों के विपरीत था।

और भी, चयन के पूर्व 95 प्रतिशत निर्भरता एवं विश्वसनीयता पर स्रोतों के स्थायित्व का सुनिश्चयन नहीं किया गया। जल आपूर्ति में वृद्धि हेतु खनित 5 नलकूपों में पावर पंपों की संस्थापना हेतु जल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं थी। 72 लीटर प्रतिव्यक्ति दैनिक की आपूर्ति सहित 0.72 मिलियन लीटर दैनिक अनुपचारित जल की व्यवस्था हेतु विभाग द्वारा वर्तमान 2 नलकूपों पर पावरपंपों की संस्थापना के द्वारा 45000 लीटर जल प्रतिघंटे खींचा जा सकता था। इसके फलस्वरूप 28 लाख रूपये की बचत होती।

इसे इंगित करने पर छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2001) कि 1994 में बनाई गई योजना वर्ष 2028 में 20,000 की जनसंख्या हेतु अनुमानित 1.55 मिलियन लीटर दैनिक जल आपूर्ति के लिए रूपांकित थी। भारत सरकार ने योजना का अनुमोदन किया एवं तदनुसार कियान्वयन हुआ व जनता को जल की आपूर्ति की जा रही थी। इस प्रकार भविष्य में उन्नत जल आपूर्ति व्यवस्था से भटगांव की जनता की स्थिति में सुधार होगा एवं इस अवस्था में उठाए गए बिंदु असामयिक थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि स्रोत पर 95 प्रतिशत निर्भरता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित किए बिना एवं त्रुटिपूर्ण आंकड़ों के आधार पर नगर के चयन के फलस्वरूप 28 लाख रूपये की परिहार्य लागत आई।

(ii) बालौद जल आपूर्ति आवर्धन योजना

जल उपचार संयंत्र का प्रावधान न करने के फलस्वरूप मानसून ऋतु में जल संबंधी रोगों की जोखिम रहेगी।

यह योजना 19.83 लाख रूपये के लिए राज्य क्षेत्र के अधीन जून 1981 में अनुमोदित की गई। यह 4 नलकूपों एवं परंपरागत जल उपचार संयंत्र सहित अनुपचारित जल के स्रोतों के रूप में तांदुला नदी पर विद्यमान एक इनफिलट्रेशन वैल (1966 में निर्मित) से सुविचारित थी। दिसंबर 1997 तक 45.50 लाख रूपये का व्यय करने के बावजूद जल उपचार संयंत्र अपूर्ण रहा। दिसंबर 1989 में लागत 72.70 लाख रूपये तक पुनरीक्षित की गई एवं पुनः मार्च 1995 में अनुपचारित जल का स्रोत नलकूप होंगे, की धारणा पर उपचार संयंत्र को हटाते हुए 64.70 लाख रूपये तक पुनरीक्षित की गई। तथापि, लागत में 1.17 करोड़ रूपये तक के पुनरीक्षण (मार्च 1997) सहित मई 1995 में स्रोत का परिवर्तन कर, तांदुला नदी पर 3 रिंग वैल कर दिया गया। पुनः नवंबर 1998 में प्राक्कलन 1.40 करोड़ रूपये तक पुनरीक्षित किए गए एवं भारत सरकार द्वारा गतिवर्धित नगरीय जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदित किए गए। मध्यप्रदेश शासन ने मई 2000 में ही प्रशासकीय अनुमोदन दिया। आवर्धन योजना की भौतिक प्रगति लगभग निरंक थी क्योंकि मार्च 2001 तक 23.54 लाख रूपये का संपूर्ण व्यय लगभग सामग्रियों की खरीद पर ही था। जल स्रोत के गलत चयन के फलस्वरूप न केवल 1.12 करोड़ रूपये का लागत आधिक्य एवं 20 वर्षों का समय आधिक्य हुआ वरन लक्ष्यित जनसंख्या भी सुरक्षित पेयजल से वंचित रही। यद्यपि स्रोत का परिवर्तन बलकूप से रिंग वैल किया गया, प्राक्कलनों में उपचार संयंत्र को सम्मिलित नहीं किया गया था। इससे विशेषतः मानसून ऋतु में उपयोगकर्ता जनता जल संबंधी रोगों की ऊंची जोखिम से असुरक्षित रहेगी।

इसे इंगित करने पर छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2001) कि पूर्व में मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत बालौद योजना निधियों की आवश्यकता के कारण पूर्ण नहीं की जा सकी। योजना को पुनः बनाया गया एवं गतिवर्धित नगरीय जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया एवं कार्य प्रगति में था। रिंग वैल अशुद्धता का नियंत्रण कर सकते थे अतः उपचार संयंत्र आवश्यक नहीं था। संकमण को निष्प्रभावी करने हेतु सहायक उपकरणों सहित 175 लीटर के ब्लीचिंग क्लोरीनेटर का प्रावधान था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विशेषतः मानसून ऋतु में रिंग वैल जल में गंदलापन एवं अशुद्धता को नियंत्रित करने में समर्थ नहीं होंगे।

(iii) बागबाहरा जल आपूर्ति आवर्धन योजना (महासमुन्द जिला)

अनुपचारित जल स्रोतों की निर्भरता सुनिश्चित करने में असफलता से न केवल 15.76 लाख रूपये की लागत वृद्धि हुई वरन 57.18 लाख रूपये का व्यय भी आंशिक रूप से निष्फल हुआ।

भारत सरकार ने वर्ष 2021 में 20,000 की अनुमानित जनसंख्या हेतु जल आपूर्ति 18 लीटर प्रति व्यक्ति दैनिक से बढ़ाकर 70 लीटर प्रति व्यक्ति दैनिक करने के लिए 56 लाख रूपये की एक योजना को अनुमोदित किया (मार्च 1994)। योजना में 13 अनुपचारित जल स्रोत (6 विद्यमान एवं 7 प्रस्तावित नलकूप) सम्मिलित थे एवं यह मार्च 1997 तक पूर्णता हेतु समयबद्ध थी। मार्च 2001 तक 57.18 लाख रूपये के व्यय के पश्चात् भी योजना अपूर्ण पड़ी थी (मार्च 2001)। ठेकेदार ने निर्माण कार्य का परित्याग कर दिया था। 2 किलोमीटर की दूरी पर खोदे गए 7 नए नलकूपों से पर्याप्त जल की प्राप्ति नहीं हुई एवं अन्य 3 के लिए स्थान में परिवर्तन करना पड़ा एवं शहर से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर नलकूप खनन करने पड़े, जिसके फलस्वरूप लागत में 15.76 लाख रूपये की वृद्धि हुई।

इसे इंगित करने पर छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2001) कि योजना बनाते समय विद्यमान हेंडपंपों से जल की उपलब्धि के आधार पर नलकूप स्रोतों से अपेक्षित जल की उपलब्धता का अनुमान लगाया गया था। लागत को न्यूनतम रखने के लिए स्रोत अपेक्षाकृत कम दूरी पर प्रस्तावित किए गए थे। परंतु सफल नलकूप 4-5 किलोमीटर की दूरी पर पाए गए। अतः पंपिंगमैन की लंबाई में वृद्धि हुई। लागत में यह वृद्धि उपयोगकर्ता जनता को लाभ एवं योजना को सफल बनाने के लिए ही थी। उत्तर यह बताता है कि सर्वेक्षण अपर्याप्त था एवं योजना के प्रस्ताव के पूर्व 95 प्रतिशत निर्भरता सुनिश्चित नहीं की गई थी।

पहले से ही विद्यमान एवं नए स्रोतों से जल की उपलब्धता 0.98 मिलियन लीटर दैनिक थी एवं 20,000 की जनसंख्या हेतु मात्र 42 लीटर प्रति व्यक्ति दैनिक जल उपलब्ध था जो कि लक्ष्यित आपूर्ति से बहुत कम था, इस हेतु न्यूनतम 1.6 मिलियन लीटर दैनिक जल की आवश्यकता है। इस प्रकार योजना पर 57.18 लाख रूपये का व्यय आंशिक रूप से निष्फल सिद्ध हुआ।

इसे इंगित करने पर छत्तीसगढ़ शासन ने कहा (अक्टूबर 2001) कि नगर को जल आपूर्ति उपलब्ध कराई जा रही थी एवं किए गए व्यय से जनता लाभान्वित हुई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पूर्व स्थापित एवं 3 नए नलकूपों से उपलब्ध जल 20,000 की प्रत्याशित जनसंख्या को 70 लीटर प्रति व्यक्ति दैनिक जल की व्यवस्था करने हेतु पर्याप्त नहीं होगा।

(iv) राघोगढ़ जल आपूर्ति आवर्धन योजना (गुना जिला)

अनुपचारित जल के स्रोत के त्रुटिपूर्ण चयन से 98.75 लाख रूपये की लागत वृद्धि, 4 वर्ष का समय आधिक्य एवं 1.32 करोड़ रूपये का निष्फल व्यय हुआ।

भारत सरकार ने 18,047 की जनसंख्या (1991 की जनगणना के अनुसार) के लिए 70 लीटर प्रति व्यक्ति दैनिक जल की व्यवस्था हेतु 89.55 लाख रूपये की योजना अनुमोदित की (मार्च 1994)। मार्च 1997 तक पूर्णता के लक्ष्य वाली योजना जनवरी 2001 तक 1.32 करोड़ रूपये के व्यय के बावजूद अपूर्ण थी। प्राक्कलन 2.04 करोड़ रूपये तक पुनरीक्षित किए गए (मई 1998) एवं तत्पश्चात् 1.88 करोड़ रूपये तक कम कर दिए गए (मई 2000) क्योंकि भारत सरकार ने अनुमोदन देने से इस आधार पर मना कर दिया (फरवरी 1999) कि लागत में वृद्धि मुख्यतः प्रशासकीय अनुमोदन एवं ठेके प्रदान करने में विलंब के कारण थी। मध्यप्रदेश शासन ने 70 प्रतिशत अनुदान एवं 30 प्रतिशत ऋण से 98.75 लाख रूपये की अतिरिक्त लागत वहन करने का

निर्णय लिया (मई 2000)। चूंकि दिसंबर में बंदरगढ़ा नदी में बहाव बंद हो गया था अतः प्रस्तावित स्रोत अपर्याप्त पाया गया (मार्च 1999)। कुल लागत में 97.63 लाख रूपये एवं प्रति व्यक्ति लागत में 1,000 रूपये के मानदंड के विरूद्ध 496.20 रूपये से 1,043.55 रूपये तक की वृद्धि सहित गोपीकृष्ण सागर बांध का नए स्रोत के रूप में चयन किया गया (मई 2000)। इस प्रकार अनुपचारित जल स्रोत पर निर्भरता को सुनिश्चित किए बिना 1994 में आरंभ की गई योजना अपूर्ण पड़ी थी एवं इसमें 1.32 करोड़ रूपये फंस गए थे। योजना मार्च 2001 तक अपूर्ण थी ।

इसी मध्य विभाग को 1998-99 में अस्थाई व्यवस्था पर 17.55 लाख रूपये व्यय करने पड़े जिन्हें गतिवर्धित नगरीय जल आपूर्ति कार्यक्रम को डेबिट किया गया।

(v) भीकनगांव एवं कसरावद जल आपूर्ति आवर्धन योजना (खरगौन जिला)

उपचार संयंत्र हेतु उपयुक्त तकनीक पर निर्णय न लेने व बैरेज का निर्माण न करने के कारण 3.01 करोड़ रूपये का व्यय निष्फल हुआ।

भारत सरकार ने 1.48 करोड़ रूपये (भीकनगांव) एवं 1.33 करोड़ रूपये (कसरावद) लागत की योजनाएं क्रमशः जनवरी 1995 एवं जुलाई 1997 में अनुमोदित कीं। इन्हें क्रमशः दिसंबर 1996 एवं सितंबर 1997 में प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किए गए। लेखापरीक्षा में सूक्ष्म जांच से प्रकट हुआ कि मार्च 2001 तक 3.01 करोड़ रूपये की लागत पर आरसीसी ओवरहेड टैंकों के संलग्न कार्य का रा-वाटर राइजिंग मैन, संप/ संपहाउस, क्लियर वाटर मैन एवं वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण किया गया। यद्यपि योजना में चालन एवं रखरखाव लागत को कम करने हेतु उपचार संयंत्र में स्लो सेंड फिल्टरों का प्रावधान था, उपचार संयंत्र में ग्रेविटी फिल्टरों हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई (जनवरी 1999)। भारत सरकार ने अवलोकन किया कि नर्मदा एवं बेड़ा नदियों (अनुपचारित जल के स्रोत) में गंदलापन (टर्बिडिटी) कभी भी 15,000 पीपीएम से अधिक नहीं था एवं निर्देश दिया कि नेशनल एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से उपचार संयंत्र हेतु उपयुक्त तकनीक का सुझाव देने को कहा जाए। मार्च 2001 तक आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई।

नमूना जांच से आगे प्रकट हुआ कि प्राक्कलनों में 20 लाख रूपये लागत के आरसीसी बैरेज के निर्माण का प्रावधान, कार्य आरंभ न होने के कारण 1.50 करोड़ रूपये तक पुनरीक्षित किया गया (मार्च 2001)। दिसंबर 2001 तक कार्य आरंभ नहीं हुआ था। उपचार संयंत्र हेतु उपयुक्त तकनीक पर निर्णय न होने एवं बैरेज का निर्माण न होने के कारण अन्य संबद्ध कार्यों पर 3.01 करोड़ रूपये का व्यय निष्फल हुआ।

(vi) मूंदी जल आपूर्ति आवर्धन योजना (खंडवा जिला)

अनुपचारित जल स्रोत सुनिश्चित न करने से 33.86 लाख रूपये का व्यय निष्फल हुआ।

58 लाख रूपये लागत की यह योजना भारत सरकार ने अनुमोदित की (अप्रैल 1996)। मध्यप्रदेश शासन ने 4 वर्ष पश्चात् मार्च 2000 में प्रशासकीय अनुमोदन दिया। योजना में अनुपचारित जल के स्रोत हेतु 5 नलकूपों के खनन का प्रावधान था जिसके विरूद्ध 7 नलकूपों का खनन किया गया परंतु इनमें से किसी में भी पावर पंपों की स्थापना हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं था। वरिष्ठ भूजलविद् द्वारा अनुशंसित (जनवरी 2001) 2.70 लाख रूपये की लागत पर 1 डग वैल एवं 3 चेक डेम-कम-डाइकों के निर्माण के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। मुख्य अभियंता ने 5.90 करोड़ रूपये की लागत पर अनुपचारित जल के स्रोत के रूप में नगर से 30 किलोमीटर की दूरी पर बहने वाली नर्मदा नदी की अनुशंसा की (जनवरी 2001) जिसका भी अनुमोदन नहीं किया गया।

इसी मध्य मुख्यतः सामग्री की प्राप्ति एवं संपवैल व पंपगृह के निर्माण पर 33.86 लाख रूपये व्यय किए, जो अपूर्ण एवं निष्क्रिय पड़े थे।

(vii) सीतामऊ जल आपूर्ति आवर्धन योजना (मंदसौर जिला)

अनुपचारित जल के अविश्वसनीय स्रोत ने 27.95 लाख रूपये का व्यय निष्फल किया।

18 से बढ़ाकर जल आपूर्ति 70 लीटर प्रति व्यक्ति दैनिक करने हेतु 69 लाख रूपये लागत की योजना का तकनीकी अनुमोदन भारत सरकार ने (मार्च 1994) एवं प्रशासकीय अनुमोदन मध्यप्रदेश शासन ने (अक्टूबर 1994) प्रदान किया। चूंकि, अनुपचारित जल के स्रोत के रूप में प्रस्तावित लाडुना जलाशय विश्वसनीय नहीं पाया गया (जुलाई 1998), स्रोत को परिवर्तित कर इसे 16 किलोमीटर दूर बहने वाली चंबल नदी बनाते हुए 2.28 करोड़ रूपये का पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रमुख अभियंता को प्रस्तुत किया गया, जो जून 2001 तक अनुमोदित नहीं किया गया था। आरसीसी ओवरहेड टैंक के निर्माण एवं पाइपलाइन बिछाने पर 27.95 लाख रूपये का व्यय किया गया जो निष्फल रहा एवं जनता गंभीर जल संकट का सामना करती रही।

(viii) मझौली एवं कटंगी जल आपूर्ति आवर्धन योजनाएं (जबलपुर जिला)

योजनाओं पर निर्माण कार्यों को रोक देने के फलस्वरूप 1.89 करोड़ रूपये का व्यय निरर्थक हुआ।

भारत सरकार ने मझौली (77 लाख रूपये) एवं कटंगी (98.90 लाख रूपये) हेतु जल आपूर्ति आवर्धन योजनाएं अप्रैल 1996 में अनुमोदित कीं। मार्च 1997 तक पूर्णता हेतु समयबद्ध ये योजनाएं 1.89 करोड़ रूपये के व्यय के बावजूद जून 2001 तक अपूर्ण थीं। पावर पंपों की स्थापना हेतु खनित 13 नलकूपों में से मात्र 7 नलकूप सफल थे। इस प्रकार संबद्ध अवयवों पर निर्माण कार्यों को आरंभ करने के पूर्व जल स्रोतों की 95 प्रतिशत निर्भरता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा में सूक्ष्म जांच से प्रकट हुआ कि वितरण प्रणाली की प्राक्कलित लागत 41.22 लाख रूपये थी जिसके विरूद्ध पाइपलाइन की लंबाई में 8,139 मीटर की वृद्धि के कारण 76.87 लाख रूपये व्यय किए गए। मुख्य अभियंता को फरवरी-मार्च 1999 में प्रस्तुत 2.86 करोड़ रूपये के पुनरीक्षित प्राक्कलन, जून 2001 तक अनुमोदित नहीं हुए थे। अप्रैल 1999 से कार्य रोक दिया गया। आरसीसी ओवरहेड टैंक के निर्माण राइजिंग मैन एवं वितरण जाल को बिछाने आदि पर 1.89 करोड़ रूपये व्यय हुए जो कि निष्फल थे एवं जनता लगातार गंभीर जलसंकट का सामना करती रही।

(ix) कियान्वयन हेतु नगर पंचायतों को योजनाओं का अनुचित हस्तांतरण

नगर पंचायतों को योजनाएं अनुचित रूप से हस्तांतरित करने के फलस्वरूप 2.25 करोड़ रूपये अवरूद्ध हुए।

1.85 करोड़ रूपये एवं 1.79 करोड़ रूपये की भारत सरकार द्वारा अनुमोदित (अप्रैल एवं मई 1999) 2 योजनाओं (कुक्षी एवं अंजड़) का कियान्वयन क्रमशः 1.85 करोड़ रूपये एवं 40 लाख रूपये की जमा राशियों सहित संबंधित नगर पंचायतों को मार्च एवं दिसंबर 2000 में हस्तांतरित किया गया। फिर भी नगर पंचायतो, जिनमें उपकरणों व प्रशिक्षित अमले का अभाव था, ने जून 2001 तक इन योजनाओं पर कार्य आरंभ नहीं किया। योजनाओं का हस्तांतरण अनुचित था एवं इसके फलस्वरूप 2.25 करोड़ रूपये की निधियां अवरूद्ध हुईं।

3.1.6 पृथक लेखाओं का संधारण न किया जाना

प्रत्येक योजनाओं के पृथक-पृथक लेखे संधारित नहीं किए गए।

निधियों के दुरूपयोग एवं इनके अन्य कार्यों पर उपयोग की रोकथाम के लिए संभागों द्वारा भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन दोनों के द्वारा प्रत्येक योजना हेतु विमुक्त निधियों के पृथक-पृथक लेखे संधारित किए जाने थे। तथापि, नमूना

जांच किए गए किसी भी संभाग में योजनाओं हेतु विस्तृत लेखे, कार्य सार एवं निर्माण कार्यों की पंजी संधारित नहीं की गई।

इसे इंगित करने पर जहां मध्यप्रदेश शासन उत्तर देने में असफल रहा (दिसंबर 2001) छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2001) कि मुख्य अभियंता ने पूर्व में ही योजनावार पृथक लेखे संधारित करने के अनुदेश संभागों को जारी कर दिए थे। उत्तर यह सूचित करता है कि निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं किया गया।

3.1.7 अपर्याप्त परिवीक्षण

उचित परिवीक्षण हेतु त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं किए गए।

शहरी विकास मंत्रालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर प्रत्येक योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का परिवीक्षण किया जाना था। केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं पर्यावरण संगठन द्वारा प्रभावी परिवीक्षण हेतु स्थल निरीक्षण एवं मध्यप्रदेश शासन व नगरीय स्थानीय निकायों से चर्चाएं आवश्यक थीं। तथापि कोई परिवीक्षण नहीं किया गया क्योंकि संभागों द्वारा प्रत्येक योजना हेतु नियमित त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था।

3.1.8 चालन एवं रखरखाव

मार्च 2000 तक 2.07 करोड़ रूपये लागत की 3 योजनाएं रखरखाव हेतु स्थानीय निकायों को नहीं सौंपी गई।

नगरों की जनता को अनवरत पेयजल आपूर्ति की सुनिश्चितता हेतु कार्यक्रमों के अंतर्गत सृजित जल आपूर्ति योजनाओं/परिसंपत्तियों का उचित रखरखाव अत्यंत जटिल था। जल आपूर्ति योजनाओं के रखरखाव का दायित्व स्थानीय निकायों पर है।

लेखापरीक्षा में नमूना जांच से प्रकट हुआ कि 2.07 करोड़ रूपये की लागत पर 3 योजनाएं (सोहागपुर, हाटपीपल्या एवं सांवेर) मार्च 1999 एवं मार्च 2000 के मध्य पूर्ण की गई थीं, परंतु अब तक रखरखाव हेतु स्थानीय निकायों को सौंपी नहीं गई थीं (अप्रैल 2001), इसके फलस्वरूप शासन पर अनावश्यक वित्तीय भार पड़ा।

यद्यपि धामनोद जल आपूर्ति योजना का निर्माण कार्य अब तक पूर्ण नहीं हुआ था (अप्रैल 2001), तो भी मार्च 1998 में विद्युत कनेक्शन ले लिया गया था एवं ऊर्जा प्रभारों के लिए 1.76 लाख रूपये का भुगतान किया गया। यह व्यय निरर्थक था।

3.1.9 सामग्री प्रबंधन

जल आपूर्ति आवर्धन योजना में महंगे लोहे के पाइपों का उपयोग

6 योजनाओं में महंगे कास्ट आयरन एवं गैल्वनाइज्ड आयरन पाइपों के उपयोग के फलस्वरूप 92.05 लाख रूपये की अतिरिक्त लागत आई।

आवर्धन योजनाओं की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि विभाग ने कम लागत वाले ए सी पाइपों के लाभों, जैसे कि लौह तत्व वाले पानी से क्षरण में प्रतिरोध, कम वजन के कारण जुड़ाई, बिछाने एवं रखरखाव में मितव्ययता तथा उठाने-रखने एवं परिवहन में आसानी को नकारते हुए महंगी लागत वाले कास्ट आयरन एवं गैलवेनाइज्ड आयरन पाइपों का उपयोग किया। इससे आयरन ऑक्साइड के जमा होने के कारण जलवहन क्षमता में कमी एवं जीवाणुओं की उत्पत्ति के दोषों को भुगतना पड़ा। इसके फलस्वरूप 6 योजनाओं में 92.05 लाख रूपये अतिरिक्त लागत आई।

खंड - II गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम

3.1.10 कार्यान्वयन के प्रभाव का आकलन

(i) वित्तीय संरचना एवं व्यय

भारत सरकार ने गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत इस शर्त पर सहायता प्रदान की कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा "राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम" के अंतर्गत समरूपी अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। 1998-99 में स्वीकृति के अतिरिक्त जब सब-मिशनों पर व्यय भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया गया था, यह व्यय 75:25 के अनुपात में वहन किया जाना था। 1992-93 से 1995-96 के दौरान गतिवर्धित ग्रमीण जल आपूर्ति कार्यक्रम एवं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर 814.31 करोड़ रूपये व्यय किए गए। वर्ष 1996-97 से 2000-2001 के दौरान 1,015.01 करोड़ रूपये का और व्यय किया गया जैसा कि निम्नानुसार दर्शाया गया है:-

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (केन्द्र क्षेत्र)			न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (राज्य क्षेत्र)			योग			बचत
	विमुक्त	व्यय		विमुक्त	व्यय		उपलब्ध निधियां	व्यय		
		भारत सरकार को सूचित	विनियोग लेखा		भारत सरकार को सूचित	विनियोग लेखा		भारत सरकार को सूचित	विनियोग लेखा	
1996-97	73.14	76.10	72.35	74.53	71.38	62.53	147.67	147.48	134.88	0.19
1997-98	83.46	94.38	93.85	85.17	81.41	80.21	168.63	175.79	174.06	-7.16
1998-99	110.61	104.88	102.00	109.81	98.73	88.69	220.42	203.61	190.69	16.81
1999-2000	123.30	123.39	121.02	128.62	119.67	77.36	251.92	243.06	179.33	8.86
2000-01 मध्यप्रदेश	95.29	100.23	101.21	130.48	110.13	114.00	225.77	210.36	215.21	15.41
योग	485.80	498.98	491.43	528.61	481.32	422.79	1014.41	980.30	894.17	34.11
2000-01 छत्तीसगढ़	15.80	15.81	उनुपलब्ध	20.17	18.90	अनुपलब्ध	35.97	34.71	अनुपलब्ध	1.26
योग	501.60	514.79	471.38	548.78	500.22	422.79	1050.38	1015.01	894.17	35.37

मध्यप्रदेश शासन विनियोग लेखाओं के अनुसार 68.64 करोड़ रूपये के समरूपी अंश का प्रावधान करने में विफल रहा।

मध्यप्रदेश शासन न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के बराबर समरूपी अंश का प्रावधान करने में विफल रहा। 1996-97 से 2000-2001 के दौरान भारत सरकार को सूचित व्यय की दृष्टि से मध्यप्रदेश शासन का समरूपी अंश 17.66 करोड़ रूपये (498.98 करोड़ रूपये घटाएं 481.32 करोड़ रूपये) कम था एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्यप्रदेश के कार्यालय में संधारित विनियोग लेखाओं की तुलना में यह 68.64 करोड़ रूपये (491.43 करोड़ रूपये घटाएं 422.79 करोड़ रूपये) कम था।

मध्यप्रदेश शासन ने विनियोग लेखे से 66.08 करोड़ रूपये के अधिक व्यय को सूचित किया।

मध्यप्रदेश शासन के पास गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम निधियों के अंतर्गत 1 अप्रैल 1996 को 7.23 करोड़ रूपये का प्रारंभिक शेष एवं 31 मार्च 2001 को 70.94 लाख रूपये का अंतिम शेष था। इस प्रकार 1996-97 से 2000-2001 के दौरान मात्र 492.36 करोड़ रूपये की गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम निधियों का ही व्यय हुआ। इसके विरूद्ध, भारत सरकार को 498.98 करोड़ रूपये के व्यय की सूचना दी गई जबकि विनियोग लेखे 491.43 करोड़ रूपये के व्यय को सूचित करते थे। इसके फलस्वरूप भारत सरकार को सूचित व्यय 7.55 करोड़ रूपये अधिक

सूचित हुआ। इसी प्रकार, भारत सरकार को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत सूचित व्यय 58.53 करोड़ रूपये (481.32 करोड़ रूपये घटाएं 422.79 करोड़ रूपये) से अधिक था। व्यय की गलत सूचना मुख्यतः व्यय के आंकड़ों का मिलान न करने एवं बढ़ा कर बताए गए व्ययों के कारण थी जैसी कि नीचे उप कंडिका (II) में चर्चा की गई है।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय में कमी से राज्य 12.68 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता से वंचित रहा।

35.37 करोड़ रूपये की बचतें 17.68 लाख की आबादी के लिए 7,074 हैंडपंपों की व्यवस्था में उपयोग की जा सकती थीं। प्रमुख अभियंता ने बताया (नवंबर 2001) कि निधियों एवं आवंटन की विलंब से प्राप्ति व भुगतान पर रोक के कारण निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका। दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष में गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की तुलना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय में कमी को आगामी वित्तीय वर्ष की अंतिम किश्त से काटा जाना था। भारत सरकार ने इस कारण फरवरी 1993 से फरवरी 1998 के मध्य 12.68 करोड़ रूपये की कटौती की। राज्य शासन द्वारा समरूपी अनुदान की व्यवस्था न करने से न केवल केन्द्रीय अनुदान में कमी हुई वरन् योजना के क्रियान्वयन में भी 2 वर्षों की देरी हुई।

विभाग सब-मिशनों पर 6.57 करोड़ रूपये का उपयोग करने में विफल रहा, जनता जल गुणवत्ता समस्या का निरंतर सामना करती रही।

सब-मिशनों का उद्देश्य ग्रामीण जनता को होने वाली समस्याओं, जैसे कि फ्लोरोसिस, आर्सेनिक, खारापन, लौह आधिक्य आदि पर जल आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोतों अथवा लौह एवं फ्लोराइड निवारक संयंत्रों के माध्यम से कार्रवाई करना था। सुरक्षा स्वरूप पीने एवं भोजन पकाने हेतु 10 लीटर प्रति व्यक्ति दैनिक सुरक्षित जल की व्यवस्था के द्वारा गंभीर जल गुणवत्ता समस्याओं का सामना करने वाली बसाहटों के लिए दोहरी जल आपूर्ति प्रणाली अपनाई जानी थी। असुरक्षित स्रोतों से जल का उपयोग धुलाई, स्नान आदि के लिए किया जा सकता था। सब-मिशनों हेतु उपलब्ध निधियों एवं इनके विरूद्ध व्यय की स्थिति निम्नानुसार थी :-

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	केन्द्र क्षेत्र			राज्य क्षेत्र		
	ध्वमुक्त	व्यय	ब्यत आधिक्य (-)	विमुक्त	व्यय	बचत आधिक्य
1996-96	1.47	0.65	0.82	2.29	1.95	0.34
1996-97	2.92	2.15	0.77	1.60	1.55	0.05
1997-98	1.51	1.59	(-)0.08	3.60	2.63	0.97
1998-99	3.70	3.35	0.35	2.85	2.65	0.20
1999-2000	21.38	19.86	1.52	7.72	7.58	0.14
2000-01	4.61	3.93	0.68	7.16	6.36	0.80
योग	35.59	31.53	4.06	25.22	22.71	2.51

विभाग 6.57 करोड़ रूपये का उपयोग करने में विफल रहा, जिसके फलस्वरूप शिवपुरी, मंडला, झाबुआ, छिन्दवाड़ा, उज्जैन एवं दुर्ग जिलों में फ्लोरोसिस एवं खारापन नियंत्रण परियोजनाएं पूर्ण नहीं हुईं एवं जनता जल गुणवत्ता समस्या का सामना करती रही जैसी कि कंडिका 3.1.13 में चर्चा की गई है।

(ii) बढ़ाए हुए व्यय

प्रमुख अभियंता एवं मुख्य अभियंता, रायपुर ने 110.84 करोड़ रूपये सिविल जमा के अंतर्गत रखे, इसके फलस्वरूप व्यय को बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया। इसमें से 50.37 करोड़ रूपये उपयोग के बिना पड़े रहे।

(क) वित्त विभाग की सहमति से प्रमुख अभियंता ने वर्ष 1996-97 से 1999-2000 के दौरान 31 मार्च को 101.52 करोड़ रूपये का आहरण ''1095- केन्द्र प्रवर्तित योजना - गतिवर्धित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम'' को डेबिट कर एवं ''8443- सिविल जमा'' को केडिट देकर किया। बाद के वर्षो में इसमें से 98.52 करोड़ रूपये स्वीकृत कार्यो के कियान्वयन हेतु संभागों को प्रेषित कर दिए गए। 41 संभागों में 98.52 करोड़ रूपये में से 38.05 करोड़ रूपये सिविल जमा के अंतर्गत बिना खर्च के पड़े थे (मार्च 2001)। छत्तीसगढ़ में मुख्य अभियंता, रायपुर ने 31 मार्च 2001 को 9.32 करोड़ रूपये का आहरण किया एवं आवंटन को व्यपगत होने से बचाने हेतु इसे सिविल जमा के अंतर्गत रखा।

इस प्रकार, व्यय को 110.84 करोड़ रूपये (101.52 + 9.32 करोड़ रूपए) से बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया, जिसमें मात्र 60.47 करोड़ रूपये (55 प्रतिशत) ही वास्तव में 2 से 18 माह के विलंब सहित 1997-98 एवं 2000-2001 के मध्य उपयोग किए गए।

इसे इंगित करने पर जहां मध्यप्रदेश शासन उत्तर देने में असफल रहा (दिसंबर 2001), छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2001) कि केन्द्र से निधियां वास्तव में जनवरी एवं फरवरी 2001 के माह में प्राप्त हुई थीं। 31 मार्च 2001 तक आपूर्ति के अनुदेशों सहित विभाग ने सामग्रियों की आपूर्ति हेतु आदेश दिए थे। इस सामग्री का भुगतान मार्च 2001 के अंतिम दिनों में नहीं किया जा सका। इस प्रकार, प्राप्त सामग्री के भुगतान हेतु 9.32 करोड़ रूपये सिविल जमा के अंतर्गत रखे गए। आगामी वित्तीय वर्ष में अप्रैल एवं मई 2001 में इस राशि का उपयोग किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह कार्रवाई वित्तीय मानदंडों का उल्लंघन करती थी। दिशानिर्देशों के अनुसार गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम निधि आगामी वित्तीय वर्ष में ले जायी जा सकती थी एवं इन्हें सिविल जमा में रखने की आवश्यकता नहीं थी।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन सब-मिशनों के अंतर्गत समरूपी अंश गलत रूप से सम्मिलित करने के फलस्वरूप व्यय 10.05 करोड़ रूपये बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया।

(ख) सब-मिशन के मानदंडों के अनुसार भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश सरकार के मध्य सब-मिशनों पर व्यय को 75:25 के अनुपात में बांटा जाना था। गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम एवं विविध सब-मिशनों हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्रों की गहन जांच से प्रकट हुआ कि सब-मिशनों पर किए गए व्यय का राज्यांश (10.05 करोड़ रूपये) गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत समरूपी अंश हेतु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया था। इसके फलस्वरूप 1996-97 से 1999-2000 की अवधि के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय 10.05 करोड़ रूपये बढ़ा चढ़ा कर सूचित किया गया।

इसे इंगित करने पर प्रमुख अभियंता, भोपाल ने बताया (नवंबर 2001) कि योजना आयोग ने इन कार्यक्रमों हेतु पृथक निधियों की व्यवस्था नहीं की थी, अतः सब-मिशनों के अंतर्गत राज्यांश के प्रावधान को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत दर्शाया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था चूंकि भारत सरकार ने सब-मिशन कार्यक्रमों के अंतर्गत पृथक स्वीकृतियां जारी की थीं अतः सब-मिशन कार्यक्रमों का राज्यांश न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत समरूपी अंश के प्रति उपयोग नहीं किया जा सकता था।

66.64 लाख रूपये के अग्रिम व्यय को अंतिम व्यय माना गया।

(ग) हाइड्रोफेक्चरिंग इकाई की प्राप्ति के लिए यूनिसेफ को किए गए 66.64 लाख रूपये के अग्रिम भुगतान (मार्च 1998 एवं मार्च 2000) को अंतिम व्यय माना गया, यद्यपि जून 2001 तक मशीन की आपूर्ति नहीं की गई थी।

सामग्रियों की खरीदों को निर्माण कार्य पर सीधे ही प्रभारित करने से व्यय 6.84 करोड़ रूपये से बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया।

(घ) 1998-99 एवं 1999-2000 के दौरान 9.04 करोड़ रूपये हेतु सामग्री की लागत सीधे ही निर्माण कार्यों पर प्रभारित की गई। संबंधित वर्षों में मात्र 2.20 करोड़ रूपये की सामग्री (24 प्रतिशत) का ही उपयोग किया गया। इन वर्षों का व्यय 6.84 करोड़ रूपये से बढ़ाया गया।

(iii) व्यय की रेल-पेल (रश)

1997-2001 में कुल व्यय का 57 प्रतिशत वित्तीय वर्षों की अंतिम तिमाही में किया गया। अकेले मार्च में ही 36 प्रतिशत व्यय किया गया।

दिशानिर्देशों में निर्धारित है कि वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में उपलब्ध निधियों के 35 प्रतिशत से अधिक का उपयोग न किया जाए। इसके विपरीत 1997-2001 के दौरान अंतिम तिमाहियों में कुल व्यय में से 319.84 करोड़ रूपये (57 प्रतिशत) 4 परिक्षेत्रों में व्यय किए गए। इसमें से अकेले मार्च में ही 205.56 करोड़ रूपये (36 प्रतिशत) व्यय किए गए। आगे, इस अवधि के दौरान रायपुर परिक्षेत्र के अंतर्गत 3 संभागों में अंतिम तिमाहियों में व्यय 47 से 54 प्रतिशत के मध्य था जबकि मार्च में यह 31 से 35 प्रतिशत के मध्य था। वर्ष के अंत में निधियों की विलंबित विमुक्ति ने आयोजना एवं कियान्वयन प्रकिया को प्रभावित किया एवं इसके फलस्वरूप वित्तीय प्रगति की तुलना में गैर आनुपातिक भौतिक प्रगति सहित सामग्री के भंडार का बहुत अधिक संचयन हुआ (1 अप्रैल 1998, 1999 एवं 2000 को कमशः 83.82 करोड़ रूपये, 81.13 करोड़ रूपये एवं 79.35 करोड़ रूपये)।

इसे इंगित करने पर जहां मध्यप्रदेश शासन उत्तर देने में असफल रहा (दिसंबर 2001), छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2001) कि वास्तव में वर्षा के पश्चात् नवंबर से निर्माण कार्य का समय आरंभ होता है। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उपलब्ध निधियों का निर्माण कार्यों पर उपयोग किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निर्माण कार्यों के मुख्य अंश सूखे मौसम में किए जाने थे परंतु निधियां विमुक्त नहीं की गईं, फलस्वरूप कियान्वयन में विलंब हुआ।

(iv) निधियों का व्यपवर्तन

गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यकम से असंबद्ध गतिविधियों पर 77.11 लाख रूपये व्यपवर्तित किए गए।

भारत सरकार के अनुमोदन के बिना गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यकम निधियों का उपयोग वाहनों के कय अथवा लागत में वृद्धि के भुगतान हेतु नहीं किया जाना था। इसके बावजूद झाबुआ जिले में वाहनों के कय पर 17.54 लाख रूपये[41] व्यय किए गए, कार्यालय भवन के निर्माण हेतु 13 संभागों द्वारा 18.70 लाख रूपये आहरित किए गए एवं परियोजना संभाग रायपुर के सिविल जमा के अंतर्गत रखे गए एवं उज्जैन संभाग द्वारा आर सी सी ओवरहेड टेंक की लागत वृद्धि हेतु 40.87 लाख रूपये भुगतान किए गए।

इसे इंगित करने पर जहां मध्यप्रदेश शासन उत्तर देने में असफल रहा (दिसंबर 2001), छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2001) कि आकस्मिकताओं से 18.70 लाख रूपये का आहरण किया गया एवं परियोजना संभाग, रायपुर के पास सिविल जमा में रखा गया। नए छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के कारण कार्यालय भवनों के प्रत्याशित निर्माण कार्यों, वर्तमान भवनों के नवीनीकरण एवं

41 *परियोजना निर्माण एवं कार्यान्वयन समिति के मई 1998 के निदेश।*

सुधार में सुगमता हेतु ऐसा किया गया ताकि नए राज्य में कार्यभार ग्रहण करने वाले प्रत्याशित अतिरिक्त अधिकारियों एवं अमले को स्थान सुविधा दी जा सके। उत्तर गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम हेतु मानदंडों के उल्लंघन को सूचित करता था।

3.1.11 लक्ष्य एवं उपलब्धियां

लक्षित बसाहटों का 27 प्रतिशत पर्याप्त सुरक्षित पेयजल आपूर्ति के बिना रहा।

कार्य योजना (1997-2000) के अनुसार राज्य में बसाहटों की कुल संख्या 1,66,603 थी, इसमें से 1,09,553 में सुरक्षित पेयजल की पूर्ण व्यवस्था थी। शेष 57,050 (व्यवस्था रहित (एन सी) : 15,936, आंशिक व्यवस्था वाले (पी सी) : 41,114) मार्च 2000 तक जल व्यवस्था हेतु प्रस्तावित थीं। तथापि, 867.53 करोड़ रुपये की लागत पर मार्च 2001 तक 15,267 (एन सी : 1,594 एवं पी सी : 13,673) बसाहटों (27 प्रतिशत) को व्यवस्था रहित छोड़कर मात्र 41,783 (एन सी : 14,342 एवं पी सी : 27,441) बसाहटों में ही व्यवस्था की जा सकी। 1997-2001 के दौरान लक्ष्य एवं उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:-

श्रेणी	1997-98		1998-99		1999-2000		2000-2001		योग		प्रतिशत
	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.	
ए न सी	4880	9027	4478	3346	3260	1596	2483	1390	15101	15359	102
पी सी-1 (0 से 10 लीटर)	922	1679	1301	697	532	285	515	323	3270	2984	91
पी सी-2 (10 से 20 लीटर)	1615	4302	8780	5032	3289	1967	2661	1833	16345	13134	80
पी सी-3 (20 से 30 लीटर)	575	2461	5075	4392	4026	3241	2939	3475	12615	13569	108
पी सी-4 (30 से 40 लीटर)	419	1958	2323	2884	4293	3490	3463	5857	10498	14189	135
योग	8411	19427	21957	16351	15400	10579	12061	12878	57829	59235	
प्रतिशत		231		74		69		107		102	

उप. = उपलब्धियां

उपरोक्त का विश्लेषण करने पर निम्नानुसार प्रेक्षण प्रकट हुए:-

भूजल के अत्यधिक दोहन, अपर्याप्त चालन एवं रखरखाव ने 1,017 एन सी एवं 16,435 पी सी बसाहटों की वापसी (कम आपूर्ति) के प्रति योगदान दिया।

(I) मानदंडों के उल्लंघन में निम्न सेवा स्तर वाली एन सी से पी सी-2 (102 से 80 प्रतिशत) श्रेणियों की तुलना में पी सी-3 (108 प्रतिशत) एवं पी सी-4 (135 प्रतिशत) श्रेणियों वाली बसाहटों को गलत रूप से प्राथमिकता दी गई।

(II) मात्र 57,050 बसाहटों में ही जल व्यवस्था की गई जबकि विभाग ने 57,829 बसाहटों के लक्ष्य निर्धारित किए थे। एफ सी एवं पी सी से क्रमशः 16,435 पीसी एवं 1,017 एनसी श्रेणियों में वापसी को सूचित करते हुए 1997-2001 के दौरान वास्तव में 59,235 बसाहटों में व्यवस्था की गई। सिंचाई हेतु अत्यधिक जल दोहन के कारण भूजल के स्तर में तीव्र गिरावट, संभाव्य स्रोतों की पहचान करने में आधुनिक तकनीक को न अपनाना एवं अपर्याप्त चालन एवं रखरखाव इस वापसी के मुख्य कारण थे।

(III) 1998-99 की 74 प्रतिशत एवं 1999-2000 की 69 प्रतिशत की तुलना में 1997-98 हेतु 231 प्रतिशत की उपलब्धि बताई गई। सूक्ष्म जांच से प्रकट हुआ कि 26.32 करोड़ रूपये की लागत पर सूखा राहत एवं निक्षेप (डिपाजिट) कार्य के अंतर्गत खनित 5,263 नलकूपों को सम्मिलित कर 1997-98 की उपलब्धि को बढ़ाया गया था।

इसे इंगित करने पर जहां मध्यप्रदेश शासन उत्तर देने में असफल रहा (दिसंबर 2001), छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2001) कि आवंटन के अंतर्गत ही दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त किया गया एवं आयोजना एवं कियान्वयन द्वारा बसाहटों में व्यवस्था की कार्रवाई की गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि 1998-99 एवं 2000-2001 के दौरान 22 एवं 32 प्रतिशत के मध्य कमी थी, इसका मुख्य कारण इस उद्देश्य हेतु प्रावधानित निधियों का कम उपयोग था एवं यह 7 से 47 प्रतिशत के मध्य तक था।

3.1.12 निर्माण कार्यों का कियान्वयन

(i) स्रोतों की पहचान में आधुनिक तकनीक न अपनाना

स्रोतों की पहचान करने में वैज्ञानिक तकनीक न अपनाने के फलस्वरूप 15,842 नलकूप असफल हुए एवं 63.37 करोड़ रूपये का निरर्थक व्यय हुआ।

गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम स्रोतों की पहचान करने में वैज्ञानिक तकनीकों नामशः रिमोट सेंसिंग भूजलीय (हाइड्रोलॉजिकल) नक्शों एवं जल संभावना नक्शों के उपयोग आदि से सुविचारित है। मध्यप्रदेश शासन ने निदेश दिए (जून 1995) कि ऐसे क्षेत्रों, जहां असफलता 10 प्रतिशत से अधिक हो, नलकूपों के स्थल का सर्वे विभागीय भूजलविद् द्वारा किया जाएगा। ऐसा नहीं किया गया। 1997-2001 के दौरान 63.37 करोड़ रूपये की लागत पर खनित 15,842 नलकूप असफल रहे। लेखापरीक्षा में नमूना जांच से आगे प्रकट हुआ कि प्रमुख अभियंता द्वारा नलकूपों की असफलता को नियंत्रित करने हेतु जारी अनुदेशों का पालन नहीं किया गया।

(क) जून 1997 एवं मार्च 2000 के मध्य शाजापुर एवं उज्जैन जिलों में खनित 270 नलकूप सफल बताए गए परंतु अप्रैल 2001 तक इन पर हेंडपंप/ पावर पंप संस्थापित नहीं किए गए, इसके फलस्वरूप 1.21 करोड़ रूपये का व्यय निष्फल हुआ।

(ख) 1997-2001 के दौरान 14,187 असफल नलकूपों से केसिंग पाइपों (2.01 लाख मीटर) को वापस नहीं निकाला गया, इसके फलस्वरूप 9.20 करोड़ रूपये की हानि हुई।

(ग) 75 मीटर से अधिक की गहराई के नलकूप के खनन की विभागीय वरिष्ठ भूजलविद् द्वारा स्थल चयन के पश्चात् ही अनुमति थी। 9 संभागों में अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि वरिष्ठ भूजलविद् द्वारा स्थल निरीक्षण के बिना ही 75 मीटर गहराई से परे खनन किया गया, इसके फलस्वरूप 3.07 करोड़ रूपये का अनधिकृत व्यय हुआ, इसके अतिरिक्त 3 संभागों में 75 मीटर गहराई से परे खनन के उपरांत भी 161 नलकूप असफल रहे।

(घ) 7 संभागों में 60 मीटर की निर्धारित गहराई से कम गहराई वाले 2,993 नलकूप खनित किए गए एवं 78 नलकूपों में 9 मीटर की

निर्धारित गहराई तक केसिंग पाइप नहीं डाले गए, इसके फलस्वरूप नलकूप असफल रहे।

(ड) 5 संभागों में जहां पूर्व खनित नलकूप असफल बताए गए थे, विभागीय भूजलविद् द्वारा स्थल चयन (जैसा कि 1992 में जारी प्रमुख अभियंता के अनुदेशों के अनुसार आवश्यक था) के अभाव के कारण पुनः खनित नलकूप भी असफल हुए, इसके फलस्वरूप 24.85 लाख रूपये का निरर्थक व्यय हुआ। नलकूपों की 10 प्रतिशत असपफलता की गुंजाइश रखने के बाद भी शुद्ध निरर्थक व्यय 22.37 लाख रूपये संगणित होता है ।

(च) 1997-2001 के दौरान 2 संभागों में 2,724 मीटर खनन वाले 142 नलकूप अपूर्ण छोड़ दिए गए, इसके फलस्वरूप 9.07 लाख रूपये का निष्फल व्यय हुआ।

इसे इंगित करने पर जहां मध्यप्रदेश शासन उत्तर देने में असफल रहा (दिसंबर 2001), छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2001) कि शत-प्रतिशत रूप से सफल नलकूप के स्थल की प्राप्ति हेतु कोई पद्धति उपलब्ध नहीं थी। आवश्यकतानुसार भूजलविद् द्वारा स्थल का सर्वेक्षण किया गया था एवं यदि जिले में उपलब्ध हो तो आधुनिक तकनीक से स्थलों के सर्वेक्षण हेतु अनुदेश जारी किए गए थे। उत्तर सूचित करता है कि संपूर्ण राज्य में आधुनिक पद्धतियां नहीं अपनाई गई थीं।

(ii) दीर्घजीवितता (सस्टेनेबिलिटी) योजना के अंतर्गत नलकूपों का अनुचित खनन

सफाई एवं हाइड्रोफ्रेक्चरिंग के स्थान पर दीर्घजीवितता के अंतर्गत नलकूपों के अनुचित खनन के फलस्वरूप 59.22 करोड़ रूपये का परिहार्य व्यय।

भूजल के अत्यधिक दोहन पर आधारित सिंचाई के फलस्वरूप भूजल में कमी एवं जलस्तर में गिरावट आई, इसके कारण कुएं सूख गए। गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम द्वारा भूजल स्रोतों के पुनः भराव (रिचार्ज) एवं भरे-पटे व सूखे नलकूपों की सफाई पद्धति व हाइड्रोफ्रेक्चरिंग आदि के द्वारा स्रोतों की दीर्घजीविता (सस्टेनेबिलिटी) पर बल दिया गया (1986)। यह देखा गया कि अप्रैल 2001 तक संस्थापित 2,90,031 हेंडपंपों में से मात्र 2,39,956 हेंडपंप कार्यशील थे एवं 50,075 निष्क्रिय पड़े थे। इन 50,075 हेंडपंपों में से भी मात्र 5,896 को सुधार योग्य एवं 19,763 को पाइप लाइन गिर जाने व छेदों के भर जाने के कारण असुधार योग्य बताया गया। शेष 24,416 हेंडपंपों को भूजल में गिरावट के कारण सूखना बताया गया। सफाई एवं हाइड्रोफ्रेक्चरिंग हेतु औसतन 4,000 रूपये एवं 5,000 रूपये प्रति नलकूप की आवश्यकता थी, जबकि प्रति नलकूप खनन लागत 40,000 रूपये से 50,000 रूपये थी। तथापि, यह देखा गया कि भरे हुए नलकूपों की सफाई एवं सूखे नलकूपों की हाइड्रोफ्रेक्चरिंग के स्थान पर 67.68 करोड़ रूपये की लागत से 16,919 नए नलकूपों का खनन किया गया। इसके फलस्वरूप 59.22 करोड़ रूपये की अतिरिक्त लागत आई।

इसे इंगित करने पर जहां मध्यप्रदेश शासन उत्तर देने में असफल रहा (दिसंबर 2001), छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2001) कि जब सफाई एवं ब्लास्टिंग/ हाइड्रोफ्रेक्चरिंग असफल हो गई तब गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के मानदंडों के अनुरूप 40 लीटर प्रति व्यक्ति दैनिक जल की व्यवस्था हेतु भरे-पटे असफल नलकूपों के स्थान पर नए नलकूपों का खनन किया गया।

उत्तर तथ्यों के अनुसार सही नहीं है क्योंकि संभागों में अभिलेख शासन द्वारा वर्णित स्थिति को सूचित नहीं करते।

(iii) हेंडपंपों का अनुचित प्रतिस्थापन

मार्क-II हेंडपंपों के स्थान पर मार्क-III हेंडपंपों के अनुचित प्रतिस्थापन के फलस्वरूप 1.17 करोड़ रूपये का परिहार्य व्यय हुआ।

यूनिसेफ ने अपने सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत विभाग को 1024 इंडिया मार्क-III हेंडपंप निशुल्क प्रदान किए। प्रमुख अभियंता ने इन्हें दिसंबर 1997 तक तत्कालीन मार्क-II हेंडपंपों के स्थान पर संस्थापित करने के निदेश सहित 3 संभागों को आवंटित किया। इस प्रतिस्थापन पर 1.09 करोड़ रूपये का व्यय किया गया जिसे नवीन स्रोतों पर इन पंपों के संस्थापन हेतु उपयोग किया जा सकता था। अन्य 2 संभागों में यह देखा गया कि मार्क-III हेंडपंपों हेतु आवश्यक 7.59 लाख रूपये मूल्य के 65 मिलीमीटर के सक्शन पाइप बेकार पड़े थे (बालाघाटः 4,121 मीटर एवं रीवाः 675 मीटर) जबकि संस्थापन हेतु मार्क-III हेंडपंपों की आपूर्ति नहीं की गई थी।

(iv) संरक्षण उपायों के बावजूद जल स्तर (टेबिल) में गिरावट

भूमि उपचार एवं रिचार्जिंग पर 60.05 करोड़ रूपये के व्यय के बावजूद क्षेत्रों में जल स्तर गिरा।

विभाग ने 1998-2001 के दौरान 9.55 करोड़ रूपये की लागत से 4,374 संरचनाओं (चैक डेम कम डाइक) एवं विद्यमान नलकूपों में 13,484 रिचार्जिंग पाइंटों का निर्माण किया। इसके अतिरिक्त, 1997-2000 के दौरान कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय वाटर शेड कार्यक्रम के अंतर्गत 2.34 लाख हेक्टेयर भूमि के उपचार हेतु 50.50 करोड़ रूपये व्यय किए गए। इन प्रयासों के बावजूद, जल स्तर में गिरावट आई एवं नलकूपों की औसत गहराई 1994-95 में 60 मीटर से बढ़कर 2000-2001 में 120 मीटर हो गई। लेखापरीक्षा विश्लेषण से प्रकट हुआ कि जल स्तर में गिरावट के कारण निष्क्रिय पड़े नलकूपों/ ग्रामीण नल जल आपूर्ति योजनाओं की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती गई जैसा कि निम्नानुसार वर्णित हैः-

दिनांक को स्थिति	स्रोतों की असफलता के कारण बंद पड़ी योजनाएं		
	हेंडपंप	नल जल आपूर्ति योजनाएं	स्पाट सोर्स योजनाएं
1 अप्रैल 1998	13,450	157	111
1 अप्रैल 1999	17,120	159	72
1 अप्रैल 2000	17,495	168	उपलब्ध नहीं
1 अप्रैल 2001	24,416	196	256

लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने पर मुख्य अभियंता, इंदौर ने बताया (मई 2001) कि रिचार्ज के प्रभाव को परिलक्षित नहीं किया गया क्योंकि यह बहुत धीमी प्रक्रिया है एवं अधिकांश प्रकरणों में भूजल दोहन संभावित रिचार्ज से अधिक है क्योंकि ये कार्य वैज्ञानिक तरीकों से दिशा निर्देशित नहीं किए गए हैं एवं दूसरा यह कि भूजल में वृद्धि की गति बहुत ही मंद है एवं इसके प्रभाव का कुछ वर्षो के पश्चात् अनुभव किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2001) कि इस प्रयोजन हेतु किए गए सभी निर्माण निश्चित ही भूमि के अंदर जल का रिसाव होने देंगे अतः प्रयासों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तथापि, संरक्षण उपायों के प्रभाव अध्ययन हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए।

(v) ग्रामीण नल जल आपूर्ति योजनाओं का पूर्ण न होना

231 ग्रामीण नल जल आपूर्ति योजनाए अपूर्ण पड़ी थीं इसके फलस्वरूप 16.62 करोड रूपये का निष्फल व्यय हुआ।

ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामों के लिए नल जल आपूर्ति योजनाओं का कियान्वयन किया जा रहा है। नल जल आपूर्ति योजनाओं को 2 से 3 वर्ष के अंदर पूर्ण करना आवश्यक था। 1994-99 के दौरान 121.27 करोड़ रूपये की लागत की 1,657 नल जल आपूर्ति योजनाओं को स्वीकृति दी गई। 1997-98 एवं 2000-2001 के मध्य 129.40 करोड़ रूपये का व्यय किया गया। लेखापरीक्षा में छानबीन से प्रकट हुआ कि जनवरी 2001 तक 871 योजनाएं अपूर्ण पड़ी थीं एवं शासन ने सीमित वित्तीय स्रोतों के कारण इन योजनाओं को पूर्ण करने हेतु आवश्यक समय बताने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। इनमे से 231योजनाओं की नमूना जांच की गई 16.62 करोड रूपये के व्यय (मार्च2001) के पश्चात भी मुख्यतः निधियों की अनुपलब्धता, जल स्रोतों की अपर्याप्तत्र कियान्वयन के दौरान विशिष्टि में परिवर्तन, विद्युत उर्जा आपूर्ति में विलंब एवं जिला योजना समिति व विभाग के मध्य समन्वय के अभाव के कारण अपूर्ण पड़ी थी । इसके फलस्वरूप 16.62 करोड रूपये की पूंजी अवरूद्ध हुई । आगे, यह देखा गया कि इन योजनाओं को पूर्ण करने के बदले विभाग ने 9 संभागों में 372 नवीन नल जल आपूर्ति योजनाएं स्वीकृत कीं, जिसके लिए 2000-2001 के दौरान 6.12 करोड़ रूपये की निधियों का प्रावधान किया गया।

इसे इंगित करने पर जहां मध्यप्रदेश शासन उत्तर देने में असफल रहा (दिसंबर 2001) छत्तीसगढ. शासन ने बताया (अक्टूबर 2001) कि ग्रामीण नल जल अपूर्ति योजनाओं को अतिशीघ्र पूर्ण करने की कार्यवाही की गई थी ।

3.1.13 जल की गुणवत्ता

(i)अपर्याप्त जल गुणवत्ता परिवीक्षा एवं निगरानी

जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं पर 3.13 करोड़ रूपये (74 प्रतिशत) व्यय करने में विभाग असफल रहा। लक्ष्यित नमूनों के मात्र 23.45 प्रतिशत की ही जांच की गई।

(क) भारत सरकार ने ग्रामीण बसाहटों के जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं की एक श्रृंखला को स्थापित करने हेतु शत् प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की थी। 61 स्थाई प्रयोगशालाओं की स्वीकृति दी गई, इनमें से मार्च 2001 तक मात्र 33 प्रयोगशालाएं ही स्थापित हुई। 1996-2001 के दौरान 4.26 करोड़ रूपये उपलब्ध कराए गए, इनमें से मात्र 1.13 करोड़ रूपये (26 प्रतिशत) ही इन गतिविधियों पर व्यय किए गए। 3.24 लाख नमूनों के संग्रहण एवं परीक्षण के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 0.76 लाख नमूनों (23.45 प्रतिशत) का ही परीक्षण किया गया। 26 प्रयोगशालाओं में अर्हता प्राप्त रसायनज्ञ उपलब्ध नहीं कराए गए जिससे जल गुणवत्ता परीक्षण का कार्य बाधित हुआ। इस प्रकार मात्र 7, प्रयोगशालाएं ही कार्यरत् थीं।

इसे इंगित करने पर जहां मध्यप्रदेश शासन उत्तर देने में असफल रहा (दिसंबर 2001), छत्तीसगढ़ शासन ने स्वीकार किया (अक्टूबर 2001) कि अमले की आवश्यकता एवं अन्य औपचारिकताओं जैसे कि फर्नीचर, रसायनों आदि का प्रावधान किया जाना था एवं बताया कि उपलब्ध सुविधाओं से गुणवत्ता परिवीक्षण कार्य प्रगति पर था।

क्षतिग्रस्त चबूतरों का निर्माण न करने एवं केसिंग पाइप की अपर्याप्त गहराई ने भूजल प्रदूषित किया, इसके फलस्वरूप जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियों की घटनाएं बढ़ीं।

(ख) 1997-98 के दौरान 10,213 ग्रामों में क्षतिग्रस्त चबूतरों (प्लेटफार्म) एवं केसिंग पाइप की अपर्याप्त गहराई के कारण नलकूपों में भूजल प्रदूषित होने से अतिसार के प्रकरण थे। 1998-99 के दौरान 2.87 लाख अतिसार एवं 2,534 पीलिया के मरीजों के साथ ही जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियों की घटनाएं बढ़ गईं। इनमें से अतिसार से ग्रस्त 1,872 एवं पीलिया से ग्रस्त 36 मरीज़ मर गए।

इसे इंगित करने पर जहां मध्यप्रदेश शासन उत्तर देने में असफल रहा (दिसंबर 2001), छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2001) कि चबूतरों आदि की मरम्मत हेतु कार्रवाई की जा चुकी थी।

(ii) पेयजल में फ्लोराइड की अधिकता

2729 ग्रामों में फ्लोराइड आधिक्य के नियंत्रण हेतु कोई भी प्रतिकारक उपाय नहीं किए गए।

(क) मार्च 2001 तक जल में फ्लोराइड की अधिकता वाले 3,340 ग्रामों की पहचान की गई थी। अक्टूबर 1994 एवं 1998 के मध्य 64.60 करोड़ रूपये की लागत पर 5 जिलों के 611 ग्रामों (18 प्रतिशत) हेतु योजनाएं प्रारंभ की गईं। मार्च 2001 तक इन योजनाओं में से 186 पूर्ण, 76 आंशिक रूप से पूर्ण, 309 प्रगतिरत थीं एवं 40 पर कार्य आरंभ नहीं हुआ था। शेष 2,729 ग्रामों (82 प्रतिशत) में कोई भी प्रतिकारक उपाय नहीं किए गए।

पर्याप्त सुरक्षित स्रोतों वाले 17 ग्रामों को शिवपुरी योजना में गलत रूप से सम्मिलित करने के फलस्वरूप 1.58 करोड़ रुपये की परिहार्य लागत आई।

(ख) फ्लोराइड उप-मिशन के अंतर्गत शिवपुरी जिले के 24 गांव लिए गए (जनवरी 1996)। 20 डिफ्लोरिडेशन संयंत्रों एवं 4 नल जल आपूर्ति योजनाओं में से मार्च 2001 तक 86.19 लाख रूपये की लागत पर 16 डिफ्लोरिडेशन संयंत्र एवं 2 समूह नल जल आपूर्ति योजनाएं पूर्ण की गईं। फरवरी 2001 में लागत 1.78 करोड़ रूपये तक पुनरीक्षित की गईं। यह देखा गया कि 24 ग्रमों में से 17 ग्रामों में पहले से ही स्थित जल के सुरक्षित स्रोतों को भी कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया, इसके फलस्वरूप 1.58 करोड़ रूपये की परिहार्य लागत आई।

(iii) राजनांदगांव जिले के 11 ग्रमों में जल में आर्सेनिक, एक जहरीली सामग्री देखी गई (सितंबर 1998) परंतु मार्च 2001 तक कोई प्रतिकारक उपाय नहीं किए गए थे।

इसे इंगित करने पर छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2001) कि चौकी खंड में आर्सेनिक का पता लगने के बाद सभी प्रभावित स्रोतों को बंद कर दिया गया एवं ग्राम में सुरक्षित स्रोत से एक योजना का कियान्वयन भी किया गया था। आसपास के सभी स्रोतों का नेशनल एनवायरमेंटल एवं इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, नागपुर से भी परीक्षण कराया गया एवं उचित कार्रवाई की गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मात्र कौड़ीकसा ग्राम के लिए ही योजना कियान्वित की गई एवं 5 ग्रामों के लिए नल जल आपूर्ति योजनाएं 33.68 लाख रूपये की लागत पर प्रस्तावित की गईं जो जून 2001 तक अनुमोदित नहीं हुई थीं।

(iv) पेयजल में अधिक खारापन (ब्रेकिशनेस)

उज्जैन एवं दुर्ग जिले के अतिरिक्त 10 जिलों में अधिक खारेपन के नियंत्रण हेतु प्रतिकारक उपाय नहीं किए गए।

अधिक खारेपन के नियंत्रण हेतु उपायों में उपचार के पश्चात् कुल घुलनशील पदार्थों को स्वीकार्य सीमाओं में लाने अथवा वैकल्पिक स्रोतों से व्यवस्था सम्मिलित है। 12 जिलों के 822 ग्रामों के 1,729 जल स्रोतों में पेयजल में अधिक खारापन विद्यमान है। तथापि यह देखा गया कि उज्जैन एवं दुर्ग जिले के अतिरिक्त जून 2001 तक किसी भी जिले में प्रतिकारक उपाय नहीं किए गए।

(क) उज्जैन जिले में खारेपन पर अपर्याप्त नियंत्रण

उज्जैन जिले की खारापन नियंत्रण परियोजना के कियान्वयन में भौतिक प्रगति वित्तीय प्रगति के अनुरूप नहीं थी।

भारत सरकार ने जुलाई 1997 में 7.74 करोड़ रूपये के लिए खारेपन के नियंत्रण हेतु एक परियोजना अनुमोदित की एवं मध्यप्रदेश शासन ने फरवरी 1998 में इसे प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया। 3.77 करोड़ रूपये की विमुक्ति (केन्द्रः 2.90 करोड़ रूपये एवं राज्य 0.87 करोड़ रूपये) के विरूद्ध मार्च 2001 तक 3.14 करोड़ रूपये का व्यय किया गया था। परियोजना फरवरी 2001 तक पूर्ण करना नियत तथा, तथापि 29.33 प्रतिशत की भौतिक प्रगति 40.57 प्रतिशत की वित्तीय प्रगति के अनुरूप नहीं थी। मार्च 2001 तक खनित 187 नलकूपों मे से मात्र 109 नलकूप ही पावरपंपों की संस्थापना के योग्य थे।

(ख) दुर्ग जिले में खारेपन के नियंत्रण हेतु अनावश्यक परियोजना

खारापन नियंत्रण परियोजना में सम्मिलित 19 ग्रामों में से मात्र 1 में सुरक्षित स्रोत नहीं था। इसलिए 1.40 करोड़ रूपये की दुर्ग परियोजना अनावश्यक थी।

दुर्ग जिले के 19 ग्रमों में खारेपन के नियंत्रण हेतु 1.40 करोड़ रूपये की एक परियोजना मध्यप्रदेश शासन द्वारा जून 2000 में अनुमोदित की गई एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन दिया गया (जून 2001)। परियोजना में सभी प्रभावित ग्रामों के लिए 9 नल जल आपूर्ति योजनाएं एवं 5 समूह नल जल आपूर्ति योजनाएं[42] सम्मिलित थीं। एक के अतिरिक्त सभी ग्रामों में मानदंडों के अनुरूप 10 लीटर प्रति व्यक्ति दैनिक पेयजल की आपूर्ति हेतु सुरक्षित स्रोत हैं। इस प्रकार परियोजना अनावश्यक थी क्योंकि खारे जल का धुलाई, स्नान आदि में उपयोग किया जा सकता था।

इसे इंगित करने पर छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2001) कि परियोजना प्रभावित क्षेत्र की जनता की आवश्यकता के अनुरूप सुरक्षित एवं पर्याप्त जल (40 लीटर प्रति व्यक्ति दैनिक) उपलब्ध कराने के लिए है जिसके लिए जनप्रतिनिधि अत्यधिक दबाव डाल रहे थे। मानदंडों एवं ऊपर वर्णित स्थिति की दृष्टि से उत्तर स्वीकार्य नहीं है।

42 *हैंडपंपों एवं स्टैंड पोस्टों सहित जल आपूर्ति योजनाएं।*

(v) पेयजल में लौह आधिक्य

रखरखाव के अभाव एवं स्थानीय समुदाय की भागीदारी न होने के कारण 2640 लौह निवारक संयंत्र खराब हो गए, इसके फलस्वरूप 1.85 करोड़ रूपये का निष्फल व्यय हुआ।

16 जिलों के 3,684 ग्रामों में 7,493 स्रोतों में लौह आधिक्य की समस्या की पहचान की गई थी। इस समस्या के हल के लिए 3,116 लौह निवारक संयंत्र संस्थापित किए गए जिसमें से मात्र 476 लौह निवारक संयंत्र चालू हालत में थे एवं रखरखाव के अभाव के कारण 2,640 लौह निवारक संयंत्र बंद पड़े थे, इसके फलस्वरूप 1.85 करोड़ रूपये का व्यय निष्फल हुआ।

इसे इंगित करने पर छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2001) कि 1995 से 1997 के दौरान जब लौह निवारक संयंत्र ग्राम पंचायतों के पास थे, तब ये रखरखाव के अभाव के कारण बिगड़ गए थे। जनता को शिक्षित करने की कार्रवाई भी व्यर्थ रही। उत्तर से ज्ञात हुआ कि विभागीय कार्रवाई से फल की प्राप्ति नहीं हुई एवं संपूर्ण व्यय निष्फल हुआ।

3.1.14 सोलर फोटो वोल्टेक पंपिंग प्रणाली पर निष्फल व्यय

उचित रखरखाव के अभाव एवं सोलर पेनलों की चोरी होने के कारण 2.10 करोड़ रूपये की 35 सोलर फोटो वोल्टेक पंपिंग प्रणालियां बंद पड़ी थीं।

विद्युत शक्ति की अनुपलब्धता वाले 6 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 1989 एवं 1995 के मध्य 86 सोलर फोटो वोल्टेक पंपिंग प्रणालियां संस्थापित की गईं। इनमें से मात्र 51 सोलर फोटो वोल्टेक पंपिंग प्रणालियां ही कार्यशील थीं एवं सोलर पैनलों की चोरी होने अथवा उचित रखरखाव के अभाव के कारण 35 (41 प्रतिशत) सोलर फोटो वोल्टेक पंपिंग प्रणालियां कार्यशील नहीं थीं। इस प्रकार इन 35 सोलर फोटो वोल्टेक पंपिंग प्रणालियों पर 2.10 करोड़ रूपये के व्यय से कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा था।

इसे इंगित करने पर छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2001) कि रखरखाव हेतु ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित 48 सोलर फोटो वोल्टेक पंपिंग प्रणालियों में से 15 सोलर प्लेटों की चोरी के कारण कार्यशील नहीं थीं। तथापि, सोलर प्लेटों की मरम्मत अथवा इन्हें बदलने की कोई कार्रवाई नहीं की गई।

3.1.15 विभागीय रिगों एवं विद्युत/ यांत्रिकी संरचना का निष्पादन (परफॉर्मेन्स)

ठेकेदारों की अपेक्षा विभागीय रिगों से कार्य सस्ता था एवं इसके कारण रायपुर परिक्षेत्र में 4.98 करोड़ रूपये की अतिरिक्त लागत आई।

(क) रायपुर परिक्षेत्र के सिविल संभागों से यांत्रिक संभाग, बिलासपुर की प्रति नलकूप लागत की तुलना से प्रकट हुआ कि ठेकेदारों द्वारा कियान्वयन की अपेक्षा विभागीय रिगों द्वारा कार्य का कियान्वयन सस्ता था। यदि 30 विभागीय रिगें अधिकतम उपयोग में लाई गई होतीं तो 1997-2001 के दौरान परिक्षेत्र में 4.98 करोड़ रूपये की बचत की जा सकती थी।

इसे इंगित करने पर छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2001) कि लक्ष्यों के निर्धारण में प्रमुख अभियंता, भोपाल द्वारा अपनाए गए मानदंडों एवं प्रकिया पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं की जा सकती।

9 निष्क्रिय रिगों पर नियोजित अमले के वेतन एवं भत्तों पर 91.70 लाख रूपये व्यय किए गए।

(ख) यांत्रिक संभाग ग्वालियर में यह देखा गया कि वर्ष 2000-2001 के दौरान 10 रिगों में से 1.03 करोड़ रूपये की 9 रिगें कार्यशील नहीं थीं। इस अवधि के दौरान इन निष्क्रिय रिगों के नियमित एवं परिचालन अमले के वेतन एवं भत्तों पर 91.70 लाख रूपये व्यय हुए। कार्यपालन यंत्री ने अन्य जिलों में इन रिगों एवं अमले के अभिनियोजन हेतु कोई कार्रवाई नहीं की एवं निष्क्रिय अमले पर व्यय जारी रहा।

स्थापना व्यय-निर्माण व्यय का 21 प्रतिशत था।

(ग) विद्युत एवं यांत्रिक संरचना में 1 मुख्य अभियंता, 4 अधीक्षण यंत्री, 4 कार्यपालन यंत्री, 40 सहायक यंत्री, 1 लेखा अधिकारी, 279 उप यंत्री एवं 542 अन्य तकनीकी एवं लिपिक वर्गीय अमला है। अमले की आवश्यकता हेतु विभाग द्वारा कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए गए। 2000-2001 के दौरान नियमित स्थापना पर कुल व्यय 37.15 करोड़ रूपये था जो 174 करोड़ रूपये के निर्माण व्यय का 21 प्रतिशत था। लेखापरीक्षा जांच से प्रकट हुआ कि 1997-2001 के दौरान पुरानी पड़ती हुई मशीनों के बेड़े को कार्यशील बनाए रखने एवं कार्यभारित व दैनिक वेतनभोगी अमले को कार्य में व्यस्त रखने के लिए प्रमुख अभियंता ने मशीनों की क्षमता के अनुरूप कार्य उपलब्ध नहीं कराया।

वर्तमान रिगों एवं अमले के कम उपयोग के बावजूद मध्यप्रदेश शासन ने 1 जुलाई 1999 से नवगठित जिलों के मुख्यालयों में 15 उप-संभागों को खोलने की स्वीकृति प्रदान की (जून 1999) एवं 15 सहायक यंत्रियों, 60 उप यंत्रियों एवं 60 लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के पद स्वीकृत किए। 8 उप-संभागों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि जुलाई 1999 से मार्च 2001 के दौरान इन उप संभागों में 72.87 लाख रूपये के स्थापना व्यय के विरूद्ध निर्माण व्यय 1.29 करोड़ रूपये (कार्यभारित एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन पर 20.53 लाख रूपये सहित) था। यह भी,कि विभाग ने निष्क्रिय रिगों एवं कर्मचारियों के लाभदायक उपयोग हेतु कोई कार्रवाई नहीं की।

3.1.16 अपर्याप्त चालन एवं रखरखाव

हेंडपंप एवं जल आपूर्ति योजनाओं के अपर्याप्त चालन एवं रखरखाव के फलस्वरूप 305.30 करोड़ रूपये का निष्फल व्यय हुआ।

(क) पेयजल स्रोतों के उचित रखरखाव को प्राथमिकता देना दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट था। जल आपूर्ति योजनाओं के चालन एवं रखरखाव के लिए गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम निधियों का 15 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम निधियां रखी जानी आवश्यक थीं। लेखापरीक्षा में सूक्ष्म जांच से प्रकट हुआ कि 1997-2001 के दौरान जल आपूर्ति परिसंपत्तियों के चालन एवं रखरखाव पर मात्र 182.23 करोड़ रूपये (गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम एवं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत 855.03 करोड़ रूपये के कुल व्यय का 21.25 प्रतिशत) का व्यय किया गया। इस प्रकार अपर्याप्त निधियों के कारण योजना स्रोतों से 18.65 करोड़ रूपये लिए जाने के बावजूद अप्रैल 2001 को 220.90 करोड़ रूपये लागत के 44,179 नलकूप एवं 84.40 करोड़ रूपये की लागत वाली 844 ग्रामीण नल जल आपूर्ति योजनाएं बंद पड़ी थीं। इससे 1.27 करोड़ ग्रामीण जनता सुरक्षित पेयजल के लाभों से वंचित रही।

इसे इंगित करने पर जहां मध्यप्रदेश शासन उत्तर देने में असफल रहा (दिसंबर 2001), छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2001) कि विभाग हेंडपंपों के रखरखाव पर पूरा ध्यान दे रहा है। नल जल आपूर्ति योजनाओं का रखरखाव संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है एवं जब भी आवश्यक हो विभाग द्वारा सहयोग एवं तकनीकी मदद दी जाती है। स्रोतों के सूखने की स्थिति में अन्य स्रोत का विकास किया जाता है एवं ग्राम पंचायत को सौंपा जाता है।

(ख) परिसंपत्तियों की सूची न बनाना

जिला स्तर पर परिसंपत्तियों की सूची नहीं बनाई गई।

भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के अनुदेशों के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत, विकासखंड एवं जिले में सृजित सभी पेयजल स्रोतों संबंधी परिसंपत्तियों की पूर्ण सूची बनाई जानी आवश्यक थी। इसे कार्यपालन यंत्री के पास उपलब्ध रखा जाना था। यद्यपि मार्च 2001 तक 3.51 लाख नलकूप 4,148 नल जल आपूर्ति एवं स्पाट सोर्स योजनाओं का सृजन किया गया, परिसंपत्तियों की सूची नहीं बनाई गई।

इसे इंगित करने पर जहां मध्यप्रदेश शासन उत्तर देने में असफल रहा (दिसंबर 2001), छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2001) कि निर्धारित प्रपत्र में परिसंपत्तियों की सूची नहीं बनाई गई थी परंतु संभागीय कार्यालयों में पूर्ण जानकारी उपलब्ध थी।

(ग) गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम में महिलाओं को सम्मिलित न करना

किसी भी महिला को हेंडपंप मैकेनिक के रूप में प्रशिक्षित नहीं किया गया, न ही हेंडपंपों एवं स्टेंड पोस्टों के स्थल निर्धारण में उन्हें सम्मिलित किया गया।

अन्य बातों के साथ-साथ दिशानिर्देशों में प्रावधान था कि गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की मुख्य हितग्राही होने के कारण महिलाओं को प्रत्येक स्तर पर मुख्यतः बसाहटों में हेंडपंपों व स्टेंड पोस्टों के स्थल निर्धारण के समय सम्मिलित किया जाना चाहिए। हेंडपंप मैकेनिकों में कम से कम 30 प्रतिशत स्थानीय क्षेत्र/ बसाहटों की महिलाएं होना आवश्यक था क्योंकि वे दूसरों की तुलना में अधिक अच्छी तरह चालन एवं रखरखाव कर सकती थीं। किसी भी महिला को हेंडपंप मैकेनिक के रूप में प्रशिक्षित नहीं किया गया न ही हेंडपंपों एवं स्टेंड पोस्टों के स्थल निर्धारण के समय इनसे परामर्श किया गया।

इसे इंगित करने पर जहां मध्यप्रदेश शासन उत्तर देने में असफल रहा (दिसंबर 2001), छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2001) कि पूर्व में डेनिडा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक हेंडपंप की देखभाल हेतु महिला कार्यकर्ता को प्रशिक्षित किया गया था। पंचायती राज की स्थापना के पश्चात् 33 प्रतिशत पंच/ सरपंच महिलाएं ही होती हैं। इन महिलाओं ने हेंडपंप के स्थल निर्धारण एवं बैठकों में अपने सुझाव देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अभिलेख किसी भी गतिविधि में महिलाओं की भूमिका को नहीं दर्शाते हैं।

3.1.17 सामुदायिक भागीदारी-सेक्टर रिफार्म परियोजना

सेक्टर रिफॉर्म की न तो भौतिक, न ही वित्तीय प्रगति परिक्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध थी यद्यपि इस पर 13.25 करोड़ रूपये विमुक्त किए गए थे।

(i) ग्रामीण जल आपूर्ति योजना में सामुदायिक भागीदारी के संस्थाकरण एवं 100 प्रतिशत चालन एवं रखरखाव लागत व पूंजीगत लागत की 10 प्रतिशत भागीदारी द्वारा उपयोगकर्ता समुदायों की सतत् संलग्नता से प्रत्यक्ष सेवा प्रदाय हेतु सरकार की भूमिका में परिवर्तन के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1999-2000 से पेयजल क्षेत्र में सेक्टर रिफार्म आरंभ किया। सेक्टर रिफार्म के अंतर्गत राज्य के 5 जिलों का चयन किया गया एवं भारत सरकार ने 1999-2001 के दौरान 171.13 करोड़ रूपये की लागत की जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजनाएं (जल आपूर्ति : 167.23 करोड़ रूपये एवं स्वच्छता : 3.90 करोड़ रूपये) अनुमोदित कीं। 2000-2001 के दौरान संभागों को 13.25 करोड़ रूपये विमुक्त किए गए। परिक्षेत्रीय स्तर पर पर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का परिवीक्षण नहीं किया गया।

यद्यपि आवश्यक नहीं था तो भी सेक्टर रिफॉर्म जिलों में गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम निधियों से 12.09 करोड़ रूपये व्यय किए गए।

(ii) दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट था कि एक बार सेक्टर रिफार्म परियोजनाएं अनुमोदित हो जाती हैं तो उस जिले में ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम निधियों का उपयोग नहीं किया जाना है। इसके विपरीत पांच जिलों, जहां सेक्टर रिफार्म परियोजनाएं अनुमोदित की गई थीं, में 2000-2001 के दौरान संभागों द्वारा 12.09 करोड़ रूपये की गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम निधियों का व्यय किया गया, इसके फलस्वरूप 12.09 करोड़ रूपये का परिहार्य व्यय हुआ जिसका अन्य जिलों में उपयोग किया जा सकता था।

3.1.18 सामग्री प्रबंधन

(i) आवश्यकता के बिना सामग्री का क्रय

6.27 करोड़ रूपये की सामग्री का आवश्यकता से अधिक क्रय किया गया।

शासन ने अनुदेश दिए थे (1988) कि मात्र उन मदों की ही प्राप्ति की जानी चाहिए जिनका 6 माह में उपयोग हो सके। इन अनुदेशों के विपरीत 21 संभागों ने आवश्यकता से अधिक सामग्री की प्राप्ति की, इसके फलस्वरूप 6.27 करोड़ रूपये की सामग्री बिना उपयोग के पड़ी थी (6 से 360 माह)। मशीनों, जिन्हें पहले ही अपलिखित किया जा चुका है, के 43.26 लाख रूपये के अतिरिक्त पुर्जे, 2 विद्युत/ यांत्रिकी संभागों में बेकार पड़े थे। मामूली सुधार के पश्चात् इन पुर्जो के उपयोग की संभावना का पता लगाने हेत अधीक्षण यंत्री ने कार्यपालन यंत्रियों को निदेश दिए (नवंबर 2000)। सितंबर 2001 तक कोई प्रगति नहीं बताई गई।

(ii) भंडार में कमी हेतु प्रतीक्षारत् वसूलियां

83.84 लाख रूपये के भंडारों की कमी की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई।

संचालक कोष एवं लेखा द्वारा किए गए भंडार के भौतिक सत्यापन (अगस्त 2000) में 36 संभागों में 83.84 लाख रूपये की भंडार सामग्रियों में कमी प्रकाश में आई। प्रमुख अभियंता ने मुख्य अभियंताओं को भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के आधार पर कार्रवाई करने के निदेश दिए (नवंबर 2000)। परंतु जून 2001 तक मुख्य अभियंताओं द्वारा भंडारों की लुप्त मदों के मूल्य की वसूली की कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई थी।

(iii) अनुपयोगी भंडारों का निपटान न किया जाना

2.91 करोड़ रूपये के अनुपयोगी भंडारों के अपलेखन एवं निपटान हेतु प्रयास नहीं किए गए।

56 संभागों में 2.91 करोड़ रूपये के भंडार जो अनुपयोगी हो गए थे, पड़े थे। अनुपयोगी भंडारों के समयानुसार विवरण उपलब्ध नहीं थे। अप्रैल 2001 तक अनुपयोगी भंडारों के अपलेखन व इसके पश्चात् निपटान के कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किए गए।

(iv) अधीनस्थों द्वारा कार्यस्थल सामग्री लेखे प्रस्तुत न करना

12.35 करोड़ रूपये की सामग्रियों के कार्यस्थल सामग्री लेखे नहीं बनाए गए।

नमूना जांच किए गए 7 संभागों में कार्यस्थल सामग्री लेखाओं की प्रस्तुति का कार्य 1987-88 से बकाया था। सितंबर 1987 एवं जनवरी 2001 के मध्य 12.35 करोड़ रूपये की सामग्रियां निर्माण कार्यों पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभारित की गईं परंतु कार्यस्थल सामग्री लेखे नहीं बनाए गए।

3.1.19 अपर्याप्त मानव संसाधन विकास

मैदानी स्तर के केवल 18,442 (32.53 प्रतिशत) कार्यकर्ताही प्रशिक्षित किए गए थे।

तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल द्वारा मैदानी स्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा था। भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए 1.35 करोड़ रूपये में से 74.09 लाख रूपये व्यय करने के पश्चात् 56,684 मैदानी स्तर कर्मियों के प्रशिक्षण के लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि मात्र 18,442 (32.53 प्रतिशत) थी। और भी, भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के अनुमोदन के बिना चरण-I(1995-98) में 2504 सरपंचों को भी 7.77 लाख रूपये की लागत पर प्रशिक्षण दिया गया, जो कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं था। मानव संसाधन विकास कक्ष अथवा तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कार्यक्रम का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया। हैंडपंपों के चालन एवं रखरखाव हेतु मैदानी कर्मियों के प्रशिक्षण के उपरांत इनके उपयोग का मूल्यांकन संभागों द्वारा भी नहीं किया गया।

3.1.20 प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) की असफलता

अपर्याप्त प्रबंधन सूचना प्रणाली कार्यक्रम, सुविचारित आयोजना, कार्यान्वयन एवं परिवीक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रहे।

प्रबंधन प्रणाली पर आधारित सूचना तकनीक से विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत विविध योजनाओं की प्रभावी आयोजना, कार्यान्वयन एवं परिवीक्षण हेतु भारत सरकार ने मार्च 1996 एवं दिसंबर 1999 के मध्य 5.75 करोड़ रूपये की 100 प्रतिशत सहायता प्रदान की। इसमें से 1.80 करोड़ रूपये के शेष को छोड़कर मार्च 2000 तक प्रमुख अभियंता स्तर से संभागीय स्तर तक कंप्यूटरों के संस्थापन पर 3.95 करोड़ रूपये व्यय किए गए थे। मध्यप्रदेश में 3 परिक्षेत्रों एवं छत्तीसगढ़ में 6 जिलों एवं रायपुर परिक्षेत्र में अभिलेखों की सूक्ष्म जांच से प्रकट हुआ कि विभाग में प्रणाली के चालन हेतु अर्हता प्राप्त डेटा एंट्री ऑपरेटरों अथवा अर्हता प्राप्त प्रशिक्षित कर्मचारियों के कोई स्वीकृत पद नहीं थे। 2 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी प्रणाली को नेशनल इनफॉर्मेटिक सेंटर से नहीं जोड़ा गया था। विशेष प्रयोजन वाले साफ्टवेयर अँथवा सूक्ष्म स्तर तक के आंकड़ों का विकास नहीं किया गया था। इस प्रकार प्रबंधन सूचना प्रणाली अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही।

इसे इंगित करने पर जहां मध्यप्रदेश शासन से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसंबर 2001), छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2001) कि डेटा एंट्री ऑपरेटरों के पद स्वीकृत किए जायेंगे एवं प्रणाली का पूर्ण उपयोग किया जाएगा।

3.1.21 अपर्याप्त सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.)

सुरक्षित पेयजल की मांग उत्पन्न करने वाले सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यक्रम, नमूना जांच किए गए 6 जिलों में से मात्र 2 जिलों में कार्यान्वित किए गए।

सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यक्रम का उद्देश्य सुरक्षित पेयजल एवं उत्तम सफाई सुविधाओं की मांग में वृद्धि उत्पन्न करना था। राज्य प्रचार विभाग (पब्लिसिटी डिपार्टमेंट) की सेवाओं के उपयोग द्वारा सामूहिक प्रचार (मास मीडिया) से जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियों, लक्षणों एवं प्रकटीकरण संबंधी विषयों पर जागरूकता लाई जानी थी। छत्तीसगढ़ के 6 जिलों की सूक्ष्म जांच से प्रकट हुआ कि मार्च 2001 तक ऐसी गतिविधियों का 1.33 लाख रूपये के व्यय पर मात्र 2 जिलों में ही आयोजन किया गया था।

इसे इंगित करने पर जहां मध्यप्रदेश शासन उत्तर देने में असफल रहा (दिसंबर 2001), छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2001) कि पूर्व में जब मध्यप्रदेश शासन द्वारा निधियां आवंटित की गई थीं, गतिविधियां जैसे कि समूह नृत्य, इश्तहार (पोस्टर), लघु नाटिका आदि की गई एवं 2000-2001 में यह

कार्य मात्र दो जिलों में ही किया जा सका। उत्तर से यह ज्ञात हुआ कि 1997-2001 के दौरान जागरूकता कार्यक्रम प्रभावी नहीं थे।

3.1.22 बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय सहायता परियोजनाएं

(i) आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था हेतु परियोजना

17.30 करोड़ रूपये के व्यय के पश्चात् भी विभाग 1024 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करने में असफल रहा। खनन पर 1.61 करोड़ रूपये का अधिक व्यय किया गया।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से 1996-97 में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 35,000 रूपये प्रति हैंडपंप की लागत से सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था हेतु एक परियोजना आरंभ की गई। 32 संभागों के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 4,918 नलकूपों के खनन हेतु 1997-2000 के दौरान 21.24 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई। संभागों ने 4,483 नलकूपों के खनन पर जुलाई 2000 तक 17.30 करोड़ रूपये व्यय किए एवं शेष 3.94 करोड़ रूपये संभागों में सिविल जमा के अंतर्गत पड़े थे। मानदंडों के अनुसार खनन पर 1.61 करोड़ रूपये का अधिक व्यय किया गया। 589 असफल नलकूपों पर 2.87 करोड़ रूपये के व्यय को स्थलों के चयन में आधुनिक तकनीक से कम किया जा सकता था। इस प्रकार धन की उपलब्धता के बावजूद विभाग 4 वर्षों के पश्चात् भी 1,024 केन्द्रों पर सुरक्षित पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था में असफल रहा।

(ii) ग्रामीण शालाओं में पेयजल आपूर्ति सुविधाएं

8 संभागों में 1996-2000 के दौरान ग्रामीण शालाओं में जल आपूर्ति की व्यवस्था में लक्ष्यों की उपलब्धि (दसवां वित्त आयोग) नल जल योजनाओं से मात्र 6.45 प्रतिशत एवं नलकूपों से 46 प्रतिशत थी।

(क) 1996-2000 के दौरान कार्यान्वयन हेतु दसवें वित्त आयोग ने 1995 में ग्रामीण शालाओं में सुरक्षित पेयजल सुविधाओं की व्यवस्था के लिए 70.03 करोड़ रूपये के अनुदान का प्रावधान किया। 73.28 करोड़ रूपये की लागत पर 16,120 नलकूपों के खनन एवं 4,400 ग्रामीण शालाओं में नल जल आपूर्ति योजनाओं के विस्तार हेतु एक कार्य योजना बनाई गई। 8 संभागों के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि 2,461 नलकूपों के खनन एवं पूर्व स्थापित नल जल आपूर्ति योजनाओं से 620 शालाओं को जोड़ने के लक्ष्य के विरूद्ध संभागों के पास उपलब्ध 5.50 करोड़ रूपये में से 4.80 करोड़ रूपये की लागत पर मात्र 1,138 नलकूप (46 प्रतिशत) खनित किए गए एवं 40 शालाएं (6.45 प्रतिशत) पूर्व स्थापित नल जल आपूर्ति योजना से जोड़ी गई । गए।

52 लाख रूपये व्यय किए गए परंतु 130 शालाओं में सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई। 1.36 करोड़ रूपये असफल नलकूपों पर व्यय किए गए।

(ख) भारत सरकार ने निदेशित किया (मई 1999) कि सभी ग्रामीण शालाओं, जिनमें दसवें वित्त आयोग द्वारा गतिवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम से व्यवस्था नहीं की जा सकी थी, में सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था की जाए। इंदौर परिक्षेत्र में 2,947 ऐसी शालाओं में से 2,623 में 2000-2001 के दौरान नलकूप खनित किए गए। 341 नलकूप असफल होने के फलस्वरूप 1.36 करोड़ रूपये का निष्फल व्यय हुआ। 2000-2001 के दौरान खरगौन जिले में 130 सफल नलकूपों पर हेंडपंप संस्थापित न करने के फलस्वरूप 130 शालाओं के बालकों को पेयजल से वंचित करते हुए 52 लाख रूपये का निष्क्रिय व्यय हुआ।

प्रकरण को मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन को प्रेषित किया गया (अगस्त 2001)। मध्यप्रदेश शासन के उत्तर की दिसंबर 2001 तक प्रतीक्षा थी।

भाग - ख

3.2 उच्च दर पर निविदा की अविवेकपूर्ण स्वीकृति के कारण अतिरिक्त लागत

नलकूप खनन में ऊंची दरों पर निविदाओं को अनुचित रूप से स्वीकारने के कारण 39.48 लाख रूपये की अतिरिक्त लागत

अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंडल, उज्जैन द्वारा प्रत्येक 10 नलकूपों वाले, 20 समूहों में 90 मीटर गहराई तक टेलिस्कोपिक नलकूपों के खनन हेतु समेकित दरें आमंत्रित की गईं (फरवरी 1997)।

तीन समूहों में निविदाकर्ताओं ने छिद्र (बोर) के व्यास पर ध्यान दिए बिना गहराई के साथ परिवर्तित होने वाली दरें अर्थात् 0-40 मीटर (310 रूपये प्रति मीटर), 40-70 मीटर (325 रूपये प्रति मीटर), 70-90 मीटर (380 रूपये प्रति मीटर) एवं 90-120 मीटर (525 रूपये प्रति मीटर) की समेकित दरें उद्धृत कीं, जो समझौता वार्ता के बिना स्वीकार की गई ।

तथापि, 17 समूहों के निविदाकर्ताओं ने 150 मिलीमीटर व्यास के लिए 270 रूपये से 446 रूपये प्रति मीटर एवं 125/ 115 मिलीमीटर व्यास के छिद्र हेतु 90 मीटर तक की विभिन्न गहराइयों के लिए 380 रूपये से 568 रूपये प्रति मीटर एवं 90 से 120 मीटर गहराई के लिए 475 रूपये से 592 रूपये प्रति मीटर की बोलियों का प्रस्ताव किया।

इन 17 समूहों में से एक समूह की निविदाएं स्वीकार की गईं (जून 1997) जबकि 16 समूहों के लिए मुख्य अभियंता, इंदौर द्वारा एकरूप एवं घटी दर की प्राप्ति हेतु समझौता वार्ताएं की गईं। निविदाकर्ताओं ने 90 मीटर तक की गहराई हेतु 150 मिलीमीटर एवं 115 मिलीमीटर व्यास के लिए 398 रूपये एवं 399 रूपये प्रति मीटर एवं 90 से 120 मीटर की गहराई हेतु 569 एवं 565 रूपये प्रति मीटर के मध्य पुनरीक्षित दरों का प्रस्ताव किया (मई 1997)। ये दरें क्रमशः जून 1997 एवं अगस्त 1997 में स्वीकृत की गईं।

16 समूहों में 160 नलकूपों हेतु ठेके के विरूद्ध जनवरी 2000 तक 627 नलकूपों के खनन का कियान्वयन उन दरों पर किया गया जो कि 3 समूहों की औसत दर (331 रूपये प्रति मीटर) की तुलना में 0-90 मीटर हेतु 67-68 रूपये प्रति मीटर एवं 90-120 मीटर गहराई हेतु 38-40 रूपये प्रति मीटर से अधिक थी, इसके फलस्वरूप 39.48 लाख रूपये की अतिरिक्त लागत आई।

इसे इंगित करने पर मुख्य अभियंता ने बताया (मार्च 2000) कि पेयजल का अभाव था एवं निविदाओं के पुनः आमंत्रण में लंबा समय लगता एवं ऊंची दरों की प्राप्ति की संभावना प्रबल थी। स्थान-स्थान पर भूमि के अंदर के स्ट्रेटा में सारभूत परिवर्तन हो जाता है, अतः विभिन्न स्ट्रेटा की वास्तविक मोटाई का आकलन संभव नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि समझौता वार्ता में प्राप्त दरें वैसी ही शर्तों पर इसी अवधि के दौरान तीन समूहों की स्वीकृत दरों की अपेक्षा बहुत अधिक थी। वास्तव में संरचनाओं पर ध्यान दिए बिना सभी खंडों में पूर्व की अवधि (अप्रैल

1999) के साथ-साथ बाद की अवधि (जनवरी 2001) में खनन कार्य इन्हीं दरों पर प्रदान किया गया। निविदाओं पर किए गए अनुबंध जारी थे एवं इन अनुबंधों पर फरवरी 1999 तक के विलंब से यथेष्ट संख्या में कार्यादेश जारी किए गए।

प्रकरण अर्धशासकीय तौर पर मई 2001 में शासन को सूचित किया गया उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2001)।

अध्याय - 4
वन विभाग

भाग-क

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त मध्यप्रदेश वानिकी परियोजना के माध्यम से वन-विकास	4.1	89

भाग-ख

वृक्षारोपणों की असफलता से हानि	4.2	107

अध्याय-4
वन विभाग

भाग-क

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त मध्यप्रदेश वानिकी परियोजना के माध्यम से वन विकास

4.1.1 विशेषताएं

वन विभाग तथा स्थानीय जनता द्वारा वनों के संरक्षण एवं सुधार हेतु संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से मध्यप्रदेश वानिकी परियोजना (परियोजना) सितम्बर 1995 में विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ की गई थी। चूँकि स्थानीय जनता प्रभावी रूप से इसमें सम्मिलित नहीं थी, वन सुरक्षा समितियों एवं ग्राम वन समितियों के साथ समझौता ज्ञापन का निष्पादन न किये जाने, गैर शासकीय संगठनों को शामिल न करने, वन सुरक्षा समितियों तथा ग्राम वन समितियों को सुरक्षा की राशि का कम भुगतान करने तथा आय मूलक गतिविधियों में समिति निधि का कम उपयोग करने के कारण संयुक्त वन प्रबंधन द्वारा सार्थक प्रगति/उपलब्धि प्राप्त नहीं की जा सकी। आगे, वर्तमान वन विकास कार्यों को संकटग्रस्त करते हुए चरण-I की पूर्णता के पश्चात् एवं विश्व बैंक द्वारा चरण-II अनुमोदित न करने पर शेष कार्य के क्रियान्वयन हेतु कोई योजना नहीं बनाई गई। भारतीय वन सर्वेक्षण (1995,1997 तथा 1999) के अनुसार मध्यप्रदेश में अवधि 1995-99 के मध्य सघन वनाच्छादित क्षेत्र में 13,534 वर्ग किलोमीटर की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। इस प्रकार, वनाच्छादन की क्षति को जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि के साथ मिलाने पर यह पर्यावरण स्थायित्व एवं पारिस्थितिकीय संतुलन के संधारण पर विपरीत प्रभाव डालेगी।

- *विश्व बैंक के अनुदेशों की अवहेलना कर वन सुरक्षा/ग्राम वन समितियों को 20.75 करोड़ रूपये का अग्रिम भुगतान किया गया।*

 (कंडिका 4.1.4 (iii) (क))

- *व्यक्तिगत निक्षेप खाते में जमा 59.83 लाख रूपये की राशि को किसी उपयोग में नहीं लाया गया।*

 (कंडिका 4.1.4 (iii) (ख))

- *वन सुरक्षा समितियों/ग्राम वन समितियों को 5.49 करोड़ रूपये (50.2 प्रतिशत) सुरक्षा राशि का भुगतान नहीं किया गया।*

 (कंडिका 4.1.4 (iv) (क))

- *विश्व बैंक को दावों के प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारण राज्य के राजकोष पर 4.62 करोड़ रूपये का अतिरिक्त भार पड़ा।*

 (कंडिका 4.1.4 (v))

- *सहायक प्राकृतिक पुनरूत्पादन तथा ग्राम संसाधन विकास हेतु अनुपयुक्त स्थलों पर 4.89 करोड़ रूपये का अविवेकपूर्ण व्यय किया गया।*

(कंडिकाएं 4.1.5.1 (i) एवं 4.1.5.2 (i))

- *कार्य की निषिद्ध/परिहार्य मदों पर 87.26 लाख रूपये का व्यय किया गया।*

(कंडिका 4.1.5.1 (ii))

- *सहायक प्राकृतिक पुनरूत्पादन के अधीन वानिकी कार्य हेतु मानदण्डों के निर्धारण में हुए विलम्ब के परिणामस्वरूप 13.68 करोड़ रूपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।*

(कंडिका 4.1.5.1 (iv))

- *वानिकी कार्यों पर निर्धारित मानदण्डों से अधिक 1.76 करोड़ रूपये का व्यय किया गया।*

(कंडिकाएं 4.1.5.1 (v) एवं 4.1.5.2 (ii))

- *औसत से नीचे की श्रेणी वाले स्थलों पर किया गया 2.62 करोड़ रूपये का व्यय निरर्थक रहा।*

(कंडिकाएं 4.1.5.1 (vi) एवं (vii))

4.1.2 प्रस्तावना

मध्यप्रदेश के 4.43 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में से 1.54 लाख वर्ग किलोमीटर (35 प्रतिशत) क्षेत्रफल[43] को वन क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया गया था जिसमें 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर (30.5 प्रतिशत) वास्तविक रूप से वनाच्छादित क्षेत्र[44] (1995) (सघन 95,153 तथा खुला क्षेत्र 40,011 वर्ग किलोमीटर) था।

वन संसाधनों तथा पर्यावरण का संरक्षण करते समय स्थानीय समुदायों के अत्यधिक बढ़ते जैविक दबाव का समाधान करने के लिए उनकी सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक थी। इस आवश्यकता को महसूस कर इसे पूरा करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन द्वारा विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से मध्यप्रदेश वानिकी परियोजना (परियोजना) प्रारंभ की गई थी। परियोजना जिसे जनवरी 1995 में प्रारंभ किया जाना था, वास्तव में सितम्बर 1995 में प्रारंभ की गई। इस परियोजना के चार अवयव थे (I) वन विकास (II) जैविक विविधता संरक्षण (III) अनुसंधान एवं विस्तार (IV) प्रबंधन विकास। परियोजना में विभाग तथा स्थानीय समुदायों की मदद से संयुक्त वन प्रबंधन पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था।

4.1.3 संगठनात्मक संरचना तथा लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र

प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पास विभाग का समग्र प्रभार था। उनके अधीन एक मुख्य वन संरक्षक परियोजना संचालक के रूप में मुख्यालय पर सभी

43 *भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत वन के रूप में अधिसूचित क्षेत्रफल*

44 *10 प्रतिशत से अधिक वनाच्छादन के घनत्व वाला समस्त भू-क्षेत्र*

परियोजना गतिविधियों के समन्वय के लिए उत्तरदायी था। क्षेत्र में परियोजना का कियान्वयन 21 वन संरक्षकों तथा 79 वन मंडलाधिकारियों द्वारा किया गया, जिनके पास क्रमशः वृत्तों/मंडलों का प्रभार था।

दिसम्बर 2000 तथा अप्रैल 2001 के मध्य 79 मंडलों (जिनमें वन विकास अवयव का निष्पादन किया गया था) में से 22 मंडलों[45] तथा परियोजना संचालक कार्यालय के 1995-2000 की अवधि से संबंधित लेखाओं तथा अभिलेखों की नमूना जांच की गई। लेखापरीक्षा से प्राप्त निष्कर्ष आगामी कंडिकाओं में दिए गए है।

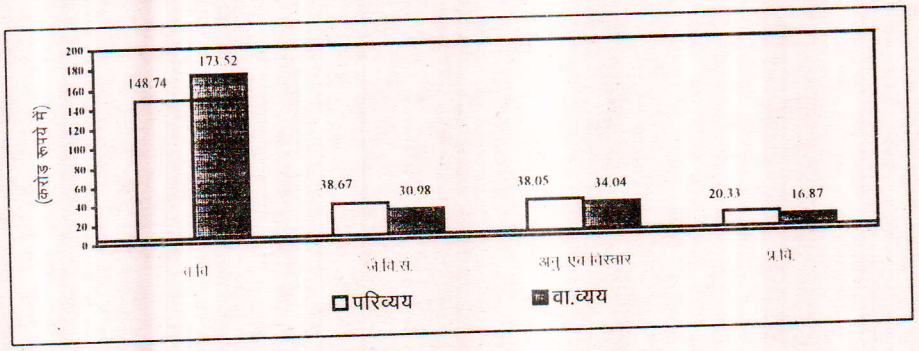
4.1.4 वित्तीय प्रबंधन

217 मिलियन अमरीकी डालर के समतुल्य 795 करोड़ रूपये के कुल परिव्यय की इस परियोजना को दो चरणों में क्रमशः चार तथा पाँच वर्षो की अवधि में कियान्वित किये जाने की योजना थी। प्रथम चरण की कुल प्राक्कलित लागत 67.3 मिलियन अमरीकी डालर के समतुल्य 245.79 करोड़ रूपये थी।

58.0 मिलियन अमरीकी डॉलर (212 करोड़ रूपये के समतुल्य) की राशि परियोजना के प्रथम चरण की लागत (245.79 करोड़ रूपये) के 86 प्रतिशत की पूर्ति हेतु थी, शेष 14 प्रतिशत लागत मध्यप्रदेश शासन द्वारा वहन की जानी थी।

परियोजना के चार अवयवों में से प्रत्येक की लागत तथा उस पर किया गया वास्तविक व्यय निम्नवत सारांशीकृत किया गया है :

(i) परियोजना के प्रत्येक अवयव पर परिव्यय तथा व्यय



व.वि.-वन विकास, जै.वि.सं. - जैव विविधता संरक्षण, वा. - वास्तविक
अनु. एवं वि.-अनुसंधान एवं विस्तार, प्र.वि. - प्रबंधन विकास

45 *क्षेत्रीय वन मंडलः मध्यप्रदेश - बालाघाट (उत्तर), भोपाल, बुरहानपुर, हरदा, कटनी, खण्डवा, सागर (उत्तर तथा दक्षिण), सिवनी (उत्तर तथा दक्षिण) तथा उमरिया छत्तीसगढ़- बस्तर, बिलासपुर, बिलासपुर (उत्तर), धमतरी, जशपुर नगर, कांकेर, कवर्धा, कोरबा, रायगढ़, रायपुर (पूर्व) तथा राजनांदगांव*

(ii) परियोजना परिव्यय तथा वास्तविक व्यय का वर्षवार विवरण

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	वन विकास		जैव विविधता संरक्षण		अनुसंधान एवं विस्तार		प्रबंधन विकास		योग				प्रतिशत कुल परिव्यय
	परिव्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय	वास्तविक. व्यय	परिव्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय	वास्तविक व्यय (भाग)			
										राज्य शासन	विश्व बैंक	योग	
1995-96	10.54	8.28	6.10	2.78	6.41	1.14	6.78	1.32	29.83	3.65	9.87	13.52	45
1996-97	26.36	22.34	12.12	7.32	8.65	3.61	4.88	2.14	52.01	16.63	18.78	35.41	68
1997-98	44.68	30.39	12.05	8.23	10.34	5.96	5.21	3.14	72.28	11.95	35.77	47.72	66
1998-99	67.16	53.28	8.40	7.03	12.65	11.38	3.46	4.81	91.67	11.24	65.26	76.50	83
1999-00	–	59.23	–	5.62	–	11.95	–	5.46	–	9.14[46]	91.40*	82.26	–
योग	148.74	173.52	38.67	30.98	38.05	34.04	20.33	16.87	245.79	34.33	221.08	255.41[47]	
वास्तविक व्यय तथा परिव्यय के अनुपात का प्रतिशत		117		80		90		83				104*	

46 *वर्ष के दौरान भेजे गये विगत वित्तीय वर्ष के दावों के शेष/अवशेषों के कारण*

47 *रुपये-डॉलर की विनिमय दर में उतार-चढाव होने के कारण विभाग ने रुपयों में अधिक राशि प्राप्त की*

परियोजना के विलम्ब से प्रारंभ होने के कारण (जनवरी 1995 के स्थान पर सितम्बर 1995) आगामी वर्षों में वार्षिक व्यय परिव्यय से कम रहा। तथापि, विभाग द्वारा वार्षिक परिव्ययों में संशोधन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप 1995-96 से 1998-99 के दौरान वार्षिक व्यय परिव्यय के 45 तथा 83 प्रतिशत के मध्य रहा। जैव विविधता संरक्षण में 7.69 करोड़ रूपये, अनुसंधान एवं विस्तार में 4.01 करोड़ रूपयें तथा प्रबंधन विकास अवयव में 3.46 करोड़ रूपये की बचत हुई, जिसे वन विकास अवयव में हुए 24.78 करोड़ रूपये के अधिक व्यय में उपयोग किया गया।

(iii) अनधिकृत/अनियमित भुगतान

अक्टूबर 1996 में मध्यप्रदेश शासन ने अनुदेश जारी किये कि अवैध कटाई, चराई, आगजनी तथा अतिक्रमण से वनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के पश्चात वन सुरक्षा समितियों तथा ग्राम वन समितियों को प्रत्येक 6 माह में सुरक्षा राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। विश्व बैंक ने सूचित किया था (दिसम्बर 1999) कि 31 दिसम्बर 1999 तक निष्पादित कार्य, प्रदान की गई सेवा, सुपुर्द की गई वस्तुएं/ माल के संबंध में किया गया सारा व्यय प्रतिपूर्ति के योग्य होगा।

सुरक्षा को सुनिश्चित किये बगैर तथा सरकार/विश्व बैंक के अनुदेशों की अवहेलना कर 20.75 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया।

(क) मध्यप्रदेश शासन / विश्व बैंक के उपरोक्त अनुदेशों के विरूद्ध विभाग ने परियोजना समाप्ति के दिनांक के बाद की अवधि जनवरी 2000 से मार्च 2001 के लिए 20.75 करोड़ रूपये की राशि (सहायक प्राकृतिक पुनरूत्पादन : 11.50 करोड़ एवं ग्राम संसाधन विकास कार्यक्रम : 9.25 करोड़ रूपये) का अग्रिम भुगतान सुरक्षा राशि के रूप में किया था (नवम्बर एवं दिसम्बर 1999)।

दिसम्बर 1999 से व्यक्तिगत निक्षेप खाते में पड़े 59.83 लाख रूपये की राशि को उपयोग में नहीं लाया गया।

(ख) भोपाल मंडल में परियोजना संचालक के निर्देशानुसार वन मंडलाधिकारी द्वारा 1999-2000 के दौरान तकनीकी सहायता हेतु आवंटित 59.83 लाख रूपये व्यक्तिगत निक्षेप खाते में जमा कराए गए थे (मार्च 2000)। परियोजना के दिसम्बर 1999 में बंद हो जाने के काफी बाद तक उक्त राशि व्यक्तिगत निक्षेप खाते में पड़ी रही, जिसे व्यय नहीं किया गया (मार्च 2001)।

(iv) सुरक्षा राशि का कम भुगतान तथा इसका प्रभाव

सुरक्षा राशि 5.49 करोड़ रूपये (50.2 प्रतिशत) का समितियों को भुगतान नहीं किया गया।

अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अवधि 1995-98 के दौरान वन सुरक्षा समितियों /ग्राम वन समितियों को 10.95 करोड़ रूपये की सुरक्षा राशि की पात्रता के विरूद्ध केवल 5.46 करोड़ रूपये (49.8 प्रतिशत) का भुगतान किया गया। यह संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा के प्रतिकूल था, तथा इसका जन सहभागिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(v) दावों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के कारण प्रतिपूर्ति न किया जाना

विश्व बैंक के समक्ष दावों को विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण राज्य पर 4.62 करोड़ रूपये का अतिरिक्त भार पड़ा

संवीक्षा में पता चला कि विश्व बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति किये जाने योग्य 221.08 करोड़ रूपये की राशि के विरूद्ध विभाग ने अवधि 1995-2000 से संबंधित 249.71 करोड़ रूपये के दावे प्रस्तुत किये जिसमें से विश्व बैंक द्वारा केवल 216.46 करोड़ रूपये की प्रतिपूर्ति की गई। 4.62 करोड़ रूपये के दावों को नियत तिथि 30 अप्रैल 2000 के बाद विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण

स्वीकार नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन पर अतिरिक्त भार पड़ा।

4.1.5 क्रियान्वयन

वन विकास के मुख्य अवयव के दो उप अवयव थे- (i) सहायक प्राकृतिक पुनरूत्पादन--संवृत वनों के लिये (वनाच्छादन घनत्व 40 प्रतिशत से अधिक) तथा (ii) ग्राम संसाधन विकास कार्यक्रम--खुले वनों के लिये (वनाच्छादन घनत्व 40 प्रतिशत से कम)। इसमें निम्न बातों पर जोर दिया गया था:-

(क) प्रचुर पौधरोपण, उन्नत वन वर्द्धन क्रियाओं तथा वन भूमि प्रबंधन की सहायता से प्राकृतिक वन पुनरूत्पादन को बढ़ावा देना।

(ख) सहभागिता की योजना, प्रबंधन और वन संसाधनों की सुरक्षा पर आधारित एक ग्राम संसाधन विकास कार्यक्रम जो वैकल्पिक आय के स्रोत व संसाधन बढ़ाने के साथ वनों पर बढ़ते जैविक दबाव को कम करे।

इस तरह राज्य वनों के प्रभावी सुरक्षा और स्थाई विकास के लिए संयुक्त वन प्रबंधन का उद्देश्य सतत रूप से उच्च उत्पादकता को बनाए रखना था।

4.1.5.1 संवृत्त वन के अंतर्गत सहायक प्राकृतिक पुनरूत्पादन

विद्यमान वन में पातित वृक्षों के ठूंठों से प्राप्त पीकों तथा प्राकृतिक बीजारोपण से उत्पन्न होने वाले अंकुरों से प्राकृतिक पुनरूत्पादन प्रारंभ होता है। प्राकृतिक पुनरूत्पादन की प्रकिया में प्रतिकर्तन कार्य, सीमित मृदा तथा नमी कार्य और वन सुरक्षा समितियों के माध्यम से वनों को अवैध कटाई, चराई तथा आग से बचाकर तेजी लाई जा सकती है। वनोपज के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सहायक प्राकृतिक पुनरूत्पादन से संबंधित गतिविधियां हाल ही में विदोहित ऐसे वनों में संचालित की जानी चाहिए जिनका सघन घनत्व 0.4 से अधिक है तथा जहां पर उत्पादकता बढ़ाने के लिए पर्याप्त पीके (कापिस) उपलबध हैं।

यद्यपि, परियोजना के स्वीकृत चरण-I को 4 वर्षों की अवधि (सितम्बर 1995 से दिसम्बर 1999) में पूर्ण किया जाना था, लेकिन परियोजना के चरण-II की निरंतरता को दृष्टिगत रखते हुए सहायक प्राकृतिक पुनरूत्पादन कार्यक्रम का परियोजना प्रतिवेदन 7 वर्षों के लिए तैयार किया गया था। अवधि 1995-99 के दौरान 2,16,723 हैक्टेयर क्षेत्रफल समाहित किया गया जिस पर 1995-2000 की अवधि में 67.77 करोड़ रूपये का व्यय किया गया। संवीक्षा में पता चला कि:-

(i) अनुपयुक्त स्थलों पर निर्रथक व्यय

अनुपयुक्त स्थलों पर 3.13 करोड़ रूपये का अविवेक पूर्ण व्यय किया गया।

परियोजना संचालक ने अनुदेश जारी किये (दिसम्बर 1996) कि सहायक प्राकृतिक पुनरूत्पादन हेतु कार्यस्थलों का चयन 0.4 तथा 0.7 के मध्य वनाच्छादित घनत्व वाले संवृत्त वनों में किया जाय। परियोजना संचालक ने संशोधित अनुदेश जारी किये (अप्रैल 1997) कि विगत 5 वर्षों के दौरान विदोहित तथा 0.4 तथा 0.7 के मध्य वनाच्छादित घनत्व वाले कार्यस्थलों (कूपों) को चयनित किया जाये। जून 1998 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने स्पष्ट किया कि विगत वर्ष में विदोहित कूपों में से कार्य स्थलों का चयन किया जाना चाहिए। यदि ऐसे कार्यस्थल उपलबध नहीं थे तो पूर्ववर्ती वर्ष में विदोहित ऐसे

कूपों को चयनित किया जाना था जिनका वनाच्छित घनत्व 0.5 से अधिक नहीं था।

14 मंडलों[48] के अभिलेखों की नमूना जांच में निम्नानुसार प्रकट हुआः-

(क) उपरोक्त अनुदेशों के विरूद्ध 2.07 करोड़ रूपये का व्यय ऐसे कार्यस्थलों पर किया गया जिन्हें कदापि चयनित नहीं किया जाना चाहिए था अर्थात (I)1995-98 (53.94 लाख रूपये) के दौरान 0.4 से कम वनाच्छादित घनत्व वाले 12 कार्य स्थल (1,776.3 हैक्टेयर) (II) 1995-99 (1.53 करोड़ रूपये) के दौरान 7,087 हैक्टेयर क्षेत्रफल के 41 अविदोहित कूप तथा (ख) कार्य स्थलों के चयन के संबंध में सुस्पष्ट दिशा निर्देशों के अभाव में चयनित अनुपयुक्त कार्यस्थलों पर 1.06 करोड़ रूपये अर्थात (I) 1995-99 (581.08 लाख रूपये) 19 ऐसे कार्यस्थल (3,657 हैक्टेयर) जो 6 से 17 वर्ष पहले विदोहित किये जा चुके थे तथा (II) 1996-99 (47.73 लाख रूपये) के दौरान विदोहन के पश्चात 0.5 से 0.9 उच्च वनाच्छादित घनत्व वाले 10 कूपों (1,556 हैक्टेयर) पर व्यय किये गये।

अनुपयुक्त कार्यस्थलों में सहायक प्राकृतिक पुनरूत्पादन कार्य पर 3.13 करोड़ रूपये का व्यय निरर्थक सिद्ध हुआ क्योंकि (I) खाली जगह के बीच वृक्षारोपण के बगैर 0.4 से कम वनाच्छादित घनत्व वाले कार्यस्थलों को सघन वन के रूप में विकसित नहीं किया जा सका, (II) अविदोहित कूपों वाले कार्यस्थलों में पुनरूत्पादन के लिए जीवित ठूंठ उपलब्ध नहीं थे, (III) 5 वर्ष से अधिक पूर्व विदोहित किये गये कार्यस्थलों में पीकों की परिपक्वता बहुत अधिक होने के कारण वे पुनरूत्पादन में सहायक नहीं रहेंगे व (IV) विदोहन के पश्चात 0.5 से अधिक वनाच्छादित घनत्व वाले कार्यस्थलों को सहायक प्राकृतिक पुनरूत्पादन के द्वारा और अधिक सघन बनाने की आवश्यकता नहीं थी।

(ii) कार्यों की निषिद्ध मदों पर व्यय

निषिद्ध कार्यों पर 45.38 लाख रूपये का व्यय किया गया।

(क) वृक्षारोपण तथा पौधों के अंगीकरण, बीज-संग्रहण, लेण्टाना तथा छिंदघास उखाड़ने (पहले दो वर्षों के दौरान), पशु अवरोधक खंतियों के निर्माण तथा अग्नि सुरक्षा कार्यों पर व्यय निषिद्ध था क्योंकि इन मदों पर व्यय करने की आवश्यकता नहीं थी।

11 मंडलों[49] के अवधि 1995-2000 से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 39.89 लाख रूपये का व्यय (I) विभागीय रोपणियों के लिए बीज संग्रहण (3.61 लाख रूपये) तथा (II) पौधरोपण गतिविधियों (36.28

48 *मध्यप्रदेश-कटनी, खंडवा तथा सिवनी (दक्षिण)*
छत्तीसगढ-बस्तर, बीजापुर,बिलासपुर (उत्तर) ,जसपुरनगर,कांकेर,कोंडागांव,कोरबा,रायपुर (पूर्व तथा उत्तर),सुकमा तथा सरगुजा (पूर्व)

49 *मध्यप्रदेश-बैतूल(दक्षिण) ,हरदा, कटनी, पन्ना(उत्तर तथा दक्षिण), सिवनी (दक्षिण)तथा उमरिया*
छत्तीसगढ- जसपुरनगर, कोरबा, रायगढ तथा रायपुर (उत्तर)

लाख रूपये) जो योजना का अंग नहीं थी, पर किया गया। 5.49 लाख रूपये का व्यय भी निषिद्ध गतिविधियों जैसे अग्नि सुरक्षा कार्य एवं पशु अवरोधक खंतियों को खुदवाना आदि कार्य जो विभाग द्वारा नहीं किये जाने थे, पर किया गया। चूंकि सुरक्षा का उत्तरदायित्व वन सुरक्षा समितियों पर था, अतः ये कार्य इन्हीं समितियों द्वारा किये जाने थे। वन मंडलाधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक वर्षों में इस संबंध में उच्च प्राधिकारियों से कोई विशिष्ट निर्देश प्राप्त न होने के कारण इन मदों पर व्यय किया गया।

(ख) मृदा तथा नमी संरक्षण कार्यों पर अतिरिक्त व्यय

मृदा तथा नमी संरक्षण कार्यों पर 41.88 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय किया गया।

परियोजना संचालक ने अनुदेश जारी किये (अप्रैल 1997) कि मृदा तथा नमी संरक्षण उपायों पर न्यूनतम जोर दिया जाना चाहिए, ये कार्य प्रथम वर्ष के दौरान उस वर्ष की परियोजना लागत के लगभग 20-25 प्रतिशत लागत पर विशिष्ट कार्य स्थलों में ही कराए जाने चाहिए क्योंकि सहायक प्राकृतिक पुनरूत्पादन योजना का प्रमुख कार्य प्रतिकर्तन कार्य तथा अवैध कटाई तथा चराई से वनों की सुरक्षा करना था।

5 मंडलों[50] के अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान 38.05 लाख रूपये की अधिकतम अनुमत्य राशि (प्रथम वर्ष में किये गये 152.19 लाख रूपये के व्यय का 25 प्रतिशत) के विरूद्ध, मृदा तथा नमी कार्यों पर 79.93 लाख रूपये का व्यय किया गया। परियोजना के एक मध्यावधि पुनरावलोकन/समीक्षा में विश्व बैंक द्वारा मृदा तथा नमी कार्य पर किये गए अतिरिक्त व्यय पर चिंता व्यक्त की गई। यदि परियोजना के प्रारंभ में ही मानदंड निर्धारित कर दिए गए होते तो 41.88 लाख रूपये के अतिरिक्त व्यय भार से बचा जा सकता था और इस राशि को परियोजना के अंतर्गत और अधिक क्षेत्र पर उपयोग किया जा सकता था।

(iii) कार्यों के असामयिक कियान्वयन से निरर्थक व्यय

वानिकी कार्यों के असामयिक कियान्वयन से 85.22 लाख रूपये का निरर्थक व्यय।

(क) प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने निर्देशित किया (जून 1998) कि लेन्टाना/छींद घास के उन्मूलन का कार्य माह अगस्त/सितम्बर में वर्षा ऋतु में किया जाना चाहिए ताकि प्रस्फुरण से पूर्व इसका जड़ से उन्मूलन सुनिश्चित हो सके। 12 वन मंडलों[51] के वर्ष 1995-2000 तक के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि लेन्टाना/छींद घास को हटाने में अक्टूबर एवं मार्च के मध्य 69.96 लाख रूपये व्यय किये गये जो नियत अवधि अगस्त/सितम्बर के बाद में होने के कारण निष्फल रहे।

(ख) बांस की सही वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने निर्देशित किया (जून 1998) कि बांस भिर्रों की सफाई नवम्बर एवं दिसम्बर में की जाय क्योंकि इसके बाद नमी में गिरावट तथा तापमान में बढ़ोतरी होने से वृद्धि पर विपरीत प्रभाव होता है। हरदा, कटनी और खण्डवा

50 *मध्यप्रदेश-हरदा तथा खंडवा*
छत्तीसगढ- जसपुरनगर,कांकेर, तथा रायगढ

51 *मध्यप्रदेश-बैतूल (दक्षिण),भोपाल, ढिंढोरी,हरदा,होशंगाबाद, कटनी, खंडवा, सिवनी (दक्षिण) एवं उमरिया*
छत्तीसगढ-जसपुरनगर,, कोरबा, रायपुर (उत्तर),

मंडल के वर्ष 1996-99 के अवधि के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि जनवरी से मार्च के मध्य 15.26 लाख रूपये का व्यय बांस भिर्रों की सफाई पर किया गया, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक के निर्देशों के विपरीत था।

(iv) मानदण्डों के निर्धारण में विलम्ब के कारण परिहार्य व्यय

मानदण्डों के निर्धारण में विलम्ब से 13.68 करोड़ रूपये का अतिरिक्त परिहार्य व्यय।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने सहायक प्राकृतिक पुनरूत्पादन कार्यों के लिये विलम्ब से जून 1998 में निम्नानुसार मानदण्ड निर्धारित किये:-

दर- मानव दिवसों में प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष

	कार्य का विवरण	प्रथम वर्ष के कार्य	द्वितीय वर्ष के कार्य	तृतीय वर्ष के कार्य	चुर्थ से सातवें वर्ष के कार्य
1	वानिकी कार्य एवं अन्य विविध कार्य	11	4	2	2
2	सुरक्षा राशि	10	10	10	10
	योग	21	14	12	12

21 वन मंडलों[52] के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि वानिकी कार्यों पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा जून 1998 में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार 3.50 करोड़ रूपये के अनुमत्य व्यय के विरूद्ध 1995 से 1998 में 86,799.676 हैक्टेयर में कराए गए वानिकी कार्यों (50,361.353 हैक्टेयर प्रथम वर्ष, 28,676.463 हैक्टेयर द्वितीय वर्ष एवं 7,761.86 हैक्टेयर तृतीय वर्ष के कार्य) पर 9.14 करोड़ रूपये खर्च किये गये। इस प्रकार मध्यप्रदेश में वर्ष 1995-98 के मध्य वानिकी कार्यों पर 2,59,800.19 हैक्टेयर (1,53,024.45 प्रथम वर्ष, 82,600 हैक्टेयर द्वितीय वर्ष एवं 24,175.74 हैक्टेयर तृतीय वर्ष के कार्य) पर कुल 24.44 करोड़ रूपये खर्च किये गये जो 10.76 करोड़ रूपये के अनुमत्य व्यय से 13.68 करोड़ रूपये अधिक थे। मानदण्डों का समय से निर्धारण होने से 13.68 करोड़ रूपये की बचत होती जिससे 43,682 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सहायक प्राकृतिक पुनरूत्पादन कार्य किया जा सकता था।

(v) मानदंडों से अधिक व्यय

मानदण्डों से 69.86 लाख रूपये का अधिक व्यय किया गया।

8 वन मंडलों[53] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा जून 1998 में मानदंड निर्धारित किये जाने के पश्चात वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में 22,337.20 हैक्टेयर (9,950.40 हैक्टेयर प्रथम वर्ष, 8,131 हैक्टेयर द्वितीय वर्ष एवं 4,255.80 हैक्टेयर तृतीय वर्ष) में कराए गए वानिकी कार्यों पर 2.41 करोड़ का व्यय किया गया। यह व्यय

52 *मध्यप्रदेश-बालाघाट (उत्तर), बुरहानपुर, हरदा, खंडवा, सागर(उत्तर एवं दक्षिण), सिवनी (उत्तर एवं दक्षिण) एवं उमरिया*
छत्तीसगढ-बस्तर, बीजापुर, बिलासपुर, बिलासपुर (उत्तर), धमतरी, जसपुरनगर,कांकेर, कवर्धा, कोरबा,रायपुर (पूर्व),रायगढ तथा राजनांदगांव

53 *मध्यप्रदेश-बालाघाट (उत्तर), बैतूल (पश्चिम), कटनी एवं मंडला (पश्चिम)*
छत्तीसगढ-बस्तर, धमतरी, एवं रायपुर (पूर्व एवं उत्तर)

(अन्य विविध कार्यों को समाहित करते हुये वानिकी कार्यों के लिए) निर्धारित मानदंड के अनुसार अधिकतम सीमा 1.71 करोड़ रूपये से 69.86 लाख रूपये अधिक था।

(vi) त्रुटिपूर्ण स्थलों/ उपचार पर निष्फल व्यय

त्रुटिपूर्ण स्थलों/ उपचार पर 1.10 करोड़ रूपये का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ।

6 वन मंडलों[54] में 23 सहायक प्राकृतिक पुनरूत्पादन स्थलों (3,108 हैक्टेयर) जिन पर 1.10 करोड़ रूपये का व्यय किया गया था, को त्रुटिपूर्ण स्थल चयन/ उपचार आदि के कारण औसत से नीचे की श्रेणी का पाया गया था (1998)। यद्यपि मुख्य सचिव, वन विभाग ने अपनी अप्रसन्नता प्रकट की (अगस्त, 1998) किन्तु दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(vii) विद्यमान पुनरूत्पादन स्तर में गिरावट

सहायक प्राकृतिक पुनरूत्पादन के तहत चयनित 29 स्थलों पर नकारात्मक वृद्धि ने सूचित किया कि 1.52 करोड़ रूपये का व्यय निष्फल था।

395 सहायक प्राकृतिक पुनरूत्पादन कार्यस्थलों (1,105 में से) के वर्ष 1997-98 में किये सर्वेक्षण में 22 वन मंडलों के 69 कार्यस्थलों पर नकारात्मक वृद्धि दर प्रकट हुयी। विभाग ने (परियोजना पूर्णता प्रतिवेदन में) यह माना कि इन क्षेत्रों में पुनरूत्पादन या तो आशा के अनुरूप नहीं था अथवा सुरक्षा का स्तर खराब था। विभाग ने शेष बचे 710 स्थलों में पुनरूत्पादन का सर्वेक्षण नहीं किया।

आगे 9 वन मंडलों[55] के अभिलेख की नमूना जांच में पाया गया (दिसंबर 2000 एवं अप्रैल 2001) कि 29 सहायक प्राकृतिक पुनरूत्पादन कार्यस्थलों पर, कार्यारंभ के समय औसतन 1,496 स्थापित पौधे, प्रति हैक्टेयर पुनरूत्पादन सर्वेक्षण के समय घटकर 912 रह गये। नकारात्मक वृद्धि दर या तो प्रारंभिक पुनरूत्पादन की असफलता अथवा खराब संरक्षण के कारण रही। इस प्रकार, सहायक पुनरूत्पादन पर वर्ष 1995 से 2000 के बीच किया गया 1.52 करोड़ का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ, क्योंकि यह प्राकृतिक पुनरूत्पादन के स्तर को बनाये रखने अथवा बढ़ाने में असमर्थ रहा। मामले में अनुसंधान करने और उत्तरदायित्व निर्धारण करने हेतु विभाग ने कोई पहल नहीं की।

4.1.5.2 खुले वनों में ग्राम संसाधन विकास कार्यक्रम

ग्राम संसाधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक ग्रम वन समिति द्वारा 300 हैक्टेयर बिगड़े वनों का सुधार 10 वर्ष के समय में किया जाना था। प्रत्येक ग्राम वन समिति द्वारा वांछित प्रक्रिया के तहत निम्नांकित कार्य किये जाने थे (क) 300 हैक्टेयर स्थल का चयन (ख) प्रतिकर्तन, ठूंठों की कटाई, लेन्टाना का उन्मूलन, मृदा एवं नमी कार्य तथा प्रतिवर्ष 30 हैक्टेयर क्षेत्र में रिक्त स्थान पर वृक्षारोपण तथा (ग) वनों की सुरक्षा (300 हैक्टेयर)। 1,164 वन ग्राम समितियों द्वारा ग्राम संसाधन विकास कार्यक्रम 1995-2000 के मध्य 4,18,899 हैक्टेयर क्षेत्र में लिया गया जिस पर कुल व्यय 73.15 करोड़ रूपये किया गया, इसमें से 42.81 करोड़ रूपये वानिकी कार्यों और 30.34 करोड़ रूपये का व्यय सुरक्षा पर था। प्राप्त निष्कर्ष निम्नवत हैं :-

54 *मध्यप्रदेश- खंडवा छत्तीसगढ-भानुप्रतापपुर, , बिलासपुर (उत्तर) कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर*

55 *मध्यप्रदेश- हरदा, खंडवा, सिवनी (दक्षिण)*
छत्तीसगढ- बिलासपुर (उत्तर), जसपुरनगर,, कोरबा, नारायणपुर एवं रायगढ

(i) अनुपयुक्त कार्य स्थलों पर अविवेकपूर्ण व्यय

उच्च वनाच्छादित घनत्व वाले 41 ऐसे कार्य स्थलों पर जहां बिगड़े वनों के सुधार कार्य की आवश्यकता नहीं थी, 1.76 करोड़ रूपये का व्यय किया गया।

परियोजना संचालक ने अनुदेश जारी किये थे (जनवरी 1996) कि बिगड़े वनों के सुधार कार्य हेतु ग्राम संसाधन विकास कार्यक्रम के कार्यस्थलों का चयन 0.4 से कम वनाच्छादित घनत्व वाले वनों में से किया जाए।

8 मंडलों[56] में 1995-99 के दौरान 41 ऐसे कार्यस्थलों (12,692 हैक्टेयर) पर बिगड़े वनों का सुधार कार्य में 1.76 करोड़ रूपये का व्यय किया गया जहां तत्कालीन वनाच्छादित घनत्व 0.4 से 0.8 के मध्य था तथा बिगड़े वनों के सुधार कार्य के निष्पादन की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। 1.76 करोड़ रूपये की इस राशि का उपयोग 0.4 से कम वनाच्छादित घनत्व वाले ऐसे कार्यस्थलों में किया जा सकता था जहां बिगड़े वनों के सुधार कार्य की वास्तव में आवश्यकता थी।

(ii) मानदण्डों से अधिक व्यय

परियोजना संचालक द्वारा वानिकी कार्यों हेतु निर्धारित, व्यय करने संबंधी मानदण्डों (अप्रैल 1997) के अनुसार, मृदा की पूर्व तैयारी, पौधरोपण, रखरखाव तथा तैयारी की सूक्ष्म योजना के लिए प्रति ग्राम वन समिति पर क्रमशः 90,000 रूपये, 45,000 रूपये, 9,000 रूपये तथा 5,000 रूपये प्रति वर्ष व्यय किये जाने थे।

निर्धारित मानदण्डों से 1.06 करोड़ रूपये का अधिक व्यय किया गया।

8 मंडलों[57] में वर्ष 1997-2000 के दौरान, 15,030 हैक्टेयर क्षेत्रफल (क्षेत्र तैयारी 8,550 हैक्टेयर, पौधरोपण 6,480 हैक्टेयर) में वानिकी कार्यों पर 4.71 करोड़ रूपये का व्यय किया गया। इस प्रकार (मानदण्डों के अनुसार) 3.65 करोड़ रूपये के स्वीकार्य व्यय से 1.06 करोड़ रूपये का अधिक व्यय किया गया।

(iii) ग्राम वन समितियों के माध्यम से किये गये वानिकी कार्य के संबंध में जबाबदेही का अभाव

72.09 लाख रूपये के वानिकी कार्यों के निष्पादन के संबंध में जबाबदेही का अभाव।

वानिकी कार्यों का निष्पादन वन विभाग के स्टाफ द्वारा किया जाना था। तथापि, भोपाल तथा उत्तर रायपुर मंडलों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला (मार्च तथा अप्रैल 2001) कि अवधि 1996-2000 के दौरान वानिकी कार्यों के संचालन हेतु ग्राम वन समितियों को 72.09 लाख रूपये (सुरक्षा राशि के अतिरिक्त) का अग्रिम भुगतान किया गया, लेकिन इसे संबंधित लेखा शीर्ष के अंतर्गत व्यय के रूप में दर्शाया गया था। ग्राम वन समितियों द्वारा वानिकी कार्यों पर जब भी व्यय किया जावेगा, ऐसे व्यय के विवरण के अभाव में वन विभाग/लेखापरीक्षा द्वारा इसकी संवीक्षा संभव नहीं है। जनवरी 2001 तक, कोई व्यय नहीं किया गया था।

[56] *मध्यप्रदेश-बालाघाट (उत्तर) ,भोपाल, कटनी तथा खंडवा*
छत्तीसगढ- बिलासपुर (उत्तर), कोरबा तथा रायपुर (पूर्व एवं उत्तर)

[57] *मध्यप्रदेश- हरदा व होशंगाबाद*
छत्तीसगढ-बिलासपुर, बिलासपुर (उत्तर) , कोरबा, महासमुंद तथा रायपुर (पूर्व एवं उत्तर)

4.1.6 अवशिष्ट कार्यों हेतु निधियों के अभाव के कारण विद्यमान वानिकी कार्य संकट में पड़े

परियोजना के चरण-I के लिए भारत सरकार तथा विश्व बैंक के बीच 4 वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध हुआ था। तथापि, विभाग द्वारा यह मानते हुए कि परियोजना के चरण-I की समाप्ति के तुरंत पश्चात चरण-II का निष्पादन किया जाएगा, चरण-I के आधारभूत अवयवों अर्थात सहायक प्राकृतिक पुनरूत्पादन तथा ग्राम संसाधन विकास कार्यक्रम को क्रमशः सात वर्षों तथा दस वर्षों के लिए योजनाबद्ध किया गया। यद्यपि, विभाग इस तथ्य से अवगत था कि यदि इन कार्यों का पूर्ण निष्पादन नहीं होता है तो चरण-I में किए गए निवेश निरर्थक हो जाएंगे, फिर भी चरण-II के अनुमोदन न किये जाने की स्थिति में वानिकी कार्यों हेतु कोई आकस्मिक योजना नहीं बनाई गई।

अवशिष्ट कार्यों हेतु निधियों के अभाव में 78.20 करोड़ रूपये का विद्यमान वानिकी कार्य संकट में पड़ा।

(क) दिसम्बर 1999 में प्रथम चरण की समाप्ति के पश्चात वर्ष 2000-2001 के दौरान 3.04 करोड़ रूपये तथा 16.76 करोड़ रूपये की वांछित राशियों[58] के विरूद्ध, विभाग द्वारा सहायक प्राकृतिक पुनरूत्पादन तथा ग्राम संसाधन विकास कार्यक्रम कार्यों के रखरखाव के लिए क्रमशः 1.28 करोड़ रूपये (42 प्रतिशत) तथा 4.13 करोड़ रूपये (25 प्रतिशत) की धनराशियां उपलब्ध कराई गईं। इस प्रकार, अपर्याप्त बजट प्रावधानों के कारण 78.20 करोड़ रूपये के अपूर्ण वानिकी कार्यों पर किए गए व्यय (सहायक प्राकृतिक पुनरूत्पादन 35.39 करोड़ रूपये व ग्राम संसाधन विकास कार्यक्रम 42.81 करोड़ रूपये) के निरर्थक हो जाने का खतरा था।

(ख) 13 मंडलों[59] में जहां वर्ष 1999-2000 के दौरान 2.81 करोड़ रूपये की लागत से पूर्व में ही अग्रिम मृदा तैयार करने संबंधी कार्य किया जा चुका था, 320 ग्राम वन समितियों के 9,600 हैक्टेयर क्षेत्रफल में वृक्षारोपण के लिए 1.44 करोड़ रूपये की आवश्यकता थी। लेकिन, वर्ष 2000-2001 के दौरान विभाग ने केवल 9 मंडलों को 84.22 लाख रूपये प्रदान किए तथा शेष 4 मंडलों[60] को कोई धनराशि/निधि प्रदान नहीं की गई। पर्याप्त निधियों के अभाव में वृक्षारोपण कार्य संभव नहीं हो सका जिसके परिणामस्वरूप 1999-2000 में अग्रिम मृदा कार्य पर किये गये 2.81 करोड़ रूपये के कुल व्यय में से 1.17 करोड़ रूपये का व्यय निरर्थक सिद्ध हुआ।

4.1.7 संयुक्त वन प्रबंधन

परियोजना में संवृत्त वनों में वन सुरक्षा समितियों तथा खुले वनों में ग्राम वन समितियों में स्थानीय लोगों की सहभागिता के माध्यम से संयुक्त वन प्रबंधन सम्मिलित था। संयुक्त वन प्रबंधन में एक अनुबंध अंतर्निहित होता है, जिसमें विभाग तथा लोगों (स्थानीय व्यक्तियों) के मध्य प्राधिकार, उत्तरदायित्व तथा लाभों का वितरण विनिर्दिष्ट किया जाता है। सुरक्षा प्रदान करने के लिए संबंधित

58 *(विभाग के अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार तथा सुरक्षा राशि को छोडकर जिसका 1999-2000में पूर्व भुगतान कर दिया गया था)*

59 *मध्यप्रदेश-छिंदवाडा (दक्षिण तथा पश्चिम), डिढोरी, हरदा, कटनी, खंडवा, मंडला (पूर्व तथा पश्चिम) तथा रतलाम*
छत्तीसगढ-बिलासपुर (उत्तर), कोरबा, रायपुर (पूर्व तथा उत्तर)

60 *मध्यप्रदेश- डिढोरी, हरदा, मंडला (पश्चिम) तथा रतलाम*

वन सुरक्षा समितियों/ग्राम वन समितियों को बैंक खातों के माध्यम से 3,00 रूपये प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष देय थे। इस राशि का दो तिहाई भाग आय उत्पादक गतिविधियों जैसे कि कृषि वानिकी, पेय जल सुविधाओं, गैर परंम्परागत उर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, उन्नत पशु प्रजनन तकनीकों, शहद संग्रह आदि पर तथा एक तिहाई सुरक्षा गतिविधियों में उपयोग किया जाना था। संयुक्त वन प्रबंधन के कियान्वयन में निम्न बिंदु दृष्टिगत हुए।

(i) अनुबंधों का निष्पादन न किया जाना

ग्राम संसाधन विकास कार्यक्रम की व्याख्या करने तथा परिभाषित समुदायों से संबद्ध परिभाषित वनाच्छादित क्षेत्रों को जोड़ने वाली संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्थाओं की वैधता को सुनिश्चित करने तथा प्रबंधन और सुरक्षा उपायों एवं उत्तरदायित्वों, उत्पादभागी व्यवस्थाओं, संस्वीकृतियों तथा विरोधी संकल्प प्रकियाओं (ग्राम वन समितियों के भीतर एवं उनकी बीच में) को विनिर्दिष्ट करने के लिए परियोजना में वन सुरक्षा समितियों/ग्राम वन समितियों तथा वन विभाग के मध्य औपचारिक समझौता ज्ञापन को सम्मिलित किया गया था। इस प्रकार, समझौता ज्ञापन संयुक्त वन प्रबंधन के लिए आवश्यक थे। तथापि, विभाग किसी भी समझौता ज्ञापन का निष्पादन करने में असफल रहा एवं संशोधित शासकीय संकल्प के जारी होने में हुए विलम्ब को इसका मुख्य कारण बताया गया था। फलस्वरूप, अधिकांश संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्थाओं की वैधता अनिश्चित होने के कारण संयुक्त वन प्रबंधन गतिविधियों की प्रभावशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(ii) गैर शासकीय संगठनों को सम्मिलित न किया जाना

विश्व बैंक की 28 फरवरी 1995 की स्टाफ मूल्यांकन रिपोर्ट में उल्लेख था कि बहुत से गैर शासकीय संगठनों को सहभागिता प्रक्रियाओं का अनुभव था और वे (i) ग्राम संसाधन विकास कार्यक्रम कार्यशालाओं में सहायता कर (ii) ग्राम संसाधन विकास कार्यक्रम की प्रांरभिक टीमों को महिला स्टाफ उपलब्ध करवा कर (iii) सहभागिता ग्रामीण मूल्यनिरूपक कार्यों में प्रशिक्षण प्रदान कर, ग्राम संसाधन विकास कार्यक्रम में अपना काफी योगदान दे सकते थे।

परियोजना में परियोजना कियान्वयन में गैर शासकीय संगठनों को व्यापक स्तर पर शामिल किए जाने की योजना थी तथा परियोजना संचालक ने अनुदेश जारी किये थे (जून 1997) कि गैर शासकीय संगठनों की सक्रिय भागीदारी लोगों तथा विभाग के मध्य एक सेतु के रूप में सुनिश्चित की जानी चाहिए।

इन विशिष्ट सिफारिशों/ निर्देशों के बावजूद भी, गैर शासकीय संगठनों की भागीदारी के लिए कोई धनराशि सुरक्षित नहीं रखी गई। 9 मंडलों[61] में अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि परियोजना के कियान्वयन में गैर-शासकीय संगठनों को सम्मिलित नहीं किया गया था।

(iii) नेतृत्व दलों द्वारा अपना कार्य न किया जाना

फील्ड स्टाफ तथा समितियों आदि को प्रशिक्षण तथा तकनीकी व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए परियोजना संचालक के अनुदेशों (मई 1997) के अंतर्गत

[61] *मध्यप्रदेश- हरदा, कटनी तथा उमरिया छत्तीसगढ़-बिलासपुर (उत्तर), जशपुर नगर, कोरबा, रायगढ़ तथा रायपुर (पूर्व तथा उत्तर)*

नेतृत्व दलों का गठन किया गया था, लेकिन परियोजना पूर्णता प्रतिवेदन में परियोजना संचालक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सदस्यों का बारम्बार स्थानान्तरण होने तथा उन पर उनके सामान्य कर्त्तव्यों के अतिरिक्त कार्यभार अधिक होने के कारण ये दल निष्प्रभावी रहे।

(iv) आय उत्पादक गतिविधियों के लिए निधि का उपयोग न होना

संयुक्त वन प्रबंधन के प्रति स्थानीय लोगों में सहयोग की भावना उत्पन्न करने की दृष्टि से आय उत्पादक गतिविधियों का उपयोग किया जाना था। अवधि 1995-2000 के दौरान 1,105 वन सुरक्षा समितियों तथा 1,164 ग्राम वन समितियों को भुगतान की गई 62.72 करोड़ रूपये की राशि में से 41.80 करोड़ रूपये का उपयोग ग्राम परिसंपत्तियों तथा आय उत्पादक गतिविधियों के सृजन में किया जाना था। परियोजना संचालक द्वारा संवितरित की गई धनराशि में से 50 प्रतिशत राशि को उपयोग में लाने का दावा किया गया लेकिन इस तथ्य की सत्यता के समर्थन में लेखा परीक्षा के समक्ष कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

आय उत्पादक गतिविधियों के सृजन हेतु निर्धारित 8.31 करोड़ रूपये की राशि में से 7.29 करोड़ रूपये (87.7 प्रतिशत) की धन राशि अव्ययित रही।

12 मंडलों[62] के अभिलेखों के नमूना जांच में पता चला कि अवधि 1995-2000 के दौरान वन सुरक्षा समितियों/ ग्राम वन समितियों को भुगतान की गई 12.46 करोड़ रूपये की धन राशि में से 8.31 करोड़ रूपये का उपयोग आय उत्पादक गतिविधियों में किया जाना था, केवल तीन मंडलों कोरबा, उत्तर सिवनी तथा उत्तर बिलासपुर ने 2.67 करोड़ रूपये की उपलब्ध निधि में से 1.02 करोड़ रूपये का उपयोग किया। वन मंडलाधिकारी, खण्डवा ने बताया कि निधियों का उपयोग कृषि वानिकी कार्य में किया गया था, लेकिन उन्होंने उपयोग में लाई गई राशि या कार्य की मात्रा के संबंध में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किए। शेष बचे 8 मंडलों ने निधियों (7.29 करोड़ रूपये) का उपयोग नहीं किया ।

(v) समिति निधियों पर नियंत्रण

जुलाई 1998 में परियोजना संचालक ने अनुदेश जारी किए कि उप वन मंडलाधिकारियों द्वारा वन सुरक्षा समितियों/ ग्राम वन समितियों की निधियों की वार्षिक लेखापरीक्षा की जानी चाहिए। परियोजना संचालक ने दावा किया कि समिति निधियों की 40 प्रतिशत राशि की लेखापरीक्षा की गई थी।

लेकिन 21 मंडला[63] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला (मई 2000 तथा अप्रैल 2001 के मध्य) कि 17 मंडलों की वन सुरक्षा समितियों/ ग्राम वन समितियों को संवितरित की गई 18.47 करोड़ रूपये की धनराशि की उप

62 *मध्यप्रदेश- हरदा, कटनी खंडवा, सिवनी (उत्तर तथा दक्षिण) तथा उमरिया छत्तीसगढ़-बिलासपुर (उत्तर), जशपुर नगर, कोरबा, रायगढ़ तथा रायपुर (पूर्व तथा उत्तर)*

63 *मध्यप्रदेश- छिंदवाडा (दक्षिण), देवास, हरदा, इंदौर, कटनी खंडवा, मंडला (पश्चिम), मंदसौर, पन्ना (दक्षिण) रायसेन, रतलाम, सिवनी (उत्तर तथा दक्षिण) तथा उमरिया छत्तीसगढ़-भानुप्रतापपुर, बिलासपुर (उत्तर), जशपुर नगर, कोरबा, रायगढ़ तथा रायपुर (पूर्व तथा उत्तर)*

वन मंडलाधिकारियों द्वारा कोई लेखापरीक्षा जांच नहीं की गई थी। यह बताया गया कि शेष बचे 4 मंडलों[64] में निरीक्षण किए गए थे, लेकिन लेखापरीक्षा के समक्ष निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये गये।

4.1.8 परियोजना मूल्यांकन

महिलाओं तथा समाज के कमजोर वर्गो की सहभागिता न होना

संयुक्त वन प्रबंधन एवं पर्यावरण विकास के कियान्वयन में विभाग द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं को प्रलेखित करने के लिए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल द्वारा किए गए एक अध्ययन (1999)[65] में पता चला कि संयुक्त वन प्रबंधन में महिलाओं की सीमित भागीदारी थी। निर्णय लेने में महिलाओं की सहभागिता नगण्य थी। अनुप्रयोग तथा बैंक खातों में निधियों के उपयोग के संबंध में समिति के सदस्यों को सीमित जानकारी थी। ग्राम वनसमितियों/वन सुरक्षा समितियों द्वारा अपराधों के संबंध में विभाग को सूचित करने पर कुछ प्रकरणों में विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप समितियों के सदस्य भविष्य में घटने वाले अपराधों की सूचना देने के लिए हतोत्साहित हुए। ये निष्कर्ष ''द सोसाइटी फॉर पार्टीसिपेटरी रिसर्च इन एशिया, नई दिल्ली'' द्वारा किए गए एक मध्यावधि मूल्यांकन (1998) की संपुष्टि करते हैं, जिसमें यह भी पता चला कि (I) अधिकांश ग्राम वन समितियों में चौकीदारों के भुगतान नहीं किये जा रहे थे, (II) दैनिक मजदूरी का भुगतान अनियमित था, (III) आय उत्पादक गतिविधियां तथा वैकल्पिक उर्जा संसाधन बहुत कम थे व (IV) परिसंपत्तियों का अल्प मात्रा में सृजन किया गया था तथा निर्धन वर्ग विशेष तौर पर भूमिहीन लोगों की आवश्यकताओं की उपेक्षा की गई थी तथा (V) पर्यावरणात्मक तथा सामाजिक पहलुओं के मध्य सहलग्नता के महत्व के बारे में अधीनस्थ क्षेत्र कर्मियों को अवगत नहीं कराया गया जिसके परिणामस्वरूप आम जन समुदाय भी इससे अनभिज्ञ रहा। विभाग द्वारा तैयार किए गए परियोजना पूर्णता प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख था कि ग्राम वन समितियों/ वन सुरक्षा समितियों पर गांव के प्रभावशाली व्यक्तियों का आधिपत्य था। संयुक्त वन प्रबंधन गतिविधियों में आम जनसमुदाय विशेष तौर पर महिलाओं तथा अनुसूचित जनजातियों की सहभागिता के अभाव के कारण इसकी प्रभावशीलता पर उल्लेखनीय रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

4.1.9 सघन वनाच्छादित क्षेत्र में उल्लेखनीय कमी

विद्यमान वनों को संरक्षित करना वन विभाग का मुख्य कार्य है तथा संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत जनसमुदाय की सहभागिता से तथा वनों के संरक्षण हेतु ''घेराबंदी तथा जुर्माने'' की परंपरागत पद्धति में परिवर्तन कर वन क्षेत्र तथा वृक्षाच्छादित क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि करना राष्ट्रीय वन नीति 1988 तथा परियोजना का प्रमुख उद्देश्य था। मध्यप्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन 1991 से प्रारंभ किया गया था।

लेकिन, भारतीय वन सर्वेक्षण के प्रतिवेदनों से पता चला कि 1991-95 की तुलना में 1995-99 के दौरान निम्न विवरणानुसार राज्य के सघन वनाच्छादित क्षेत्र में 13,534 वर्ग किलोमीटर की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई :

64 *खंडवा, सिवनी (उत्तर तथा दक्षिण) तथा मंदसौर*

65 *परियोजना के तहत एक परामर्शी की तरह किया गया।*

भारतीय वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	मध्यप्रदेश राज्य का वनाच्छादित क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में			सघनाच्छादित वन क्षेत्र में कमी (-) या बढ़ोतरी (+)	
	सघन	खुला	योग	वर्ग किलोमीटर	प्रतिशत
1991	95,385	40,400	1,35,785	-	-
1993	95,537	39,859	1,35,396	(+) 152	(+)0.16
1995	95,153	40,011	1,35,164	(-) 384	(-)0.40
1997[66]	82,745	48,450	1,31,195	(-) 12,408	(-)13.00
1999	81,619	50,211	1,31,830	(-) 1126	(-)1.40

सघन वन क्षेत्र में 13,534 वर्ग किलोमीटर की कमी (95,153-81,619) वर्ष 1995-99 के दौरान हुई जो वर्ष 1991-95 के दौरान हुई कमी 232 वर्ग किलोमीटर (95,385-95,153) से बहुत अधिक थी और वर्ष 1995-97 के दौरान 13 प्रतिशत की अत्यधिक कमी आई। विभाग ने न तो विद्यमान सघन वनों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और न ही कमी के कारणों की जांच की गई। 13,534 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की मात्रा (मध्यप्रदेश में औसतन 47 घन मीटर प्रति हैक्टेयर प्राप्त होने वाली वनोपज के आधार पर) 636 लाख घनमीटर (मूल्य 43,019 करोड़ रूपये) आंकी गई।

4.1.10 परिवीक्षण

किये गये कार्यों के गुणात्मक एवं संख्यात्मक परिवीक्षण एवं मूल्यांकन करने तथा सहायक प्राकृतिक पुनरूत्पादन एवं ग्राम संसाधन विकास कार्यक्रम में पारदर्शिता लाने के लिए भी सभी कार्य स्थलों की निष्पादन लेखापरीक्षा सम्पादित किये जाने की आवश्यकता थी। तथापि 2,269 में से केवल 770 स्थलों की निष्पादन लेखापरीक्षा (1998 में) की गई, सारांश निम्नांकित है .

समिति का प्रकार	परियोजना के दौरान चयनित कुल स्थल	स्थल की संख्या जिनका मूल्यांकन किया गया			मूल्यांकन के प्रतिफल				
		बाह्य[67]	आंतरिक[68]	योग	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	औसत से कम
सहायक प्राकृतिक पुनरूत्पादन	1105	232	178	410	118	181	55	26	30
ग्राम संसाधन विकास कार्यक्रम	1164	178	182	360	49	166	104	34	7
योग	2269	410	360	770	167	347	159	60	37

यह देखा गया कि बाह्य मूल्यांकन कर्ता ने 11 प्रतिशत स्थलों को औसत से नीचे की श्रेणी दी जबकि आंतरिक मूल्यांकन कर्ताओं ने केवल 2.3 प्रतिशत

[66] *1997-सांख्यिकी निर्धारण अक्तूबर 1994*

[67] *बाह्य मूल्यांकन समीपस्थ जिलों के वन मंडलाधिकारी (कार्यआयोजना) समीपस्थ एक परामर्शदाता कोई एजेंसी कर सकती थी ।*

[68] *आंतरिक मूल्यांकनकर्ता वन अधिकारियों की एक समिति जो वृत्त विशेष के वन संरक्षक द्वारा गठित की गई थी ।*

स्थलों को ही औसत से नीचे की श्रेणी दी। आगे यह देखा गया कि 410 स्थलों के सहायक प्राकृतिक पुनरूत्पादन कार्यों का आंशिक मूल्यांकन किया गया (50 प्रतिशत) एवं शेष 277 स्थलों का मूल्यांकन नहीं किया गया। इसी तरह, ग्राम संसाधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 360 स्थलों (55 प्रतिशत) व शेष 514 स्थलों का मूल्यांकन नही किया गया। इस प्रकार, विभाग सहायक प्राकृतिक पुनरूत्पादन एवं ग्राम संसाधन विकास कार्यक्रम पर 89.5 करोड़ रूपये (63 प्रतिशत) के व्यय का मूल्यांकन करने में विफल रहा।

यद्यपि, विभाग ने विश्व बैंक दल के परियोजना के मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान स्वयं स्वीकार किया (1998) कि औसत एवं औसत से नीचे के श्रेणी के कार्यों का कारण पता किया जाये किन्तु सिवाय संबंधित वन मंडल अधिकारियों को पत्र लिखने के अन्य कोई कार्यवाही नहीं की गई (जुलाई 2001)।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2001), उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2001)।

भाग - ख

4.2 वृक्षारोपण की असफलता से हानि

पौधों की कम जीवितता के फलस्वरूप 93.13 लाख रूपये की हानि को महालेखाकार को प्रतिवेदित न करना। उत्तरदायित्व निर्धारण करने की एवं हानि की राशि को वसूल नहीं की गई। करने की कार्यवाही न करना ।

वन विभाग ने राज्य को 3 क्षेत्रों नामशः उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम, मध्य एवं दक्षिण व दक्षिण पूर्व में बांट कर (अक्टूबर 1986) इन क्षेत्रों के संबंध में जीवितता के न्यूनतम प्रतिशत के मानदण्ड क्रमशः 20,30, एवं 40 निर्धारित किये थे। ऐसे प्रकरण जहां वृक्षारोपण की जीवितता का प्रतिशत निर्धारित मानदंड से कम था राज्य शासन के लिए वित्तीय हानि माने जाने थे और आवश्यक रूप से उनके हानि प्रतिवेदन बना कर महालेखाकार एवं शासन को प्रेषित किये जाने थे। साथ ही, उत्तरदायित्व का निर्धारण कर हानि हेतु उत्तरदायी अधिकारी से वसूली की कार्यवाही भी की जानी थी।

सामान्य वन मंडल, भोपाल के अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी 2001) में प्रकट हुआ कि वर्ष 1985 से 1993 के मध्य 1.42 करोड़ रूपये की लागत से 4,806 हैक्टेयर क्षेत्र में 65 वृक्षारोपण किये गये। इन वृक्षारोपणों का भौतिक सत्यापन उक्त शासकीय दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं किया गया। तथापि, कार्य आयोजना अधिकारी ने वन मंडल की कार्य आयोजना, अवधि1999-2009 को तैयार करते समय पाया कि इन वृक्षारोपणों में पौधों की जीवितता का प्रतिशत निर्धारित मानदंड 20 प्रतिशत के विरूद्ध 0 से 18. 51 प्रतिशत के मध्य था। परिणामतः 93.13 लाख रूपये की हानि हुई। कार्य आयोजना में वृक्षारोपणों की विफलता का कारण सामान्यतः समुचित स्थल अथवा प्रजाति का चयन न करना, छोटे आकार की अपरिपक्व पौध का उपयोग, मृदा परीक्षण व मृदा उपचार की कमी एवं उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की कमी इत्यादि को बताया गया। विभाग ने हानि प्रकरण महालेखाकार/शासन को प्रतिवेदित करने की कोई कार्यवाही नहीं की और न ही असफलता के लिये उत्तरदायित्व निर्धारण कर हानि की वसूली की कार्यवाही की गई।

यह इंगित किये जाने पर (फरवरी 2001) वन मंडलाधिकारी ने बताया कि (जुलाई 2001) कार्ययोजना में जो आंकड़े/सूचना सम्मिलित की गई वह प्लॉट सेंपलिंग पद्धति के आधार पर,सत्यापन पर आधारित थी। हानि प्रकरण बनाये जाने से पूर्व शत-प्रतिशत सत्यापन किया जाना आवश्यक है। उत्तर दर्शाता है कि यद्यपि वन मंडल अधिकारी सामान्य वन मंडल भोपाल एवं सामाजिक वानिकी वन मंडल भोपाल द्वारा कार्यआयोजना में समाहित करने हेतु भेजे गये आंकड़े/सूचना से वृक्षारोपण की असफलता प्रकट होती थी, आगे शत-प्रतिशत सत्यापन, कारणों की जांच एवं उत्तरदायित्व निर्धारण की आगामी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गई।

प्रकरण शासन को सूचित किया गया (जुलाई 2001)। उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2001)।

अध्याय – 5
अन्य विभाग

आवास एवं पर्यावरण विभाग

न्यायिक परिसर का निर्माण	5.1	111
मूल्य वृद्धि प्रभारों का अस्वीकार्य भुगतान	5.2	112

नर्मदा घाटी विकास विभाग

निविदाओं की विवेकहीन अस्वीकृति के फलस्वरूप लाइनिंग कार्य पर अतिरिक्त लागत आई	5.3	114

अध्याय - 5
अन्य विभाग

आवास एवं पर्यावरण विभाग

5.1 न्यायिक परिसर का निर्माण

अतिरिक्त मदों हेतु असामान्य दरों की स्वीकृति के फलस्वरूप 21.24 लाख रूपये का अधिक भुगतान।

विधि एवं विधायी विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा 5 करोड़ रूपये की प्राक्कलित लागत पर भोपाल में एक न्यायिक परिसर के निर्माण हेतु प्रशासकीय अनुमोदन दिया गया (अक्टूबर 1994)। अधीक्षण यंत्री द्वारा 4.64 करोड़ रूपये हेतु तकनीकी स्वीकृति दी गई (मार्च 1995)। प्रशासकीय अनुमोदन 9.68 करोड़ रूपये तक पुनरीक्षित किया गया (जुलाई 2000)। 8.91 करोड़ रूपये हेतु पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति जनवरी 2001 में जारी की गई। लेखापरीक्षा जांच (फरवरी 2000) से निम्न तथ्य प्रकाश में आए :-

अतिरिक्त मदों हेतु गलत दरों की स्वीकृति के कारण अधिक भुगतान

अनुबंध में एम-15 मिश्रण में रिइनफोर्स्ड सीमेंट कांक्रीट में छत स्लेबों के निर्माण हेतु प्रावधान था। तथापि, वास्तुविद 'ख' ने बिना कोई कारण बताए इसे एम-20 मिश्रण में रिइनफोर्स्ड कांक्रीट में 4.5 मीटर से अधिक की ऊंचाई में वेफल स्लेबों से परिवर्तित कर दिया (अगस्त 1996)।

यह देखा गया कि अधीक्षण यंत्री द्वारा 4.5 मीटर ऊंचाई तक वेफल स्लेब हेतु सेंटरिंग एवं शटरिंग का कार्य 450 रूपये प्रति वर्गमीटर की दर पर अतिरिक्त मद स्वरूप स्वीकृत किया गया (नवंबर 1997)। दरों का आकलन 43.14 वर्गमीटर के संपर्क (कांटेक्ट) क्षेत्र हेतु किया गया।

अतिरिक्त मद के विश्लेषण की जांच से निम्नानुसार प्रकट हुआ :

(I) यद्यपि कार्य प्लाइवुड शटरिंग से किया गया था परंतु वुडेन प्लेंकिंग की लागत जो कि अखिल भारतीय दर अनुसूची के अनुसार अनावश्यक थी, भी दर विश्लेषण में सम्मिलित थी।

(II) वुडेन रनर्स के उपयोग हेतु अखिल भारतीय दर अनुसूची में अनुशंसित 5 प्रतिशत छीजन के स्थान पर 20 प्रतिशत की गणना की गई।

(III) विभाग द्वारा प्लाइवुड शटरिंग हेतु अखिल भारतीय दर अनुसूची में 16 बार के उपयोग के प्रावधान के बदले 8 बार के उपयोग का प्रावधान किया गया।

(IV) अखिल भारतीय दर अनुसूची के आधार पर स्टील प्रोपिंग की गणना हेतु 70 की संख्या के बदले 153 की संख्या का उपयोग किया गया।

(V) अखिल भारतीय दर अनुसूची के अनुसार अपेक्षित 20.27 बढ़इयों एवं 19.20 सहायकों के स्थान पर 41.18 बढ़इयों एवं 30.8 सहायकों को गणना में लिया गया।

दर विश्लेषण से उक्त प्रावधानों के आधिक्य को हटाने पर स्वीकार्य दरों का आकलन 232 रूपये प्रति वर्गमीटर किया गया। इसकी इस तथ्य से पुष्टि होती है कि प्रमुख अभियंता ने दर अनुसूची में (नवंबर 1999) योजना क्षेत्र हेतु 495 रूपये प्रति वर्गमीटर की एक दर सम्मिलित की जो कि संपर्क क्षेत्र हेतु 232 रूपये प्रति वर्गमीटर आंकी गई। अत्यधिक ऊंची दरों की स्वीकृति के फलस्वरूप फरवरी 2001 तक 9747.26 वर्गमीटर सेंटरिंग एवं शटरिंग के कियान्वयन हेतु ठेकेदार को 21.24 लाख रूपये का अधिक भुगतान हुआ।

शासन ने बताया (सितंबर 2001) कि विभाग द्वारा विश्लेषित दरें स्टील शटरिंग हेतु थीं न कि वुडेन शटरिंग हेतु। तथ्य के इस दृष्टिकोण से उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा में दरों का विश्लेषण करते समय उन्हीं सामग्रियों, जो कि विभागीय विश्लेषण में दर्शाई गईं थीं, पर ही विचार किया गया था।

5.2 मूल्य वृद्धि प्रभारों का अस्वीकार्य भुगतान

अनुबंध का उल्लंघन कर 24.50 लाख रूपये के मूल्य वृद्धि प्रभारों का अस्वीकार्य भुगतान

पूर्व ठेकेदार 'पी' के द्वारा अपूर्ण छोड़े गए 'नए विधान भवन' भोपाल के सिविल, स्वास्थ्य रक्षा, जल आपूर्ति, गरम पानी, अग्नि शमन एवं आंतरिक विद्युतीकरण के शेष कार्य को कार्यपालन यंत्री, निर्माण संभाग क्रमांक-III, राजधानी परियोजना प्रशासन, भोपाल द्वारा ठेकेदार 'क' को सौंपा गया (अक्टूबर 1994)। 3.50 करोड़ रूपये की प्राक्कलित लागत के विरूद्ध प्रदान किए गए कार्य का मूल्य 4.45 करोड़ रूपये था एवं यह 11 माह (वर्षा ऋतु सहित) में पूर्ण किया जाना था। कार्य 19 सितंबर 1996 को पूर्ण हुआ। निविदा प्रपत्रों, जो अनुबंध का ही एक अंश होते हैं, में यह निर्धारित था कि यदि निविदा आमंत्रण सूचना में कार्य पूर्ण करने हेतु स्वीकार्य अवधि 12 माह से अधिक नहीं है, तो चाहे जो भी कारण हो, मूल्य वृद्धि हेतु किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

तथापि अनुबंध में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद मूल्य वृद्धि हेतु भवन नियंत्रक, विधान भवन द्वारा सिविल कार्यों के लिए 22.08 लाख रूपये (मई 1999) एवं कार्यपालन यंत्री, निर्माण संभाग क्रमांक-III द्वारा विद्युतीकरण कार्यों के लिए 2.42 लाख रूपये (अक्टूबर 1997) के अस्वीकार्य भुगतान ठेकेदार को किए गए।

इसे इंगित करने पर भवन नियंत्रक ने बताया (सितंबर 1999) कि 28 अप्रैल 1994 को आयोजित अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में प्रमुख अभियंता ने स्पष्ट रूप से कहा था कि शेष सिविल कार्य को पूर्ण करने हेतु 12 से 15 माह आवश्यक हैं एवं यह कि 12 माह के पश्चात् के कार्य पर मूल्य वृद्धि के भुगतान के द्वारा वास्तव में शासन को बचत ही हो रही थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मूल्य वृद्धि का भुगतान अनुबंध का प्रत्यक्षतः उल्लंघन था एवं ठेकेदार ने मूल्य वृद्धि दावों की अस्वीकार्यता संबंधी उक्त प्रावधानों को पूर्णरूपेण ध्यान में रख कर ही अपनी दरें उद्धृत की थीं। अनुबंधों को अंतिम रूप देने के उपरांत सफल बोलीकर्ता को ऐसी मूल्य वृद्धि स्वीकार करने से न केवल निविदा प्रक्रिया ही दूषित हुई वरन् ठेकेदार को 24.50 लाख रूपये का अस्वीकार्य भुगतान भी हुआ।

प्रकरण अर्ध शासकीय रूप से शासन को सूचित किया गया (मई 2001), उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितंबर 2001)।

नर्मदा घाटी विकास विभाग

5.3 निविदाओं की विवेकहीन अस्वीकृति के फलस्वरूप लाइनिंग कार्य पर अतिरिक्त लागत

निविदा की दो बार विवेकहीन अस्वीकृति एवं तीसरे आमंत्रण में महंगे प्रस्ताव की स्वीकृति के फलस्वरूप 21.12 लाख रूपये की अतिरिक्त लागत

रानी अवंति बाई सागर नहर संभाग, गोटेगांव द्वारा रानी अवंतीबाई सागर परियोजना की हरेरी शाखा नहर के आर डी 1857 मीटर से 6400 मीटर में सीमेंट कांक्रीट लाइनिंग के निर्माण हेतु मद दर निविदाएं आमंत्रित की गईं (अगस्त 1993)। कार्य की अनुमानित लागत 60.47 लाख रूपये थी। 70.83 लाख रूपये (17.13 प्रतिशत अधिक) हेतु ठेकेदार 'क' के न्यूनतम प्रस्ताव (जनवरी 1994) की स्वीकृति हेतु अधीक्षण यंत्री द्वारा (मार्च 1994) एवं मुख्य अभियंता द्वारा (अप्रैल 1994) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण से अनुशंसा की गई।

निविदा मूल्यांकन समिति ने अवलोकन किया (जून 1994) कि 'क' का न्यूनतम प्रस्ताव उचित था परंतु तीन अन्य समूहों के लिए उसके न्यूनतम निविदाकर्ता होने एवं कार्य के चारों समूहों के लिए कुल निविदा लागत 'क' के वित्तीय सामर्थ्य से अधिक हो जाने के कारण निविदा मूल्यांकन समिति ने अनुशंसा की कि इस समूह हेतु 'क' का प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाए एवं जब तक 'क' यथोचित श्रेणी में पंजीकृत न हो जाए उस पर प्रतिबंध लगाते हुए निविदाएं पुनः आमंत्रित की जाएं। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने अनुशंसाओं को स्वीकार किया एवं मुख्य अभियंता को निविदाएं पुनः आमंत्रित करने की सलाह दी (सितंबर 1994)।

तदनुसार निविदाएं पुनः आमंत्रित की गईं (जुलाई 1995)। ठेकेदार से प्राप्त (नवंबर 1995) 75.61 लाख रूपये के न्यूनतम प्रस्ताव (25.04 प्रतिशत अधिक) की कार्यपालन यंत्री एवं अधीक्षण यंत्री के द्वारा अनुशंसा की गई। तथापि, मुख्य अभियंता ने 10 माह के पश्चात् अर्थात् सितंबर 1996 में इसे निविदाएं पुनः आमंत्रित करने के अनुदेशों के साथ अस्वीकृत कर दिया क्योंकि इसकी विधिमान्यता समाप्त हो गई थी (4 अप्रैल, 1996)।

जनवरी 1997 में तीसरी बार निविदाएं आमंत्रित की गईं एवं 91.95 लाख रूपये के न्यूनतम समझौताकृत प्रस्ताव (ठेके की अनुमानित लागत से 52.08 प्रतिशत अधिक) को स्वीकृत किया गया (दिसम्बर 1997)।

लेखापरीक्षा जांच से प्रकट हुआ (जुलाई 1999) कि :

निविदा मूल्यांकन समिति ने मध्यप्रदेश निर्माण विभाग नियमावली खंड-I के पैराग्राफ 2.097 के नीचे टीप-I के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं किया, जिसमें यह प्रावधान है कि अनुबंध करने के पूर्व उपयुक्त श्रेणी में पंजीकरण

किया जाए। यदि ठेकेदार 'क' को उपयुक्त श्रेणी में पंजीकरण कराने का एक अवसर दिया जाता तो तृतीय एवं प्रथम प्रस्ताव के मध्य अंतर की 21.12 लाख रूपये (91.95 लाख रूपये (-) 70.83 लाख रूपये) की राशि की बचत की जा सकती थी।

यदि द्वितीय आमंत्रण की निविदा, समय रहते स्वीकार कर ली जाती तो तृतीय एवं द्वितीय प्रस्ताव के मध्य अंतर की 16.34 लाख रूपये (91.95 लाख रूपये (-) 75.61 लाख रूपये) की राशि की बचत की जा सकती थी।

इसे इंगित करने (जुलाई 1999) पर मुख्य अभियंता ने बताया (अगस्त 2000) कि उक्त बिंदु नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के शीर्ष स्तर से संबंधित था एवं द्वितीय आमंत्रण में निविदाएं निधियों की कमी के कारण अस्वीकार की गईं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वर्ष 1995-96 के दौरान 7.66 करोड़ रूपये की बचत थी जिसका इस कार्य पर उपयोग किया जा सकता था। यदि निविदा प्रक्रिया हेतु शासन द्वारा बनाई गई समय सूची का मुख्य अभियंता द्वारा पालन किया जाता तो अतिरिक्त लागत से बचा जा सकता था।

प्रकरण अर्धशासकीय रूप से शासन को जून 2001 में सूचित किया गया, उत्तर की प्रतीक्षा थी (सितंबर 2001)।

अध्याय – 6
सामान्य

जवाबदेही पर बल देने एवं मध्यप्रदेश शासन के हितों का संरक्षण करने में वरिष्ठ अधिकारियों की विफलता	6.1	119

अध्याय - 6
सामान्य

6.1 जवाबदेही पर बल देने एवं मध्यप्रदेश शासन के हितों का संरक्षण करने में वरिष्ठ अधिकारियों की विफलता

महालेखाकार,• निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार लेन-देनों की नमूना जांच के साथ-साथ महत्वपूर्ण लेखाओं संबंधी एवं अन्य अभिलेखों के रखरखाव के सत्यापन हेतु, शासकीय विभागों के नियतकालिक निरीक्षण की व्यवस्था करते हैं। जब निरीक्षण के दौरान पाई गई महत्वपूर्ण अनियमितताओं का स्थल पर निराकरण नहीं हेा पाता है तो निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन हेतु सुधारात्मक कार्रवाई एवं कमियों, चूकों, आदि हेतु उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए महालेखाकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए जाते हैं। निरीक्षण प्रतिवेदनों में वर्णित अभ्युक्तियों का अनुपालन एवं दोषों, चूकों का अविलंब सुधार तथा इनके अनुपालन से महालेखाकार को अवगत कराना कार्यालय प्रमुखों एवं अगले उच्च प्राधिकारियों से अपेक्षित है। गंभीर अनियमितताएं भी महालेखाकार द्वारा विभागों के प्रमुखों के ध्यान में लाई जाती हैं। लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की परिवीक्षा (मॉनीटरिंग) में सुगमता हेतु एक अर्धवार्षिक प्रतिवेदन विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को भेजा जाता है।

588 लेखापरीक्षित इकाइयों के विरूद्ध 4,239.22 करोड़ रूपये की 14,022 लेखापरीक्षा कंडिकाओं वाले 3,529 निरीक्षण प्रतिवेदन निराकरण हेतु लंबित थे।

दिसंबर 2000 तक जारी किए गए जल संसाधन, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, वन एवं अन्य निर्माण कार्य विभागों•• के 588 संभागों/वन मंडलों/कार्यालयों से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों से प्रकट हुआ कि 3,529 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 14,022 कंडिकाएं 1985-86 से जून 2001 के अंत तक लंबित थीं। लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की स्थिति निम्नानुसार है:

• *महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वितीय, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़*

•• *अन्य निर्माण कार्य विभागों में नर्मदा घाटी विकास, आवास एवं पर्यावरण व भोपाल गैस राहत (सहायता एवं पुनर्वास) विभाग सम्मिलित हैं।*

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों और कंडिकाओं की स्थिति

सं.	व्यभाग	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	कंडिकाओं की संख्या	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	राशि (करोड़ रूपये में)
1	जल संसाधन	1413	5238	174	1675.41
2	लोक निर्माण	745	3629	132	865.56
3	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	504	2037	65	878.81
4	नर्मदा घाटी विकास				
	(i) सिंचाई	152	920	43	365.37
	(ii) भवन/सड़क	48	131	11	60.45
	(iii) वन	20	99	11	21.78
5	आवास एवं पर्यावरण (राजधानी परियोजना निर्माण इकाइयां)	41	174	5	63.33
6	भोपाल गैस राहत (निर्माण कार्य इकाइयां)	13	53	2	11.51
7	व्न	593	1741	145	297.00
8	योग	3529	14022	588	4239.22

इनमें से 2,430 कंडिकाओं वाले 614 निरीक्षण प्रतिवेदनों का 10 से अधिक वर्षो से निराकरण नहीं किया गया। जुलाई 1991 और दिसंबर 2000 के मध्य जारी 311 संभागों/कार्यालयों के 364 निरीक्षण प्रतिवेदनों के संबंध में आरंभिक उत्तर, जिनकी जारी होने की तिथि से छः सप्ताह में कार्यालय प्रमुखों से प्राप्ति की अपेक्षा थी, प्राप्त नहीं हुए।

विभाग प्रमुख लंबित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के निराकरण एवं अनुपालन संबंधी नियत उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में असफल रहे।

जल संसाधन, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, वन एवं अन्य विभागों से संबंधित उत्तर प्राप्त न होने के कारण लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा से प्रकाश में आया कि कार्यालय प्रमुख (जिनके अभिलेखों का महालेखाकार के द्वारा निरीक्षण किया गया था) एवं विभागों के प्रमुखों ने बड़ी संख्या में निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के उत्तर नहीं दिए थे, जो निरीक्षण प्रतिवेदनों में महालेखाकार द्वारा इंगित किए गए दोषों, चूकों और अनियमितताओं के संबंध में कार्रवाई करने में उनकी विफलता को दर्शाता है। विभागों के प्रधान सचिव/सचिव भी जिन्हें अर्धवार्षिक प्रतिवेदनों के माध्यम से स्थिति सूचित की गई थी, विभाग के संबंधित कार्यालयों की त्वरित एवं समय पर कार्यवाही सुनिश्चित नहीं करा सके।

दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही न होने से गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की निर्बाध रूप से निरंतरता रही एवं शासन को हानि हुई, यद्यपि इन्हें लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था। यह अनुशंसा की जाती है कि निर्धारित

समय सूची के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के उत्तर भेजने में एवं समयबद्ध तरीके से हानि/लंबित अग्रिमों/अधिक भुगतानों की वसूली की कार्रवाई में विफल रहे अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की प्रणाली का शासन पुनः परीक्षण करे तथा विभाग में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उचित प्रत्युत्तर देना सुनिश्चित करने के लिए प्रकिया को नया रूप दिया जाए।

(गार्गी कौल)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वितीय, मध्यप्रदेश

भोपाल

दिनांक :

प्रतिहस्ताक्षरित

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक :

परिशिष्ट

पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान सिंचाई क्षमता के विकास की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक	I	125
विभिन्न जिलों में सृजित सिंचाई क्षमता के मध्य असंतुलन दर्शाने वाला विवरण पत्रक	II	126
अपूर्ण योजनाओं की भौतिक प्रगति एवं लागत आधिक्य दर्शाने वाला विवरण पत्रक	III	128
मात्राओं में असामान्य वृद्धि के कारण अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण पत्रक	IV	130
डामर की कम प्राप्ति दर्शाने वाला विवरण पत्रक	V	131
लेखाबद्ध न किए गए दायित्वों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	VI	132
संग्रह की आरक्षित सीमा की स्वीकृति के बिना वर्ष के अंत में संग्रह के शेष दर्शाने वाला विवरण पत्रक	VII	133
यातायात गणना आंकड़ों के योग में त्रुटि से निविदा राशि का कम मूल्यांकन दर्शाने वाला विवरण पत्रक	VIII (i)	134
पथकर की गलत दरों की प्रयुक्ति से निविदा राशि का कम मूल्यांकन दर्शाने वाला प्रपत्र	VIII (ii)	135
पथकर संग्रहण का गलत मूल्यांकन दर्शाने वाला विवरण पत्रक	IX	136
तकनीकी शब्दों एवं संक्षेपकों की शब्दावली	X	138

परिशिष्ट-I
(कंडिका 1.1.6 में संदर्भित)

पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान सिंचाई क्षमता के विकास की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक

क्र.	पंचवर्षीय योजना का विवरण	योजना अवधि	योजना के अंत में सृजित क्षमता (लाख हेक्टेयर)	पूर्व अवधि की क्षमता पर प्रतिशत वृद्धि	प्रतिवर्ष फसल उत्पादन (लाख टन)
1	योजना पूर्व	1951से पूर्व	4.69	- -	- -
2	1 ली पंचवर्षीय योजना	1951-56	4.84	3.20	90.59
3	2 री पंचवर्षीय योजना	1956-61	5.52	14.05	98.37
4	3 री पंचवर्षीय योजना	1961-66	8.65	56.70	66.35
5	3 वार्षिक योजनाएं	1966-69	11.51	33.06	103.70
6	4 थी पंचवर्षीय योजना	1969-74	12.35	7.30	107.76
7	5 वीं पंचवर्षीय योजना	1974-79	17.70	43.32	78.39
8	वार्षिक योजना	1979-80	19.14	8.14	130.20
9	6 वीं पंचवर्षीय योजना	1980-85	24.52	28.11	167.09
10	7 वीं पंचवर्षीय योजना	1985-90	28.11	14.64	212.08
11	2 वार्षिक योजनाएं	1990-92	29.91	6.40	204.73
12	8 वीं पंचवर्षीय योजना	1992-97	32.68	9.26	230.50
13	2 वार्षिक योजनाएं एवं 9 वीं पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष	1997-2000	33.40	2.20	266.03

परिशिष्ट-II

(कंडिका 1.1.6 में संदर्भित)

विभिन्न जिलों में सृजित सिंचाई क्षमता के मध्य असंतुलन दर्शाने वाला विवरण पत्रक

तालिका - I

क्र.	योजना का नाम	शुद्ध बुवाई क्षेत्र (हे.)	सृजित क्षमता (हे.)	शुद्ध बुवाई क्षेत्र के लिए क्षमता का प्रतिशत	अपूर्ण नई योजनाओं की पूर्णता के बाद कुल क्षमता	शुद्ध बुवाई क्षेत्र के लिए भावी क्षमता का प्रतिशत
1	राजगढ़	415192	12016	2.89	22355	5.38
2	उज्जैन	480443	19943	4.15	20908	4.35
3	मंदसौर	359704	5008	1.39	12724	3.54
4	नीमच	191132	7440	3.89	16445	8.60
5	देवास	377486	15065	3.99	16684	4.42
6	सागर	532042	15715	2.95	27348	5.14
7	डिंडोरी	210498	8625	4.10	12060	5.73
8	छिन्दवाड़ा	497202	24039	4.83	108308	21.78
9	भोपाल	158552	13408	8.46	15590	9.83
10	विदिशा	533966	46012	8.62	77033	14.42
11	बैतूल	407680	28563	7.01	30383	7.45
12	शिवपुरी	422153	35396	8.38	125157	29.65
13	गुना	636231	41946	6.59	51590	8.11
14	रतलाम	326514	18767	5.75	22152	6.78
15	शाजापुर	444576	26349	5.93	37084	8.34
16	ठंदौर	254724	13879	5.45	14613	5.74
17	धार	506168	30469	6.02	595730	124
18	झाबुआ	358340	30998	8.65	40412	7.24
19	खरगौन	410514	38497	9.38	44002	10.72
20	बड़वानी	233478	14319	6.13	15284	6.55
21	खंडवा	437851	27199	6.21	28603	6.53
22	शहडोल	365488	20095	5.50	46389	12.69
23	उमरिया	111238	10792	9.70	16978	15.26
24	सतना	363575	24003	6.60	67610	18.60
25	पन्ना	247028	13069	5.29	16610	6.72
26	दमोह	303280	22188	7.32	26831	8.47
27	नरसिंहपुर	298618	17537	5.87	18961	6.35
28	जबलपुर	275921	23784	8.62	26897	9.75

हे = हेक्टेयर

तलिका-II

सं. क.	योजना का नाम	शुद्ध बुवाई क्षेत्र	सृजित क्षमता	शुद्ध बुवाई क्षेत्र के लिए क्षमता का प्रतिशत	अपूर्ण नई योजनाओं की पूर्णता के बाद कुल क्षमता	शुद्ध बुवाई क्षेत्र के लिए भावी क्षमता का प्रतिशत
1	होशंगाबाद	294991	225938	76.59	227330	77.06
2	ग्वालियर	217388	114089	52.48	210353	96.76
3	मुरैना	265812	159454	59.99	163860	61.65
4	हरदा	170053	95298	56.04	116576	68.55
5	भिण्ड	337281	129919	38.52	169374	50.22
6	बालाघाट	275194	131718	47.86	171523	62.32

परिशिष्ट-III

(कंडिका 1.1.7 में संदर्भित)

अपूर्ण योजनाओं की भैतिक प्रगति एवं लागत आधिक्य दर्शाने वाला विवरण पत्रक

तालिका-I

वृहद् योजनाएं

(करोड़ रूपये में)

स. क.	योजना का नाम	संबंधित क्षमता हेक्टेयर	प्रशासकीय अनुमोदन के अनुसार मूल लागत	प्ररंभ करने का वर्ष	नवंबर 2000 तक व्यय	मूल अनुमानित लागत पर व्यय का प्रतिशत	नवीनतम अनुमानित लागत
1	बरियारपुर	43850	18.40	1978	65.80	358	231.65
2	उर्मिल (दायी तट नहर)	7692	2.21	1978	21.72	983	25.00
3	माही परियोजना	26430	27.10	1985	54.27	200	265.85
4	बारना परियोजना	60512	15.27	1968	27.90	183	34.25
5	कोलार परियोजना	45087	0.70	1979	182.49	26070	195.00
6	संजय सरोवर	81839	28.50	1972	221.51	777	249.72
7	राजघाट नहर	36152	23.47	1975	103.69	442	405.79
8	राजीव गांधी परियोजना	18211	4.92	1977	28.33	576	33.63
9	भांडेर नहर	43339	2.04	1972	7.18	352	28.09
10	राजघाट नहर	121450	46.15	1979	179.04	388	525.70
11	सिंध रामोआ लिंक	4615	5.97	1980	15.39	258	21.71
12	केकटो तिगड़ा पोषक नहर	5666	0.41	1978	25.67	6261	25.54
योग		494843	175.14		932.99	533	2041.93 (1166:)

तालिका -II

मध्यम योजनाएं

(करोड़ रूपये में)

स. क.	योजनाओं के नाम	रूपांकित क्षमता (हे.)	प्रशासकीय अनुमोदन के अनुसार मूल लागत	प्रारंभ करने का वर्ष	नवंबर 2000 तक व्यय	मूल अनुमानित लागत पर व्यय का प्रतिशत	नवीनतम अनुमानित लागत
1	गोपद सिंचाई उद्वहन योजना	5668	3.44	1981	11.23	326	13.42
2	बरचर	3290	3.50	1981	15.63	447	20.34
3	धोलावड	6520	4.64	1977	19.57	422	20.08
4	बंजर	2429	2.09	1979	8.47	405	7.71
5	दूधी (के.सी.एस.)	4810	2.86	1979	19.57	684	19.88
6	रामपुरा खुर्द	2707	1.51	1978	21.69	1436	22.44
7	कालिया सोत	4500	7.84	1980	47.16	602	56.00
	योग	29924	25.88		143.02	553	159.87
	महायोग	524767	201.02		1076.01		2201.80

तलिका-III

(करोड़ रूपये में)

स. क.	योजना का नाम	अनुमानित लागत	आरंभ होने का वर्ष	वस्तविक व्यय	शीर्ष कार्यो की भौतिक प्रगति की प्रतिशतता	नहरों की प्रगति	नवीनतम अनुमानित लागत
	वृहद् परियोजनाएं						
1	बाणसागर	1395.49	1978	1667.90	90:	25	2730.41
2	पेंच व्यपवर्तन	91.68	1988	8.30	निरंक	निरंक	184.34
3	कनेरा उदवहन सिंचाई योजना	3.98	1981	3.55	10:	10	25.80
4	सांक नून लिंक नहर प्रणाली	1.81	1980	2.06	उ. न.	51	19.96
5	हरसी नहर का आधुनिकीकरण	13.80	1980	7.83	उ. न.	23	13.80
6	सिंध चरण-प्प	607.67	1991	132.37	30:	40	1079.91
	म्ध्यम परियोजनाएं						
7	महान (गुलाब सागर)	38.94	1983	34.16	37:	31	155.10
8	बाह	13.98	1983	3.03	निरंक	निरंक	39.14
9	सगइ	10.63	1983	1.05	निरंक	निरंक	89.25
10	महुअर	10.95	1980	3.35	7:	30	80.00
11	कुंवारी उदवहन सिंचाई योजना	1.02	1980	1.90	निरंक	निरंक	5.31
	योग	2189.95		1865.50			4423.02

उ. न. = उपलब्ध नहीं

परिशिष्ट - IV

(कंडिका 1.1.16 (ii) में संदर्भित)

मात्राओं में असामान्य वृद्धि के कारण अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण पत्र

स. क.	कार्य का नाम	ठेके का मूल्य (लाख रुपये में)	मदों का विवरण जहां मात्राएं बढ़ीं						अतिरिक्त लागत (लाख रुपये में)
			मदों की संख्या	कार्य की मद	'जी' शेड्यूल के अनुसार मूल्य	(क)	(ख)	(ग)	
1	रामपुरा तालाब	67.50	3	उत्खनन एवं मिट्टी कार्य	18.66	49.28	28.75	20.41	8.34
2	चन्दगढ़ तालाब	.	1	डी.आर. एवं एस. आर. में उत्खनन	2.27	14.55	12.05	8.46	3.59
3	तवा परियोजना	.	1	च्छान में उत्खनन	19.04	32.29	11.35	7.08	4.27
4	पुलपुलडीह तालाब	39.30	1	च्छान में उत्खनन	0.26	5.34	5.05	1.70	3.35
5	4 मायनर्स एवं पक्की रचनाओं का मिट्टी कार्य	10.02	1	डी.आर. एवं एस. आर. में उत्खनन	0.44	2.26	1.78	0.94	0.84
6	महान मुख्य नहर	148.20	2	च्छान में उत्खनन एवं सीमेंट कांकीट 1:4:8	23.07	78.63	53.25	42.62	10.63
	योग		9		63.74	182.35	112.23	81.21	31.02

परिशिष्ट-V

(कंडिका 2.1.5 (क) में संदर्भित)
डामर की कम प्राप्ति दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स. क.	संभाग का नाम	वर्ष	आदेशों की संख्या	मात्रा (एम. टी.)	5-96	96-97	97-98	98-99	1999-2000	योग	आधिक्य/कमी
1	अलिराज पुर	95-96	4	1400	15.600	426.450	25.07	-	-	1067.12	(-) 332.88
		97-98	4	565			273.09	305.18	20.35	598.62	33.62
		98-99	1	100				55.56		55.56	(-) 44.44
2	देवास	95-96	4	1900	. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	1840.447	(-) 59.553
		97-98	2	400	. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	342.19	(-) 57.81
		98-99	2	210.14	. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	210.140	छपस
		99-2000	1	65	. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	67.680	2.68
3	मंडलेश्वर	95-96	5	1600	78.392	642.243	60.84	0	0	1481.475	(-) 118.525
		96-97	1	300		240.84	68.21	0	0	309.05	9.05
		97-98	1	450		0	0	274.395	0	274.395	(-) 175.605
		98-99	1	120		0	0	0	91.26	91.26	(-) 28.74
4	धार	95-96	8	3500	. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	2856.185	(-) 643.815
		96-97	2	1100	. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	716.185	(-) 383.815
		97-98	3	1550	. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	1237.02	(-) 312.98
		98-99	2	1200	. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	793.74	(-) 406.26
		99-2000	1	300	. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	300	निरंक
5	मंदसौर	95-96	11	4500	850.65	1892.395	0	0	0	3743.160	(-) 756.84
		96-97	1	200		207.890	0	0	0	207.890	7.890
		97-98	5	1600		0	668.893	266.257	86.584	1021.734	(-) 578.266
		98-99	1	200		0	0	0	40.560	40.560	(-) 159.44
6	उज्जैन	95-96	4	2000	04.22	797.505	0	0	0	1501.725	(-) 498.275
		97-98	6	1600		0	1389.95	200.460	0	1590.41	(-) 959
		98-99	2	100		0	0	101.537	-	101.537	(-) 1.537
		99-2000	4	250		0	0	0	207.769	207.769	(-) 42.231
7	खंडवा	95-96	4	2800	78.31	1889.93	0	0	0	2568.24	(-) 231.760
		97-98	3	900		0	315.445	417.968	160.68	894.093	(-) 5.907
		98-99	1	200		0	0	114.495	59.681	174.176	(-) 25.824
		99-2000 2000-01	1	570		0	0	0	101.40 396.46	496.860	(-) 73.140
	योग		85	29680.14						24789.221	(-) 4890.919

उ. न. = उपलब्ध नही

परिशिष्ट - VI

(कंडिका 2.1.6 में संदर्भित)

लेखाबद्ध न किए गए दायित्वों को दर्शाने वाला विवरण पत्र

(आंकड़े लाख रूपये में)

स. क.	संभाग का नाम	वर्ष						योग
		1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	
1	नरसिंहपुर	–	0.19	0.57	10.84	4.47	–	16.07
2	शहडोल	–	5.92	0.57	35.99	68.36	2.38	113.22
3	सतना	–	0.15	0.23	1.04	–	–	1.42
4	जबलपुर	4.36	10.81	46.25	36.76	–	–	98.18
5	कटनी	–	0.67	0.08	1.01	1.76	0.56	4.08
6	इंदौर-II	0.06	2.05	–	2.17	2.84	–	7.12
7	खरगौन	–	8.57	9.16	0.35	3.40	–	21.48
8	खंडवा	5.09	10.38	16.94	2.39	7.45	–	42.25
9	शाजापुर	–	3.96	–	7.27	8.72	–	19.95
10	उज्जैन	3.55	4.79	12.15	6.38	–	–	26.87
11	रायसेन	–	–	–	2.63	3.04	–	5.67
	योग	13.06	47.49	85.95	106.83	100.04	2.94	356.31

परिशिष्ट - VII
(कंडिका 2.1.10 (iv) में संदर्भित)

संग्रह की आरक्षित सीमा की स्वीकृति के बिना वर्ष के अंत में संग्रह के शेष दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(लाख रूपये में)

स. क.	संभाग का नाम	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	इंदौर - प्प	80.54	93.37	103.53	117.47	122.57
2.	डज्जैन	•,	’	’	’	107.41
3.	शाजापुर	’	’	’	’	25.50
4.	खण्डवा	’	55.51	20.82	41.71	62.77
5.	खरगौन	’	66.90	57.97	43.39	36.97
6.	रायसेन	58.64	’	76.93	73.96	78.48
7.	क्टनी	’	58.31	13.10	2.68	’
8.	स्तना	12.57	57.63	22.13	5.13	’
9.	ज्बलपुर	72.78	87.74	100.23	120.03	’
10.	न्रसिंहपुर	26.33	54.31	42.38	41.76	40.85
11.	शहडोल		छ।	छ।	छ।	छ।
	योग	250.86	473.77	437.09	446.13	474.55

उ. न. = उपलब्ध नहीं

• स्वीकृत संग्रह की आरक्षित सीमा

परिशिष्ट VIII(i)
(25(1)में संदर्भित)

यातायात गणना आंकड़ों के योग में त्रुटि से निविदा राशि का कम मूल्यांकन दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(इन्दौर-बुरहानपुर मार्ग - प्रादेशिक राजमार्ग-2)

1993 की गणना के अनुसार

प्रति सप्ताह ट्रकों की संख्या	गणना के अनुसार	2614	
प्रति सप्ताह ट्रकों की संख्या	ठेकेदार द्वारा	1624	
अंतर		990	
1994 के लिए जोड़िए 10% (संहितीय प्रावधान के अनुसार)		99	
		1089	
1995 के लिए जोड़िए 10% (संहितीय प्रावधान के अनुसार)		108.90	
		1197.90 प्रति सप्ताह या 171 प्रतिदिन	
35 रूपये प्रति ट्रक की दर से वसूली योग्य 171x35		5985 रूपये प्रतिदिन	
30.8.95 से पथकर वसूली आरंभ हुई			
30.8.95 से 31.12.95 = 124 दिन		124 5985	7,42,140 रूपये
1996 के लिए जोड़िए 10% (संहितीय प्रभार सहित)		6584	
1.1.96 से 31.12.96 =366 दिन		366 x 6584	24,09,744 रूपये
1997 के लिए जोड़िए 10% (संहितीय प्रभार सहित)		7242	
1.1.97 से 24.4.97 = 114 दिन		114 x 7242	8,25,588 रूपये
योग 604 दिन			39,77,472 रूपये

वास्तविक ट्रकों की संख्या जिस पर 30 अगस्त 1995 से 24 अप्रैल 1997 (604 दिन) के दौरान पथकर वसूला गया	653800
35 रूपये प्रतिदिन प्रति ट्रक की दर से अवधि के दौरान वास्तविक पथकर वसूली	22883000 रूपये
आकलन हेतु विचार की गई ट्रकों की संख्या 10% वृद्धि सहित 1994 हेतु (1624+162)	1786 प्रति सप्ताह
आकलन हेतु विचार की गई ट्रकों की संख्या 10% वृद्धि सहित 1995 हेतु (1786+179)	1965 प्रति सप्ताह
आकलन हेतु विचार की गई ट्रकों की संख्या 10% वृद्धि सहित 30.8.95 से 31.12.95 (124 दिन)	1965 X 124/7=34808
आकलन हेतु विचार की गई ट्रकों की संख्या 10% वृद्धि सहित 1996 हेतु (366 दिन)	2101 x 366/7=112989
आकलन हेतु विचार की गई ट्रकों की संख्या 10% वृद्धि सहित 1.1.97 से 24.4.97 हेतु (114 दिन)	2377 x 114/7 = 38711
अवधि के दौरान विचार योग्य कुल ट्रक	186508
ट्रकों की संख्या में अंतर	653800-86508=467292
35 रूपये प्रतिदिन प्रति ट्रक की दर से ठेकेदार को अदेय लाभ	16355220 रूपये
अथवा	1.64 करोड़ रूपये

परिशिष्ट VIII(II)
(कंडिका 25(II)में संदर्भित)

पथकर की गलत दरों की प्रयुक्ति से निविदा राशि का कम मूल्यांकन दर्शाने वाला विवरण पत्रक (इन्दौर-बुरहानपुर मार्ग - प्रादेशिक राजमार्ग-2)

इन्दौर-अहमदाबाद मार्ग के किलोमीटर 37/4 पर चंबल सेतु

ट्रकों के लिए

विभाग द्वारा ट्रकों के लिए मानी गई पथकर की गलत दरें	25 रूपये प्रति ट्रक	
राजपत्र के अनुसार पथकर की सही दर	35 रूपये प्रति ट्रक	
दर भिन्नता	10 रूपये प्रति ट्रक	
7 दिनों की यातायात गणना में ट्रकों की संख्या	10747	
प्रतिदिन ट्रकों के लिए पथकर का अंतर	10747/7 X10	15352 = क

बहुधुरीय वाहनों के लिए

विभाग द्वारा बहुधुरीय वाहनों के लिए मानी गई पथकर की गलत दरें	30 रूपये प्रति बहुधुरीय वाहन		
राजपत्र के अनुसार पथकर की सही दर	50 रूपये प्रति बहुधुरीय वाहन		
दर भिन्नता	20 रूपये प्रति बहुधुरीय		
7 दिनों की यातायात गणना में वाहनों की संख्या	807		
प्रतिदिन बहुधुरीय वाहनों के लिए पथकर का अंतर	807/7 X 20	2300=ख	
ट्रकों और बहुधुरीय वाहनों के लिए पथकर का अंतर	15352 +2300	17652 (क +ख)	
1996 के लिए 10% वृद्धि (संहितीय प्रावधानों के अनुसार)		+1765 19417	19417

26.5.96 से 13.1.98 की अवधि में पथकर वसूली

26.5.96 से 31.12.96	220 दिन	220 X 19417	4271740 रूपये
1997 के लिए 10 % वृद्धि = 19417 + 10% = 21358			
1.1.97 से 31.12.97	365 दिन	365 X 21358	7795670 रूपये
1998 के लिए 10 % वृद्धि = 21358 + 10% = 23494			
1.1.98 से 13.1.98	13 दिन	13 X 23494	305422 रूपये
योग	598 दिन		1,23,72,832 अथवा 1.24 करोड़ रूपये

ट्रकों की संख्या जिन पर वास्तव में 26 मई 1996 से 13 जनवरी 1998 (598 दिन) के दौरान पथकर वसूला गया	913760
35 रूपये प्रतिदिन प्रति ट्रक की दर से वास्तविक पथकर वसूली	31981600
बहुधुरीय वाहनों की संख्या जिन पर अवधि (598 दिन) के दौरान वास्तव में पथकर वसूला गया	114742
50 रूपये प्रतिदिन प्रति वाहन की दर से वास्तविक वसूली	5737100
दरों की गलत प्रयुक्ति (913760 ट्रक x 10रूपये + 114742 बहुधुरीय वाहन x 20 रूपये) के कारण ठेकेदार को अदेय लाभ	11432440
अथवा	1.14 करोड़ रूपये

परिशिष्ट - IX
(कंडिका 2.11 में संदर्भित)

पथकर संग्रहण का गलत मूल्यांकन दर्शाने वाला प्रपत्र

(क) मुख्य अभियंता द्वारा निविदा का मूल्यांकन

(लाख रूपये में)

क	प्रारंभिक 6 माह	201.26
ख	पथकर चालू होने के बाद पहला वर्ष	248.54
ग	पथकर चालू होने के बाद दूसरा वर्ष	201.60
घ	पथकर चालू होने के बाद तीसरा वर्ष	169.00
इ	चौथा वर्ष 331 दिन	303.91
	योग	1124.31

(ख)1997 की गणना के आधार पर वार्षिक पथकर की गणना

वर्ष	प्रतिदिन	प्रतिवर्ष
1997	101277	36966105
1998	111425	40670125
1999	122545	44728925
2000	134800	49202000

(ग) मानी गई व्यापार गणना से ठेकेदार को अतिरिक्त लाभ

2000 के स्थान पर 1997 की गणना

(लाख रूपये में)

स. क.	वर्ष	दिवस	मुख्य अभियंता द्वारा मानी गई राशि	10 : वृद्धि के साथ लेखापरीक्षा द्वारा मानी गई राशि	अंतर
1	19.1.2000 से 18.1.2001	366	291.50	492.01	200.51
2	19.1.2001 से 18.1.2002	365	320.65	541.21	220.56
3	19.1.2002 से 18.1.2003	365	352.71	595.33	242.62
4	19.1.2003 से 18.1.2004	365	387.98	654.86	266.86
5	19.1.2004 से 18.12.2004	330	384.80	649.49	264.69
	योग	1791	1737.64	2932.90	1195.26

19 जनवरी 2000 से 31 अप्रैल 2001 के दौरान वास्तव में संग्रहित पथकर के आधार पर ठेकेदार को अतिरिक्त लाभ

(लाख रुपये में)

स. क.	वर्ष	दिवस	मुख्य अभियंता द्वारा मानी गई राशि	10 : वृद्धि के साथ लेखापरीक्षा द्वारा मानी गई राशि	अंतर
1	19.1.2000 से 18.1.2001	366	291.50	385.83	94.33
2	19.1.2001 से 18.1.2002	365	320.65	424.41	103.76
3	19.1.2002 से 18.1.2003	365	352.71	466.85	114.14
4	19.1.2003 से 18.1.2004	365	387.98	513.54	125.56
5	19.1.2004 से 14.12.2004	330	384.80	509.33	124.53
	योग	1791	1737.64	2299.96	562.32

परिशिष्ट X

तकनीकी शब्दों एवं संक्षेपों की शब्दावली

बी.सी. — अभियंता द्वारा निदेशित अथवा विशिष्टियों के अनुपालन में पूर्व में तैयार की गई "बेस" पर "वीयरिंग कोर्स" के रूप में कार्य करने के लिए, डामर के साथ पूर्वमिश्रित कूटी हुई गिट्टियों को 25 से 100 मिली मीटर के एक परत में संहतिकृत कर, बिटुमिनस कंकरीट का निर्माण होता है।

बी.एम. — विशिष्टियों/आवश्यकता के अनुपालन में पूर्व में तैयार की गई "बेस" पर मिश्रित करने के तुरंत बाद डालकर "बेस"/"बाइंडर कोर्स" के रूप में कार्य करने के लिए, डामर के साथ पूर्वमिश्रित कूटी हुई गिट्टियों की संहतिकृत 100 मिली मीटर तक मोटी एक परत का निर्माण बिटुमिनस मेकेडम में सन्निहित है।

बी.टी. — ब्लैक टाप, डामरीकृत सड़क सतह के लिए उपयोग किया जाने वाला सामान्य शब्द है।

बी.यू.एस.जी. — बेस कोर्स के रूप में उपयोग की जाने के लिए दानेदार गिट्टी के साथ डामर प्रयुक्त करते हुए दो परतों के साथ 75 मिली मीटर संहतिकृत तथा प्रत्येक परत के बाद डामर एवं दूसरी परत पर गिट्टी (की एग्रीगेट्स) से बिल्ट अप स्प्रे ग्राउट का निर्माण होता है।

डी.बी.एम. — डेन्स बिटुमिनस मेकेडम में, कूटे हुए दानेदार एग्रीगेट्स को डामर के साथ पूर्वमिश्रित कर 50 से 100 मिली मीटर मोटे एक कोर्स में संहतिकृत निर्माण सन्निहित है। यह विशिष्टियों/आवश्यकता के अनुसार, मिश्रित करने के तुरंत बाद पूर्व में तैयार की गई बेस पर बेस/बाइंडर कोर्स के रूप में कार्य करने के लिए बिछाया जाता है।

डी.एल.सी. — अभियंता द्वारा निर्देशित या ड्राइंग्स में दर्शाए गए "क्रास सेक्शन्स" एवं ग्रेड्स, पंक्तियों के साथ एवं विशिष्टियों के अनुपालन में कंकरीट फर्श के "सब बेस" के लिए 15:1 के अनुपात में तोड़े गए पत्थर के एग्रीगेट्स एवं सीमेण्ट में आवश्यकतानुसार जल मिला कर "ड्राय लीन सीमेण्ट" कंकरीट का निर्माण होता है।

एम.एस.एस. — उपयुक्त गिट्टी (एग्रीगेट्स) के साथ डामर मिलाकर एक परत में पहले से तैयार की गई बेस (सतह) पर विशिष्टियों के अनुपालन में बिछाने एवं संहतीकरण कर वियरिंग कोर्स के रूप में मिक्स सील सरफेसिंग तैयार किया जाता है।

ओ.जी.पी.सी. — उपयुक्त छोटे आकार के एग्रीगेट्स (गिट्टी) को डामर के साथ पूवमिश्रित कर, एक परत में पहले से तैयार की गई सतह पर वियरिंग कोर्स के रूप में, 20 मिली मीटर मोटाई में बिछाना एवं संहतीकरण करना "ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट" में सन्निहित है।

पी.सी. — "प्रीमिक्स कारपेट" "ओ.जी.पी.सी." कोर्स के समान है।

पी.सी.सी. — "प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स" एक समतलीकरण कोर्स है जिसमें फर्श की सामग्री से अपना आकार खो चुके विद्यमान फर्श को सुधारा जाता है अथवा क्रास सेक्शन्स, ग्रेड निर्दिष्ट रेखाओं की आवश्यकता पूर्ण करने हेतु उसे नया आकार दिया जाता है। यह केवल विद्यमान सड़क के प्रोफाइल (स्वरूप) की अनियमितता को हटाने के लिए है।

एस.सी. — केम्बर, ग्रेड एवं निर्दिष्ट लेविल्स तक बिछाए गए बिटुमिनस कोर्स में रिक्तियों को बंद करने के लिए, डामर के उपयोग के बाद पत्थर के चिप्स (तरल सील कोट) अथवा बारीक गिट्टी डामर के साथ पूर्वमिश्रित कर (पूर्वमिश्रित सील कोट) डाला जाना "सील कोट" में सन्निहित है।

एस.डी. — "सरफेस ड्रेसिंग" (सतह सुधार) में एक कोट या दो कोट की प्रयुक्ति सन्निहित है, प्रत्येक कोट में, पूर्व में तैयार की गई बेस (धरातल) पर डामर छिड़क कर पत्थर का चूरा (चिपिंग) बिछाकर उचित रूप से दबा कर वियरिंग कोर्स बनाया जाता है।

एस.डी.बी.सी.	सेमी डेन्स बिटुमिनस कंकरीट में 25 मिली मीटर/40 मिली मीटर मोटे डामर के साथ कूटे हुए दानेदार एग्रीगेट्स पूर्वमिश्रित कर संहतीकृत एक कोर्स का निर्माण सन्निहित है। बंधक/ वियरिंग कोर्स के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्टियों/ आवश्यकता के अनुसार पूर्व में तैयार की गई बेस पर, मिश्रित किए जाने के तुरंत बाद डाला जाता है।
टी.सी.	टैक कोट में एक विद्यमान सड़क सतह के ऊपर दूसरे डामरीकृत निर्माण की तैयारी में "लो विस्कासिटी लिक्विड बिटुमिन" (कम गाढ़ा तरल डामर) की प्रयुक्ति सन्निहित है।
डब्ल्यू.बी.एम.	वाटर बाउण्ड मेकेडम में, विद्यमान फर्श या उचित रूप से तैयार की गई "सब ग्रेड"/"सब बेस"/"बेस" पर, जैसा भी प्रकरण हो, साफ कूटे, छाने गए एग्रीगेट्स (गिट्टी) एवं जहाँ आवश्यक हो बंधक सामग्री (बाइंडिंग मटेरियल) एवं पानी डालकर यांत्रिकी रूप से दबाकर जमाया गया तथा विशिष्टियों के अनुसार पूर्ण किया जाना सन्निहित है।
आइ.आर.सी.	इंडियन रोड कांग्रेस
आइ.एस.कोड	इंडियन स्टेंडर्ड कोड
आर.सी.सी.	रिइन्फोर्स्ड सीमेंट कांक्रीट
ए.आई.बी.पी.	गतिवर्धित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
एस.आर.	साफ्ट राक
कास्ट इन सीटू	स्थल पर निर्मित
क्र.	क्रमांक
डी.जी.एस.डी.	महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान
डी.आर.	डिसइंटीग्रेटेड राक
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
पी.सी.सी.	पूर्व ढलित सीमेंट कांक्रीट
बी.ओ.टी.	बिल्ड आपरेट एवं ट्रांसफर
रु.	रुपये
सेल	भारतीय इस्पात प्राधिकरण
सं.	संभाग
सी.टी.ई.	मुख्य तकनीकी परीक्षक
सी.सी.	सीमेंट कांक्रीट
स.क्र.	सरल क्रमांक